एकादश माला, खंड 9, अंक 4

मंगलवार, 25 फरवरी, 1997
6 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग-I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ... 52
Date ... 12-12-97

सत्यमेव जयते

(खण्ड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ट
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 25 फरवरी 1997/ 6 फाल्गुन, 1918 (शक)

का
शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	5	I	1276
79	नीचे से 9	*48	422
162	14	श्री छोटुभाई गामीत	श्री पीतुभाई गामीत
198	2	(क)	(क) से (घ)
200	21	श्री के.एम. मुनियप्पा	श्री के.एच. मुनियप्पा
204	नीचे से 4	(घ)	(घ) और (ङ)
207	नीचे से 3	डी.टी.सुब्बारामी रेड्डी	डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी
219	27	श्री भीम प्रसाद दडा दाहाल	श्री भीम प्रसाद दाहाल
219	नीचे से 3	(ग) और (ड.)	(ग) से (ड.)
230	7	डा. ए. जगन्नाथ	डा. एम. जगन्नाथ
230	22 के पश्चात	—	"(घ) यदि नहीं, तो उच्चतम न्यायालय में मामले को शीघ्र निबटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?
256	I	अपराह्न 12.30 बजे	अपराह्न 12.1½ बजे
256	14	अपराह्न 12.45 बजे	अपराह्न 12.1¾ बजे
258	25	अपराह्न 12.55 बजे	अपराह्न 12.5½ बजे

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड ५, [illegible] सत्र (भाग-एक), 1997/1918 (शक)]

अंक 4, मंगलवार, 25 फरवरी, 1997/6 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय		कालम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण		1
निधन संबंधी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	41 से 44	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	45 से 60	25-59
अतारांकित प्रश्न संख्या	398 से 627	59-252
सभा पटल पर रखे गए पत्र		253-255
कार्य मंत्रणा समिति		
दसवां प्रतिवेदन—*प्रस्तुत*		255
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति		
तिरेपनवां, चौवनवां और पचपनवां प्रतिवेदन — *सभा पटल पर रखा गया*		256
समितियों के लिए निर्वाचन		
(एक)	प्राक्कलन समिति.	256
(दो)	लोक लेखा समिति	257
(तीन)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति.	257
(चार)	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	258
(पांच)	भारतीय पुनर्वास परिषद	259-267
बोफोर्स 155 एम०एम० होवित्जर तोप सौदे के बारे में		268-298
नियम 377 के अधीन मामले.		298
(एक)	1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सीमावर्ती जिलों-बाड़मेर और जैसलमेर में पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणर्थियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल सोना राम चौधरी	298
(दो)	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को, विशेष रूप से गुजरात राज्य में कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन०जे० राठवा	299

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(तीन) संयुक्त उद्यम सार्वजनिक उपक्रमों में भारतीय परामर्शदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मुखोपाध्याय 299

(चार) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लम्बे तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के० परसुरामन 300

(पांच) राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश में ओ०एन०जी०सी० के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की मांग के संबंध में हड़ताल को समाप्त कराए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोपाल कृष्ण 300

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्रीमती गीता मुखर्जी 301

श्री सोमनाथ चटर्जी 308

श्री शरद पवार 317

श्री कृष्ण लाल शर्मा 328-336

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

बारीपाड़ा, उड़ीसा में हुआ अग्निकांड 305-308

लोक सभा

मंगलवार, 25 फरवरी 1997/6 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती हेडविग माइकल रेगो (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे सभा को हमारे सम्मानित भूतपूर्व साथी श्री सुशील भट्टाचार्य के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सुशील भट्टाचार्य ने 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा में पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

श्री भट्टाचार्य प्रमुख श्रमिक नेता और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने सदैव श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। वह 1962 में आल इंडिया हास्पिटल इम्पलाइज फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में मास्को गए।

अपने संसदीय-कार्यकाल के दौरान उन्होंने सभा की कार्यवाही में सक्रियता से भाग लिया और उसमें महत्वपूर्ण योगदान किया।

श्री सुशील भट्टाचार्य का निधन 75 वर्ष की आयु में 28 दिसम्बर, 1996 को कलकत्ता में हुआ।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

यह सभा मृतात्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राजस्थान में भारतीय उर्वरक निगम की इकाइयां

*41. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर स्थित भारतीय उर्वरक निगम की राजस्थान में श्री मोहनगढ़, क्वास, नागौर तथा हनुमानगढ़ आदि इकाइयां पिछले पांच-छः वर्षों से घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन इकाइयों को लाभप्रद और अर्थक्षम बनाने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं;

(ग) क्या इन इकाइयों के कुछ अधिकारी कदाचार में शामिल हैं और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया ऐसे मामले साबित हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार राज्य को लगातार हो रहे घाटे से बचाने के लिये इन इकाइयों को बंद करना चाहती है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रखा गया।

विवरण

(क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ०सी०आई०) का जोधपुर माइनिंग आरगेनाइजेशन, जो, जोधपुर में स्थित है, राजस्थान में श्री मोहनगढ़, कवास और अन्य क्षेत्रों में जिप्सम के खनन में कार्यरत है। श्री मोहनगढ़ खानों को 1991-92 के दौरान हुए सीमान्त लाभ को छोड़कर 1995-96 तक हानि हुई है। कवास खानों में प्रचालन कार्य 1990-91 से लाभकारी रहे हैं। हनुमानगढ़ और नागौर स्थित हानि उठा रही खानों को 1989 से 1994 के दौरान वापस कर दी गई है।

(ख) जोधपुर माइनिंग आरगेनाइजेशन की टर्न अराऊंड नीति इसका कारोबार बढ़ाने तथा प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने पर आधारित है।

(ग) और (घ) एक प्रारम्भिक जांच से एफ०सी०आई० की श्री मोहनगढ़ खानों के प्रचालन के लिए अनुबंधों में प्रथम दृष्टया प्रक्रियात्मक चूक का संकेत मिला है। एफ०सी०आई० प्रबंधन ने कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। अनुबंध कार्य के पुनः आवंटन के संबंध में प्रशासनिक कार्यवाही भी की गई है।

(ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है जिसमें अभी महोदय ने स्वीकार कर लिया है .....

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला : कृपया हिन्दी में बोलिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी : मैंने अंग्रेजी में तैयार किया है।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 1996 से पूर्व, घाटा होता रहा है और पिछले आठ या नौ महीनों से सुधार हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक प्रासंगिक बात बताना चाहता हूं कि 1996 से पहले, काफी घाटा होता रहा है। और यह घाटा उच्च पदों में कदाचार और भ्रष्टाचार के कारण हुआ था। मुझे

श्री शीश राम ओला : कहां गोरखपुर और कहां जैसलमेर ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० आर० दासमुंसी : महोदय, माननीय मंत्री महोदय को इस तरह नहीं कहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला : मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह रेलेवेण्ट प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप सवाल पूछिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : भारतीय खाद निगम के अंतर्गत जोधपुर माइनिंग ओर्गनाइज़ेशन है जो जिप्सम खनन का कार्य कर रहा है। जैसे मंत्री जी ने स्वयं उत्तर में दिया है पिछले चार-पांच वर्षों में घाटे में रहने की जो जांच बैठाई, वह कब बैठाई गई थी, वह किस प्रकार की जांच थी और अब इन्होंने जो टर्न अराउंड नीति की बात की है, मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उसका स्पष्टीकरण दें और इसमें जो अधिकारी दोषी हैं, आपने एक अधिकारी का नाम लिया कि उसको सस्पेण्ड कर दिया। यहां लिखा है कि —"एफ०सी०आई० प्रबंधन ने कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।" क्या सस्पेण्ड कर दिया है या प्रारंभ करने का निर्णय लिया है ? इन दोनों उत्तरों में तालमेल नहीं बैठ रहा है और प्रशासनिक कार्रवाई क्या की जा रही है, ताकि आने वाले समय में वह खनन कार्य लाभ में चल सके और सरकार को घाटे की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े ?

श्री शीश राम ओला : अध्यक्ष जी, यह राज्य सरकार का कोई ओब्लीगेटरी मामला नहीं है। राज्य सरकार को हम रायल्टी देते हैं, उसके नियमानुसार टैक्स देते हैं और हमने राज्य सरकार से लीज़ पर इन खानों को लिया है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि नुकसान में रहने का एक ही कारण रहा कि राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि यह जिप्सम राज्य की सीमेंट फैक्ट्रीज को नहीं दिया जायेगा, सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए और दूसरे कार्यों के लिए राज्य से भेजने में भी कठिनाई थी, इसलिए यह नुकसान हुआ। अब राज्य सरकार ने पिछले साल में इस जिप्सम को राज्य की सीमेंट फैक्टरियों को बेचे जाने की अनुमति दे दी है, इसलिए अब ये लाभ में आ गई हैं और अजमेर से आने वाले माननीय सांसद बहुत वेग प्रश्न कर गये। जैसलमेर से जो माननीय सदस्य आते हैं उन्होंने लिखित में कुछ शिकायतें की, उन पर हमने विभाग से जांच करवाई है और जिसको भी विभाग ने दोषी पाया, उस अधिकारी को हमने सस्पेंड कर दिया गया। आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, उसके जो नतीजे और जो रिपोर्ट आयेगी उस पर एक्शन हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री सुनील खान : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दुर्गापुर के हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स की आसैनिक पाइपों और अन्य माल की कमी के कारण अक्सर बंद क्यों कर दिया जाता है परिणामस्वरूप, उत्पादन लागत बढ़ रही है। सरकार द्वारा इस संबंध में कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला : अध्यक्ष जी, यह अलग विषय है, प्रश्न से हटकर है, जब यह आयेगा तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस नीति

+

*42. **श्री अमर पाल सिंह** :
श्री एन०एस०वी० चित्यन :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों के लिए लाइसेंस नीति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित लाइसेंस नीति में मुख्य रूप से कौन-कौन सी नई बातें शामिल की गई हैं;

(ग) क्या नई नीति के अंतर्गत नई इकाइयों को लेवी प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है और मिलों को अपने उत्पाद का 85% तक खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) गन्ना उत्पादकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या विशिष्ट सुरक्षोपाय किए गए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के दिनांक 10.1.1997 के प्रेस नोट संख्या 1 (1997 सीरीज) द्वारा चीनी उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पर विचार करने के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। प्रेस नोट की प्रति संलग्न है।

(ग) लाइसेंसिंग नीति में लेवी से छूट प्रदान करने का प्रश्न "कवर" नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रेस नोट की प्रति

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग

प्रेस नोट सं० 1
(1997 सीरीज)

विषय :— चीनी फैक्ट्रियों के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त।

भारत सरकार ने इस मंत्रालय के दिनांक 8.11.1991 के प्रेस नोट संख्या 16 (1991), द्वारा नई और वर्तमान चीनी फैक्ट्रियों के विस्तार के "लाइसेंसिंग" के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की समीक्षा की है। वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक उदारीकरण सरल

यह बताते हुए खेद हो रहा है कि मैंने जुलाई के दूसरे सप्ताह में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रही इस अनियमितता के बारे में कई पत्र लिखे थे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल एक अधिकारी का वहां से स्थानांतरण किया गया था। एक अधिकारी जो पिछले बीस वर्षों से दिल्ली में विपणन-प्रबंधक हैं और उसी संगठन को देख रहे हैं। उन्होंने उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह आफिसर्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पूछें।

कर्नल सोनाराम चौधरी : अब, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे और मैं यह कह सकता हूं कि एक ओर छोटा यूरिया घोटाला हो सकता है। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि ये अधिकारी जो कदाचार और भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं, क्या उन्हें निलम्बित कर दिया गया है या ऐसे स्थानों से हटा दिए गए हैं जहां से वे अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन को प्रभावित कर सकते हैं और क्या मंत्री महोदय इस जांच को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सुपुर्द करने के बारे में विचार कर रहे हैं क्योंकि विभागीय जांच से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला : अध्यक्ष जी, माननीय सांसद सी०बी०आई० के बारे में कह रहे थे लेकिन यह केस सी०बी०आई० को देने योग्य नहीं समझा गया। जिस अधिकारी ने कुछ अनियमिततायें और गलतियां की हैं, उसे सस्पैंड कर दिया गया है। नौ खानें ऐसी हैं जो जिप्सम का उत्पादन करती हैं। ये खानें जोधपुर माईनिंग आर्गेनाईजेशन के अन्तर्गत हैं। इस वर्ष इनको लम्बे समय के बाद अच्छा लाभ हुआ है और जनवरी तक 57 लाख रुपये का लाभ दर्शाया गया है। मुझे उम्मीद है कि मार्च तक और लाभ होगा। विभाग को इन खानों की जरूरत है। चूंकि ये खानें लाभ दे रही हैं, इसलिये इनको रखा गया है, इनमें छः खानें ऐसी है जो लॉस में चल रही थी जिन्हें राज्य सरकार को 1991-94 के बीच में वापस सुपुर्द कर दिया गया है। ये खानें राज्य सरकारों से लीज़ पर ली जाती है और उसकी रायल्टी एफ०सी०आई० देता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस क्वश्चन का उत्तर सही ढंग से देने की चेष्टा की है।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : मंत्री महोदय ने कहा है कि 57 लाख रु० का लाभ हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और उन्होंने उनका उत्तर भी दिया है। जो आपने पूछे भी नहीं थे।

कर्नल सोनाराम चौधरी : उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि मार्च-अप्रैल, 1996 तक घाटा हुआ था। मैं यह जानना चाहता हूं कि मार्च-अप्रैल, 1996 तक यह घाटा क्या-क्या था।

दूसरा, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा और सूखा-प्रवण क्षेत्र है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस वित्तीय वर्ष के दौरान लाभकारी और सक्षम आर्थिक स्थिति पहले प्राप्त कर लेने पर विस्तार योजना और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के क्रियाकलापों के बारे में कुछ कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री शीश राम ओला : अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि मैंने बड़ा सही, सक्षम और थोड़े से समय में उत्तर दे दिया है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : महोदय माननीय सदस्य विस्तार योजना और अन्य क्रियाकलापों के बारे में पूछ रहे हैं। इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शीश राम ओला : मैं आपको निवेदन करूं जैसे आप जानते हैं माननीय पायलट साहब कि यह चूना जिस भूमि से निकलता है, वह राज्य सरकार के अधीन है। ···*(व्यवधान)* जिप्सम को ही चूना कहते हैं दाऊ दयाल जी। आपके कोटा में नहीं निकलता, बीकानेर में निकलता है। इस झगड़े में क्यों पड़ते हो ? आप मेरी बात सुन लो। ···*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : ये चूना लगाने में माहिर हैं। ···*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : इसमें ज्यादा कर्मचारी होने की वजह से यह खान नुकसान में चल रही थी। 300 कर्मचारी थे। उनके स्थान पर अब 200 रखे गए हैं। 100 कर्मचारियों की जगहों को काम कम होने कारण रिक्त रहने दिया गया। राज्य सरकार ने पहले यह निर्णय किया था कि हमारे राज्य का जिप्सम सीमेण्ट फैक्टरी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए भी खानें नुकसान में चल रही थी। अब राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में यह अनुमति दे दी है कि दूसरे राज्यों में इस जिप्सम को दे सकते हैं, इसके तहत हमने 60 हजार टन की वर्ल्ड बैंक के तहत एक योजना बनाई है। उसमें उत्तर प्रदेश का 60 हजार टन जिप्सम पिछले वर्ष भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह नहीं है मंत्री जी। आपका ऐक्सपैन्शन का प्लान है या नहीं ? हां या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री शीश राम ओला : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप इतने विस्तार में क्यों जा रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर खनिजों का तो अनुपम भंडार है और जिप्सम भी काफी मात्रा में पाया जाता है। राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के भारतीय खाद निगम को जिप्सम की खानें लीज़ पर इस आशा के साथ दी थी कि सरकारी उपक्रम लाभ में रहें और इसका लाभ खाद वगैरह बनाने में या अन्यान्य कार्यों में लेकर सारा देश लाभान्वित हो सके। परन्तु खेद है कि भारतीय खाद निगम इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा है और खाद निगम के जो खाद बनाने वाले कारखाने हैं, गोरखपुर का कारखाना और अन्य कारखाने बंद पड़े हैं।

श्री शीश राम ओला : यह भाषण का स्थान नहीं है। रेलेवेण्ट प्रश्न पूछिए।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं उसी पर आ रहा हूं।

और मार्गदर्शी प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता और पिछले वर्षों में चीनी उद्योग में हुए तकनीकी परिवर्तनों को हिसाब में लिया जा सके। उपर्युक्त प्रेस नोट के अधिक्रमण में सरकार ने अब निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों तैयार किए हैं :–

(1) प्रति दिन 2500 टन गन्ना पेराई की न्यूनतम इक्नामिक क्षमता वाली नई चीनी फैक्ट्रियों के लिए लाइसेंस जारी रहेगा। ऐसी क्षमता के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(2) लाइसेंसिंग में उन प्रस्तावों को तरजीह दी जाएगी जिनमें भारी क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी और "वैल्यू-एडेड" उत्पादों के उत्पादन तथा विद्युत सह-उत्पाद के समन्वित काम्पलेक्स अंतर्ग्रस्त होंगे।

(3) आवेदन पर विचार करने हेतु एक राजस्व जिले को यूनिट के रूप में माना जाएगा। यदि किसी यूनिट के प्रचालन के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं और अन्य बातें समान हैं तो पहले से प्राप्त हुए आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) चीनी फैक्ट्रियों को इस शर्त के अध्यधीन लाइसेंस दिए जाएंगे कि प्रस्तावित नई चीनी फैक्ट्री और पहले से ही विद्यमान लाइसेंसशुदा फैक्ट्री के बीच की दूरी 15 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

(5) नई चीनी यूनिट के लिए लाइसेंस मंजूर करने के लिए मूल आधार गन्ने की उपलब्धता और अथवा गन्ना विकास के लिए संभावना अथवा दोनों होंगे।

(6) अन्य बातें समान होने पर उत्पादकों की सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों को तरजीह दी जाएगी। तथापि, ऐसी सहकारी समितियों को जारी किया गया लाइसेंस किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा।

(7) वर्तमान फैक्ट्रियों के विस्तार संबंधी सभी आवेदन स्वतः ही स्वीकृत हो जाएंगे।

(8) नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने और वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन 2500 रुपए की विहित फीस के साथ फार्म-II में औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के औद्योगिक सहायता सचिवालय में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन औद्योगिक सहायता सचिवालय द्वारा खाद्य विभाग और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी टिप्पणियों हेतु भेजे जाएंगे। यदि उनकी टिप्पणियां मांगे जाने के एक माह पश्चात् खाद्य विभाग अथवा संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जाएगा कि वे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते। उसके बाद लाइसेंसिंग समिति औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन पर विचार करेगी और उपयुक्त सिफारिशें देगी।

ख. यथांपरि प्रक्रिया और मार्गदर्शी सिद्धांत उद्यमियों की सूचना और मार्गदर्शन हेतु उनके नोटिस में लाया जाता है।

हस्ता०/–

(अशोक कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

फाइल संख्या 10 (20)/96-एल०पी० नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी,1997

उपर्युक्त प्रेस नोट के तत्वों को व्यापक प्रचार देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय को अग्रेषित।

पत्र सूचना अधिकारी,
पत्र सूचना कार्यालय,
नई दिल्ली

[हिन्दी]

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मूल्य 72 तथा 76 रुपये प्रति क्विंटल सिर्फ चीनी निगम व कोआपरेटिव फैक्ट्रीज को ही दे रही है, प्राइवेट चीनी मिल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मूल्य किसान को न देकर उनका आर्थिक शोषण कर रही हैं। मैं गन्ना कृषकों का शोषण रोकने के लिए माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अध्यादेश गन्ना किसानों के लिए भारत सरकार को अनुमति के लिए भेजा है; जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को घोषित गन्ना मूल्यों का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकेगा। क्या भारत सरकार इस उत्तर प्रदेश के गन्ना अध्यादेश को अनुमति देगी अथवा नहीं। यदि इस संबंध में भारत सरकार बिल की आवश्यकता समझती है तो सरकार बिल कब लायेगी।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नम्र निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्य के मूल्य प्रश्न को देख लिया जाए। जो सप्लीमेंट्री प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, जानकारी के लिए मैं उत्तर दे दूंगा। लेकिन इस मूल प्रश्न से उसका दूर-दूर तक संबंध नहीं है।

श्री अमर पाल सिंह : प्रश्न नम्बर (घ) में मैंने पूछा है कि गन्ना उत्पादकों को शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष सुरक्षा उपाय किये हुये हैं, माननीय मंत्री जी यह मूल प्रश्न में है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न लास्ट में है कि गन्ना उत्पादकों को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष सुरक्षा उपाय किये गये हैं। मैं उन्हें उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के संदर्भ में जानकारी दे देना चाहता हूं।

श्री अमर पाल सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मैंने जो पहला सप्लीमेंट्री पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। गन्ना किसानों को जो कीमत मिल रही है, उससे संबंधित यह प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह जवाब दे रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से जवाब दे रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश से ऑर्डीनेन्स के लिए एक प्रस्ताव आया था,

उसमें कानूनी सलाह ली जा रही है और जो वहां पर 70, 72 और 76 रुपये जो अलग-अलग दामों की स्थिति है, उस पर वहां के महामहिम राज्यपाल ने चीनी मिल वालों को बुलाकर निगोशिएशन किया था। उस निगोशिएशन के अनुरूप अभी तक जो दाम 70 और 72 रुपये तय हैं, वह दिये जा रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न से आपका संबंध नहीं है। आपने गन्ना किसानों को पेमेंट के संबंध में पूछा, वह मैं जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि प्राइवेट मिलें जो 72 और 76 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम किसानों को नहीं दे रही हैं, सिर्फ सरकारी और को-आपरेटिव क्षेत्र की मिलें दे रही हैं, इस अध्यादेश को अनुमति देने के बाद, राज्य सरकार को वैधानिक अधिकार मिल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह अनुमति कब तक आप दे रहे हैं ताकि गन्ना किसानों का शोषण रूके और उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित गन्ने का दाम 72 और 76 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मिल सके।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने पूर्व में भी यह कहा था कि मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं और जानकारी दे भी रहा हूं लेकिन आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। किसानों के हित के लिए संयुक्त मोर्चे की सरकार सब कुछ करेगी, किसानों के हितों की अनदेखी नही करेगी और मैं समझता हूं कि इसी सप्ताह अंतिम रूप से इस मामले में हम निर्णय ले लेगें। कानूनी सलाह के लिए यह मामला अभी लॉ मिनिस्ट्री के पास है। आप जानते हैं कि जो उसकी प्रक्रिया है, फौर्मैलिटीज हैं, उन वांछित प्रक्रियाओं को, प्रोसैस को तो हमें एडौप्ट करना ही पड़ेगा लेकिन इस मामले मे निश्चित रूप से किसानों के व्यापक हित में हम फैसला लेने जा रहे हैं। गन्ना किसानों को जो दिक्कतें हैं, उसके लिए नैगोसिएशन्स करके, दाम पर्चे पर लिखे जा रहे हैं, जो भी 70-72 रुपए क्विंटल स्टैंडिंग दाम चल रहा है, लेकिन माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि एस०एम०पी० यानी स्ट्रेयूटरी मिनिमम प्राइस अब राज्य सरकार तय नहीं करेगी, राज्य सरकार स्ट्रेयूटरी एडवाइजरी प्राइस तय करती थी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, अब केन्द्रीय सरकार इसे तय करेगी। चूंकि अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे पास यह प्रस्ताव आया है, जिसे हमने लीगल ओपीनियन के लिए भेजा है, लेकिन एक-दो दिनों में, इसी सप्ताह हम इस पर अंतिम फैसला ले लेंगे।

श्री अमर पाल सिंह : अध्यक्ष जी, प्रत्येक चीनी उद्योग गन्ना खोई से हाई प्रैशर बॉयलर चलाकर अपनी जरूरत के लिए 10 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करने की प्रतिदिन क्षमता रखता है। जापान पक्के लोहे के निर्माण से आज संसार की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन चीनी मिलों के परिसर में अपनी उत्पादित विद्युत से संचालित इंडक्शन फरनेस लगाकर, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा तथा जो अन्य उद्योग अपनी निजी उत्पादित विद्युत से संचालित किए जाएंगे, गन्ना किसानों के हित में तथा ग्रामीण अंचल में औद्योगिक विकास के लिए क्या आगामी बजट में मंत्री जी अपनी निजी उत्पादित विद्युत से संचालित उद्योंगो को प्रोत्साहन देने के लिए करों में राहत दिलाने का प्रयास करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अमरपाल सिंह, आपको प्रश्न पढ़कर नहीं सुनाना चाहिए। कृपया सीधे-सीधे प्रश्न करिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम आपसे फिर अनुरोध करना चाहेंगे कि माननीय सदस्य का सवाल मूल प्रश्न से हटकर है। मूल प्रश्न को देखा जा सकता है जिसमें साफ पूछा गया है कि क्या सरकार ने चीनी मिलों के लिए लाइसेंस नीति में संशोधन किया है; यदि हां, तो संशोधित लाइसेंस नीति में मुख्य रूप से कौन-कौन सी नई बातें शामिल की गई हैं; क्या नई नीति के अन्तर्गत नई इकाईयों को लेवी प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है और मिलों को अपने उत्पाद का 85% तक खुले बाजार में बिक्री करने की अनुमति दी गई है ? फिर भी मैं माननीय सदस्य की भावना से अपने आप को सम्पूर्ण रूप से जोड़ते हुए, उनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। पहली बात यह है कि अब तक जो हमारी लाइसेंस नीति रही है, उसमें हमने निश्चित रूप से परिवर्तन कर दिया गया है। पूर्व में जो लाइसेंस प्रक्रिया थी, वह काफी जटिल थी। लाइसेंस लेने वाले को, चाहे वह को-आपरेटिव सैक्टर में हो या कोई चीनी यूनिट लगाना चाहे, गन्ना मिल लगाना चाहे, उसके केस को प्रोसैस करने में 5-5 और 6-6 साल तक लग जाते थे, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी बनी थी। उनका केस एक स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा जाता था, जहां उसकी जांच होती थी, मैंटल अभ्यास होता था, कई रिपोर्ट राज्य सरकारों से बार-बार मंगानी पड़ती थीं जिसमें 5 साल से लेकर 9 साल तक का समय लग जाता था और तब तक मामला लम्बित रहता था। लेकिन इस बार हमने हाई लेवल पर, उच्च-स्तरीय फैसला ले लिया है और लाइसेंस प्रक्रिया को सरलीकृत बना दिया है, सिम्पलीफाइड कर दिया है। इस सिम्पलीफाइडेड प्रक्रिया के तहत, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या आप जैनेरेशन वाले प्लांट को प्रियोरिटी देंगे – निश्चित रूप से, हम जो नई लाइसेंसिंग प्रक्रिया अपनाने जा रहे हैं, सिम्पलीफाई करके जिसे लागू कर रहे हैं, उसमें इसका जिक्र है। इसमें साफ कहा गया है कि लाइसेंस देने की प्राथमिकता जो भारी क्षमता वाले, हैवी कैपेसिटी वाले उद्योग या लैटेस्ट टैक्नालौजी या माडर्न प्रोजैक्ट या वैल्यू एडेड प्रोजैक्ट लगाना चाहेंगे, उन्हें दी जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं नहीं समझता कि आपको इतनी विस्तृत व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कृपया संक्षिप्त उत्तर दें। हमारे पास समय की कमी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जनरेशन के विषय में ही पूछा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई स्कूल की कक्षा नहीं है।

श्री एन०एस०वी० चित्यन : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि गन्ना उत्पादकों की हितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आज की तिथि के अनुसार किसानों को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाना है।

क्या सरकार की शीरे से पेट्रोल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ईंधन बनाने की कोई योजना है ?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण देश में गन्ना किसानों का जो बकाया था उसमें से 95.2 प्रतिशत का वर्ष 1995-96 में भुगतान हुआ और अभी उत्तर प्रदेश में 99 प्रतिशत भुगतान हुआ है और जो एक प्रतिशत भुगतान बकाया है, वह किया जा रहा है। गन्ना किसानों का इस वर्ष 1996-97 में जो भुगतान हुआ वह 566 करोड़ रुपए है और जो बकाया है वह 398 करोड़ रुपया है जिसका भुगतान किया जा रहा है। गत वर्ष दिसंबर तक मात्र 40.9 प्रतिशत भुगतान हुआ था। इस वर्ष 41 प्रतिशत भुगतान हुआ है।

[अनुवाद]

श्री एन०एस०वी० चित्तयन : महोदय, मुझे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक नहीं है। आपको मात्र एक अनुपूरक प्रश्न पूछने का हक है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, अभी जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में दिए हैं, उनके अनुसार सिर्फ एक परसेंट का इन्क्रीज हुआ हे और यह बहुत डिसअपाइंटिंग बात है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि वे किसानों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मंत्री जी इस प्रकार से कैसे किसानों के हितों का संरक्षण करेंगे। प्रधान मंत्री जी बार-बार किसानों के गन्ने के बकाया के भुगतान की बात कहते हैं, लेकिन हालत यह है कि यह किसानों की हमदर्द सरकार सिर्फ एक प्रतिशत इन्क्रीज पर सदन से दाद लेना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी की घोषणा का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने कांग्रेस के नेतृत्व में बार-बार आन्दोलन किया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। आप कोई मंत्री नहीं हैं। आपको अभी मंत्री बनना है।

[हिन्दी]

यदि आपको इस बारे में मालूम नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आप चुप रहें। आप मंत्री नहीं हैं। आपको इसे समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवधान नहीं डाले।

··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया है। *(व्यवधान)* तो मैं यह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने कांग्रेस के नेतृत्व में आन्दोलन किया कि गन्ना किसानों का बकाया मिले और उनको अपने गन्ने की कीमत अच्छी मिले। मैं जानना चाहता हूं कि जो आर्डिनेंस उत्तर प्रदेश की सरकार ने भेजा, वह कौन सी तारीख को भेजा और आपके कार्यालय में किस तारीख को आया और आपके कार्यालय में आने के बाद उस पर इतना विलंब क्यों हुआ ?

महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, उस आर्डिनेंस को आए, एक महीने से ज्यादा हो गया है, तो क्या एक महीने का पीरियड उस पर निर्णय लेने में कम है और क्या उस पर फैसला लेने में और ज्यादा समय लगेगा, यदि हां, तो कब तक उस पर फैसला ले लिया जाएगा ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के काफी बुजुर्ग सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि केवल एक प्रतिशत बढ़ोत्तरी गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान में हुई है, इसी से आपकी सरकार की मंशा झलकती है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि शायद उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है मैंने कहा है कि दिसंबर से जनवरी तक पिछले साल 40.9 प्रतिशत भुगतान हुआ है और इस साल 41 प्रतिशत भुगतान हुआ है। भुगतान और बढ़ सकता है। भुगतान और भी बढ़ सकता है। लेकिन पिछले साल लेट क्रशिंग हुई, मिलें लेट चली और यह भी है कि 99 प्रतिशत भुगतान, 950 करोड़ रुपये में से आधा भुगतान दो महीने में यू०पी० में हो गया। इतनी तीव्रगति से कभी भी किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हुआ।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 351 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, 351 करोड़ रुपये नहीं हैं। दूसरा सवाल आर्डिनेंस के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। उत्तर प्रदेश से यदि कोई भी आर्डिनेंस आता है तो वह पहले होम डिपार्टमेंट में जाता है। उसके बाद वह मेरे पास आता है। उसे हमने लीगल ऐडवाइस के लिए भेजा है। वह अंतिम दौर में है। वहां से आने के बाद सीधे ···*(व्यवधान)*

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरा प्रश्न यह था कि ···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अनुच्छेद 356 को समाप्त करना

+

*43. **श्री ए०सी० जोस :**
श्री चित्त बसु :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 356 को समाप्त करने/संशोधित करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिये हाल ही में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुच्छेद को समाप्त करने के बारे में इस बैठक में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के विचार मांगे जाएंगे; और

(घ) बैठक में हुए विचार-विमर्श पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) 15 जनवरी, 1997 को आयोजित अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की पहली बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित मुद्दों में एक मुद्दा "आपात उपबन्धों" का था। इस विषय पर मत अलग-अलग थे। एक मत यह था कि भारत के संविधान से अनुच्छेद 356 को हटा दिया जाना चाहिए। दूसरा मत यह था कि इस अनुच्छेद को बनाए रखा जाना चाहिए लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय उपलब्ध कराए जाने के लिए इसमें उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। चर्चा के दौरान उभर कर आए मतो में भिन्नता के प्रश्न पर विचार करते हुए सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे इस मामले पर अपने मत और सुझाव लिखित में भेजें ताकि इन्हें संकलित किया जा सके और स्थायी समिति की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इस मामले पर स्थायी समिति आगे विचार-विमर्श करेगी।

2. स्थायी समिति और अन्तर्राज्यीय परिषद की संरचना को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने से पहले विभिन्न राजनैतिक पार्टियों से अलग-अलग मत प्राप्त करना जरूरी नहीं समझा गया।

श्री ए०सी० जोस : महोदय, अनुच्छेद 356 के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अन्तर्राज्यीय परिषद् की स्थाई समिति में मत भेद थे। कुछ लोग अनुच्छेद 356 को बनाए रखने और कुछ इसे समाप्त करने के पक्ष में थे। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन से राज्य इस अनुच्छेद को समाप्त करना चाहते थे और कौन-कौन से राज्य संविधान के इस अनुच्छेद को बनाए रखना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां, मत भेद जरूर थे जैसाकि माननीय सदस्य ने इंगित किया है। वे उन राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं जिनका अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थाई समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने इस अनुच्छेद को बनाए रखने का समर्थन किया और कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ सीमाएं निर्धारित की है जो लगभग समान है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप बिना यह बताए कि किस सदस्य ने क्या कहा, सीधे राज्यों के नाम बतायें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, वे यह भी नहीं बताएं कि।

श्री ए०सी० जोस : इतना बताने से क्यों बचा जाएगा। जैसाकि आपने इंगित किया कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों ने उस अनुच्छेद को समाप्त करने का समर्थन किया था। और किन-किन राज्यों ने इसको बनाए रखने का समर्थन किया था।

अध्यक्ष महोदय : यह गृह मंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वे यह बताना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इस संबंध में कोई निर्देश दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, असम के मुख्यमंत्री संविधान के इस अनुच्छेद को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विकल्प के रूप में इसमें आमूल संशोधन करना चाहिए। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अनुच्छेद को समाप्त किया जाना चाहिए अब मैं उन राज्यों के नाम बता रहा हूँ जो इस अनुच्छेद को समाप्त करना चाहते थे। असम और आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री इस अनुच्छेद को संविधान से एकदम समाप्त करने के पक्ष में हैं। बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री इस अनुच्छेद को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। अतः इस तरह इस मुद्दे पर मतभेद थे।

श्री एन०एस०वी० चित्यन : अन्य राज्यों के क्या विचार थे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब मैं स्थाई समिति की बैठक में हुए विचार-विमर्श के बारे में बात कर रहा हूँ। जहाँ देश के प्रमुख राजनीतिक दलों– कांग्रेस (आई) सी०पी०आई०(एम०) बी०जे०पी०, शिव सैना, तेलगू देशम और असम गण परिषद् के पाँच या छः मुख्यमंत्री थे। इसका अर्थ यह है कि इन दलों द्वारा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस स्थाई समिति का सदस्य बनाया गया है।

श्री एन०एस०वी० चित्यन : तमिलनाडु के क्या विचार थे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तमिलनाडु इस समिति में नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री इस समिति में नहीं है। लेकिन तमिलनाडु के अन्य सदस्य इस समिति में हैं। साथ केन्द्रीय मंत्री भी इस समिति में हैं। अतः इस समिति में इस विचार-विमर्श के विविध राजनैतिक प्रतिनिधियों के विचार परिलक्षित होते हैं। और मत भिन्नता है जैसा कि मैंने पहले कहा है।

अन्ततः मैं कहना चाहता हूँ कि इस बैठक के अन्त में उनसे अपने राज्यों में लौटने के बाद इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए कहा गया था और अपने विचारों को यदि चाहे तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर भेज दें। और अब विचार आ गए हैं। राज्यों ने अपने विचार भेज दिए हैं। हम स्थायी समिति की पुनः बैठक बुलाने जा रहे हैं जहां इस मुद्दे पर फिर से विचार विमर्श होगा।

श्री ए०सी० जोस : यह समाचार पत्र में छपा है मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अनुच्छेद 356 को समाप्त करने के पक्ष में थे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सी०पी०आई० (एम) के हैं। माननीय मुख्य मंत्री की पार्टी भी वहां सदस्य का अंग है।

जबकि केरल के मुख्यमंत्री, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य हैं और जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी जो साझा सरकार में भागीदार है, वे अनुच्छेद 356 को समाप्त करना चाहते हैं। क्या पश्चिम बंगाल तथा केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की राय में अन्तर है ? क्या सरकार सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की राय जानने के लिए उनकी एक बैठक बुलाएगी ? जब केरल में सरकार का यही दल यह कहता है कि अनुच्छेद 356 को समाप्त किया जाए और पश्चिम बंगाल में वही दल यह कहता है कि इसे रखना चाहिए, तो इस स्थिति में मेरा प्रश्न यह है : क्या सरकार अनुच्छेद 356 के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाएगी ?

श्री पी० आर० दासमुंशी : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राष्ट्र के प्रति अधिक जिम्मेवार हैं। इसलिए, वे इसका विरोध नहीं करते हैं। ···*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : वह सही हो सकता है ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिए।

श्री ए०सी० जोस : अन्ततः, यह कोई ऐतिहासिक बात नहीं होगी।

श्री पी०आर० दासमुंशी : मुझे मुख्यमंत्री के निर्णय पर गर्व है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि अन्य राजनीतिक दलों से सम्बन्धित सभी मुख्य मंत्रियों के विचार समान हैं अथवा नहीं। हमने उस बात की जाँच नहीं की है। लेकिन उनका केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से ही सम्बंध है।

श्री ए०सी० जोस : यह स्वाभाविक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने इस स्थिति की जांच की है और हम यह महसूस करते हैं कि अभी विभिन्न दलों की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें अन्तर-राज्य परिषद् और स्थायी समिति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि वे सभी दल, जो संयुक्त मोर्चा का समर्थन कर रहे है, उनसे अनुरोध है कि वे संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अपनायें। अनुच्छेद 356 के संबंध में यह कहा गया है और मैं इसे उद्धृत करता हूँ :

> "उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को अनुच्छेद 356 में शामिल करने तथा इसके गलत उपयोग को रोकने के लिए इस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा।"

यही न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है। अतः यदि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को मानते हैं तो मैं नहीं समझता कि वे कोई गलत बात कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने संविधान में कोई विशेष संशोधन करने का सुझाव दिया है और क्या उन राज्य सरकारों ने अनुच्छेद 356 में इस प्रकार के संशोधनों के लिए कोई विशेष सुझाव दिए हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय हमें इस बारे में बतायेगें ?

क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार तथा स्थायी समिति कब तक अपनी स्थिति के संबंध में अन्तिम निर्णय लेगी और यह निष्कर्ष निकालेगी और फिर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी ? हमें वह बात भी समझने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रत्येक मुख्य मंत्री अथवा राज्य सरकार द्वारा किन संशोधनों के प्रस्ताव रखे गए थे, मैं अब उन सब का विस्तृत ब्यौरा नहीं दे सकता। इस प्रकार की विभिन्न बैठकों में अनेक संशोधन अथवा संशोधनों के प्रस्तावों के बारे में कहा गया जिनमें से कुछ सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं जिसमें इस अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए अनेक सुझाव भी दिए गए हैं और कुछ उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णयों पर आधारित हैं। इन सबको तालिकाबद्ध किया गया है। उन सब पर विचार किया जाएगा और फिर चर्चा की जाएगी।

दूसरा प्रश्न क्या है ?

श्री चित्त बसु : आप कब तक ऐसा कर देंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं बिल्कुल कोई समयबद्ध आश्वासन नहीं दे सकता। लेकिन स्थायी समिति की अगली बैठक होनी है जो अगले दो महीने में होनी चाहिए। वे इस मामले के संबंध में अंतिम निर्णय ले सकेंगें। कम-से-कम एक राय कायम की जा सकती है और मुझे विश्वास है कि एक राय कायम की जा सकेगी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, यह जो अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग के बाद कम से कम तीन महीने के अन्दर इस बात का जो फैसला है, वह सरकार करेगी क्या ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मीटिंग के तीन महीने के बाद ?

श्री राम नाईक : हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मीटिंग में जो निर्णय होगा, उसी के अनुसार गवर्नमेंट या तो कांस्टीट्यूशन का एमेंडमेंट, संशोधन के लिए कोई यहां प्रस्ताव या बिल लाएगी या जो कंसेंसस वहां से आयेगा, वह हम यहां पेश करेंगे। हाउस में उसपर डिस्कशन हो और हाउस में भी अगर एक ब्रॉड कंसेंसस हो जाय तो फिर आप लोग तय करोगे कि कैसे हम उसमें प्रोसीड करें।

श्री राम नाईक : हम तीन महीने की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं एक विशेष समय-सीमा की बात कर रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है कि आपकी बैठक हो जाने के बाद क्या आप तीन महीने के भीतर निर्णय लेने की स्थिति में होंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि तीन महीनों का क्या विशेष महत्व है।

श्री राम नाईक : ऐसा इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार को उनके द्वारा दिए जा रहे विभिन्न आश्वासनों के संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर चलना चाहिए। इसलिए, बैठक के बाद जो आपने कहा है कि दो महीने के भीतर होगी, क्या आप तीन महीने के भीतर निर्णय ले लेंगे।

श्री पी०सी० थॉमस : क्या इसका अर्थ यह है कि आप उन्हें तीन महीने का समय दे रहे हैं ?

श्री राम नाईक : इसका अर्थ उन्हें समय देने से नहीं है। इसका निर्णय आपको लेना है। लेकिन कम-से-कम उन्हें उस समय-सीमा के भीतर कार्य करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इस समय-सीमा के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, जिसका सुझाव दिया जा रहा है। मैं इसका अर्थ कुछ और समझा था। मैं समझा कि वे इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद तीन महीने के भीतर अथवा उसके बाद यह सरकार नहीं रहेगी।

श्री राम नाईक : इस बात का निर्णय लेना आपके साथियों का काम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माफ कीजिए। मैं उलझन में पड़ गया था। मैंने समझा कि आप चाहते हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार जाने से पहले कुछ छोड़ जाए।

श्रीमती कृष्णा बोस : महोदय, ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञ दूसरी बैठक में भी सहमत नहीं हो पायेंगे जैसा कि वे सोच रहे हैं। अतः क्या मैं गृह मंत्री से यह जान सकती हूं कि क्या वे संविधान विशेषज्ञों, जो इस संबंध में अपनी राय प्रदान कर सकते है, की एक सलाहकार समिति गठित करने पर विचार करेंगे ? वह यह भी सुझाव दे सकते हैं कि अनुच्छेद 356 को समाप्त करने अथवा संशोधित करने पर कौन से सुरक्षोपाय किए जा सकते हैं। जिस स्थिति का सामना हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वैसी स्थिति उत्पन्न होने पर हम क्या सुरक्षोपाय कर सकते हैं ? क्या वे संविधान विशेषज्ञों की सलाहकार समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहाँ तक अनुच्छेद 356 के इस प्रश्न का संबंध है, मैं नहीं समझता कि इस समय संविधान विशेषज्ञों की कोई सलाकार समिति गठित करने की आवश्यकता है। यदि ऐसी आवश्यकता होगी तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन मैं एक बात कहूँगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, जहां राष्ट्रपति शासन लागू है, उस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि हम यहाँ एक सलाहकार समिति गठित कर सकते हैं जैसा कि सामान्यतः यहां होता आया है। जब कभी किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि के दौरान, वहां कार्य करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति गठित की जाती है। दुर्भाग्यवश, उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसी समिति अभी तक गठित नहीं की गई है क्योंकि उसमें कुछ तकनीकी और कानूनी अड़चन है। हम उसे यथा संभव शीघ्र दूर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक सलाहकार समिति गठित की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 44

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, आप सामने नहीं देखते हैं, या तो आप दायें देखते हैं या बायें देखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरफ या उस तरफ देखने से पहले सामने देखता हूं।

गेहूं का आयात

+

*44. **डा० मुरली मनोहर जोशी :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 में गेहूं का आयात किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) देश-वार कितनी मात्रा में आयात का अनुबंध किया गया है;

(ग) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के मूल्य की तुलना में किस दर पर अनुबंधित गेहूं का आयात किया जा रहा है;

(घ) गेहूं के आयात पर कुल कितना व्यय हुआ है अथवा होने की संभावना है;

(ङ) देश में आज की तारीख तक कुल कितनी मात्रा में गेहूं पहुंच चुका है; और

(च) आयात के पश्चात् गेहूं के घरेलू मूल्य ढांचे पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

[हिन्दी]

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) 1996-97 के दौरान गेहूं के उत्पादन में गिरावट होने और इसके परिणामस्वरूप इसकी कम वसूली होने तथा घरेलू बाजार में गेहूं और गेहूं उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति होने की दृष्टि में सरकार ने निर्णय लिया है कि देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात किया जाए।

(ख) 14.2.1997 तक आयात के लिए देशवार ठेका की गई गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है :–

	(लाख टन में)
आस्ट्रेलिया	13.25
कनाडा	2.50
अर्जेन्टीना	1.00
जोड़	16.75

(ग) अभी तक 148 अमेरिकी डालर के जहाज तक निष्प्रभार मूल्य पर दिसम्बर, 1996 में ठेका किया गया केवल आस्ट्रेलिया का गेहूं भारत में पहुंचा है।

गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और भारत में इसके थोक मूल्य नीचे दिये गए हैं :–

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति टन मूल्य		1.1.97 को स्थिति के अनुसार भारत में औसत थोक मूल्य
आस्ट्रेलिया	199.50 से 205 डालर जहाज तक निष्प्रभार	6100 रुपये से 10,660 रुपये प्रति टन
कनाडा	191.00 डालर जहाज तक निष्प्रभार	
अर्जेन्टीना	144.00 डालर जहाज तक निष्प्रभार	

(घ) भारतीय पत्तनों पर लागत और भाड़े के आधार पर 16.75 लाख टन के आयात पर कुल खर्च लगभग 1043 करोड़ रुपये बैठता है।

(ङ) 20.2.1997 को स्थिति के अनुसार भारतीय पत्तनों पर 4.36 लाख टन गेहूं की मात्रा पहुंच चुकी है।

(च) गेहूं की बढ़ी हुई उपलब्धता से गेहूं के खुले बाजार मूल्यों को नियंत्रित रखने के संबंध में संतुलित प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, वह मेरे प्रश्न का सम्पूर्ण उत्तर नहीं है। उसमें बताने की बजाए छिपाने की ज्यादा कोशिश की गई है। मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि तीन कारणों से अनाज का आयात करना पड़ा है। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई दीर्घकालीन नीति बनाई है, क्या आपको यह पता है कि अनाज का कितना उत्पादन होना चाहिए, कितना हो रहा है, 1996-97 में रबी की फसल में कितना अनाज पैदा होगा, आपको अगले वर्ष कितने अनाज की जरूरत है और उसमें मनुष्यों के खाने के लिए कितने की जरूरत है, जानवरों के खाने की कितनी जरूरत है और चारा घोटाले में कितना चला जाएगा, इसका कुछ अंदाज लगाया है ? दूसरा आपने जो उत्पादन में कमी का कारण बताया है, उसका पता कब चला ? मार्च में फसल बाजार में आ जाती है। सरकार के ध्यान में कब यह बात आई कि उत्पादन में कमी हो गई है ? आपने कहा कि आयात कर रहे हैं। यह आयात कब तक आएगा ? अगर मार्च-अप्रैल में आएगा तो इससे क्या लाभ होगा ? इससे बाजार के ऊपर कोई संतुलित प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आपने कुछ अनुमान लगाया है कि इससे हमारे देश के राजस्व पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, देश को कितनी हानि उठानी पड़ेगी और किसानों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा ? हमने ओवरआल इम्पेक्ट पूछा है कि किसान का क्या हाल होगा। इसलिए आप बताएं कि अनाज की विशेषकर गेहूं की दीर्घकालीन नीति कोई है

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० जोशी, मेरे विचार से, आप एक ही बात को बार-बार पूछ रहे हैं। मेरे विचार से यह, अच्छा है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न खासकर गेहूं के संदर्भ में है। माननीय जोशी जी ने इसका भी जिक्र किया। आपने जो कारण बताए हैं पिछले साल जो उत्पादन हुआ था उसमें 31 लाख टन कम उत्पादन हुआ और प्रोक्योरमेंट 41 लाख टन कम हुई। इस कमी को देखते हुए आयात किया गया। हम मूल्यों को कर्ब करना चाहते हैं, जो मूल्य वृद्धि हुई, वह अप्रत्याशित हुई। उसके कई कारण थे। कुछ कारण तो इकोनोमिकली जस्टिफाई हैं, जैसे एम०एस०पी० हर साल बढ़ाना चाहते हैं, वह बढ़नी भी चाहिए। किसान पैदा नहीं करेगा तो देश की जरूरत पूरी नहीं होगी। फूड सिक्योरिटी हमारी प्रथम जिम्मेदारी है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : आप मेरे प्रश्न के उत्तर तक सीमित रहें, ये सब हमें मालूम है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आपने आयात के बारे में पूछा है, किसानों का सवाल पूछा है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : आयात का क्या असर पड़ेगा, यह बताएं। आप तो एम०एस०पी० की बात कह रहे हैं। आपके आयात का क्या स्रोत है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं सिलसिलेवार सब प्रश्नों का जवाब दूंगा।

डा० मुरली मनोहर जोशी : लेकिन एम०एस०पी० की बात न करें, हमें सब मालूम है। ठीक से बताएं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं एक-एक बिंदु का जवाब दूंगा। कोई बात छूट जाएगी तो आप फिर पूछ लें। आपने पूछा कि ऐसे समय आयात किया गया उसकी आवश्यकता क्या थी, उसका जवाब मैंने आपको बताया कि प्रोक्योरमेंट कम थी, उत्पादन कम था और कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही थी। हम मूल्यों को कर्ब करना चाहते थे।

डा० मुरली मनोहर जोशी : प्रोक्योरमेंट कम क्यों हुआ ? 31 लाख टन अनाज कम हुआ और 41 लाख टन प्रोक्योरमेंट कम हुआ, तो प्रोक्योरमेंट इतना कम क्यों हुआ ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उत्पादन कम हुआ इसलिए प्रोक्योरमेंट कम हुआ। जब किसान के घर कम अनाज आएगा तो वसूली भी कम होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से आपस में बात नहीं कर सकते।

मंत्री महोदय, कृपया अपना उत्तर संक्षिप्त रूप से दीजिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

श्री छत्रपाल सिंह : ये उत्पादन और खरीद के सही आंकड़े नहीं हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप उनको उत्तर नहीं दे सकते। आप कृपया डा० जोशी को उत्तर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : कुछ लोगों को कुछ और नजर आ रहा था। मैं विस्तार में जाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। प्रधान मंत्री जी ने भी इस बारे में बता दिया था। लोग हाई कोर्ट तक चले गए। उसको राजनैतिक विषय बनाया गया। लोग तथ्यों से बाहर गए हैं। आयात में कोई मिडिल मैन नहीं है और न ही कोई प्राइवेट कम्पनी है। यह सरकार द्वारा सरकार से आयात हुआ है और यह पहली बार हुआ है। ऐसे समय में हुआ है जब किसानों ने गेहूं की बुवाई खत्म कर ली थी, उसका उत्पादन पर भी फर्क नहीं पड़ा है। मेरे पास कागज है। इसमें बताया है कि–

[अनुवाद]

"कितनी ही मात्रा में गेहूं आयात के विरुद्ध तर्क अस्वीकृत किया गया"।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सही तरीका नहीं है। मैंने एक बहुत विशिष्ट तथा महत्व पूर्ण प्रश्न पूछा है जो किसान समुदाय से संबंद्ध है। यह एक विशिष्ट तथा साधारण प्रश्न है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय जोशी जी ने पूछा है कि इसका घरेलू दाम पर असर क्या होगा और अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट से जो भी आप गेहूं ले रहे हैं, इसका इंडियन व्हीट पर या किसान पर क्या असर पड़ेगा ? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडियन पोर्ट पर इम्पोर्टेड व्हीट मिलेगा, वह अगर आप इंडियन करेंसी में कहते हैं तो मैं इंडियन करेंसी में बता दूं नहीं तो जिस करेंसी में आया है, मैं उसका जिक्र भी कर सकता हूं। यह 148 डॉलर ··· *(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : वह गरीब किसान या मजदूर डॉलर की भाषा नहीं समझता, रुपयों में बताइए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : रुपए में बता देता हूं। इंडियन पोर्ट पर जो इम्पोर्टेड व्हीट मिलेगा वह 6227 रु० प्रति क्विंटल और जो ···*(व्यवधान)* यह स्लिप ऑफ टंग है। यह 6227 रु० प्रति टन है। यह इम्पोर्टेड व्हीट इंडियन पोर्ट पर मिलेगा और जो इंडियन व्हीट है, उसका एवरेज मूल्य सारी इकॉनोमिक कॉस्ट लगाकर 6500 रु० प्रति टन है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं कि बाजार में किस भाव पर मिलेगा ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप इस तरह प्रश्न नहीं जोड़ सकते। मुझे अगले प्रश्न पर जाना पडेगा। मंत्री जी, कृपया अपना उत्तर समाप्त कीजिए। यह सही तरीका नहीं है। इसके उत्तर देने से पूर्व यह प्रश्न पूछना क्या है ?

डा० मुरली मनोहर जोशी : आप को मंत्री महोदय को रोकना है, मुझे नहीं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आप अधिकाधिक प्रश्न जोड़ रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मैं प्रश्न नहीं जोड़ रहा हूं, महोदय, मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अगला प्रश्न पूछिए ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : उसे यह समाप्त करने दीजिए, महोदय। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, विदेशी व्हीट 332 रु० कम दाम पर इंडियन पोर्ट पर पहुंच रहा है और इंडियन व्हीट ··· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बस काफी है, काफी है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल गलत बात है। जो पोर्ट पर दाम है, वह बाजार में नहीं होता। पोर्ट से स्टॉक में जाने का और स्टॉक से बाजार में जाने का दाम लगाकर बताइए, गुमराह मत कीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस अनाज के आयात से पहले आपने इस बात का निरीक्षण करवा लिया है कि इसमें कोई ऐसी टॉक्सिन पदार्थ नहीं हैं जो हमारे देश की फसल को नुकसान पहुंचाएंगे? आपको याद होना चाहिए कि 1980 में यह घटना घट चुकी है। और अभी भी जहां तक मैं जानता हूं कि यह एफलो-टॉक्सिन नाम एक द्रव्य है और वह अगर आपके अनाज में होगा तो वह ज़हर है और वह हमारे हिन्दुस्तान की तमाम फसल को भी नुकसान पहुंचाएगा। क्या कैनेडियन व्हीट बोर्ड ने ऐसा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर दिया हैं कि इसमें जो टॉक्सिन की मात्रा होनी चाहिए, उससे कम मात्रा है, वह टॉलरेबल लिमिट के अंदर मात्रा है और क्या आपने सारे देशों से जहां से गेहूं आयात किया है, वहां से यह प्रमाण-पत्र ले लिया है कि यह फाइटो सैनिटरी कंडीशन को फुलफिल करता है और इसमें कोई ज़हर या इसके प्रमाण-पत्र लिया हुआ है तो क्या आप इन प्रमाण-पत्रों को सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या आप यह आश्वासन देंगे कि यह अनाज जो विदेशों से आयात हुआ है, यह रासायनिक दुष्टि से बिल्कुल शुद्ध है और इसमें कोई ऐसे विषैले रासायनिक पदार्थ नहीं हैं जो मनुष्यों और फसल के लिए नुकसानदायक हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, आप केवल मंत्री महोदय को ही नहीं, बल्कि आप स्वयं अध्यक्ष को भी भ्रमित कर सकते है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे जीवन काल में किसी ने भी मुझ पर यह आरोप नहीं लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं सकता – आप का प्रश्न बहुत लंबा तथा तेजी से पूछा गया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : प्रश्न बहुत साधारण है, क्या फिटो-सनीटरी शर्तों का पालन किया गया है। अथवा क्या आयात किए गये गेहूं की समस्त मात्रा टोक्सिन से मुक्त है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितना गेहूं कॉन्ट्रेक्ट पर लिया है, जो आयातित गेहूं है, वह अभी तक चार लाख छत्तीस हजार टन अभी तक पहुंच चुका है। इस अगले महीने तक भी लगभग छः लाख टन और पहुंचने की संभावना है। अभी तक जो संकेत मिले हैं, उसमें कोई ज़हर या कोई टॉक्सिन पदार्थ के कोई संकेत नहीं हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या वे प्रमाण-पत्र आप सदन के पटल पर रखेंगे ? मैं यह चाहता हूं कि जो प्रमाण-पत्र इन बोर्डों से आए हों, जहां से भी यह एक्सपोर्ट हुआ हो और आपने निरीक्षण कर लिया है, क्या इसका प्रमाण-पत्र आप सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हमारी स्पैसिफिकेशन के अनुसार गेहूं आ रहा है। प्रमाण-पत्र और जांच करने की प्रक्रियायें पूरी की जा रही हैं। ··· *(व्यवधान)* मानसिक शंका दूर नहीं की जा सकती है, लेकिन तथ्यात्मक कोई शंका नहीं है।

डा० मुरली मनोहर जोशी : जानकारी सदन को देंगे या नहीं ? मैंने यह नहीं पूछा है कि शंका है या नहीं।

श्री राजेश पायलट : मैं जोशी जी से प्रार्थना करूंगा, यदि आपके पास कोई खबर हो, तो वे सदन के पटल पर रखें, जिससे देश को फायदा हो। ...*(व्यवधान)*

डा० मुरली मनोहर जोशी : "व्हीट क्वालिटी कम्प्रोमाइज्ड"। कनेडियन बोर्ड ने मना किया है और इस बात को स्पष्ट कहा है। मैं सवाल इसी के संदर्भ में पूछा रहा है। ...*(व्यवधान)* जब गेहूं। 1980 में आया था, तब पंजाब की फसल फंग्स लगने के कारण तबाह हो गई थी।

[अनुवाद]

देश को बहुत अधिक हानि होगी। यदि इसमें टॉक्सिन है, तो लोगों को भी अत्यधिक हानि होगी। यदि मंत्री जी उन प्रमाण पत्रों को लाकर सदन में प्रस्तुत कर देते तो इसमें क्या नुकसान है ? यह प्रमाण पत्र है, कनाडियन बोर्ड का आश्वासन विवरण, इसमें नहीं हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, मंत्री जी ने अभी हमें बताया था कि आयातित गेहूं की कीमत क्या होगी। यह लगभग 8 रुपये प्रति किलोग्राम होगी और इसका निर्यात बहुत कम मूल्य पर किया गया था। स्पष्ट है कि इस सौदे में देश को लगभग 400 करोड़ रुपये की हानि होगी। यह बहुत स्पष्ट है। उपभोक्ता को इसकी परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं मंत्री जी से बहुत संक्षिप्त रूप से यह पूछना चाहता हूं कि किसने और कब निर्यात करने का यह निर्णय लिया था और किन कारको से सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारे पास अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी भण्डार है और इसलिए निर्यात कर सकते है चाहे इसका अर्थ कम कीमतों पर बेचना ही क्यों न हो।

मैंने दो बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछे हैं। वे उन दो प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय : 20 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया गया था।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं निर्यात के संबंध में बात कर रही हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 25 जून के बाद एक छटांक भी गेहूं एफ०सी०आई० के द्वारा निर्यात नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था, कि आप उसके लिए उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

प्रो० रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे अधिकारों की रक्षा कीजिए। मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, यह स्पष्ट है कि उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बरनाला के प्रश्न रखने के पश्चात उत्तर आयेगा। केवल एक मिनट और।

[हिन्दी]

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : अध्यक्ष महोदय, इम्पोर्ट प्राइस 622 रुपए बताई जा रही है और प्रोक्योरमेंट प्राइस 415 रुपए और शायद 415 रुपए भी नहीं मिलेगी।

[अनुवाद]

मंत्री इसे कैसे न्यायोचित ठहराते है ? और वे इस बार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न कैसे खरीद पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एम०एस०पी०) 380 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार इसको बढ़ा कर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए 415 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। ...*(व्यवधान)* प्रोक्योरमेंट प्राइस इस बार 415 रुपए प्रति क्विंटल है। गेहूं की अच्छी फसल हुई है और होने की संभावना है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए जो भी एहतियाती कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार निश्चित रूप से फैसला लेगी।

[अनुवाद]

प्रो० पी०जे० कुरियन : महोदय, माननीय सदस्य, डा० जोशी ने एक आशंका उठायी है कि गेहूं में टॉक्सिन तत्व है और माननीय मंत्री कहते है कि संकेत ये है कि ऐसा कोई टॉक्सिन तत्व नहीं है, आप जांच क्यों नहीं करवाते ? चूंकि यह एक गंभीर आंशका है जो व्यक्त की गई है, मैं मंत्री जी से यह चाहता हूं कि वे इसकी जांच करवाये। टॉक्सिन तत्व खतरनाक है। मैं उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय मैंने पूर्व में ही कहा था कि जो भी व्हीट है हमारा जो स्पेसिफिकेशन है उसी में प्रमाणपत्र लेने का भी है। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बिना स्पेसिफिकेशन के हम एक छटांक गेहूं स्वीकार नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ ही गेहूं आएगा, कोई महंगा वाला गेहूं भारत नहीं लेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

इफको निवेश और विस्तार कार्यक्रम

*45. **श्री महबूब जहेदी :**
श्री अनिल बसु :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको आन्ध्र प्रदेश और ईरान, सेनेगल जैसे दूसरे देशों में अपने विस्तार कार्यक्रम के भाग के रूप में पर्याप्त धनराशि का निवेश कर रही है;

(ख) क्या इफको घरेलू खपत हेतु उर्वरकों के आयात को कम से कम करने के लिये पूरे देश में फैले अपने विद्यमान संयंत्रों को फिर से कार्यशल बनाने पर धन लगाने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) निवेश अनुमोदन के लिये यथा-निर्धारित प्रक्रिया के तहत इफको को नैल्लोर, आंध्र प्रदेश में अनुमानतः 1568 करोड़ रु० की लागत से प्रतिदिन 1350 टन अमोनिया और प्रतिदिन 2200 टन यूरिया संयंत्रों की एक उर्वरक परियोजना स्थापित करने की प्रारम्भिक मंजूरी दी गई है। परियोजना का ऋणः साम्य अनुपात 2:1 है।

इफको ने कृषक भारती कोपरेटिव लि० (कृभको) तथा कुशेम फ्री एरिया अथारिटी के साथ संयुक्त उद्यम में कुशेम द्वीप, ईरान में यूरिया उत्पादन सुविधा का व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन किया है।

इफको ने अपने कांडला एकक के विस्तार के लिये आवश्यक आयातित फास्फोरिक एसिड की आपूर्ति प्राप्त करने की दृष्टि से विद्यमान संयुक्त उद्यम कम्पनी "इंडस्ट्रीज चिमिक्यूज डू सेनेगल" जिसमें भारत सरकार और सादर्न पेट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० के साथ इफको भी एक भागीदार है की प्रस्तावित विस्तार परियोजना में सिद्धान्ततः निवेश करने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) सरकार ने विद्यमान उर्वरक संयंत्रों के पुनरूद्धार में इफको की भागीदारी की सम्भावना का पता लगाया था किन्तु उर्वरक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिये इफको की अपने चल रही विस्तार परियोजनाओं तथा संयुक्त उद्यमों के प्रति वचनबद्धताओं के कारण ऐसे प्रस्ताव को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका।

[हिन्दी]

घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति

*46. **श्री शिवराज सिंह** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों से इस बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं तथा इस संबंध में कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(घ) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम सभी राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल श्रेणी "क" और "ख" की अच्छी गुणवत्ता वाले, कीट जन्तुबाधा से मुक्त और खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप खाद्यान्नों की आपूर्ति कर रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1995-96 और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के संबंध में सरकार को विभिन्न राज्यों से 10 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें जांच और तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के लिए उचित रूप से भारतीय खाद्य निगम को भेज दी गयी थी। 1995-96 और 1996-97 के दौरान मंत्रालय को प्राप्त हुई शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार है :–

प्राप्त होने की तारीख	विषय	अद्यतन स्थिति
(1)	(2)	(3)
11.5.95	कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति किये जा रहे चावल की गुणवत्ताः दिनांक 11.5.95 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक प्रेस नोट।	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई और सफाई करने के बाद चावल का स्टाक राज्य सरकार को जारी किया गया था।
22.5.95	उड़ीसा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए गेहूं की खराब गुणवत्ता।	गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ, कलकत्ता के अधिकारियों ने इस शिकायत की जांच की थी और इसे प्रमाणित नहीं पाया गया था।

(1)	(2)	(3)
17.8.95	दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खराब गुणवत्ता का चावल जारी करना।	दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने उपचारात्मक उपाय किए।
21.9.95	भारतीय खाद्य निगम से गुजरात को जारी किये गये खाद्यान्न की गुणवत्ता।	गुजरात राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने कार्रवाई की है।
21.11.95	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा सिक्किम को आपूर्ति किये गये चावल की गुणवत्ता संबंधी शिकायत।	राज्य सरकार के लिए उचित औसत किस्म के चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने कार्रवाई की है।
27.11.95	खाद्य, पर्यटन और विधि मंत्री, केरल सरकार से प्राप्त शिकायत जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को खराब गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति करने के संबंध में है।	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।
12.9.96	उत्तर प्रदेश के अलमोड़ा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खराब गुणवत्ता के खाद्यान्न के बारे में शिकायत।	खाद्य मंत्रालय के एक अधिकार ने इस शिकायत की जांच की थी और इसे गलत पाया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपलब्ध खाद्यान्न की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गयी थी।
26.9.96	राजस्थान के जैसलमेर जिले को आपूर्ति किए गए गेहूं की गुणवत्ता।	भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस शिकायत की जांच पड़ताल की जा रही है।
27.9.96	केरल को आपूर्ति किये जा रहे घटिया गुणवत्ता के चावल के संबंध में लोक सभा, संसद सदस्य श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन से प्राप्त शिकायत।	जांच के लिए इस मामले को भारतीय खाद्य निगम को भेजा गया है।
27.9.96	खाद्य, पर्यटन और विधि मंत्री, केरल सरकार से प्राप्त शिकायत जो भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को खराब गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति करने के संबंध में है।	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की गई थी। राज्य सरकार की पूर्व सहमति से केवल अच्छी गुणवत्ता का चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किया जाता है।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :–

(1) भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से जारी होने से पहले राज्य सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि खाद्यान्नों के स्टॉट का निरीक्षण कर सकते हैं।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी खाद्यान्नों के सील-बंद नमूने राज्य सरकारों को दिए जाते हैं ताकि उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उन्हें उचित दर दुकानों पर प्रदर्शित किया जा सके।

(3) उचित दर दुकान के मालिकों के लिए एक शिकायत रजिस्टर रखना अपेक्षित है ताकि उपभोक्ता इन रजिस्टरों में अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। इन शिकायतों की जांच संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

(4) खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए खाद्य मंत्रालय के गुणवत्ता नियंत्रण सैल और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं।

[अनुवाद]

संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

*47. **श्री तारीक अनवर :**
प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई लक्ष्योन्मुखी संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा राज्यों को क्या दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत गरीब लाभर्थियों का चयन करने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विद्यमान खाद्य-राज-सहायता में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना है;

(घ) इस योजना द्वारा राज्य-वार अनुमानतः कितनी गरीब जनता को लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) राज्य-वार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु विभिन्न खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है;

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये खाद्यान्नों की अतिरिक्त आपूर्ति को सरकार का किस तरह से बनाए रखने का विचार है;

(छ) संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) योजना के कार्यान्वयन में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ज) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों पर केन्द्रित करते हुए सुप्रवाही बनाने का निर्णय लिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को निम्नवत् लागू किया जाएगा :

(i) विवरण-I में यथा उल्लिखित राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या के आधार पर 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह जारी किया जाएगा। यह मात्रा राज्यों की पसन्द के अनुसार चावल या गेहूं या दोनों को मिलाकर केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम मूल्य पर जारी की जाएगी।

(ii) तथापि, इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कवर की गई गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी का ध्यान रखने के लिये राज्यों को उनकी राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न की हकदारी से ऊपर अस्थाई आबंटन किया जाएगा, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। यह आबंटन राज्यों द्वारा गत 10 वर्षों के दौरान किये गये औसत उठान के आधार पर होगा और खाद्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर घोषित किये गये पूरे केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर किया जाएगा। इस औसत उठान में से खाद्यान्न की वह मात्रा जो गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की आवश्यकता से अधिक है, को राज्यों को केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर अस्थाई आबंटन के रूप में आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है।

(iii) जबकि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी हेतु 10 किलो ग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार का आबंटन हकदारी के आधार पर होगा और राज्यों को केन्द्र द्वारा इसकी गारंटी दी जाएगी। इधर गरीबों के लिए आबंटन, राज्य में स्थानीय उत्पादन और केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता के आधार पर होगा। आबंटन के सम्बन्ध में निर्णय करते समय, पहाड़ी राज्यों, वे राज्य, जहाँ ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां नियमित बाजार नहीं लगते हैं और खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी वाले राज्यों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(iv) जहाँ तक चावल का सम्बन्ध है, कॉमन किस्म के चावल को केवल गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिये सुरक्षित रखा जाएगा, जिन्हें एक समान मूल्य पर कॉमन और फाइन दोनों किस्म का चावल जारी किया जाएगा। फाइन और सुपर फाइन किस्म का चावल गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिये जारी किया जाएगा।

(v) राज्यों को विशेषतौर पर गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिये उचित दर दुकान स्तर पर मूल्य इस तरह से निर्धारित करने चाहिए कि वे केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 पैसे प्रति किलो ग्राम से अधिक न हो।

(vi) राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से मात्रा केवरेज और राजसहायता में वृद्धि करने के लिये स्वतंत्र होंगे। भारत सरकार की वचनबद्धता निम्नलिखित के लिये होगी :–

(क) राज्यों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिये केन्द्रीय निर्गम मूल्य से लगभग आधे मूल्य पर प्रति परिवार प्रतिमाह 10 किलो ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

(ख) सुनिश्चित रोजगार स्कीम/जवाहर रोजगार योजना के लाभभोगियों हेतु अपेक्षित मात्रा एक समान मूल्य पर उपलब्ध कराना और

(ग) गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिये इंगित अतिरिक्त मात्रा पूरे केन्द्रीय निगम मूल्य पर उपलब्ध कराना, जैसा कि ऊपर पैरा (iii) में बताया गया है।

(vii) राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को जारी करने के लिये मोटे अनाजों की वसूली करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी राज सहायता का उपयोग मोटे अनाजों की इस स्थानीय वसूली के लिये भी किया जाएगा। यह गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के आधार पर हकदारी के रूप में इंगित समग्र मात्रा के भीतर होगी।

(viii) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिये सभी व्यवस्थाएं करनी आवश्यक होंगी कि पात्र परिवारों की पहचान कर ली गयी है, कार्ड जारी कर दिये गये हैं और स्कीम उपयुक्त रूप से लागू कर दी गई है। जब तक ये व्यवस्थाएं संतोषजनक रूप से न कर ली जाती हैं, तब तक किसी भी स्थिति में राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न नहीं दिये जाएंगे। इन व्यवस्थाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होगी :–

(क) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का उपयुक्त रूप से पता लगाना और उन्हें विशेष राशन-कार्ड जारी करना।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित प्रशासनिक, वित्तीय और सुपुर्दगी सम्बन्धी व्यवस्थाएं करना कि आबंटित खाद्यान्न वास्तव में उचित दर दुकानों तक पहुँचते हैं और वहां से उन्हें अभिप्रेत लाभभोगियों तक विना किसी डायवर्सन के पहुँचाया जाता है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मॉनिटरिंग और दुकान, जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों को गठित किये जाने के साथ ही उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट किये जाने के सम्बन्ध में एक उपयुक्त प्रणाली।

राज्यों की राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की हकदारी तभी होगी जब इन शर्तों को पूरा कर लिया जाएगा। की गई व्यवस्थाएं राज्यों और केन्द्र दोनों के लिये मान्य होंगी।

(ix) केन्द्रीय निर्गम मूल्य खाद्य प्रापण और वितरण विभाग द्वारा घोषणा किये जाने के तुरंत बाद से लागू हो जाएंगे। राज्यों को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिये केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम मूल्य पर राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों को तभी से जारी किया जाएगा, जब वे ऊपर पैरा

(x) में इंगित व्यवस्थाओं को पूरा कर लेंगे। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू किये जाने से मौजूदा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सार्थकता अधिक समय तक नहीं रहेगी, तथापि मंत्रालय की स्कीम के तहत बैनों और गोदामों के प्रावधान के मामले में इन क्षेत्रों पर बल दिया जाता रहेगा।

(xi) विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न सुनिश्चित रोजगार स्कीम/जवाहर रोजगार योजना के तहत सभी लाभभोगियों को ही ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में पहले से भी जारी किये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर एक किलो ग्राम प्रति मानव दिवस की दर से जारी किया जाएगा।

(xii) सुनिश्चित रोजगार स्कीम/जवाहर रोजगार योजना के तहत लाभभोगियों के लिये "खाद्य कूपन" जारी किया जाना चाहिये जिससे कि ये लाभभोगी उचित दर दुकानों से खाद्य कूपन के बदल में खाद्यान्न प्राप्त कर सके।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दिशा-निर्देशों के हिन्दी और अंग्रेजी पाठों की प्रतियाँ सभा पटल पर रखी गई हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दी जाने वाली राजसहायता पर होने वाला खर्च समय-समय पर सरकार द्वारा नियत केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर निर्भर करेगा।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का पता लगाने, उन्हें विशेष कार्ड जारी करने तथा स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिये आवश्यक प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों के लिए 10 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से खाद्यानों की आवश्यकता को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	परिवारों की संख्या (1991) (लाख में)	परिवारों की संख्या (1995) (लाख में)	विशेषज्ञ दल के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख में)	0.12 मी. टन प्रति वर्ष की दर से खाद्यानों की आवश्यकता (हजार में)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	139.37	147.13	22.19	32.65	391.78
अरुणाचल प्रदेश	1.75	1.89	39.35	0.74	8.92
असम	38.44	46.64	40.86	19.06	228.69
बिहार	140.12	156.30	54.96	85.90	1030.83
गोवा	2.35	2.52	14.92	0.38	4.51

1	2	3	4	5	6
गुजरात	74.93	82.41	24.21	19.95	239.42
हरियाणा	26.15	29.26	25.05	7.33	87.96
हिमाचल प्रदेश	9.69	10.42	28.44	2.96	35.56
जम्मू व कश्मीर	14.03	15.09	25.17	3.90	45.58
कर्नाटक	81.44	86.70	33.16	23.75	345.00
केरल	55.13	60.37	26.43	15.35	184.23
मध्य प्रदेश	117.15	125.44	42.52	53.34	640.05
महाराष्ट्र	153.44	164.00	36.86	60.45	725.40
मणिपुर	2.97	3.19	33.78	1.08	12.93
मेघालय	3.27	3.52	32.92	1.16	13.91
मिजोरम	1.21	1.30	25.66	0.33	4.00
नागालैंड	2.17	2.33	37.92	0.88	10.60
उड़ीसा	59.99	65.52	48.56	31.82	381.80
पंजाब	34.25	36.57	11.77	4.30	51.65
राजस्थान	72.90	79.04	27.41	21.66	259.98
सिक्किम	0.76	0.02	41.43	0.34	4.08
तमिलनाडु	125.43	130.72	35.03	45.79	549.49
त्रिपुरा	5.27	5.66	39.01	2.21	26.50
उत्तर प्रदेश	223.78	233.74	40.85	95.48	1145.77
पश्चिम बंगाल	125.14	130.66	35.66	46.59	559.12
दिल्ली	18.77	20.18	14.62	2.95	35.40
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.59	0.64	34.47	0.22	2.65
चंडीगढ़	1.47	1.58	11.35	0.18	2.15
दा० व न० हवेली	0.26	0.28	50.84	0.14	1.71
लक्षद्वीप	0.08	0.09	25.04	0.02	0.27
पाण्डिचेरी	1.62	1.75	37.40	0.65	7.85
योग	1533.92	1645.76		586.48	7037.78

विवरण-II

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता और अन्य परिवारों की अस्थाई अतिरिक्त आवश्यकता को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	खाद्यान्नों की औसत वार्षिक उठान (10 वर्षों के दौरान) (हजार में)	0.12 मी. टन प्रति वर्ष की दर से खाद्यान्नों को आवश्यकता (हजार में)	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अतिरिक्त अन्यों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	2396.40	391.79	2004.62
अरुणाचल प्रदेश	85.98	8.92	77.06

1	2	3	4
असम	663.57	229.69	434.88
बिहार	527.32	1030.83	
गोवा	67.71	4.51	63.20
गुजरात	801.14	239.42	561.72
हरियाणा	96.59	87.96	8.63
हिमाचल प्रदेश	152.29	35.56	116.73
जम्मू व कश्मीर	312.52	45.58	266.94
कर्नाटक	900.28	345.00	555.28
केरल	1776.47	184.23	1592.24
मध्य प्रदेश	480.59	640.05	
महाराष्ट्र	1489.20	725.40	763.80
मणिपुर	70.44	12.93	57.51
मेघालय	143.47	13.91	129.56
मिजोरम	100.18	4.00	96.18
नागालैंड	133.58	10.60	122.98
उड़ीसा	426.45	381.80	44.95
पंजाब	24.36	51.65	
राजस्थान	661.66	259.98	401.68
सिक्किम	40.95	4.08	36.87
तमिलनाडु	1010.73	549.49	461.24
त्रिपुरा	152.51	26.50	126.01
उत्तर प्रदेश	661.41	1145.77	
पश्चिम बंगाल	1453.68	559.12	894.56
दिल्ली	639.45	35.40	604.05
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.12	2.65	9.47
चंडीगढ़	15.81	2.15	13.66
दादरा व नगर हवेली	1.35	1.71	
लक्षद्वीप	4.79	0.27	4.52
पाण्डिचेरी	5.92	7.85	
कुल	15308.82	7037.78	9448.05

नकदी फसलों का उत्पादन

*48. **श्री बी० एल० शंकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कुल कृषि उत्पादन में से नकदी फसलों के उत्पादन का फसलवार प्रतिशत कितना है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश भर में नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के दौरान देश में नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित आदानों आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं क्या हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1994-95 के दौरान नकदी फसलों, जिनमें तिलहन, गन्ना, रेशे, बागवानी फसलें (कॉडिमेंट्स एवं मसालों तथा फलों और सब्जियों सहित) शामिल हैं, के उत्पादन की फसलवार तथा राज्यवार प्रतिशतता, दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार विभिन्न फसल विशिष्ट कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

(ii) गन्ने पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों का सतत् विकास (1995-96 से आरम्भ)।

(iii) गहन कपास विकास कार्यक्रम।

(iv) विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।

(v) बागवानी जिसमें फल, सब्जियों, फूल, कॉडिमेंट्स और मसाले तथा औषधीय एवं सुंगधदायक पौधे सम्मिलित हैं, के संबंध में विकास कार्यक्रम।

इन योजनाओं के अन्तर्गत उन्नत बीजों, कृषि उपकरणों, छिड़काव सिंचाई सैटों, गौण पोषक तत्वं, अनिवार्य पोषक मिनिकिटों के वितरण, समेकित कृमि प्रबन्ध प्रणाली के जरिए कृमि नियंत्रण उपायों तथा अन्य फसल विशिष्ट जरूरतों जैसे अपेक्षित आदानों का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, उत्पादक प्रौद्योगिकी के कुशल अंतरण के लिये किसानों की जोतों पर प्रत्येक प्रदर्शन तथा किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। सम्भावना है कि उपर्युक्त योजनाएं/कार्यक्रम नौवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेंगे।

वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 (परिव्यय) के दौरान नकदी फसलोन्मुखी विकास योजनाओं के अन्तर्गत दिया गया धन का ब्यौरा विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

नकदी फसलों के उत्पादन मूल्य को फसल-वार प्रतिशतता (1994-95)

राज्य	तिलहन	गन्ना	रेशे	बागवानी फसलें (फल तथा सब्जियाँ और कॉडिमेंट्स तथा मसाले	कुल (कालम 2 से 5)	सभी फसलें
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1.3	0.5	0.0	1.4	4.1	8.5
अरुणाचल प्रदेश	0.0			0.0	0.0	0.1
असम	0.1	0.1	0.0	0.9	1.1	2.5
बिहार	0.1	0.2	0.1	2.1	2.4	6.0
गोवा	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1
गुजरात	1.9	0.4	1.1	0.9	4.4	6.5
हरियाणा	0.5	0.2	0.6	0.1	1.4	4.2
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5
जम्मू व कश्मीर	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7
कर्नाटक	0.9	1.1	0.4	1.1	3.4	6.3
केरल	0.7	0.0	0.0	1.1	1.8	2.9

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	1.7	0.0	0.2	0.8	2.7	0.4
महाराष्ट्र	0.9	1.5	1.1	1.8	5.3	9.4
मणिपुर	0.0	0.0		0.1	0.1	0.3
मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
नागालैंड	0.0	0.0	0.0	3.1	0.1	0.2
उड़ीसा	0.2	0.0	0.0	1.1	1.3	3.5
पंजाब	0.1	0.2	0.8	0.5	1.5	6.3
राजस्थान	1.4	0.0	0.4	0.6	2.5	6.2
सिक्किम	0.0			0.0	0.0	0.1
तमिलनाडु	1.1	0.7	0.2	0.8	2.8	5.2
त्रिपुरा	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
उत्तर प्रदेश	0.7	3.3	0.0	1.7	5.7	15.7
पश्चिम बंगाल	0.2	0.0	0.3	1.1	1.6	5.9
अ. व न. द्वीप	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
दा. व न. हवेली			0.0	0.0	0.0	0.0
दिल्ली	0.0			0.0	0.0	0.0
दमन व दीव				0.0	0.0	0.0
पाण्डिचेरी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
लक्षद्वीप	0.0			0.0	0.0	0.0
समस्त भारत	11.9	8.3	6.0	16.6	42.9	100.0

0.0 नगण्य प्रतिशतता दर्शाता है।

विवरण-II

नकदी फसलोन्मुख विकास योजनाओं के तहत दिया गया धन

(करोड़ रुपए में)

योजनाएँ	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4
I. तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	87.19	86.00	94.69
II. गन्ने पर आधारित फसल प्रणालियों का सतत् विकास	–	29.56	25.55
III. गहन कपास विकास कार्यक्रम	10.88	9.97	15.00
IV. विशेष पटसन विकास	1.66	1.87	4.85
V. बागवानी	165.80	162.46	191.55

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

*49. **श्री के० एस० रायुडू** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 8 जनवरी, 1997 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 10 लाख परिवारों को लक्ष्योन्मुखी संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी. आर.पी.डी.एस.) सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं का लाभ उठाने में उन्हें सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग द्वारा स्वर्गीय प्रोफेसर लाकड़ावाला के अधीन गठित विशेषज्ञ दल की पद्धति को अपनाते हुए 1993-94 के लिए निकाले गए अनन्तिम अनुमानों के अनुसार उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 160.60 लाख है, जो राज्य की आबादी का 48.56% बनती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद

*50. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद से निपटने के लिए बंगला देश के साथ समझौता किया है :

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) बंगला देश के साथ समझौता हो जाने से इस क्षेत्र में उग्रवाद पर किस हद तक नियंत्रण पा लिया जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग) : पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार द्वारा बंगलादेश सरकार के साथ कोई औपचारिक समझौता नहीं किया गया है। तथापि, सुरक्षा मामलों पर सहयोग और बातचीत करने के लिए बंगलादेश सरकार के साथ संस्थागत प्रबन्ध किए गए हैं। इनमें (क) दोनों देशों के गृह सचिवों की बैठकें, (ख) लम्बित पड़ें सभी मुद्दों की गहराई से जांच करने और उनको सुलझाने के लिए व्यवहारिक उपायों की सिफारिशें करने हेतु संयुक्त कार्य दल की स्थापना करना : (ग) बंगलादेश राईफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच महानिदेशक स्तर पर नियमित रूप से बैठकें करना, शामिल हैं।

पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में उग्रवाद और आतंकवाद का प्रकोप भिन्न-भिन्न है। यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार की गति-विधियों में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है।

नई बंगलादेश सरकार के सकारात्मक व्यवहार से बंगलादेश में उग्रवादियों को बेस और ट्रांजिट की सुविधाएं न दिए जाने की आशा है तथा इससे पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा परिदृश्य सुधरने की उम्मीद है।

कम दरों पर गेहूं बेचना

*51. **डा० एम० जगन्नाथ** :
श्रीमती शारदा टाडी पारथी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गेहूं का संकट व्याप्त होने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम ने राज्य में 5750 टन गेहूं व्यापारियों को कम दरों पर बेचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रखे गए गेहूं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले ओर सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद समय-समय पर खुली बिक्री के मूल्य निर्धारित करती है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों अथवा उनके नामितों को खाद्यान्न जारी करता है। आन्ध्र प्रदेश में आन्ध्र प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक का उठान करता है और उसे उचित दर दुकानों को वितरित करता है। राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अभिप्रेत गेहूं के उपयुक्त उपयोग के लिए आवश्यक उपाय करती है।

नकली फर्मों को गेहूं की आपूर्ति

*52. **श्री मंगल राम प्रेमी** :
श्री आई० डी० स्वामी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हरियाणा में 200 करोड़ रुपयों के गेहूं का घपला प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में मुक्त आपूर्ति हेतु आबंटित गेहूं तीस नकली फर्मों को बेचा गया था;

(ग) यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें गेहूं की आपूर्ति की गई थी तथा घोटाले में अन्तर्ग्रस्त भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा और अन्य के विरूद्ध दिनांक 6 जनवरी, 1997 को पुलिस थाना, सिविल लाइन्स, रोहतक, हरियाणा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/109/199/200/120-ख, 7/10/55/आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 की धारा 3(1)(ख) के अधीन एक मामला एफ० आइ०आर० 10 दर्ज किया गया था। प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट में प्रमुख आरोप यह था कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा ने एजेंटों से खुली बिक्री के गेहूं के आबंटन के लिए अवैध आनुतोषिक मांगा था। प्राथमिकी इत्तिला रिपोर्ट में निजी पार्टियों के अलावा तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा और भारतीय खाद्य निगम के दो अन्य कर्मचारियों के नाम हैं। उपर्युक्त गेहूं के अत्यधिक ऊंची दरों पर विभिन्न पार्टियों को बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भी अभिकथन है कि 5000 बोरी गेहूं एक ऐसी फ्लोर मिल को आबंटित किया गया था जो 2/3 वर्ष पहले बन्द हो चुकी थीं।

इसके अतिरिक्त, रोहतक जिले के स्थानीय अधिकारियों की आरम्भिक रिपोर्टों में यह भी अभिकथित है कि कुछ फर्में खुली बिक्री के गेहूं की कालाबाजारी में संलिप्त थीं।

(घ) से (च) प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट संख्या 10 से बने मामले में पुलिस द्वारा खोज-बीन की जा रही है। तथापि, यह मामला जांच हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के साथ उठाया गया है। जांच पूरी हो जाने के पश्चात् ही अन्तिम परिणामों का पता चल सकेगा।

भारतीय खाद्य निगम के दो कर्मचारी और तीन अन्य गिरफ्तार किए गए हैं। तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हैं तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा की सेवाएं उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दी गई हैं।

आतंकवादी गतिविधियां

*53. **श्री रविन्द्र कुमार पांडेय :**
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में अभी तक कश्मीरी और अन्य उग्रवादियों से हथियार और गोलाबारूद सहित राज्यवार कितनी मात्रा में आर.डी.एक्स और विस्फोटक सामग्री जब्त की गई :

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान आर.डी.एक्स., शस्त्र, गोला-बारूद और विस्फोटकों की बरामदगी के ब्यौरे दर्शाते हुए विवरण-I, II और III संलग्न हैं।

(ख) उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :–

1. सूचना का विनिमय, आसूचना का आदान-प्रदान करने, रणनीति तैयार करने तथा समन्वित कार्रवाई करने से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों/आसूचना एजेन्सियों/केन्द्र सरकार की जांच एजेन्सियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।

2. अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की संरक्षा :–

   (क) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में बाड़ तथा फ्लड लाईट लगाकर सुरक्षा करना।

   (ख) सीमा सुरक्षा बल को नाईट विज़न डिवाईसिज़, हैण्ड-हैल्ड सेंट्स, दूरबीनों, ड्रैगन लाईट्स इत्यादि उपलब्ध करवा कर सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल को मज़बूत बनाना ताकि उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके।

   (ग) अतिरिक्त बी.ओ.पी. (सीमा चौकियां) का निर्माण करना ताकि उनके बीच का अन्तर कम किया जा सके।

3. अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में जहां आवश्यक हो सशस्त्र बलों की मदद उपलब्ध करना।

4. वहां उग्रवादी "गुटों" पर प्रतिबन्ध लगाना जहां इस प्रकार की गतिविधियां एक राज्य से अधिक में फैली हों।

5. विशेष परिस्थितियों में हथियारों की आपूर्ति और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए प्रभावित राज्य सरकारों को चालू आबंटन के अलावा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

(ग) गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम/लोक सुरक्षा अधिनियम सहित कानून के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

आर.डी.एक्स., हथियार, गोला बारूद्ध तथा विस्फोटकों की बरामदगी दर्शानेवाला विवरण

1994

क्रम सं०	राज्य	आर.डी.एक्स (कि.ग्रा.)	विस्फोटक (कि.ग्रा.)	हथियार	गोला-बारूद्ध
1.	दिल्ली	–		11	21
2.	जम्मू और कश्मीर	5	1508	1615	74255
3.	गुजरात	–	–	–	–
4.	हरियाणा	–	–	–	–
5.	पंजाव	25.5		186	811
6.	राजस्थान	–	–	–	–
7.	मध्य प्रदेश	–		2	
8.	महाराष्ट्र			4	542
9.	आन्ध्र प्रदेश	–		30	143
10.	पूर्वोत्तर	–		402	2490

टिप्पणी : 1994 के दौरान बरामद किए गए विस्फोटकों के राज्य वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। पूरे देश से 647 पैकेट, बंडल/बक्से, 1,56,655 नग तथा 2813 कि.ग्रा. विस्फोटक बरामद किया गया।

विवरण-II

आर.डी.एक्स., हथियार, गोला बारूद्ध तथा विस्फोटकों की बरामदगी दर्शानेवाला विवरण

1995

क्रम सं०	राज्य	आर.डी.एक्स (कि.ग्रा.)	विस्फोटक (कि.ग्रा.)	हथियार	गोला-बारूद्ध
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	1	5 नग 1.3 (कि.ग्रा)	118	539
2.	जम्मू और कश्मीर	9	1689	3158	52995
3.	गुजरात	10 (पैकेट)	1978 (नग) 23 (कि.ग्रा)	109	2795
4. और 5.	पंजाब/हरियाणा	720	75334 (नग) 136 (कि.ग्रा.) 6 (पैकेट)	350	7728
6.	राजस्थान	–	6 (नग)	1154	2547
7.	मध्य प्रदेश	–	190 (कि.ग्रा.)		
			31 (नग)	248	7625
8.	महाराष्ट्र	–	60 (बक्से) 82 (कि.ग्रा.) 436 (नग)	26	557

1	2	3	4	5	6
9.	आन्ध्र प्रदेश	–	169 (पैकेट) 3750 (नग) 586 (कि.ग्रा.)	953	862
10.	पूर्वोत्तर	–	271 (नग)	1881	7576
11.	तमिलनाडू/केरल	–	97 (पैकेट) 25415 (नग) 10220 (कि.ग्रा.)	10	359
12.	उड़ीसा	–	204 (नग) 612 (कि.ग्रा.) 2 (पैकेट)	21	9
13.	कर्नाटक	–	4709 (नग) 32 (बक्से) 29.5 (कि.ग्रा.)	18	64
14.	पश्चिम बंगाल	–	378 (नग)	497	24874
15.	बिहार	–	631 (नग)	297	2797
16.	असम	–	913 (नग) 5 (बंडल)	238	1641
17.	उत्तर प्रदेश	–	435 (नग)	5691	10904
18.	हिमाचल प्रदेश	–	2203 (नग) 150 (कि.ग्रा.)	–	–

नोट : संख्या, डेटोनटर्स, पेंसिल बम, हथगोले, टिम्बर पेंसिल, रिलीज यंत्र इत्यादि, जिसका वजन ज्ञात नहीं हैं, का संकेत करती है। पैकेट, गिलोटीन स्टिक के पैकट, सुरक्षा फ्यूज इत्यादि का संकेत करता है।

विवरण-III

आर.डी.एक्स., हथियार, गोला बारूद्ध तथा विस्फोटकों की बरामदगी दर्शानेवाला विवरण

1996

क्रम सं०	राज्य	आर.डी.एक्स (कि.ग्रा.)	विस्फोटक (कि.ग्रा.)	हथियार	गोला-बारूद्ध
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	4	–	157	342
2.	जम्मू और कश्मीर	150	3549	9038	192831
3.	गुजरात	2 (पैकेट)	1044 (नग) 36 (बक्से)	298	6248
4.	पंजाब/हरियाणा	99 (कि.ग्रा.)	99 (नग) 100 (कि.ग्रा.)	137	4083
5.	राजस्थान	–	1 (नग) 5 (कि.ग्रा.) 68 (बक्से)	109	644

1	2	3	4	5	6
6.	मध्य प्रदेश	–	130 (नग)	75	196
7.	महाराष्ट्र	–	53 (बक्से) 1 (कि.ग्रा.) 4362 (नग)	17	1672
8.	आन्ध्र प्रदेश	–	769 (नग) 1.6 (कि.ग्रा.)	120	1396
9.	उत्तर-पूर्व	–	16 (नग)	597	2063
10.	तमिलनाडु/केरल	–	–	64	107
11.	उड़ीसा	–	126 (बक्से) 100 (कि.ग्रा.) 469 (नग)	31	118
12.	कर्नाटक	–	25 (नग) 1 (कि.ग्रा.)	12	1115
13.	पश्चिम बंगाल	–	182 (नग) 21 (बंडलें)	281	288
14.	बिहार	–	21 (नग) 8 (बक्से) 100 (कि.ग्रा)	188	749
15.	असम	–	276 (नग) 1 (कि.ग्रा.)	248	3148
16.	उत्तर प्रदेश	–	277 (नग) 8 (बक्से)	4406	9394
17.	हिमाचल प्रदेश	–	248 (नग) 1488 (कि.ग्रा.)	5	14

नोट : संख्या, डेटोनटर्स, पेंसिल बम, हथगोले, टिम्बर पेंसिल, रिलीज यंत्र इत्यादि, जिसका वजन ज्ञात नहीं हैं, का संकेत करती है। पैकेट, गिलोटीन स्टिक के पैकट, सुरक्षा फ्यूज इत्यादि का संकेत करता है।

नव वधुएं जलाई जाने की घटना

*54. **श्री सुधीर गिरि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 के दौरान देश में नववधुओं को जलाये जाने के कारण जो मौतें हुई हैं उनका राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है : और

(ख) ऐसी मौतों को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित उपबन्धों के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण "नव-वधु को जलाने" से संबंधित अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना, उनका पता लगाना और उन्हें रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में निवारात्मक, दण्डात्मक और पुर्नवास संबंधी उपाय करने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखती रही है। केन्द्र सरकार द्वारा सुझाऐ गए उपायों में अन्य के साथ-साथ दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति, पुलिस स्टेशनों में महिला एकको की स्थापना करना, महिला पुलिस अधिकारियों की बड़ी पैमाने पर भर्ती और पुलिस कार्मिकों को जेंडर सेंसीलाईजेशन ट्रेनिंग देना इत्यादि शामिल है। कानूनों को और अधिक सख्त बनाने की दृष्टि से केन्द्र सरकार विधायनों में आसोधन और संशोधन भी कर रही है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को 1984 और 1986 में संशोधित किया गया था। न केवल दहेज संबंधी मृत्यु के मामलों अपितु विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भा.द.सं. 1860, दण्ड प्र.सं. 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किया गया है। समाज में महिलाओं की रचनात्मक भूमिका

को दिखाने के लिए जन-सम्पर्क माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। जागृति पैदा करने संबंधी शिविर भी आयोजित किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1996 के दौरान दहेज के लिए जलाए जाने के कारण मौतों की घटनाएं

(राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	घटनाएं	टिप्पणी (आंकड़ें निम्न-लिखित महीनों तक हैं)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	80	नवम्बर x
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	सितम्बर
3.	असम	1	जून
4.	बिहार	ऊ.न.	—
5.	गोवा	1	
6.	गुजरात	23	नवम्बर
7.	हरियाणा	50	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	1	
9.	जम्मू और कश्मीर	0	अगस्त
10.	कर्नाटक	56	दिसम्बर xx
11.	केरल	5	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	211	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	116	
14.	मणिपुर	0	
15.	मेघालय	0	फरवरी
16	मिजोरम	0	
17.	नागालैंड	0	
18.	उड़ीसा	6	जुलाई
19.	पंजाब	29	जुलाई
20.	राजस्थान	89	अक्तूबर
21.	सिक्किम	0	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	17	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	0	
24.	उत्तर प्रदेश	581	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	17	सितम्बर
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	नवम्बर
27.	चंडीगढ़	0	
28.	दादरा व नगर हवेली	0	
29.	दमन और दीव	ऊ.न.	—
30.	दिल्ली	59	
31.	लक्षद्वीप	0	अक्तूबर
32.	पाण्डिचेरी	1	
	जोड़ (समस्त भारत)	1343	

स्त्रोत :- मासिक अपराध आंकड़ें।

नोट :- 1. आंकड़ें अनन्तिम हैं।
2. ऊ.न. का अर्थ उपलब्ध नहीं।
3. आंकड़ों में अक्तूबर, 1996 के आंकड़ें नहीं है।
4. आंकड़ों में नवम्बर, 96 के आंकड़ें सम्मिलित नहीं है।

[हिन्दी]

चीनी का निर्यात

*55. **श्री डी० पी० यादव :***
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के समय चीनी की राष्ट्रीय स्टाक स्थिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार के लिये चीनी की उपलब्धता और साथ ही साथ चीनी का विद्यमान घरेलू मूल्य का ब्यौरा क्या था;

(ग) स्वदेशी बाजार में चीनी के मूल्य नियंत्रण तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य के भुगतान न करने से सरकार की चीनी निर्यात नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) निजी पार्टियों को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए चीनी निर्यात संवर्द्धन अधिनियम को 15.01.1997 को निरस्त कर दिया गया। 1.1.1996 से शुरू चीनी मौसम 1996-97, 80.78 लाख टन के पूर्वावशिष्ट स्टाक के साथ शुरू हुआ। इसमें 13.32 लाख टन की लेवी चीनी की मात्रा शामिल है जो चालू मौसम

में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 3 महीनों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। घरेलू मांग को पूरा करने के बाद 31.12.96 को भी चीनी स्टाक 73.71 लाख टन था। चीनी निर्यात की अनुमति खुली बिक्री चीनी का बाजार बढ़ाने तथा चीनी मिलों की वित्तीय व्यवहार्यता को मजबूत करने के लिए दी गई है, विशेषकर घरेलू बाजार में अक्तूबर, 1996 के बाद से खुली बिक्री चीनी के थोक मूल्यों में कुछ गिरावट का रूख देखने में आया है। यह आवश्यक समझा गया ताकि मिलें गन्ना किसानों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान कर सकें तथा चीनी उत्पादन को बनाए रख सकें।

कृषि अनुसंधान तथा विकास संबंधी व्यय

*56. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे विकासशील देशों की तुलना में भारत में कृषि अनुसंधान और विकास संबंधी व्यय बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार कृषि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिये कोई विशेष कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) वर्तमान में भारत में कृषि अनुसंधान पर किया जाने वाला खर्च बहुत कम नहीं है। यह कुल घरेलू कृषि उत्पाद का करीब 0.3 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि विकासशील देशों में यह खर्च 0.3 से 0.75 प्रतिशत है। तथापि, एक मानदंड के मुताबिक कुछ घरेलू कृषि उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत अनुसंधान पर निवेश करने का लक्ष्य बताया गया है। संसाधनों की कमी के कारण लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक धनराशि का आवंटन संभव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने अनुसंधान और विकास के लिए योजना परिव्यय में वृद्धि के लिए कदम उठाया हे और जो परिव्यय चौथी पंचवर्षीय योजना में 85 करोड़ रु० था वह आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 1300 करोड़ रु० हो गया है। इसके अलावा, कृषि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों तथा कृषि अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन की यथार्थ आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भा.कृ.अ. परिषद के नौंवी योजना कार्यदल में योजना आयोग से सिफारिश की है कि नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि अनुसंधान में कुछ घरेलू कृषि उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच

*57. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कृषि मंत्री के अनुरोध पर उड़ीसा में भूख से हुई मौतों के आरोपों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के एक अधिकारी दल ने भूख से हुई कथित मौतों के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिये 12-14 दिसम्बर 1996 को उड़ीसा का एक प्राथमिक दौरा किया। सरकार को इस संबंध में अब तक आयोग से कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बालिकाओं पर अत्याचार

*58. **श्रीमती केतकी देवी सिंह :**
कुमारी उमा भारती :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर की राष्ट्रीय कैडेट कोर की बालिकायें जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की परेड में भाग लेने के पश्चात अपने घरों को लौट रही थीं तो 30 जनवरी, 1997 को मेरठ के समीप चलती गाड़ी में उनके साथ छेड़खानी की गई :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच कराई गई है :

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ङ) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 30.1.1997 को जम्मू और कश्मीर के 25 कलाकारों का एक दल जिसमें 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं थी, गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के बाद शालीमार एक्सप्रेस से वापस लौट रहे थे। डिब्बे में बैठने के सवाल को लेकर कुछ महिला कलाकारों तथा हर-रोज सफर करने वाले यात्रियों के बीच कहा-सुनी हो गई थी। इन लोगों ने कलाकारों के साथ दुर्व्यवहार किया बताया जाता है। इस घटना के दौरान हस्तक्षेप करते समय सीमा सुरक्षा बल के 2 तथा जी.आर.पी के एक जवान को भी चोटें आईं।

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 147/323/332/353/354/308 तथा रेलवे अधिनियम की धारा 145 के अन्तर्गत जी.आर.पी. मेरठ में एक मामला दर्ज किया गया है। 12 अभियुक्त व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद 2 व्यक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है और जिलाधिकारी द्वारा उन्हें निष्कासन के नोटिस दिए गए हैं।

नक्सलवादी गतिविधियां

*59. **श्री राधा मोहन सिंह :**
डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान नक्सलवादियों के हमलों में विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) क्या नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कमद उठा रही है;

(घ) क्या नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों ने केन्द्र सरकार से नक्सलवाद की समस्या से राष्ट्रीय स्तर पर निपटने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने प्रभावित राज्यों द्वारा तत्काल कार्यान्वित किए जाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(छ) क्या राज्य सरकारों ने इस समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक वल उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है; और

(ज) यदि हां, तो प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान उन्हें वास्तव में कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार जुलाई से दिसम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित मौतों के लिए नक्सलवादी जिम्मेवार पाए गए :–

आन्ध्र प्रदेश	105
विहार	156
मध्य प्रदेश	15
महाराष्ट्र	9

(ख) यद्यपि, विभिन्न राज्यों से सूचित घटनाओं की संख्या में जुलाई से दिसम्बर, 1996 की अवधि में, पिछली छमाही की तुलना में कमी आई परन्तु इन घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है।

(ग) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" चूंकि राज्य के विषय हैं इसलिए इस बारे में विभिन्न उपाय निकालना और ठोस कदम उठाना, संबंधित राज्य सरकारों का काम है। केन्द्र के स्तर पर तो विभिन्न राज्यों के नक्सलवादी-विरोधी अभियानों के समन्वय और राज्यों के बीच नक्सलवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी जानकारी के प्रवाह को सहज बनाने के लिए कार्रवाई की जाती है। पुलिस के आधुनिकीकरण, उन्नत शस्त्रों की आपूर्ति, अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती आदि के लिए वित्तीय सहायता के रूप में भी राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कतिपय विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण और शस्त्रों की आपूर्ति हेतु चालू आवंटन से अलग भी वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। केन्द्र सरकार ने इस समस्या से लड़ने में राज्य सरकारों की मदद के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। इनमें शामिल है जानकारी का विनियम, इसका आदान-प्रदान करने, रणनीति बनाने और समन्वित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों के साथ-साथ केन्द्र सरकार की विभिन्न आसूचना एवं जांच एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें करना। कतिपय विशेष परिस्थितियों में कुछ प्रभावित राज्यों को, पुलिस के आधुनिकीकरण और शस्त्रों की आपूर्ति हेतु चालू आवंटन से अलग भी वित्तीय सहायता दी जाती रही है। उग्रवादी-विरोधी अभियानों में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के प्रबंध भी किए गए हैं।

(च) संबंधित राज्यों के परामर्श से केन्द्र सरकार ने इस संबंध में एक कार्य योजना तैयार की है जिसमें शामिल हैं–

(i) पुलिस थानों, खासतौर से नक्सलवादी से प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित पुलिस थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना,

(ii) एक समान सम्प्रेषण प्रणाली,

(iii) प्रत्येक राज्य में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करना,

(iv) संयुक्त गश्त, और

(v) राज्यों में क्षेत्रीय प्रभुत्व कार्यक्रम शुरू करना, और

(vi) गृह मंत्रालय ने उग्रवादी विरोधी अभियानों में पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रबन्ध किए हैं।

(vii) संबंधित राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना।

(छ) और (ज) लोक व्यवस्था बनाए रखने में उनकी मदद के लिए राज्यों को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। तैनाती का स्तर प्रत्येक राज्य की जरूरत और बल की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस प्रकार बलों का ब्यौरा अथवा तैनाती के स्तर के बारे में बताना जनहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादकों का बकाया

*60. **श्री के० परसुरामन :**
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशि के संबंध में राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत दो वर्षों से भी अधिक समय से कितनी राशि का भुगतान बकाया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस समय किसानों को उनको देय राशि का भुगतान किया जा रहा है अथवा यह राशि बकाया के रूप में पुनः संचित होती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है कि गन्ने की पिराई में कोई अड़चन न आए और किसानों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाये ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चालू मौसम, 1996-97 अर्थात् 31.12.96 तक, गन्ना मूल्य बकाया की अद्यतन उपलब्ध राज्यवार स्थिति, जो चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 15.11.1996 तक 1993-94 तथा पूर्व के मौसमों से संबंधित किसानों को देय बकाया गन्ना मूल्य 5.99 करोड़ रुपये था।

गन्ना मूल्य बकाया का जमा होना कई कारणों से हो सकता है जैसे–चीनी मिल की खराब वित्तीय स्थिति, उच्च उत्पादन लागत, एस.एम.पी से संबंधित उच्चतर राज्य द्वारा सुझाया गया गन्ना मूल्य, बिक्री से अपर्याप्त वसूली आदि। साथ ही, पेराई अवधि के प्रगति पर होने के दौरान, जब खरीदे गए गन्ने की मात्रा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, गन्ना मूल्य के बढ़ने का रूख होता है, जो धीरे-धीरे मौसम के अन्त में काफी घट जाता है।

(ग) और (घ) चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार बकाया गन्ना मूल्य जो 1996-97 मौसम अर्थात् 30.11.1996 तक के आरम्भ में कुल देय मूल्य का 45.58 प्रतिशत था, 31.12.1996 तक घटकर कुल देय मूल्य का 41.32 प्रतिशत हो गया है।

(ङ) चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है जिसके पास ऐसे भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक शक्तियां व क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएं हैं। केन्द्र सरकार चीनी उत्पादन करने वाली इकाइयों की वित्तीय व्यवहार्यता को मजबूत करने के दृष्टिकोण से चीनी मूल्यों को घरेलू बाजार मूल्यों के ताल-मेल में एक उचित स्तर तक बनाए रखने के लिए चीनी मूल्यों में स्थायीत्व बनाए रखने का प्रोत्साहन देने की नीति चला रही है। एक मिलियन टन का बफर स्टाक, निर्यात की अनुमति, खुली बिक्री कोटे का विवेकपूर्ण मासिक रिलीज आदि कुछ उपाए है जो फैक्ट्रियों की वित्तीय क्षमता में सुधार के लिए उठाए गए हैं ताकि वे गन्ना उत्पादकों को बकाया का भुगतान कर सकें तथा गन्ना पेराई का कार्य जारी रख सकें।

विवरण

1996-97 मौसम के दौरान तक खरीदे गए गन्ने के लिए देय गन्ना मूल्य, भुगतान किए गया मूल्य तथा बकाया शेष तथा 31.12.96 तक गन्ना मूल्य बकाया को राज्यवार दर्शाना वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपये में)

राज्य	1996-97 के दौरान 31.12.96 तक खरीदे गए गन्ने के लिए कुल देय मूल्य	31.12.96 तक भुगतान किया गया गन्ना मूल्य	31.12.96 तक देय शेष गन्ना मूल्य	कुल भुगतान पर देय शेष मूल्य का %
1	2	3	4	5
पजांब	8596.78	1768.21	6828.57	79.43
हरियाणा	2997.68	227.57	2770.11	92.41
राजस्थान	64.30	0.00	64.30	100.00
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	6166.16	4800.59	1365.57	22.15
मध्य उत्तर प्रदेश	6601.74	1564.15	5037.59	76.31
पूर्वी उत्तर प्रदेश	1612.59	1176.01	436.58	27.07
कुल उत्तर प्रदेश	14380.49	7540.75	6839.74	47.56
मध्य प्रदेश	690.39	273.90	416.49	60.33
दक्षिण गुजरात	8433.60	7764.55	669.05	7.93
सौराष्ट्र	354.80	105.59	249.21	70.24
कुल गुजरात	8788.40	7870.14	918.26	10.45
दक्षिण महाराष्ट्र	17527.42	14401.43	3125.99	17.83

1	2	3	4	5
उत्तर महाराष्ट्र	4733.58	2653.56	2080.02	43.94
मध्य महाराष्ट्र	12380.32	8607.29	3773.03	30.48
कुल महाराष्ट्र	34641.32	25662.28	8979.04	25.92
उत्तर बिहार	1083.14	0.00	1083.14	100.00
दक्षिण बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल बिहार	1083.14	0.00	1083.14	100.00
असम	0.00	0.00	0.00	0.00
आन्ध्र प्रदेश	6791.35	3439.82	3351.53	49.35
कर्नाटक	11995.41	6123.95	5871.46	48.95
तमिलनाडु	5153.69	3001.30	2152.99	41.76
केरल	440.62	282.10	158.52	35.98
उड़ीसा	466.12	317.66	148.46	31.85
पश्चिम बंगाल	49.06	0.00	49.96	100.00
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	96.44	6.31	90.13	93.46
गोवा	310.41	141.43	168.88	54.42
समस्त भारत	96546.40	56655.42	39890.98	41.32

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

*398. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए बिहार राज्य-सरकार से प्राप्त सिफारिशें केन्द्र सरकार के पास पिछले एक वर्ष से लंबित पड़ी हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन मामलों को कब तक अनुमोदित किए जाने की सम्भावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) बिहार राज्य सरकार ने कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विकलांगों के कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता-अनुदान के लिए गैर-सरकारी संगठनों के कतिपय आवेदन पत्रों को संस्तुत किया है।

इसमें से अधिकांश आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत इस मंत्रालय की प्रतिबद्ध देयताओं के तहत किसी नए प्रस्ताव की वचनबद्धता का आश्वासन नहीं दिया गया है। चूंकि विकलांगों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय के बजट आबंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसलिए वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी नए आवेदन पत्र पर विचार किए जाने की सम्भावना नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्य भण्डारण डिपो

*399. **श्री ए०जी०एस० रामबाबू** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में विशेषकर मदुरै में खाद्य भंडारण डिपुओं का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम की कुल क्षमता 7.55 लाख टन है जिसकी उपयोगिता 35 प्रतिशत है। इसलिए तमिलनाडु में मौजूदा भण्डारण क्षमता सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राज्य की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि दीर्घकालीन योजना के रूप में

भारतीय खाद्य निगम का तमिलनाडु में निम्नलिखित केन्द्रों में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने का प्रस्ताव है बशर्ते भूमि और वित्त उपलब्ध हो :–

1. विलंगुडी (मदुरै) – 25,000 टन
2. रामानाथापुरम – 5,000 टन

गोदाम और कार्यालय

*400. **श्री नामदेव दिवाथे** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के कार्यालय और गोदाम कहां-कहां स्थित हैं और इनकी कुल क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा महाराष्ट्र में गोदामों के निर्माण के लिए कितना निवेश किया गया और इसमें कितनी अतिरिक्त क्षमता विकसित की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर गोदामों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए कितनी राशि के निवेश का प्रस्ताव है;

(घ) महाराष्ट्र में वर्तमान में और आगामी पांच वर्षों के लिए भण्डारण गोदामों की वास्तविक आवश्यकता कितनी है और इसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) स्वीकृत/निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनका मंद गति से कार्यान्वयन किए जाने के कारण यदि कोई हो, क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सिक्किम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोटा

*401. **श्री भीम प्रसाद दाहाल** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सिक्किम को दिए जाने वाले खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं का कोटा कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने सिक्किम के खाद्यान्न के कोटे में कोई कटौती नहीं दी है। तथापि, नवम्बर, 1996 से गेहूं का कोटा 1100 मी. टन से घटाकर 600 मी. टन प्रतिमाह कर दिया गया और उसके बदले में चावल का उतनी ही मात्रा में अर्थात् 500 मी. टन आबंटन बढ़ा करके उसे नवम्बर, 1996 से 4800 मी. टन के स्थान पर 5300 मी. टन प्रति माह कर दिया गया। 1991 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की आबादी 4.06 लाख और परिवारों की संख्या लगभग 76500 है। आबंटन के वर्तमान स्तर पर राज्य में प्रति परिवार प्रतिमाह खाद्यान्न की उपलब्धता 77 कि.ग्रा. है जो पर्याप्त है।

[हिन्दी]

तम्बाकू की खेती

*402. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में तम्बाकू की खेती की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आवश्यक भूमि की पहचान कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में इसकी खेती के शुरू करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) गुजरात में तम्बाकू उगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था

*403. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :**
श्री रामसागर :
श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या **गृह मंत्री** उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में 10 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4907 तथा 4973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब सूचना एकत्र कर ली गई है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं :

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य में हुई लूटमार, चोरी, उत्पीड़न, बलात्कार, हत्यायों इत्यादि की घटनाओं की संख्या क्या है : और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) तारीख 10.9.1996 का लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4973 इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है। सम्भवतः यह 10.9.1996 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4993 के संदर्भ में है, जो 10.9.1996 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4907 की तरह, उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित है। इस मंत्रालय से संबंधित दोनों प्रश्नों के बारे में सूचना की प्रतीक्षा है।

(ग) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य में, वर्ष 1995 और 1996 में, महत्वपूर्ण अपराध शीर्षो के अन्तर्गत हुए मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना

नीचे दी गयी है :

	1995	1996	
डकैती	1019	885	
चोरी	10681	9780	
हत्या	8549	8149	
बलात्कार	1800	1631	(नवम्बर 1996 तक)
अपहरण और व्यवहरण	215	191	

अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना पता लगाना और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। तथापि, अपराध नियंत्रण सहित पुलिस कार्यकारण के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के बारे में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दिशा निर्देश देती रही है। उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था और अपराध स्थिति का केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रबोधन किया जा रहा है और राज्य सरकार को समय-समय पर सलाह दी जाती है।

बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों और पौधों की खरीद में अनियमितताएं

*404. **श्री राम सागर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों और पौधों की खरीद के मामले में अत्यधिक भ्रष्टाचार और अनियमितताएं व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है;

(ग) अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुपालित खरीद नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) उर्वरकों की खरीद/रिटेंशन मूल्य एवं राजसहायता योजना के संचालन में हाल ही में निम्नलिखित मामलों में धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएं उर्वरक विभाग के ध्यान में आई हैं :–

(i) यूरिया के आयात के लिये राष्ट्रीय उर्वरक लि० का टर्की की मैसर्ज़ कार्सन लि० के साथ सौदा।

(ii) मैसर्ज़ साई कृष्ण इम्पेक्स के जरिए राष्ट्रीय उर्वरक लि० द्वारा उर्वरकों का आयात।

(iii) निम्नलिखित द्वारा जाली दस्तावेजों आदि की सहायता से रिटेंशन मूल्य राजसहायता का दावा।

(क) मैसर्ज़ पंजाब फास्फेट्स प्रा० लि०

(ख) मैसर्ज़ हर्षवर्धन कैमिकल्स तथा मिनरल्स प्रा० लि० तथा

(ग) मैसर्ज़ फास्फेट इण्डिया लि०

क्र०सं० (I), (II) तथा (III-ख) पर उल्लिखित मामलों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सी०बी०आई०) जांच कर रहा है। क्र०सं० (III-क) पर उल्लिखित मामले में सी०बी०आई० ने 30.12.94 को दस केन्द्रीय सरकार पदाधिकारियों सहित 23 व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप-पत्र दायर किए है। क्र०सं० (III-ग) वाले मामले में इस समय सी०बी०आई० छान-बीन कर रही है।

(घ) राज्य सरकारें/संघशासित प्रदेश उर्वरक नहीं खरीदते। इसलिए, राज्य-सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा एक क्रय नीति बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बीजों और कृमिनाशी दवाओं के बारे में राज्यों/संघशासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही क्रय नीति राज्यों से एकत्र की जा रही है। और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्रेशर हार्न का प्रयोग

*405. **श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रेशर हार्न का प्रयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई कानून है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या बस और ट्रक चालकों द्वारा इस कानून का अंधाधुंध उल्लंघन किया जा रहा है :

(ग) क्या ट्रैफिक पुलिस प्रेशर हार्न के प्रयोग को रोक नहीं रही है तथा तत्संबंधी कानून का उल्लंघन करने वाले बस और ट्रक चालकों का चालान नहीं किया जा रहा है :

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इस आधार पर कितने ट्रक और बस चालकों का चालान किया गया है तथा इससे कितनी धनराशि एकत्र की गयी है : और

(ङ) सरकार द्वारा इस कानून को सख्तीपूर्वक लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। कानून में यह प्रावधान है कि अनावश्यक कर्कश, कर्णभेदी, तेज या डरावनी आवाज निकालने वाले किसी भी यन्त्र को मोटर वाहन के साथ फिट नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ) कानून का उल्लंघन करने वाली बसों तथा ट्रकों का विधिवत् रूप से चालान किया जाता है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	चालान किए गए कुल ट्रक	नगद (रुपयों में)	चालान की गई कुल बसें	नगद (रुपयों में)
1994	51867	3786300	9685	864300
1995	111494	9953600	11110	1020300
1996	172033	14214800	15795	1379500
1997 (31.1.1997 तक)	9071	717100	522	47500

(ङ) इस खतरे का मुकाबला करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं। मोटर वाहन मालिकों को भी पुस्तिका के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतें

*406. **श्री ए० सम्पथ** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क में चोरी और हेराफेरी संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र में चोरी तथा धोखाधड़ी के बारे में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे बड़े कार्य में, जहां सारे देश में 16 करोड़ परिवारों को 4.37 लाख से अधिक उचित दर दुकानों के जरिए 15000 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं वितरित की जाती हैं, जहां-तहां कुछ कमियां होने से पूरी तरह से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

राज्यों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता है कि वे विशेषकर उचित दर दुकान के स्तर पर मानीटरिंग प्रणाली को चुस्त करें।

उत्तराखंड में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना

*407. **श्री भक्त चरण दास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1994 में उत्तराखंड में पुलिस की गोली से 15 व्यक्तियों के मारे जाने की घटना की जांच हेतु गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे :

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं :

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के अन्य आयोग भी गठित किए गए हैं :

(ङ) क्या उन आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है:

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(छ) यदि नहीं, तो इन आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्टें कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों पर राजसहायता

*408. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने किसानों को सीधी राजसहायता दिए जाने की पहले वाली प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केरल सरकार से ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में धान की खरीद

*409 **डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को आंध्र प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में धान की रिकार्ड खरीद करने का अनुमान है विशेष रूप से जबकि इन जिलों में तूफान से भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने इन जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में धान की 140 प्रतिशत अधिक खरीद की है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने इन जिलों में आज तक कुल कितनी खरीद की है; और

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने पूरे देश में कुल कितने चावल की खरीद की और यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश के बाजारों में धान के प्रचलित मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। इस कारण अभी तक आन्ध्र प्रदेश के किसी भी जिले में धान की कोई वसूली नहीं की गई है।

तथापि, चालू खरीफ विपणन मौसम 1996-97 में 21.2.1997 तक आंध्र प्रदेश में 21.63 लाख टन चावल की वसूली लेवी के रूप में की गई है जबकि पिछले मौसम की तदनुरूपी अवधि के दौरान 16.58 लाख टन की वसूली की गई थी।

(ग) पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में लेवी के अधीन चावल की वसूली निम्नानुसार रही :–

(लाख टन में)

जिला	चालू मौसम 1996-97 के दौरान वसूल किए गए चावल की मात्रा	पिछले मौसम 1995-96 की तदनुरूपी अवधि के दौरान वसूल किए गए चावल की मात्रा
(20.2.1997 की स्थिति के अनुसार)		
पूर्वी गोदावरी	3.66*	3.54
पश्चिमी गोदावरी	2.53@	1.64

* 0.46 लाख टन की वसूली शिथिल की गई विनिर्दिष्टियों के अधीन की गई।

@0.44 लाख टन की वसूली शिथिल की गई विनिर्दिष्टियों के अधीन की गई।

(घ) चालू खरीफ विपणन मौसम 1996-97 के दौरान 21.2.97 तक

केन्द्रीय पूल के लिए 90.98 लाख टन चावल की वसूली की गई है जबकि पिछले मौसम की तदनुरूपी अवधि के दौरान 73.85 लाख टन की वसूली हुई थी।

वन क्षेत्र का अतिक्रमण

*410. **डा० प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1997 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "असम फारेस्ट एविजस्ट्स ओनली आन पेपर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें यह रिपोर्ट दी गई है कि गुवाहाटी के वाहरी क्षेत्र में स्थित "हेंगरापाडी" में आरक्षित वन केवल कागजों पर ही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यहां अतिक्रमण करने वाले आरक्षित वन क्षेत्र में बस गए हैं और वे उस आरक्षित वन में बड़े मजे से भूमि को समतल करने एवं पत्थर निकालने के कार्य में लगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस आरक्षित वन से उन अतिक्रमण करने वालों को हटाने और उक्त क्षेत्र में अन्य अवैध गतिविधियों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) जी हां।

(ख) यह सच नहीं है कि हेंगरापाडी आरक्षित वन केवल कागज़ों पर ही है। विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा क्षेत्र के सुधार हेतु वानिकी गतिविधियां की जा रही हैं।

(ग) इस समय लगभग 120 है० क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, परन्तु क्षेत्र में भूमि को समतल करने और पत्थर निकालने का कोई कार्य नहीं हो रहा है।

(घ) अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहां 6 पत्थर के महल थे, जिसमें से पांच 1992 के दौरान बंद किए गए। हेंगरापाडी का छठवां पत्थर का महल वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार हाल ही में कार्यवाही करने के लिए रोका गया।

चावल का निर्यात

*411. **श्री राम नाईक :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में कुछ गैर-सरकारी संगठन भारी सूखे के समय राज्य से चावल का निर्यात करने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस निर्यात हेतु अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

वक्फ बोर्ड

*412. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को अपने वक्फ बोर्डो को पुनर्गठित करने हेतु नए नियम तैयार करने के लिए निर्देश जारी किये हैं,

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार किन-किन राज्यों द्वारा वक्फ बोर्डो को पुनर्गठित किया गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 109 की उप धारा (1) के अंतर्गत, कोई राज्य सरकार, बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति सहित उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से कानून बना सकती है। इन नियमों का बनाया जाना तथा इन्हें अधिसूचित किया जाना और वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत किसी वक्फ बोर्ड का गठन करना और उक्त अधिनियम की धारा 83 के अंतर्गत किसी अधिकरण का गठन करना भी संबंधित राज्य सरकारों का काम है। केन्द्र सरकार ने नियमों आदि का नया सेट तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं क्योंकि इसे ऐसा करने का अधिकारी नहीं है। तथापि, चूंकि वक्फ विषय का प्रभार केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय को आबंटित किया गया हैं इसलिए यह राज्य सरकारों से उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए जनवरी, 1996 से अनुरोध करता रहा है।

(ग) जी, हां। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, गोवा तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमन और दीव ने अपने-अपने राज्यों में कम मुस्लिम जनसंख्या और/अथवा वक्फ सम्पत्तियों की अनुपस्थिति के आधार पर वक्फ बोर्ड, गठित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उन्हें इस मामले पर पुनर्विचार के लिए कहा गया है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मेघालय, और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने वक्फ अधिनियम, 1995 के उपबन्धों के अंतर्गत नए वक्फ बोर्डो का गठन किया है।

लेवी की चीनी पर सहायता

*413. **श्रीमती मीरा कुमार : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन चीनी मिलों को सितम्बर, 1990 के पश्चात् लाइसेंस मिले हैं उन्हें वर्षवार कुल कितनी लेवी चीनी की सहायता दी गई; और

(ख) उच्च वसूली वाले क्षेत्र तथा अन्य वसूली वाले क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली चीनी मिलों के राज्य वार तथा स्थान वार नाम क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सितम्बर, 1990 के बाद लाइसेंस प्रदान किए गए चीनी मिलों को प्रोत्साहन के तहत लेवी चीनी पर वर्षवार छूट निम्नवत् है :–

क्रम सं०	चीनी वर्ष	कुल मात्रा टनों में
1.	1991-92	–
2.	1992-93	–
3.	1993-94	–
4.	1994-95	2742.0
5.	1995-96	32312.7
6.	1996-97 (फरवरी, 1997 तक)	35845.1

(ख) चीनी प्रोत्साहन योजना 1993 के अधीन देश को दो वसूली क्षेत्रों में बाटा गया है–उच्च वसूली क्षेत्र तथा अन्य वसूली क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले जोन निम्नलिखित हैं।

(i) उच्च वसूली क्षेत्र : दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक।

नोट : गुजरात राज्य में दक्षिण गुजरात के अन्तर्गत जिला सूरत, वलसाढ़ डाघा और भड़ौच हैं।

(ii) अन्य वसूली क्षेत्र : (i) में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्र।

सितम्बर, 1990 के बाद लाइसेंस प्रदान किए गए चीनी मिलों, जिन्हें प्रोत्साहन योजना 1993 के तहत लेवी चीनी पर छूट दी गई थी, के नाम तथा स्थान बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सितम्बर, 1990 के बाद लाइसेंस प्रदान किए गए चीनी मिलों, जिन्हें प्रोत्साहन योजना, 1993 के तहत लेवी पर छूट दिया गया था, के नाम तथा स्थान दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम तथा स्थान	वसूली क्षेत्र का वर्गीकरण
1	2	3
1.	मैसर्स एस वी शुगर मिल्स लि०, वालजावाद जिला–चेगालपटटु, एम जी आर (तमिलनाडु)	अन्य वसूली क्षेत्र
2.	मैसर्स राणा शुगर लि०, बटेर-सयान-ते-बाबा-बकाला, जिला-अमृतसर (पंजाब)	अन्य वसूली क्षेत्र
3.	मैसर्स नाहर शुगर एंड एलाइड इन्डस्ट्रीज, अमलोह, तह० नाभा, जिला–पटियाला (पंजाब)	अन्य वसूली क्षेत्र
4.	मैसर्स पिकाडिली शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि० पटरान, तह० सामना, जिला–पटियाला (पंजाब)	अन्य वसूली क्षेत्र
5.	मैसर्स शाहकुम्बरी शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लि० स्थान-टोडरपुर (राजहंस), जिला–सहस्त्रपुर (उ०प्र०)	अन्य वसूली क्षेत्र
6.	मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि०, स्थान असमोली तह० संम्भल, जिला–मुरादाबाद (उ०प्र०)	अन्य वसूली क्षेत्र
7.	मैसर्स किटपलाई इंडस्ट्रीज लि०, स्थान-रूपापुर, जिला–हरदोई (उ०प्र०)	अन्य वसूली क्षेत्र
8.	मैसर्स द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लि०, स्थान-बुंदकी, जिला–बिजनौर (उ०प्र०)	अन्य वसूली क्षेत्र
9.	मैसर्स पुवडेनसियल मौली शुगर्ज लि० स्थान-निन्द्रा गांव, तह० निन्द्रा, मंडल, जिला–चित्तुर (आन्ध्र प्रदेश)	अन्य वसूली क्षेत्र
10.	मैसर्स एल.एस. शुगर फैक्ट्रीज लि० पीलीभीत, जिला–पीलीभीत (उ०प्र०)	अन्य वसूली क्षेत्र
11.	मैसर्स इन्दापुर एस एस के लि०, बीजावाडी तालुक इन्दापुर, जिला–पुणे (महाराष्ट्र)	अन्य वसूली क्षेत्र
12.	मैसर्स सासामूसा शुगर वर्क्स प्रा० लि० सासामूसा, जिला–गोपालगंज (बिहार)	अन्य वसूली क्षेत्र

रोग से प्रभावित चावल की फसल

*414. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के किसानों, को विशेषरूप से कुट्टानाड क्षेत्र में भयंकर रोग से प्रभावित चावल की खेती के कारण हुई हानि की भरपाई करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) भारत सरकार को केरल सरकार से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें मोल-फ्लाइ के प्रकोप से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सहायता की मांग की गई हो। लेकिन, राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपदा राहत कोष के धन का उपयोग करते हुए प्रभावित किसानों को सहायता दी जा रही है जिसमें भारत सरकार 75 प्रतिशत का अंशदान देती है। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रुपये नियुक्त किए हैं।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्ति

*415. **श्री सुशील चन्द्र :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को केवल विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जा रहा है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों को विकलांग व्यक्तियों से ही भरा जाना सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र है;

(घ) क्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है,

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त निगम कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है, और

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों एवं निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी, अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबन्धों के अनुसरण में केवल विकलांग व्यक्तियों को ही उनके लिए पहचान किए गए पदों में नियुक्त किया जाना अपेक्षित है।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" तथा "घ" पदों में 1100 नौकरियों की पहचान की गई है जिनमें विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है।

(ग) कल्याण मंत्रालय मंत्रालयों/विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या तथा साथ ही नियुक्त किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हुए समूह "ग" तथा "घ" के पदों में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन के बारे में अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट के लिए जोर देता रहा है।

(घ) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम 24 जनवरी, 1997 को नियमित किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं :–

1. विकलांगों के लिए संगठनों को सहायता,
2. विशेष विद्यालयों की स्थापना के लिए संगठनों की सहायता,
3. सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता,
4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता,
5. जिलापुनर्वास केन्द्र।

[अनुवाद]

पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग

*416. **श्री मुख्तार अनीस** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सात राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने और तत्संबंधी सूची अधिसूचित करने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अधिसूचित की गई सूची का राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(ग) अन्य राज्यों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की सूची को कब तक अंतिम रूप दिए जाने कि आशा है, और

(घ) इन राज्यों के अन्य सामाजिक वर्गों के नाम क्या हैं जिन्होंने कुछ और समुदायों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आवेदन किया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया था ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) ज्यों ही आयोग का पुर्नगठन किया जाएगा, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/उपजातियों/समुदायों को शामिल करने के लिए लम्बित आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा।

(घ) केरल राज्य से व्यक्तियों/संस्थाओं संगठनों ने मुस्लिम समुदाय को उस राज्य के लिए पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए आयोग से अनुरोध किया है तथापि, अनंत कृष्ण अय्यर अन्तर्राष्ट्रीय मानवशास्त्रीय अध्यन केन्द्र, पालघाट द्वारा किए गए एक स्वतंत्र अध्ययन एवं आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अन्य स्रोतों के आधार पर आयोग पांच सामाजिक समुदायों अर्थात बोहरा, कूच, मेनन, नायत, तुस्क्न मुस्लिम समुदाय के दक्खनी मुस्लिम को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया।

विवरण

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग 1—खण्ड 1

प्राधिकार से प्रकाशित

सं० 210] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 1996/अग्रहायण 20, 1918

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1996

सं० 12011/44/96-बी०सी०सी०—भारत सरकार ने, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एम०सी०टी०) द्वारा सिविल पदों और केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में रिक्तियों का 27% आरक्षित किया गया है जो अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। इस संबंध में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामान्य सूची कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी०सी०सी० (सी०) 19 अक्तूबर, 1994 के संकल्प संख्या 12011/9/94-बी०सी०सी०, 24 मई, 1995 के संकल्प संख्या 12011/7/95-बी०सी०सी० तथा 9 मार्च, 1996 के संकल्प संख्या 12011/96/94-बी सी सी द्वारा अधिसूचित की गई है।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अधिक शामिल किए जाने तथा कम शामिल किए जाने की शिकायतों तथा शामिल करने के अनुरोधों को स्वीकार करने/जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए की गई।

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अब निम्नलिखित राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल/संशोधित किए जाने के लिए

जातियों/समुदायों (उप जातियों/समनार्थी) नामों की सिफारिश की है :–

1. बिहार
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. उड़ीसा
6. उत्तर प्रदेश
7. पश्चिम बंगाल

सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा यह निर्धारित किया है कि उपरोक्त राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संलग्न शामिल/संशोधित वर्गों को अधिसूचित किया जाए।

शामिल किए गए/संशोधित वर्गों को इस संकल्प के जारी होने की तिथि से लागू माना जाएगा।

एम० एस० अहमद, संयुक्त सचिव

अनुबंध

निम्नलिखित राज्यों के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन कराना

1. बिहार
2. गोवा
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. उड़ीसा
6. उत्तर प्रदेश
7. पश्चिम बंगाल

राज्य : हरियाणा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं०	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1	2	3
1.	शून्य	61. नट (उन्हें छोड़कर जो हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में पहले शामिल है)
2.	शून्य	62. रायगर (उन्हें छोड़कर जो हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में पहले से शामिल हैं)
3.	शून्य	63. भाट्टु/चाट्टु
4.	शून्य	64. बाड़ी/बाड्डुन
5.	शून्य	65. राहबारी
6.	26, गवाला, गोवाला	26. गवाला, गोवाला, अहीर/यादव
7.	शून्य	66. लोध/लोधा
8.	शून्य	67. मेओ
9.	शून्य	68. गुज्जर
10.	30, झांगरा, ब्राहमण जांगरा ब्राहमण अथवा जांगिद ब्राहमण खाती,	30. झांगरा, ब्राहमण , जांगरा ब्राहमण अथवा जांगिद ब्राहमण खाती, रामगढ़िया
11.	शून्य	69. सैनी

राज्य : बिहार : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं०	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	123. डांगी

राज्य : गोवा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं०	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	4. धोबी, रजक, मडवल (ईसाई धोबियों सहित)
2.	शून्य	5. नाहवी, नाई, नाभिक, नायित, महाली
3.	शून्य	6. कोली/खारवी (इसाई खारवी सहित)
4.	शून्य	7. नाथजोगी
5.	शून्य	8. गोसावी

राज्य : गुजरात : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं०	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	वालांद नायी (हिन्दु) हज्जाम (मुस्लिम)	73. वालांद नायी (हिन्दू) हजाम (मुस्लिम), खलीफा (मुस्लिम), बाबर (हिन्दू)
2.	शुन्य	80. पखाली

राज्य : उत्तर प्रदेश : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं०	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	17. चिकवा (कासाब)	17. चिकवा, क्युसाब चाक
2.	37. भूरजी अथवा भड़भूजा, भड़भून्जा	37. भूरजी, भड़भूजा, भड़भून्जा, भूज, कान्दु
	47. रंग्रेज	47. रंग्रेज, रंगवा
	53. हज्जाम (नाई)	53. हज्जाम (नाई), सलमान नाई

राज्य : पश्चिम बंगाल : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं०	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	15. नागर (इसमें आप्रवासी मैथिली ब्राह्मण तथा अन्य राज्यों से आप्रवासी नागर शामिल नहीं है जो ब्राह्मण तथा बनिया हैं)
	शून्य	16. कारानी
	शून्य	17. राजू
	शून्य	18. केओरी/कोइरी
	शून्य	19. साराक
	शून्य	20. कोस्ता/कोस्था

राज्य : उड़ीसा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम

क्रम सं०	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	176. सरका/सरका तांती
2.	शून्य	177. चासा (चासा नामक यह प्रविष्टी उड़ीसा राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में प्रविष्टि संख्या 27 पर "चासा" के अनुरूप है)
3.	शून्य	178. पतारा/पत्रा
4.	43. गोला, गोल्ला, गोप, सदगोप, अहीर, गौर, गौडा, गौडो, मेकाला गोला, पुन्नु गोला, यादव,	43. गोला, गोल्ला, गोप, सदगोप, अहीर, गौर, गौडा, गौडो, मेकाला गोला, पुन्नु गोला, यादव, लक्ष्मीनारायण गोला और गोंडिया गोला।
5.	शून्य	179. कुरमो, कुरमा चासा, कुडमी, कुडमा, कुरमा, कुरमी, महतो, कुरमी क्षत्रिय, करुमी, कुडुमी क्षत्रिय।

[हिन्दी]

बीजों पर राजसहायता

*417. **श्री जयसिंह चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को बढाने के लिए किसानों को बीचों पर राजसहायता प्रदान की जा रही है अथवा प्रदान किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यरि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां, कृषि उत्पादन बढाने के लिए किसानों को बीजों के उपयोग के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रयोजित फसल उत्पादन योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 के दौरान फसल उत्पादन योजनाओं के अंतर्गत बीजों के वितरण के लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान फसल उत्पादन योजना के अंतर्गत बीज वितरण घटक के लिए राज्यवार आबंटित धनराशि।

(लाख रुपये)

	राज्य /	कुल
	1	2
1.	आंध्र प्रदेश	832.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.20
3.	असम	33.42
4.	बिहार	3498.0
5.	गोवा	8.60
6.	गुजरात	255.00
7.	हरियाणा	411.97
8.	हिमाचल प्रदेश	65.50
9.	जम्मू और कश्मीर	73.60
10.	कर्नाटक	304.28
11.	केरल	14.50

1		2
12.	मध्य प्रदेश	441.50
13.	महाराष्ट्र	668.50
14.	मणिपुर	2.3
15.	मेघालय	1.3
16.	मिजोरम	0.6
17.	नागालैंड	3.6
18.	उड़ीसा	306.9
19.	पंजाब	469.40
20.	राजस्थान	455.40
21.	सिक्किम	350
22.	तमिलनाडु	545.06
23.	त्रिपुरा	10.88
24.	उत्तर प्रदेश	1941.63
25.	पश्चिम बंगाल	61.40
26.	पाण्डिचेरी	5.00

[अनुवाद]

चीनी मिलें

*418. **डा० अरविन्द शर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के सोनीपत जिले में चीनी मिल की स्थापना के लिए हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल फेडरेशन लिमिटेड को कोई आशय पत्र जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1996 के बाद भी इस आशय पत्र की वैधता तिथि बढ़ाने की मांग की है;

(ग) आवेदन के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस चीनी मिल की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया था;

(ङ) यदि हां, तो कितना उपलब्ध कराया था;

(च) क्या राज्य सरकार ने आबंटित धन का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी हां, 7 दिसम्बर, 1993 को मैसर्स हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल लि० को, गोहना, जि० सोनीपत, हरियाणा में एक नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लि० की ओर से उपर्युक्त आशय पत्र की वैधता अवधि को एक वर्ष अर्थात् 6 दिसम्बर, 1997 तक के लिए बढाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बंध में सहकारी समिति से आवश्यक व्याख्या/स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(घ) नई चीनी मिल की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार कोई ऋण नहीं प्रदान करती।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

कुरियाकुट्टी परियोजना

*419. **श्री एन० एन० कृष्णदास** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से कुरियाकुट्टी-करपारा पनविद्युत परियोजना के बारे में मांगी गई जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की जा रही है।

बहुलकों का उत्पादन

*420. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार बहुलकों का कितना उत्पादन हुआ है,

(ख) राज्य-वार बहुलकों का बहुद्देशीय परियोजनों के लिए विकास करने हेतु विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है,

(ग) उन सरकारी/निजी क्षेत्रों के नए क्षेत्रों, जिनमें बहुलकों का उपयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए है। और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बहुलकों के विकास के लिए राज्य-वार स्वीकृत किए गए अनुसंधान और विकास संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) पालीमर का राज्य-वार उत्पादन डाटा रखा नहीं जाता है। हालांकि, गत तीन वर्षों के दौरान देश में पालीमर का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(आंकड़े एम टी ओ में)

1993-94	886,600
1994-95	11,28,500
1995-96	12,60,400

उदार औद्योगिक लाईसेसिंग नीति में, उद्यमी अपने व्यापारिक निर्णय तथा बाजार अवसरों के आधार पर ही निवेश पर निर्णय लेते हैं। इन उद्यमियों के पास उनके अपने उत्पाद/उपयोग विकास प्राथमिकताएं तथा उनसे संबंधित अनुसंधान तथा विकास केन्द्र होते हैं।

पालीमर्स के विकास हेतु पालीमर्स के विकास तथा अनुसंधान तथा अनुमोदित विकास प्रस्तावों से संबंधित विवरणों को एकत्र किया जा रहा है तथा वह सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी का आबंटन

*421. **श्री दिनशा पटेल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी के आबंटन के संबंध में गुजरात सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) दिसम्बर, 1996 में गुजरात सरकार ने अनुरोध किया था कि जनसंख्या वृद्धि के कारण दिसम्बर, 1996 मास के लिए अनुमत लेवी कोटे में 10 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि को बहाल कर दिया जाए।

चीनी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने जनवरी, 1997 मास के लिए भी लेवी चीनी के कोटे में 10 प्रतिशत वृद्धि की पहले ही अनुमति दे दी है।

नकली नोटों का परिचालन

*48. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नकली नोटों का परिचालन बढ़ रहा है :

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल कितने मूल्य के नकली नोटों की पहचान की गई तथा 31 दिसम्बर, 1996 को कुल कितने रुपये मूल्य के नोट परिचालन में थे :

(ग) क्या इस के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है : और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काजू बोर्ड की स्थापना

*423. **श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में काजू उत्पादन तथा इसके निर्यात में वृद्धि करने हेतु काजू बोर्ड की स्थापना के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) केरल में वर्तमान में काजू का कितना उत्पादन हुआ है;

(ङ) क्या कच्चे काजू के घरेलू उत्पादन से केरल में काजू उद्योग में लगे श्रमिकों के पूर्ण रोजगार का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है;

(च) यदि हां, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में काजू उद्योग के विकास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(छ) केरल में काजू श्रमिकों के कल्याण हेतु आरम्भ किये जाने वाले नये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार ने काजू उद्योग में लगे श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिये काजू के उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए काजू बोर्ड की स्थापना सहित बहुत से मुद्दों को शामिल करते हुये ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ग) फिलहाल, आठवी पंचवर्षीय योजना में काजू बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 1995-96 के मौसम के दौरान केरल में कच्चे काजू का अनुमानित घरेलू उत्पादन 1.40 लाख मी.टन है।

(ङ) जी, हां।

(च) केरल में कच्चे काजू के उत्पादन से राज्य के काजू की आवश्यकता को आंशिक पूर्ति होती है। इस आवश्यकता को कच्चे काजू के आयात से पूर्ति की जाती है। इसके अलावा, आठवीं योजना के दौरान भारत में समेकित काजू विकास संबंधी केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिये गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के पुनर्रोपण, तथा आपूर्ति तथा क्षेत्र विस्तार के लिये सहायता दी जा रही है।

(छ) नौंवी योजना के दौरान उपर्युक्त उपायों को जारी रखे जाने की सम्भावना है जिससे काजू उद्योग सहित केरल के काजू श्रमिकों को लाभ मिलने की आशा है।

[हिन्दी]

सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या

***424. श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कितने स्वैच्छिक संगठन है;

(ख) ऐसी सहायता प्रदान करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं :

(ग) ऐसे संगठनों की कौन-सी एजेंसी लेखा परीक्षा कर रही है :

(घ) उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन निधियों का दुरूपयोग किया है और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रूग्ण चीनी मिलें

***425. श्री माणिकराव होड्ल्या गावीत :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितनी रूग्ण चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना नहीं खरीदे जाने के कारण किसानों को गन्ने की फसल जलानी पड़ी थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसी परिस्थिति की पुनरावृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रूग्ण चीनी मिलों को पुनः खोलने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

खाद्य मंत्री नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 1995-96 चीनी मौसम के दौरान चार चीनी मिलें नामतः चांगदेव, बेलापुर जीजामाता तथा सिंधखेड़ा बन्द रही लेकिन इनमें से कोई भी इकाई बी०आई०एफ०आर० में बीमार इकाई के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(ख) से (घ) 1995-96 चीनी मौसम के दौरान मध्य प्रदेश ने 134 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना जलाए जाने की सूचना दी है लेकिन कहा है कि जलाए गए अधिकांश गन्ने एक बार काटने के बाद दूसरी फसल के थे तथा यह अलाभकारी थे। ये आने वाले खरीफ मौसम के लिए खेत तैयार करने के लिए जलाए गए थे। गन्ना जलाए जाने वाले क्षेत्रों में होशंगाबाद तथा नरसिंहपुर है जहां कोई भी चीनी फैक्ट्री नहीं है तथा गन्ने का इस्तेमाल गुड़ तथा खांडसारी इकाईयों के लिए होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में गन्ना जलाए जाने की घटना के कुछ मामले हैं। यह खबर है कि 1995-96 मौसम के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने जले हुए गन्ने/बिना पेराई के बचे गन्ने के लिए 5000 रु० प्रति हेक्टेयर अनुदान का भुगतान किया है।

[अनुवाद]

घटिया स्तर के घरेलू स्विच

***426. श्री उत्तम सिंह पवार :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 दिसंबर, 1996 के "डेक्कन हेराल्ड" में "आई एस आई ड्रा फ्लेक फार अनसेटिस्फाइड परफारमेंस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है,

(ग) उन उत्पादकों के क्या नाम है जिनके उत्पादों पर उपभोक्ता शिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र अहमदाबाद ने नमूना परीक्षण किया था, और

(घ) घटिया स्तर के घरेलू स्विचों के उत्पादको के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र (सी ई आर सी) अहमदाबाद द्वारा आठ विभिन्न ब्रांडों के 16 एम्पीयर 240 वोल्ट स्विचों के नमूनों की वर्ष 1994 में किए गए कुछ परीक्षणों के संदर्भ में था। समाचार में यह बताया गया था कि सभी नमूनों पर आई एस आई चिह्न अंकित था और वे अन्तर्राष्ट्रीय मानको के अनुरूप नहीं थे। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह पाया गया कि इन 8 ब्रांडों में से केवल दो ब्रांडों पर भारतीय मानक ब्यूरों का मानक चिह्न अंकित था। इन मामलों में भी इन दोनों ब्रांड नामों के 5 नमूनों में से प्रत्येक का केवल एक-एक पीस क्षमता परीक्षण (इन्ड्युरेन्स टेस्ट) में अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाया गया।

जिन विनिर्माताओं के नमूनों की जांच की गई, उनके नाम निम्नलिखित है :–

1. एन्कॅर इलेक्ट्रोनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स प्रा० लि०, बम्बई
2. शालीमार इलेक्ट्रॉनिक्स इन्डस्ट्रीज, थाणे
3. पावर कॉन एन्टरप्राइजेज, गांधीनगर
4. प्रेसिजन इन्डस्ट्रीज, बम्बई
5. प्रेम इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज, गुजरात
6. सोनिया इलेक्ट्रीकल्स, दिल्ली
7. प्वाइन्टर इन्डस्ट्रीज, बम्बई

8. "डायमंड" ब्रांड के विनिर्माता की पहचान नहीं की जा सकी

उपर्युक्त 1 और 2 पर उल्लिखित विनिर्माताओं के नमूनों पर भारतीय मानक ब्यूरों का मानक चिह्न अंकित था।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो उसकी परीक्षण और निरीक्षण की अपनी स्कीम के तहत नियमित निगरानी रखता है।

भारतीय मानक ब्यूरो के उपर्युक्त दोनों लाइसेंसधारकों के मामले में वर्ष 1994 से 1996 के दौरान गई बार निरीक्षण किए गए और नमूनों की जांच की गई। कुछ नमूनों को जांच में अनुरूप न पाए जाने पर कुछ अवधि के लिए बी आई एस चिह्नाकन को भी निलंबित किया गया। ब्यूरो ने सूचित किया है कि चिह्नांकन को दोबारा शुरू किए जाने के पश्चात उनका मौजूदा कार्य-निष्पादन संतोषजनक पाया गया है। तथापि, उन पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

जेलों में विदेशी नागरिक

*427. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेलों में कितने विदेशी नागरिक बन्द थे और उनमें से महिलाओं तथा बच्चों की संख्या कितनी है : और

(ख) कितने भाड़े के विदेशी सैनिको को उग्रवादी गतिविधियों अन्य अपराधों और गैर-कानूनी कार्य के लिए अलग-अलग बन्द किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाघों का अवैध शिकार

*428. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर मध्यप्रदेश में अवैध रूप से मारे गए बाघों का निर्यात करने वाले शिकारियों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध रूप से शिकार किया जाना रोकने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) भारत सरकार को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मध्य प्रदेश को "बाघ राज्य" घोषित कर दिया गया है। और आसूचना एकत्र करने वाले नेटवर्क को सुधारने और बाघ के चोरी-छिपे शिकार की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस और वन विभागों के अधिकारियों को शामिल करके एक राज्य स्तरीय "बाघ सैल" का गठन किया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित है :–

1. मंत्रालय में एक "बाघ संकट सैल' का गठन किया गया है।

2. राज्य सरकारों को निगरानी मजबूत करने और गश्त को तीव्र करने की सलाह दी गई है।

3. बाघ परियोजना क्षेत्रों में "विशेष प्रहार बल" के गठन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

4. मध्य प्रदेश, जहां पर भारत में बाघों की सबसे अधिक संख्या है, को बाघ के संरक्षण और इसके वास स्थल पर मुख्य ध्यान के लिए "बाघ राज्य" का दर्जा दिया गया है।

5. चीन गणराज्य की जन सरकार के साथ बाघों के शिकार की अवैध गतिविधियों को रोकने और तस्करी का विरोध करने तथा बाघ की हड्डियों तथा इसके शरीर के अन्य भागों के अवैध व्यापार की तस्करी के लिए संयुक्त प्रयत्न करने के लिए एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किया गया।

6. सरकार द्वारा बाघ के शिकार पर नियंत्रण रखने के लिए अन्तराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और बाघ के संरक्षण तथा सभी रेंज देशों में इसके वासस्थल के लिए समन्वित प्रयासों हेतु "विश्व बाघ मंच" की स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

शहरों के नामों में परिवर्तन

*429. **श्री पी० एस० गढ़वी :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जिन शहरों के नामों को बदल दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है :

(ख) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अहमदाबाद शहर का नाम बदलकर कर्णावती करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) मद्रास का नाम बदलकर चैन्नई करने की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित अवधि के दौरान दी गयी थी। इसके अतिरिक्त, मलयालम और अंग्रेजी में उच्चारण की भिन्नता को दूर करने के लिए केरल में 23 जिलों ताल्लुकों के नाम पुनः रखने की अनुमति वर्ष के दौरान पिछली तारीख से दी गयी थी। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) "अहमदाबाद" का नाम बदलकर "कर्णावती" रखने संबंधी एक प्रस्ताव मई, 1996 में, गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। यह मामला नई सरकार के विचार जानने के लिए उसे भेजा गया है।

विवरण

(क)	अंग्रेजी में वर्तमान नाम	बदल गया नाम (अंग्रेजी में)
	जिला	
1.	त्रिवेन्द्रम	थिरूवनथापुरम
2.	क्वीलोन	कोल्लम
3.	एल्लेपी	अलापूजा
4.	त्रिचूर	थ्रीसूर
5.	पालघाट	पालावक्कड़
6.	कनानोर	कन्नूर
	तालुक	
1.	तेलीचेरी	थालासरी
2.	बड़ागारा	वडाकारा
3.	पारूर	पारानूर
4.	अलके	अलुवा
5.	कोचीन	कोची
6.	देवीकोलम	देवीकुलम
7.	छंगन्नाचेरी	छनगासेरी
8.	सरटेली	चेरथाला
9.	चियराईनकिल	चेरियंकिझू
10.	चौघाट	चावाक्कड
11.	करनगन्नोर	कोंदुगालूर
12.	त्रिचूर	थ्रिसूर
13.	पालघाट	पालाक्कड़
14.	मन्नारघाट	मनारकाड़
15.	माननटोड़ी	माननथवेड़ी
16.	सुल्तान बेटरी	सुलतानवाथरी
17.	कन्नानोर	कन्नूर

[हिन्दी]

मात्स्यिकी और कृषक विकास योजना

*430. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश में शुरू की गई केन्द्र प्रायोजित मात्स्यिकी और कृषक विकास योजना की सभी मदों पर खर्च किए गए कुल व्यय का पच्चास प्रतिशत व्यय वहन नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से ताजे पानी में मत्स्य विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत सभी विकासात्मक कार्यकलापों जैसे नए तालाबों का निर्माण, तालाबों तथा टैंकों का पुनर्निमाण प्रथम वर्ष के आदान (मत्स्य बीच, आहार, उर्वरक, खाद आदि), बहते पानी में मत्स्य-पालन, एयरेटर, समेकित मत्स्य-पालन, मत्स्य बीच हैचरियों, मत्स्य आहार मिलें, बढ़ते स्टॉफ का वेतन, वाहनों की लागत, मत्स्यपालकों के प्रशिक्षण आदि से संबंधित व्यय भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है। भारत सरकार का यह निर्णय है कि वह केवल विकासात्मक लागत ही वहन करेगी। अतऐव, निचले स्टॉफ के वेतन, वाहन के रख-रखाव तथा कार्यालय संबंधी 50 प्रतिशत व्यय वहन नहीं किया जाता।

नृशंस हत्या कांड

*431. **श्री मुनव्वर हसन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट भिकुंड में हुई छह व्यक्तियों की नृशंस हत्या की जानकारी है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) सरकार द्वारा अपराधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह घटना दो स्थानीय अपराधी गिरोहों के बीच चल रही आपसी शत्रुता के कारण हुई। घटना घटित होने के तुरंत बाद वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर गए। अतिरिक्त पी०ए०सी० की टुकड़ियां तैनात की गयी और शांति समितियां बनायी गयी। इस हत्याकांड के लिए जिम्मेवार गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया सं० की धारा 82/93 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में 146 गांवों को संवेदनशील पाया गया, जहां पर पुलिस की मौजूदगी और मूलभूत संरचना को सुदृढ़ किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न समुदायों के साथ अनेक बैठकें की गयी हैं। राज्य सरकार स्थिति का गहन प्रबोधन कर रही है।

हरित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा

*432. **श्री छत्रपाल सिंह :**
श्री सोहनवीर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के अंतर्गत लोनी क्षेत्र में सड़क से लगती हरित भूमि पर भूमि माफिया द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें कब्जे वाली भूमि को खाली करा लिया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में भूमि माफिया द्वारा हरित भूमि के ऐसे अवैध कब्जे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

*433. **श्री राधा मोहन सिंह :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सरकार द्वारा उन्हें कोई विशेष छूट प्रदान की गई है,

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है,

(घ) सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के और अवसर प्रदान करने हेतु क्या योजना तैयार की गई है, और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार/स्वरोजगार प्रदान किये गए विकलांग युवाओं का प्रतिशत क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) तथा (घ) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 की धारा 33 के अनुसार, प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक प्रतिष्ठान में विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों के लिए रिक्त पदों का उतना आरक्षण करेगी जो प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों में निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए तीन प्रतिशत से कम न हो :– (1) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि, (2) श्रवण विकलांगता, (3) गति विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अगघात। इस अधिनियम के प्रभाव होने से पहले भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते रहे हैं जिनमें से शारीरिक, श्रवण तथा अस्थि विकलांगता प्रत्येक के लिए केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" के पदों में एक प्रतिशत आरक्षण किया जाता रहा है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी इसी प्रकार के आरक्षण किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों की आयु में छूट तथा चिकित्सा मानदंडों में रियायत भी प्राप्त है।

2. विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के लिए अनन्य रूप से 41 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 47 विशेष प्रकोष्ठो की स्थापना की गई है।

3. विकलांगों की शेष क्षमता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण का प्रबंध करने तथा रोजगार में लगाने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

4. निम्नलिखित के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाता है :–

(क) बैन्डिंग स्टॉलों, क्योस्कों एवं छोटे दुकानों का आबंटन;

(ख) भिन्नात्मक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से नाम मात्र के ब्याज दरों पर ऋण;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन;

(घ) पेट्रोल पम्पों, मिट्टी तेल के डिपोओं इत्यादि के वितरण में आरक्षण।

(ग) और (ङ) कोई आकड़ें उपलब्ध नहीं है। श्रम मंत्रालय (डी०जी० ई० एण्ड डी०) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी रोजगार कार्यालयों के रोजगार रजिस्टर्ड में दर्ज विकलांग व्यक्ति तथा उनका स्थापन इस प्रकार है :–

वर्ष	रोजगार रजिस्टार में दर्ज विकलांग व्यक्तियों की संख्या	स्थापन
1993	337602	4451
1994	340304	4485
1995	352743	5706

[अनुवाद]

खाद्य तेल

434. श्री नन्द कुमार साय :
श्री प्रमोद महाजन :
डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपेक्षित मात्रा में खाद्य तेलों का उत्पाद हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आज तक खाद्य तेलों का उत्पादन और खपत कितनी थी;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया; और

(घ) राज्य-वार देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या देश के उत्पादित खाद्य तेल का उपयोग करती है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) खाद्य तेलों की राज्यवार आवश्यकता, उत्पादन तथा खपत के बारे में कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अखिल भारत आधार पर आकलित खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति इस प्रकार है :–

वर्ष	मांग*	(लाख मी०टन में) (देशीय स्रोतों से आपूर्ति)
1994-95	68.89	62.54
1995-96	72.54	65.50
1996-97	75.32	67.00**

* योजना आयोग के आर्थिक पैरामीटरों के आधार पर परिकलित

** कृषि मंत्रालय के तिलहन उत्पादन के 2.30 लाख मी० टन के लक्षित आंकड़े के आधार पर परिकलित

(ग) उक्त अवधि के दौरान आयात की गई खाद्य तेलों की मात्रा इस प्रकार है :–

वर्ष	मात्रा मी० टन में
1994-95	3,16,772
1995-96	10,92,934
1996-97	3,47,269 (अप्रैल–अक्तूबर, 96)

स्रोत : वाणिज्य मंत्रालय

(घ) देश में केवल देशीय खाद्य तेलों का उपयोग करने वाली आबादी की स्पष्ट पहचान नहीं है।

किसानों का विकास

435. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरित क्रान्ति और आठ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के बावजूद भारतीय किसानों में अभी भी अस्सी प्रतिशत छोटे अथवा सीमांत किसान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनुपात को बदलने के लिए कोई नीति/कार्ययोजना और योजनाएं तैयार की गई हैं अथवा की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(घ) किन-किन राज्यों में ऐसी योजनाओं को लागू किया जा रहा है अथवा लागू करने का विचार है; और

(ङ) इन योजानाओं के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान वर्षवार और राज्यवार किसानों को क्या-क्या लाभ पहुंचाये गये हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चुतरानन मिश्र): (क) से (घ) कृषि संगणना 1990-91 के अनुसार, छोटे तथा सीमान्त किसानों का हिस्सा प्रचालनात्मक जोतों का 78 प्रतिसत तथा प्रचालित क्षेत्र का 32 प्रतिशत बैठता है। कृषि के विकास के लिये आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें क्रियान्वित की गई है जिससे छोटे तथा सीमान्त किसानों सहित किसानों के सभी वर्ग को लाभ मिलता है। लाभानभोगी कृषकों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। उनको पत्र व्यवहार/बैठकों/विचार-विमर्श के माध्यम से सलाह दी जाती है कि लाभानभोगियो का चयन करते समय छोटे तथा सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाये।

(ङ) उन केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, जिनके तहत किसानों के लाभ के लिये राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है, का विवरण संलग्न है। इन योजनाओं से किसानों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप में लाभ मिला। अतएव, आठवीं योजना के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को कितना लाभ मिला, यह बताना कठिन है।

विवरण

उन महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची जिनके तहत राज्यों को सहायता दी जाती है

क्रम सं०	योजनाओं का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम– चावल
2.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम– गेहूं
3.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम– मोटे अनाज
4.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास।
5.	गहन कपास विकास कार्यक्रम।

1	2
6.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम।
7.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।
8.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।
9.	आयल पाम विकास कार्यक्रम।
10.	त्वरित मक्का कार्यक्रम।
11.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना।
12.	उर्वरकों का संतुलित तथा समेकित उपयोग।
13.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग का विकास।
14.	जैव-उर्वरकों के विकास तथा उपभोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना।
15.	समेकित बीज विकास योजना
16.	राष्ट्रीय किस्म विकास कार्यक्रम
17.	महत्वपूर्ण अभिनात की गई सब्जी फसलों में प्रमाणित बीज उत्पादन को सरल व कारगर बनाना।
18.	समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान।
19.	कीटनाशक दवा अधिनियम के कार्यान्वयन के अधीन राज्य जैव-नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान।
20.	कृषि यन्त्रीकरण को प्रोत्साहन।
21.	कृषि विस्तार का सुदृढ़ीकरण।
22.	देश में किसानों का आदान प्रदान।
23.	कृषक-वैज्ञानिक सहकार्रवाई।
24.	कृषि में महिलायें।
25.	राज्य भू-उपयोग बोर्ड
26.	राज्य भू-सर्वेक्षण संगठन को मजबूत बनाना।
27.	नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
28.	बाढ़ प्रवण नदियों के ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।
29.	क्षारीय मृदा का सुधार।
30.	झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
31.	मधुमक्खी पालन का विकास
32.	औषधीय तथा सुगान्धित पौधों का विकास।
33.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग।

1	2
34.	वापिज्यिक पुष्पकृषि का विकास।
35.	खुम्भी का विकास।
36.	उष्ण कटिबंधीय, शुष्क तथा शीतोष्ण अंचलीय फलों का समेकित विकास
37.	समेकित काजू विकास कार्यक्रम
38.	मूल तथा कन्द फसलों का विकास
39.	पान की बेल का विकास
40.	सुपाडी का विकास
41.	सब्जियों का विकास
42.	समेकित कोको विकास
43.	समेकित मसाला विकास
44.	छोटे पत्तनों पर "मत्स्यन बन्दरगाहों" की सुविधाएं
45.	प्रशिक्षण तथा विस्तार
46.	अन्तर्देशीय मात्सिकी सांख्यिकी
47.	झींगा तथा मदली पालन के लिये केन्द्रीय परियोजना इकाई।
48.	खारा जल मत्स्य पालन विकास एजेंसियां।
49.	तटवर्ती समुद्री मात्स्यिकी का विकास।
50.	समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम का कार्यान्वयन।
51.	मत्स्य पालन विकास एजेंसियां।
52.	अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन।
53.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण।
54.	भूमि विकास बैंकों के ऋपा-पत्रों पर निवेश।
55.	गैर-अतिदेय कवर योजना।
56.	कृषि ऋणस्थिरीकरण कोर्ष।
57.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष योजना।
58.	महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता।
59.	कमजोर तबके की सहकारी समितियों को सहायता।
60.	समय पर रिपोर्ट करने संबंधी योजना।
61.	फसल सांख्यिकी में सुधार।
62.	कृषि आंकड़ों का रिर्पोटिंग के लिये एजेंसी की स्थापना
63.	फलों, सब्जियों तथा छोटी फसलों के संबंध में फसल अनुमान सर्वेक्षण/नैदानिक अध्ययन।
64.	पशुधन संगणना।
65.	कृषि संगणना।

यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन

436. श्री संतोष मोहन देव :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया संयंत्रों के लिए पूंजीगत लागत संबंधी ईंधन प्रतिपूर्ति के लिए क्षमता उपयोग की अधिकतम सीमा को 90 प्रतिशत को बढ़ाकर 120 प्रतिशत करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का विचार है कि फील्ड कर्मचारियों को छोड़कर 120 प्रतिशत तक क्षमता उपयोग करने वाले सभी यूरिया निर्माताओं को पूंजीगत संबंधी सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाए;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त को स्वीकार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक लागू हो जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या मंत्रालय के प्रस्ताव सचिवों की समिति तथा उर्वरक मूल्य संबंधी संयुक्त समिति के प्रस्ताव से एकदम विपरीत है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) क्षमता उपयोगिता का उच्च स्तर प्राप्त करने वाले यूरिया संयंत्रों के संबंध में पूंजी सम्बद्ध प्रभारों के भुगतान की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

वानिकी संबंधी मंजूरी

437. श्री ललित उरांव : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार की वनभूमि से संबंधित और सिंचाई, सड़क निर्माण, ग्रामीण अभियांत्रिकी, बिहार के पठार का विकास, जवाहर रोजगार योजना, विद्युतीकरण और अन्य अनेक विकास कार्यों से संबंधित अनेक परियोजनाएं वन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु वन संरक्षण अधिनियम में कुछ ढील देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) 31.1.1997 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दक्षिण बिहार से संबंधित राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) परियोजनाओं को मंजूर करने में विलम्ब सामान्यता राज्य सरकार के स्तर पर तथा राज्य सरकारों द्वारा अधूरे प्रस्ताव करने के कारण होता है। इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है।

[अनुवाद]

जांच अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करना

438. श्री बृजभूषण तिवारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न घोटालों की जांच करने वाले प्राधिकारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) संबंधित अधिकारियों से जब कभी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो संबंधित कार्मिकों की सुरक्षा की आशंका के बारे में, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित किया जाता है और उनसे, उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है।

गेहूं के परिवहन में विलम्ब

439. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उत्तर राज्यों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के उनके कोटे को कम करने के लिए कहने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर राज्यों से कमी वाले राज्यों में गेहूं का परिवहन करने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस प्रकार का विलम्ब और लापरवाही करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) उत्तर भारत से खाद्यान्नों का संचलन काफी बढ़ा है। 1996 के दौरान उत्तर भारत से 97.72 लाख टन गेहूं का संचलन किया गया था जबकि 1995 में 74.86 लाख टन का संचलन किया गया था जो 30.5 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। उत्तर भारत के किसी भी राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अपने मासिक कोटे में कमी करने का अनुरोध नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए रेलवे प्रमुख माध्यम है इसलिए कमी वाले क्षेत्रों को अधिक मात्रा में गेहूं भेजने के लिए खाद्य मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के बीच निरन्तर सम्पर्क बनाया रखा गया है जिससे रैकों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

महिलाओं पर अत्याचार

440. श्री वी०एम० सुधीरन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के साथ-साथ ऐसे अधिकतम/न्यूनतम आपराधिक मामलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) इन मामलों में अपराधियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस बुराई को समाप्त करने/अपराधों की शिकार हुई महिलाओं के बच्चों के पुनर्वास हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) गत दो वर्षों–1995 और 1996 के दौरान महिलाओं पर किए गए अत्याचार की घटनाओं पर उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ङ) अपराध का पंजीकरण, जांच-पड़ताल, पता लगाना तथा निवारण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम करना भी मुख्यतः, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापित, भारत सरकार, महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामले में उठाये जाने वाले निवारक, दंडात्मक तथा पुनर्वास संबंधी उपायों के बारे में समय-समय पर, संबंधित राज्य सरकारों को लिखती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम तथा महिला सरक्षरता कार्यक्रम जैसे अनेक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के अलावा, भारत सरकार ऐसे कानूनों के स्वरूप को और अधिक कठोर तथा दंडात्मक बनाने के उद्देश्य से संगत कानूनों में समय-समय पर आशोधन एवं संशोधन करतीं रही है।

विवरण

महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामलों की संख्या

क्र० सं०	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	दौरान		टिप्पणी आंकड़े इस महीने तक हैं
		1995	1996	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	9818	8227	नवम्बर x
2.	अरुणाचल प्रदेश	81	55	सितम्बर
3.	असम	1786	823	जून
4.	बिहार	3111	उ०न०	
5.	गोवा	147	71	
6.	गुजरात	4226	3998	नवम्बर
7.	हरियाणा	1993	1851	सितम्बर
8.	हिमालच प्रदेश	758	816	
9.	जम्मू और कश्मीर	812	642	अगस्त
10.	कर्नाटक	5761	4922	दिसम्बर xx
11.	केरल	2831	2493	नवम्बर
12.	मध्य प्रदेश	14883	14740	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	15378	15815	
14.	मणिपुर	97	92	
15.	मेघालय	44	2	फरवरी
16.	मिजोरम	188	68	
17.	नागालैण्ड	14	5	
18.	उड़ीसा	2722	1768	जुलाई
19.	पंजाब	593	465	जुलाई
20.	राजस्थान	9882	9169	अक्तूबर
21.	सिक्किम	49	61	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	7818	7980	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	255	315	
24.	उत्तर प्रदेश	15411	14699	
25.	पश्चिम बंगाल	6384	4988	सितम्बर
	कुल (राज्य)	182966	93585	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	23	
27.	चंडीगढ़	78	91	
28.	दादरा और नागर हवेली	15	17	
29.	दमन और दीव	1	उ०न०	
30.	दिल्ली	2288	2719	
31.	लक्षद्वीप	0	0	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	52	45	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	2458	2895	
	कुल (अखिल भारतीय)	185416	96480	

स्त्रोत : मासिक अपराध आंकड़ें

नोट : 1. ऑकड़े अनंतिम हैं।

2. उ० न० का अर्थ है उपलब्ध नहीं।

3. x अक्तूबर के ऑकड़ों को छोड़कर

xx नवम्बर के ऑकड़ों को छोड़कर

[हिन्दी]

कपास की खेती के लिए इस्राइल के साथ समझौता

441. श्री राजकेशर सिंह :
श्री पंकज चौधरी

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपास की खेती को बढ़ाने हेतु इस्राइल के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) इस समझौते को कब तक प्रभावी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) (क) से (ग) सरकार ने देश में कपास की खेती के विस्तार हेतु इस्राइल के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

"धुम्रपान पर प्रतिबन्ध"

442. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में हाल ही में कोई अधिसूचना जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रतिबन्ध पर कारगर रूप से अमल करने के लिए चलते-फिरते न्यायालय स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ख) जी हां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा ने दिल्ली धूम्रपान निषेध और धूम्रपान न करने वालों के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी अधिनियम, 1996 पारित किया है जो कि 1 जनवरी, 1997 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक कार्य अथवा प्रयोग के स्थलों पर तथा लोक सेवा वाहनों में किसी भी रूप में तम्बाकू के सेवन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) दिल्ली धूम्रपान निषेध और धूम्रपान न करने वालों के स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी अधिनियम 1996 के अंतर्गत चलते-फिरते न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, अवर सचिव और उससे ऊपर दर्जे के अधिकारियों को किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लघंन करता है, सार्वजनिक कार्य अथवा प्रयोग के स्थान से निष्कासित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

ताजमहल को क्षति

443. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कई वर्षों से मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकल रहे बहिस्त्राव से ताज को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ख) ताज संरक्षण के लिए ताज समलम्ब (ट्रेपी नियम) के आस-पास के उद्योगों के दूसरी जगह ले जाने संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) अभी तक किए गए अध्ययनों से ऐसा कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि ताजमहल को मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकल रहे उत्सर्जन से क्षति पहुँच रही है।

(ख) ताज ट्रैपेज़ियम के आस-पास के उद्योगों को दूसरी जगह ले जाने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 30 दिसम्बर 1996 को फैसला दिया है जिसमें उन उद्योगों को जो गैस कनैक्शन लेने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें जो गैस कनैक्शन लेना नहीं चाहते, निर्देश दिया गया है कि वे आगरा-मथुरा ट्रैपेज़ियम के बाहर औद्योगिक क्षेत्रों में से वैकल्पिक भूखण्ड के आवंटन के लिए फरवरी 28, 1997 से पहले उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)/सरकार से सम्पर्क/आवेदन करें। जो उद्योग न तो गैस कनैक्शन के लिए और न ही वैकल्पिक औद्योगिक भूखण्ड के लिए आवेदन करते हैं वे 30 अप्रैल, 1997 से आगरा-मथुरा ट्रैपेज़ियम में कोक/कोयले के इस्तेमाल को बन्द कर देंगे। इसके साथ ही इन उद्योगों को कोक/कोयले की आपूर्ति भी तत्काल रोक दी जाएगी। स्थानांतरित किए जाने वाले उद्योग ताज ट्रैपज़ियम से बाहर नए औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी-अपनी इकाइयां स्थापित करेंगे। स्थानांतरित किए जाने वाले उद्योग 31 दिसम्बर, 1997 के बाद ताज ट्रैपेज़ियम में अपना कार्य/संचालन बन्द कर देंगे।

औषधि मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधि

444. श्री संदीपान थोरात : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 द्वारा औषधियों की सूची में सम्मिलित औषधियों की संख्या में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो वे औषधियां कौन-कौन सी हैं जिन्हें हटाया गया है;

(ग) क्या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश सूची से और औषधियों को हटाने पर विचार किया जा रहा है और इस सूची से हटाई जाने वाली औषधियों सहित की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या हे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) औषधों पर मूल्य नियंत्रण "औषध नीति, 1986 में संशोधनों" में निर्धारित नीति के अनुसार है और वर्तमान में उक्त नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

गुजरात के लिए रियायती उर्वरक

445. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :
श्री भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा चालू वर्ष के विगत छः माह के दौरान गुजरात से कितनी मात्रा में रियायती उर्वरकों की मांग की गयी तथा कितनी मात्रा में इसकी आपूर्ति की गयी;

(ख) कम मात्रा में आपूर्ति, यदि कोई हो, किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरनन मिश्र): (क) और (ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है गो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के तहत है तथा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को आबंटन किया जाता है। केन्द्रीय सरकार किसानों को, डाई-आमोनियम फास्फेट (डी०ए०पी०), म्यूरिएट आफ पोटाश (एम०ओ०पी०), सिंगल सुपर फास्फेट (एस०एस०पी०) तथा यौगिक श्रेणी के उर्वरकों की बिक्री पर रियायत भी प्रदान कर रही है। 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान गुजरात में यूरिया की मूल्यांकित आवश्यकता, सप्लाई तथा खपत निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं :–

(000 मी० टन)

	मूल्यांकित मांग	सप्लाई	खपत
1994-95	840.00	984.11	958.47
1995-96	1020.00	1103.00	970.73
1996-97			
खरीफ 96	628.00	565.12	546.70
रबी 96-97	500.00	398.26	358.97
		(31.1.97 तक)	(31.1.97 तक बिक्री)

जैसा कि उपर्युक्त विवरण में देखा जा सकता है, आवश्यकता पूरी करने के लिए यूरिया की सप्लाई पर्याप्त थी।

वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान में गुजरात में डी०ए०पी०, एम०ओ०पी० एस०एस०पी० तथा योगों की खपत निम्नलिखित सारणी में दी गई है :–

(000 मीटर टन)

	1994-95	1995-96	1996-97 (संभावित)
डी०ए०पी०	311.88	259.91	357.39
एम०ओ०पी०	67.52	53.43	36.81
एस०एस०पी०	87.00	59.46	57.54
मिश्रित	159.12	132.56	164.00

रुग्ण उर्वरक एकक

446. डा० असीम बाला : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के रुग्ण उर्वरक एककों का अधिग्रहण करने के लिए "इफकों" से बातचीत की है जिससे कि देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इफको द्वारा अन्य देशों में यूरिया के उत्पादन के लिए भारी राशि का निवेश किए जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) सरकार ने इफको सहित किसी भी लाभ कमाने वाले उर्वरक उपक्रम द्वारा रुग्ण उर्वरक एककों का अधिग्रहण किए जाने के विकल्प का पता लगाया था। उर्वरक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु इफको की अपनी चल रही विस्तार परियोजनाओं और संयुक्त उद्यम के प्रति पूर्व वचनबद्धता के कारण ऐसे प्रस्ताव को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका।

(ग) इफको ने यूरिया का उत्पादन करने के लिए विदेश में कोई निवेश नहीं किया है।

दिल्ली में अपराध

447. श्री प्रमोद महाजन :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में दिल्ली और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अपहरण, पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996 के दौरान तथा अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अपहृत व्यक्तियों को किस प्रकार रिहा कराया गया तथा अपहरण-कर्ताओं को फिरौती के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(घ) इस संबंध में अब तक की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों में, अन्य के साथ-साथ, बीट गश्त को बढ़ाना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र पिकेट तैनात करना, आसूचना-तंत्र को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी नजर रखना, तथा वहां पर बार-बार छापे मारना, हिस्ट्री-शीट्र्स पर अधिक नजर रखना, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, तथा प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद-विरोधी प्रकोष्ठ बनाना, शामिल हैं।

विवरण

ऐसे व्यक्तियों के सूचित ब्यौरे जिनकी संबंधित अवधि के दौरान अपहरण/हत्या की गई तथा इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे, इत्यादि नीचे दिए गए हैं

वर्ष	अपहरण		हत्या		
	अपहृत हुए व्यक्तियों संख्या	बरामद किए गए व्यक्तियों की संख्या[xx]	गिरफ्तार किए व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी हत्या हुई	गिरफ्तार हुए व्यक्तिया की संख्या
1996	954	650	497	565	935
1.1.97 से 15.2.97	126	53	1	64	82
1.1.96 से 15.2.96	142	100	75	74	99

[xx] (ये व्यक्ति या तो स्वयं वापस आ गए अथवा पुलिस द्वारा बरामद किया गया)

जिन मामलों में फिरौती की मांग की गई थी उसकी संख्या 1996 में 26 थी तथा 1997 में एक थी (15 फरवरी, 1997 तक) । दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केवल दो मामलों में फिरौती का भुगतान किया गया था तथा कुल मिला कर यह राशि 55,800/-रु० थी।

[हिन्दी]

राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोटा

448. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राजस्थान के लिए गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल तथा चीनी का कोटा बढ़ाने हेतु राजस्थान से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने जनवरी, 97, फरवरी, 97 और मार्च, 97 के लिए आवंटित गेहूं के मासिक कोटे जो क्रमशः 1,22,000 टन, 1,27,000 टन और 1,30,000 टन है, के प्रति सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के मासिक कोटे को 1,85,000 टन निर्धारित करने की मांग की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल के कोटे में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यों की संगत मांग, उठान की प्रवृति, केन्द्रीय पूल में स्टाक स्थिति और मौसमी उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आवंटन माह-दर-माह आधार पर किया जाता है।

राजस्थान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेल (आयातित पामोलिन) और लेवी चीनी के कोटे में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। राजस्थान राज्य से मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन करने के भी अनुरोध प्राप्त हुए थे। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता के दबाव, इसमें विदेशी मुद्रा और भारी सब्सिडि अतर्ग्रस्त होने के कारण राज्यों की पूरी मांग को पूर करना संभव नहीं है। फिर भी वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में समग्र रूप से देश के लिए मिट्टी के तेल के आवंटन में 3 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की गयी थी। वर्ष 1997-98 के लिए राजस्थान राज्य के आवंटन को पिछले वर्ष की तुलना में 15984 टन बढ़ा दिया गया है जो वर्ष 1996-97 के आवंटन की तुलना में 4.46 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है।

खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण

449. श्री राम टहल चौधरी :
श्री काशीराम राणा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किस दर पर, कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की खरीद की गई है, चालू वर्ष के दौरान खरीद पर कितनी धनराशि व्यय की गई तथा वर्तमान सीजन में सरकार के पास खाद्यान्नों का खाद्यान्न-वार कितना भंडार उपलब्ध है;

(ख) खाद्यान्न के वर्तमान भंडार में से खाद्यान्न-वार कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से तथा कितनी खुले बाजार में की गई है;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर उपलब्ध खाद्यान्न भण्डार तथा भंडारण सुविधाओं के अभाव को देखते हुए सरकार का विचार उचित दर दुकानों के माध्यम से जनता को सस्ती दर पर गेहूं और चावल की आपूर्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सरकार द्वारा रबी/खरीफ विपणन मौसम 1996-97 के दौरान गेहूं और धान की वसूली करने के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे दिए गए हैं :–

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूं	380
धान	
साधारण	380
बढ़िया	395
उत्तम	415

खरीफ विपणन मौसम 1996-97 के दौरान लेवी चावल की वसूली हेतु निर्धारित किए गए मूल्य की जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

चालू रबी/खरीफ विपणन मौसम 1996-97 के दौरान गेहूं और चावल की वसूल की गई मात्रा (चावल के संबंध में धान सहित) और इस संबंध में खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :–

जिन्स	वसूल की गई मात्रा (लाख टन में)	खर्च की गई राशि (अनाज की लागत + आगे लाए गए प्रभार सहित सूली प्रासंगिक खर्चे)
	(18.2.97 की स्थिति के अनुसार)	(रुपये/करोड़)
गेहूं	81.82	4242
चावल	89.41	6589
जोड़	171.23	10831

1.1.97 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय मूल में 69.00 लाख टन गेहूं और 129.40 लाख टन चावल उपलब्ध था।

(ख) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न माह-दर-माह के आधार पर आवंटित किए जाने हैं और ये आवंटन विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग, उनकी संगत आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में स्टाक, मौसमी उपलब्धता आदि पर आधारित होते हैं। वर्ष 1996-97 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल का कुल आवंटन और वास्तविक उठान (दिसम्बर, 1996 तक) नीचे दिया गया है :–

(लाख टन में)

जिन्स	आवंटन	उठान
गेहूं	107.09	60.21
चावल	150.94	82.50

चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान सरकार ने घरेलू खुली बिक्री योजना के अधीन खुले बाजार में 45 लाख टन गेहूं (गेहूं की कम वसूली को ध्यान में रखते हुए 55 लाख टन से कम की गई) और 5 लाख टन चावल बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्राधिकृत किया है। इस प्राधिकारों के प्रति जनवरी, 1997 तक भारतीय खाद्य निगम ने 34.94 लाख अन गेहूं और 2.35 लाख टन चावल की बिक्री की थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए लेवी चावल (कच्चा और सैला) का वसूली मूल्य

राज्य	साधारण 1996-97		बढ़िया 1996-97		उत्तम 1996-97	
	कच्चा	सैला	कच्चा	सैला	कच्चा	सैला
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	676.90	680.60	701.50	704.80	734.40	737.20
2. असम	637.30	641.50	660.30	644.20	691.00	694.50
3. हरियाणा/दिल्ली	671.70	675.50	696.10	699.50	728.70	731.60
4. कर्नाटक	625.90	630.30	648.50	652.60	678.60	682.30
5. मध्य प्रदेश	625.90	630.30	648.50	652.60	678.60	682.30
6. महाराष्ट्र	627.10	631.50	649.70	653.80	679.80	683.40
7. उड़ीसा	654.20	658.30	677.90	681.60	709.60	712.80
8. पंजाब	678.30	681.90	702.90	706.30	735.90	738.70
9. राजस्थान	663.30	677.20	687.40	690.90	719.50	722.80
10. संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़	659.30	663.80	683.80	687.40	715.80	719.00

1	2	3	4	5	6	7
11. *उत्तर प्रदेश	651.40	655.50	675.00	678.70	706.50	709.80
12. पश्चिम बंगाल	623.00	627.50	645.65	649.70	675.50	679.20

*यदि धान 4% की दर पर बाजार शुल्क की शर्त के अधीन है तो उत्तर प्रदेश में लेवी मूल्य निम्नानुसार होंगे :

	1996-97	
	कच्चा	सेला
साधारण	622.70	566.60
बढ़िया	686.80	690.30
उत्तम	718.90	722.00

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा चीनी संबंधी क्रयादेश रद्द करना

450. श्री मोहन रावले : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने राज्य व्यापार निगम को दिया कई टन चीनी का क्रयादेश रद्द किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान द्वारा चीनी का क्रयादेश रद्द करने का क्या कारण है;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम ने पाकिस्तान के सौदे में शामिल होने के कारण हुई क्षतिपूर्ति हेतु पाकिस्तान के व्यापार निगम पर मुकदमा चलाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खराब गेहूं

451. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की लापरवाही के कारण लाखों टन गेहूं खराब हो गया है और मानवोपयोगी नहीं रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस लापरवाही के लिए कौन-कौन कर्मचारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास किसी प्रकार का खराब गेहूं नहीं है। तथापि, स्थान की कमी के कारण खुले स्थान में किए गए भंडारण के दौरान खाद्यान्नों के स्टाक, जो चक्रवात, बाढ़, अभूतपूर्व वर्षा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो जाता है, कि छंटाई की जाती है और ठोस अनाज न समझे जाने वाले प्रभावित स्टाक को क्षतिग्रस्त अनाज, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रक्रिया के अनुसार अन्य माध्यम से इसका निपटान किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों के स्टाक का भंडारण वैज्ञानिक रीति से किया जाता है और पाक्षिक आधार पर नियमित रूप से प्रशिक्षित गुण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इसकी गहन जांच की जाती है। भंडारण के दौरान भंडारित अनाज को आद्रता, कीटों, कृतंकों, सूक्ष्मजीवों आदि जैसे विभिन्न कारकों से खराब होने से रोकने के लिए आवधि जन्तुबाधा रोधक उपचार किया जाता है।

[अनुवाद]

स्थानिक प्रजातियां

452. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थानिक प्रजातियों की क्षेत्रवार संख्या का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिमालय तथा पश्चिमी घाट में रहने वाली ऐसी प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दशक में उनकी संख्या में कोई परिवर्तन आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) भारतीय वनस्पति एवं प्राणि सर्वेक्षण द्वारा भारत के वनस्पति एवं प्राणि जाति का सर्वेक्षण किया जा रहा है अभी तक देश के कुल क्षेत्र के 65% अंश का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 1990 के भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के एक प्रकाशन के अनुसार हिमालय और पश्चिमी घाटी में देशी पौधे और प्रजातियां क्रमशः 3003 और 1500 है। 1994 के भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के प्रकाशन के अनुसार हिमाल एवं पश्चिमी घाटों में पक्षियों एवं स्तनपायी जन्तुओं की क्षेत्रीय प्रजातियों के आंकड़े क्रमशः 46 और 26 है।

लाटरी पर प्रतिबंध

453. **श्री वी०एल० शर्मा प्रेम :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पूरे देश में लाटरी पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन राज्यों में लाटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ग) शेष राज्यों में ऐसा प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

इस्राइल सरकार को भूमि का आवंटन

454. **श्री वी०वी० राघवन :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदर्शन इकाई स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई०ए०आर०आई०) परिवार के अन्दर की 25 एकड़ भूमि को इस्रायल सरकार को आवंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान के वैज्ञानिकों ने सरकार की इच्छा के विरुद्ध भूमि आवंटित करने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशु पालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इस्राइल सरकार को कोई भूमि आवंटित नहीं की है। फिर भी, भारत-इस्राइल संयुक्त टेक्नोलॉजी मूल्यांकन प्रायोजना और इस्राइल सरकार से तकनीकी और उपकरण सहायता प्राप्त करने के लिए 17 एकड़ भूमि का एक स्थान तीन वर्षों के लिए नियत किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

455. **श्री मंगत राम शर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए परिवारों के स्थायी पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रत्येक विस्थापित परिवार के पुनर्वास हेतु 25000/-रुपये के मुआवजे की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने परिवारों की पहचान की गई है और कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित परिवारों को स्थायी रूप से बसाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, इन परिवारों को उस सम्पत्ति जो वे पाक अधिकृत कश्मीर में पीछे छोड़ जाए हैं, के बदले मुआवजा नहीं दिया गया है लेकिन 31732 परिवारों, जिन्होंने सहायता के लिए आवेदन किया था, को निम्नलिखित दरों पर अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गयी है।

(I) शहरी परिवार	35,000 रु० प्रति परिवार
(II) कृषक परिवार	1,000 रु० (2-3 एकड़ सिंचित या 4-6 एकड़ असिंचित भूमि) जो प्रत्येक परिवार के आकार पर निर्भर करती है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने, राज्य सरकार की इस सिफारिश को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं समझा, क्योंकि इससे, इसी प्रकार के लोगों के अन्य वर्गों से आगे और मांगे उठती हैं।

फसल उत्पादन में कमी

456. **श्री आर० साम्बासिवा राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में 3 मिलियन टन की कमी आई है तथा दालों का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों से स्थित रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश को इसके कारण प्रतिवर्ष 9,400 करोड़ रुपये की हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या 5.76 मिलियन हेक्टर भूमि पानी के जमाव से या लवणता/क्षारीयता से प्रभावित है;

(घ) यदि हां, तो क्या वार्षिक फसल उत्पादन में 10,000 रुपये प्रति हेक्टयर की अनुमानित दर से हानि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो भूमि को पुनः खेती योग्य बनाने हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (चतुरानन मिश्र): (क) 1995-96 के दौरान गेहूं का उत्पादन 62.62 मिलियन मी० टन अर्थात 1994-95 के 66.77 मिलियन मी० टन उत्पादन की तुलना में लगभग 3.15 मिलियन मी० टन कम था। दूसरी तरफ, दालों का उत्पादन 1990-91 से लगभग 12-14 मि० टन की परिधि में रहा है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों के लिए दालों के उत्पादन में ठहराव तथा 1995-96 के एक ही वर्ष में गेहूं उत्पादन में कमी के कारण ऐसा कोई आकलन कर पाना संभव नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1976 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 3.58 मिलियन हैक्टे० अम्लीय मृदा तथा तटवर्ती क्षारीय तथा बलुई मृदा सहित 5.5 मिलियन हैक्टे० क्षारीय मृदा है।

(घ) जब जमाव तथा क्षारीयता/अम्लीयता की समस्या के कारण फसल उत्पादन में वार्षिक हानि का आकलन नहीं किया जाता है।

(ङ) क्षारीय मृदा के सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना से चलाई जा रही है। अब तक, 59.67 करोड़ रुपये की लागत से 4.32 लाख हैक्टे० क्षेत्र का सुधार किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तथा बिहार में क्षारीय मृदा के सुधार के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त परियोजना के तहत 58.94 करोड़ रु० की लागत से 28,000 हैक्टे० क्षेत्र का सुधार किया गया है।

नौवीं योजना के दौरान यह योजना जारी रहेगी तथा इसके अलावा, निम्नलिखित 3 नई योजनायें प्रस्तावित की गई हैं–

- तटवर्ती क्षारीय तथा बलुई क्षेत्रों सहित क्षारीय मृदा का सुधार
- उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये जल जमाव वाले क्षेत्रों की सुरक्षा तथा विकास
- अम्लीय मृदा का सुधार।

जम्मू तथा कश्मीर को खाद्यान्न तथा चीनी की आपूर्ति

457. श्री चमन लाल गुप्त : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य को कितनी मात्रा में खाद्यान्नों तथा चीनी की आपूर्ति की गई है तथा कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों/चीनी के आवागमन में नुकसान हुआ तथा उसका मूल्य कितना है;

(ख) खाद्यान्नों/चीनी की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त कैसे किया गया था;

(ग) क्या गुम हो गए खाद्यान्नों/चीनी के क्षतिग्रस्त होने के मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि जैसे विभिन्न राज्यों से जम्मू और कश्मीर राज्य को खाद्यान्न और चीनी भेजी जाती है। विभिन्न स्थानों से भेजी गई मात्रा के समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1989-90 से 1993-94 के दौरान जो खाद्यान्न और चीनी जम्मू और कश्मीर नहीं पहुंच पाई थे उनकी मात्रा और कीमत नीचे दी गई है :

वस्तु	मात्रा (टन में)	कीमत (लाख रु० में)
गेहूं	142.50	6.25
चावल	2718.96	173.55
चीनी	290.00	19.68

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिए गए खाद्यान्नों और चीनी की कीमत में से 87.69 लाख रुपये "ट्रांसपोर्टरों" के लम्बित बिलों के प्रति वसूल/समायोजित किया गया है। "ट्रांसपोर्टरों" के प्रति बकाया राशि की वसूली के जिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :

(1) ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध सिविल मुकदमें दायर करना।

(2) ट्रांसपोर्टरों के लम्बित पड़े बिलों से समायोजन।

(3) पुलिस में प्राथमिक इत्तला रिपोर्ट दर्ज करना।

(4) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से आगामी कार्रवाई करना।

क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के निपटान के लिए नियत प्रक्रिया है। ऐसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के पास पंजीकृत अधिकृत लाइसेंसशुदा डीलरों को पशु/कुकुट चारे के निर्माण, औद्योगिक/खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए बेचा जाता है।

(ग) और (घ) वर्ष 1989 में घाटी में सेना की तैनाती के कारण अनैतिक तत्वों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। गंतव्य तक नहीं पहुंची सम्पूर्ण मात्रा को खोया हुआ नहीं समझा जा सकता है क्योंकि समाधान का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई क्षति के संबंध में जहां कहीं आवश्यक होता है चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध उचित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

आनंद स्थित सहकारी संस्था का कार्यकरण

458. श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने गुजरात में आनंद स्थित सहकारी संस्था के कार्यकरण का गहन अध्ययन किया है;

(ख) क्या इस अध्ययन में डेयरी कार्य संबंधी अधिनियम में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय और आनंद स्थित सहकारिता द्वारा संसाधनों का संबंधित राज्यों को आनुपातिक वितरण नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) सहकारी समितियों के "आनन्द" पैटर्न को अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों ने मान्यता दी है।

(ख) और (ग) "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है तथा ये सहकारी समितियां संबंधित राज्य अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं। विभिन्न राज्य सहकारी अधिनियमों के कुछ प्रावधानों में संशोधन लाने की आवश्यकता महसूस की गई है तथा राज्य सरकारों को अपने अधिनियमों में संशोधन करने की सलाह दी गई है।

(घ) से (च) ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत संवितरण राष्ट्रीय डेयरी विकास

बोर्ड द्वारा किया गया है जो कि राज्यों में डेयरी विकास की संभाव्यता, परियोजनाओं की व्यवहार्यता तथा ऑपरेशन फ्लड के वित्त पोषण के शर्तों की स्वीकार्यता आदि जैसे विचारों पर आधारित है।

यूरिया संयुक्त उद्यम

459. श्री सनत मेहता : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुशनी फ्री एरिया अथॉरिटी के साथ मिलकर कृभको तथा इफकों द्वारा ईरान में 643 मिलियन डालर की लागत से स्थापित होने वाले संयुक्त उद्यम का ब्यौरा क्या है;

(ख) पुनः खरीद व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा दी जा रही राजसहायता पर पुनः खरीद व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) इफको तथा कृभको कुशमी फ्री एरिया अथॉरिटी के सहयोग से कुशमी द्वीप, ईरान में 7.26 लाख मी० टन यूरिया प्रतिवर्ष की क्षमता की एक परियोजना स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं। पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत 470 मिलियन अमरीकन डालर है।

(ख) भारतीय सहभागियों द्वारा परस्पर सहमत मूल्य पर कुल यूरिया उत्पादन का न्यूनतम 60% पुनः खरीदने का प्रस्ताव है।

(ग) इस समय प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के किये जाने वाले आयातों की राजसहायता अर्थापत्तियों की गणना कदना सम्भव नहीं है। ऐसी पुनः खरीद व्यवस्था के अंतर्गत शामिल उत्पादों के अन्तरण मूल्य समान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से सम्बद्ध होते हैं।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

460. श्री उधव बर्मन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पकड़े गए हाथियों को रखने और कुछ फारेस्ट गार्डो की आवास व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली 3.82 लाख रुपए के विदेशी दान के वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पूरे प्रकरण में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) जी हां। तथापि मुख्य वन्यजीव वार्डन, असम ने सूचित किया है कि जैसा कि आरोप लगाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए विदेशी दान की राशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है। दान दो किश्तों में प्राप्त हुआ था और 1.75 लाख रुपए की पहली किश्त हाथियों के खाने, अवैध रूप से शिकार-रोधी गाड़ियों के लिए पी ओ एल को बकाया राशि के भुगतान और अवैध रूप से शिकार-रोधी ट्रकों में प्रयोग के लिए टायर और ट्यूब्स खरीदने में उपयोग की गई। 2.80 लाख रुपए की दूसरी किश्त कर्मचारियों के लिए जूते, जर्सी आदि खरीदने के लिए प्रयोग की जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृभको के अधिकारियों द्वारा विदेशी दौरे

461. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृभको के अधिकारियों द्वारा भारत-ओमान परियोजना के संबंध में किए गए विदेश के दौरों पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या वह दौरे नितान्त आवश्यक थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) कृभको ने ओमान भारत उर्वरक परियोजना के सम्बन्ध में अपने अधिकारियों के विदेश दौरों पर मार्च, 1993 से दिसम्बर, 1996 तक लगभग 3.52 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

संयुक्त उद्यम भागीदारों, तकनीकी परामर्शदाताओं, वित्तीय सलाहकारों तथा परियोजना ठेकेदारों, जो सभी भारत से बाहर हैं, के साथ गहन पारस्परिक बातचीत की आवश्यकता के कारण ये विदेश दौरे अनिवार्य थे। इस परियोजना की संयुक्त प्रबन्धन समिति की बैठकें भी सामान्यतः भारत से बाहर हुई।

बन्द चीनी मिलें

462. श्री पंकज चौधरी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन चीनी मिलों के बन्द होने की वजह से उत्पादन क्षमता में कितनी कमी आई है;

(ग) क्या सरकार ने इन चीनी मिलों को पुनः चालू करने के लिए कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) चालू चीनी मौसम 1996-97 के दौरान, 18.2.1997 तक, उत्तर प्रदेश में तीन चीनी मिलें-आनन्दनगर, गौरीबाजार तथा नंदगंज, बन्द पड़ी थी।

(ख) इन चीनी मिलों के बन्द होने के परिणामस्वरूप वार्षिक संस्थापित चीनी उत्पादन क्षमता के रूप में 0.43 लाख टन की हानि हुई।

(ग) और (घ) चीनी मिलों को स्वयं ही पुनर्स्थापन/आधुनीकीकरण की योजनाऐं बनानी होती है तथा वित्तीय संस्थानों से उन्हें स्वीकृत कराना होता

है। ऐसे पुनर्स्थापन/आधुनीकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

[अनुवाद]

गंगा में प्रदूषण

463. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा भरसक प्रयास करने और प्रचार माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार करने और अन्य विस्तार पद्धतियों के बावजूद अभी भी गंगा नदी में मृत शरीर, अर्ध जले शरीर बह रहे हैं, कानपुर की अनेक छोटी औद्योगिक इकाईयां इसी नदी में अपने अपशिष्ट पदार्थ फेंक रहे हैं और शहर के गंदे नाले भी नदी में बह रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो गंगा को प्रदूषण से पूर्णरूप से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) गंगा में शवों/अधजले शवों के निपटान की घटनाओं को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में नदी किनारे स्थित 25 बड़े शहरों में विद्युत शवदाहगृह की 28 स्कीमें स्वीकृत की गई। यद्यपि निरंतर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न होने के कारण इन शवदाहगृहों का पूरी तरह प्रयोग नहीं हो रहा है। इन शवदाहगृहों को निरंतर विद्युत आपूर्ति करने के लिए समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों को कहा जाता रहा है। जाजमऊ, कानपुर में 175 लघु चर्मशोधनशाला समूह से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक बहि-स्राव को सिंचाई के लिए प्रवाहित करने से पूर्व उसका सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र में उपचार कया जाता है। कानपुर में सीवेज फार्मिंग के लिए नालों से लगभग 130 एम०एल०डी० म्युनिसीपल सीवेज का अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन किया जाता है। इस समय एक मुख्य नाले से गंगा में पहुंचने वाले शेष सीवेज को गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत उपचार के लिए दिशापरिवर्तन किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर में इमारती लकड़ी की तस्करी

464. श्री अयूयन्ना पटरूघु :
श्री टी० गोपाल कृष्ण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ कार्मिक राज्य से इमारती लकड़ी की तस्करी में संलिप्त हैं और इस कार्य के लिए वे सरकारी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या राज्य के वन विभाग ने चैक पोस्ट से गुजरने वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों और सेना के काफिले का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी है;

(ग) क्या राज्य वन विभाग ने कुछ समय पहले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों से कुछ इमारती लकड़ी जब्त की थी;

(घ) क्या राज्य वन विभाग ने उनके न चाहने पर भी पहले ही केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल के वाहनों का निरीक्षण करना आरंभ कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों द्वारा की जा रही तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ऐसी दो घटनाओं की सूचना दी है, जहां वन विभाग के अधिकारियों द्वारा, लकड़ी ले जा रहे उनके वाहनों को रोका गया। दस्तावेज प्रस्तुत करने पर इस वाहनों को छोड़ दिया गया। सरकारी वाहनों में लकड़ी ले जाने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच अलग से की जा रही है।

यद्यपि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहनों की जांच के लिए कोई विशिष्ट अनुमति मांगे जाने की सूचना नहीं है, फिर भी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित सभी सुरक्षा बलों के वाहनों की जांच पहले से ही की जा रही है। सरकार को ऐसी जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने भी ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ऊधमपुर में एक जांच चौकी स्थापित की है।

चीनी के मूल्य में वृद्धि

465. श्री पृथ्वीराज दा० चौहान :
श्री उत्तम सिंह पवार :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री शरत पटनायक :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेची जा रही चीनी के निर्गम मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) चीनी के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं विशेषरूप से जब गत मौसम में चीनी के अत्याधिक उत्पादन के कारण चीनी के भंडार भरे पड़े हैं;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि करने से पूर्व राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने पूर्व यथापूर्व कीमत बनाए रखने हेतु अनुरोध किया था; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है कि चीनी के मूल्य में वृद्धि से समाज के कमजोर वर्गों पर कोई असर नहीं पड़ेगा ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य 10.2.1997 से 10.50 रुपये प्रति किलोग्राम पर निर्धारित करने का निर्णय किया है जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण में सब्सिडि के घटक को कम किया जा सके।

खुदरा निर्गम मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। चीनी मौसम 1994-95 और इसके बाद से गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि होने के कारण खुदरा निर्गम मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। ये मूल्य राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद निर्धारित किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य पर वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडि प्रदान की जाती है। ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे मूल्य पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जो उनकी पहुंच में हों।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

466. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश की कुछ स्वैच्छिक संगटनों को अनुदान सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या हैं और किस वर्ष से इन्हें अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन्हें अलग-अलग कितनी सहायता प्रदान की गयी है;

(ग) क्या सरकार उन्हें अनुदान सहायता के अन्तर्गत प्रदान की गयी धनराशि सहित उनके द्वारा सम्पादित कार्य की निगरानी करती है; और

(घ) यदि हां, तो निगरानी प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वृक्ष की छाल की तस्करी

467. श्री गुलाम रसूल कार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1997 के इंडियन एक्सप्रेस में "वाटेडः ए सेक्युरिटी रावर फार वंडर ट्री इन गुलमुर्ग हिल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन माफिया द्वारा पश्चिमी देशों को उन पेड़ों की छाल, जो कैंसर-रोधी औषध है, की तस्करी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसी तस्करी जिसके कारण ये पेड़ तेजी से लुप्त हो रहे हैं, को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) जी हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर के मुख्य वन्यजीव वार्डन ने सूचित किया है कि टेक्सस बकाटा (टेक्सस वाली चियाना) के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर घाटी में पूरी तरह से सुरक्षित है और उसकी तस्करी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) टेक्सस बकाटा और इसके भागों और उत्पादों पर वर्तमान आयात निर्यात नीति के तहत इसके निर्यात पर निषेध है जब तक कि यह कृष्ट उद्भव का न हो। वन्य जीव-जन्तु और वनस्पति के संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सम्मेलन में इसे परिशिष्ट-2 के तहत शामिल किया गया है जोकि प्रजातियों, उसके भागों और उद्भवों को नियमित करता है। जैसे कि रिपोर्ट मिली है यह प्रजाति लुप्त नहीं हो रही है।

पर्यावरण अपील प्राधिकरण

468. श्री के०एच० मुनियप्पा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समक्ष प्राधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों, शिकायतों और अपीलों को निबटाने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना के लिए 30.1.1997 को एक अध्यादेश जारी किया है। प्राधिकरण में उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में होगा। इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष और तीन विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे।

प्राधिकरण, पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने के किसी आदेश से अपकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपील को सुनेगा। प्राधिकरण, नागरिक प्रक्रिया संहित 1908 में निर्धारित प्रक्रियाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा किन्तु उचित न्याय के सिद्धान्तों का पालन करेगा। निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को अपील करने का अधिकार होगा :–

- कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पर्यावरणीय स्वीकृति देने से प्रभावित होने की संभावना हो;
- कोई ऐसा व्यक्ति जिसके स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन वह परियोजना हो जिसके संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति के वांस्ते आवेदन प्रस्तुत किया गया हो;
- पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का ऐसा कोई संगठन (चाहे निगमित हो अथवा न हो) जिसके इस तरह के आदेश से प्रभावित होने की सम्भावना हो;
- केन्द्र सरकार, जहां राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती हो और राज्य सरकार, जहां केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती हो; अथवा
- ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकरण जिसकी स्थानीय सीमाओं का कोई हिस्सा लगाए जाने वाली परियोजना के स्थल के आस-पास हो।

घटिया किस्म के उत्पीड़न के पूछताछ के दौरान तरीकों को अपनाना

469. श्री वी० प्रदीप देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीर्ष न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि संदिग्ध

व्यक्तियों/अपराधियों की पुछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा अपनाये गये घटिया किस्म के उत्पीड़न के तरीके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था", संविधान की सातवी अनूसूची की राज्य सूची में सम्मिलित है। परिणामस्वरूप पूछताछ के तरीकों को सुधारने के लिए कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों की हैं। तथापि भारत सरकार ने समय-समय पर राजय सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस बल मानवीय व्यवहार करें और यह कि पुलिस ज्यादतियों के तथाकथित मामलों, यदि कोई हो, को गम्भीरता से लिया जाय और इन पर शीघ्रता और सख्ती से कार्रवाई की जाय।

आपराधिक गतिविधियां

470. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या गृह मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान "नोएडा" में अपराधों में वृद्धि हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बन्दूक की नोक पर की गई डकैती के कितने मामले सुलझाए गए हैं;

(ग) क्या पुलिस डकैती के अंतर्गत अपराधियों का पता लगा पाई है जिसके मामले में गाड़ी संख्या का पता लगाया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) अपराधों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) भारत के संविधान में निहित उपबन्धों के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण वर्तमान कानूनों के अनुसार अपराधों को रोकने के लिए उपयुक्त उठाने के जिम्मेवारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय स्तर पर क्षेत्र-वार अपराध आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

फसल बीमा की बकाया राशि

471. श्री दत्ता मेघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के सभरे जिलों में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाना बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बीमा दावों के संबंध में किए गए भुगतानों का वर्षवार क्या है;

(घ) बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना हैं;

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) रबी 1995-96 मौसम को छोड़कर सभी देय दावों का भुगतान कर दिया गया है। राज्य द्वारा पैदावार के आंकड़े प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब किए जाने के कारण रबी 1995-96 के दावों का भुगतान बकाया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले वर्षों के दौरान चुकता किए गए दावों की वर्षवार धनराशि इस प्रकार है :–

वर्ष	धनराशि
1992-93	1,30,62,587.84
1993-94	92,82,543.15
1994-95	7,43,17,335.55
1995-96	13,66,50,618.27

(घ) रबी 1995-96 हेतु 39,33,582.19 रुपये के दावों का भुगतान लंबित है।

(ङ) रबी 1995-96 हेतु दावों पर इस समय कार्रवाई की जा रही है तथा स्वीकार्य दावों का जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों में सम्पन्न वर्ग

472. श्री पी०सी० थामस : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने आरक्षण नीति के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्गों में सम्पन्न वर्ग के बारे में अपने सुझाव और विचार दे दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार का इस मुद्दे पर क्या दृष्टिकोण है; और

(घ) सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संतरों का उत्पादन

473. श्री हरिन पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू संत्र के दौरान संतरों का उत्पादन करने वाले राज्यों में संतरों का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या संतरों का भारी उत्पादन होने के बावजूद भी इनकी कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर (श्री चतुरानन मिश्र): (क) चालू मौसम के लिये उत्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। बड़ी मंडी में आवक की मात्रा के अनुसार मूल्यों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं जैसा कि संलग्न विवरण में देखा जा सकता है जिसमें दो बड़ी मंडियों नामशः दिल्ली तथा कलकत्ता में 1995 तथा 1996 के दो वर्षों के दौरान संतरे के मासिक मूल्य तथा आवक दर्शायी गई है।

(ग) मूल्यों में बड़े उतर-चढ़ाव को रोकने के लिये मंडियों में आपूर्ति को विनियमित करने हेतु सरकार फलों और सब्जियों के फसलोपरान्त रख-रखाव तथा विपणन के लिये बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सहायतार्थ योजनाएं लागू कर रही है जिनमें शीत भण्डार आदि सम्मिलित हैं।

विवरण

संतरों की आवक और थोक मूल्य संबंधी आंकड़ें — ए-मो० टन में आवक पो०– प्रति कुन्टल मूल्य उपलब्ध नहीं

क्र०सं०	महीना	दिल्ली				कलकत्ता			
		1995		1996		1995		1996	
		ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी
1.	जनवरी	11569	1036	12997	761	3850	772	14670	604
2.	फरवरी	32488	873	12727	1054	2830	762	3610	826
3.	मार्च	43425	947	25450	838	2710	710	4690	731
4.	अप्रैल	13340	1403	18103	1370	1520	854	3510	746
5.	मई	373	2003	1290	1812	–	–	500	960
6.	अक्तूबर	6471	1236	7642	1443	950	860	–	–
7.	नवम्बर	21655	973	12776	1256	5650	628	4620	686
8.	दिसम्बर	20909	776	9389	1190	11010	601	6420	772

[हिन्दी]

गन्ने की पिराई

474. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान् बिहार और अन्य राज्यों में राज्यवार कितनी चीनी मिलें कार्यरत हैं/बंद पड़ी हैं;

(ख) बंद मिलों के उत्पादन क्षमता में राज्यवार कितनी कमी हुई है; और

(ग) चालू मौसम के दौरान राज्यवार अब तक कितने गन्ने की पिराई की गई है और तत्संबंधी निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 18.2.1997 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 1996-97 मौसम के दौरान कार्यरत/बंद पड़ी तथा संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता में गिरावट के संबंध में फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) गन्ना पेराई का कोई राज्यवर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा है। 1996-97 मौसम के लिए 31.1.1997 (अनंतिम) तक, पेरे गए गन्ने की राज्यवार मात्रा दर्शानेवाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

18.2.1997 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 1996-97 मौसम के दौरान कार्यरत/बंद पड़ी तथा संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता में गिरावट के संबंध में फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या बताने वाला एक विवरण

क्रम सं०	राज्य	कार्यरत मिलों की संख्या	बंद पड़ी मिलों की संख्या	संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता में हानि (लाख टन में)
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	20	2	0.52
2.	हरियाणा	13	–	–
3.	राजस्थान	3	–	–
4.	(उ०प्र०)	115	3	0.43
5.	(म०प्र०)	7	2	0.09
6.	गुजरात	16	3	0.85
7.	महाराष्ट्र	100	13	3.07
8.	बिहार	19	11	1.09

1	2	3	4	5
9.	असम	2	1	0.05
10.	उड़ीसा	7	1	0.03
11.	प० बंगाल	2	–	–
12.	नागालैंड़	–	1	0.06
13.	आ०प्र०	32	5	0.49
14.	कर्नाटक	27	4	0.81
15.	तमिलनाडु	33	2	0.37
16.	पांडिचेरी	2	–	–
17.	केरल	1	2	0.10
18.	गोवा	1	–	–
	समस्त भारत	400	50	7.96

विवरण-II

1996-97 (अनंतिम) मौसम के लिए 31.1.1997 तक पेरे गए गन्ने की राज्यवार मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(लाख टन में)

क्रम सं०	राज्य	पेरा गया गन्ना
1.	पंजाब	22.77
2.	हरियाणा	24.10
3.	राजस्थान	1.09
4.	उत्तर प्रदेश	165.63
5.	मध्य प्रदेश	4.84
6.	गुजरात	44.28
7.	महाराष्ट्र	172.00
8.	बिहार	18.40
9.	असम	0.09
10.	उड़ीसा	4.59
11.	प० बंगाल	0.51
12.	नागालैंड	–
13.	आन्ध्र प्रदेश	32.56
14.	कर्नाटक	49.19
15.	तमिलनाडु	28.07
16.	पांडिचेरी	1.05
17.	केरल	0.64
18.	गोवा	0.91
	समस्त भारत	570.72

धान का उत्पादन

475. श्री सोहन वीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख धान उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार धान का उत्पादन कितना रहा है; और

(ग) इन राज्यों में 1997-98 के दौरान धान के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) देश में धान उत्पादक राज्यों के नामों तथा पिछले तीन वर्षों अर्थात 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में धान के राज्यवार उत्पादन का विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए धान के उत्पादन के लिए लक्ष्य योजना आयोग द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान चावल के उत्पादन (दल) का राज्यवार प्राक्कलन

(000 मी० टन)

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	9562.0	9276.7	9194.8
अरुणाचल प्रदेश	144.0	105.8	140.0
असम	3361.1	3309.1	3390.0
बिहार	6100.5	6297.9	8910.9
गोवा	137.8	133.0	129.1
गुजरात	838.6	942.1	826.6
हरियाणा	2037.8	2227.0	1850.0
हिमाचल प्रदेश	101.9	112.2	111.2
जम्मू व कश्मीर	507.0	584.7	508.5
कर्नाटक	3182.8	3167.5	3018.7
केरल	1004.0	975.1	931.9
मध्य प्रदेश	3963.1	6483.0	5705.1
महाराष्ट्र	2434.4	2397.1	2562.8
मणिपुर	343.8	478.3	338.1
मेघालय	117.8	111.5	118.9
मिजोरम	96.7	100.2	101.5

1	2	3	4
नागालैण्ड	180.0	174.0	185.0
उड़ीसा	6616.3	5353.2	6226.2
पंजाब	7642.0	7703.0	6768.0
राजस्थान	143.1	173.2	117.6
सिक्किम	20.7	20.7	21.9
तमिलनाडु	6749.8	7562.8	7362.8
त्रिपुरा	493.2	413.9	465.5
उत्तर प्रदेश	10210.1	10365.0	10408.1
पश्चिम बंगाल	12110.9	12235.9	11857.0
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	32.1	30.6	33.0
दादरा व नागर हवेली	21.9	27.6	24.1
पांडिचेरी	58.0	58.2	1.8
दिल्ली	2.9	1.8	2.9
दमण व दीव	1.8	2.9	67.1
संपूर्ण भारत	80293.3	81814.0	79618.1

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना

476. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाडिया जिले सहित पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ कंटीले तारों की बाड़ लगाने संबंधी कार्य को पुनः शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कंटीले तारों की बाड़ों पर लगाए गए फाटक इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इन फाटकों को लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनः कब तक लगाया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पशुपालन संबंधी योजनाएं

477. **श्री के० प्रधानी :**
श्री मुख्तार अनीस :

क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्यवार केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी पशुपालन योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं;

(ख) योजनावार तथा राज्यवार 1995-96 के दौरान कुल योजना परिव्यय तथा वास्तविक परिव्यय कितना था तथा 1996-97 के दौरान अनुमानित परिव्यय कितना है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) (क) से (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग इस क्षेत्र के विकास के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों की पूर्ति करने के उद्देश्य से कुल 11 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के तहत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अलग आबंठन नहीं किए जाते हैं। राज्यों को धनराशि उनके द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्य प्रस्तावों की स्वीकृति पर जारी की जाती है।

योजना-वार योजनागत परिव्यय, 1995-96 के लिए वास्तविक परिव्यय, 1996-97 के लिए अनुमानित परिव्यय तथा आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं पर खर्च की गई कुल राशि का ब्यौरा तद्नुसार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत योजना परिव्यय, 1995-96 के दौरान वास्तविक परिव्यय और 1996-97 के दौरान अनुमानित परिव्यय तथा दिनांक 31.3.96 तक आठवीं योजना के दौरान योजनाओं के तहत व्यय की गई राज्यवार धनराशि

क्र० सं०	योजना	योजनागत परिव्यय	1995-96 के दौरान वास्तविक परिव्यय बजट प्राक्कलन	1996-97 के दौरान अनुमानित परिव्यय (संशोधित प्राक्कलन)	क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आठवी योजना के 4 वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि (अनन्तिम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार	19.75	5.50	5.50	1.	आंध्र प्रदेश	9.83
					2.	अरुणाचल प्रदेश	1.86

1	2	3	4	5
2.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	19.75	5.00	5.00
3.	राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम	12.50	2.00	2.50
4.	मारवाही पशुओं का विकास	2.00	0.50	0.55
5.	एकीकृत सूअर विकास	10.00	2.00	2.00
6.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना	96.13	25.05	29.75
7.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	40.00	8.00	9.00
8.	व्यावसायिक दक्षता का विकास	5.00	1.00	1.3
9.	आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों की सहायता	19.75	4.15	4.15
10.	बूचड़खानों के सुधार/आधुनिकीकारण के लिए राज्यों को सहायता	28.75	9.00	6.80
11.	प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	9.50	1.70	2.50

6	7	8
3.	असम	2.75
4.	बिहार	3.25
5.	गोवा	0.53
6.	गुजरात	8.76
7.	हरियाणा	3.17
8.	हिमाचल प्रदेश	4.51
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6.21
10.	कर्नाटक	7.53
11.	केरल	11.59
12.	मध्य प्रदेश	7.69
13.	महाराष्ट्र	6.94
14.	मणिपुर	1.64
15.	मेघालय	2.02
16.	मिजोरम	3.32
17.	नागालैण्ड	0.84
18.	उड़ीसा	7.22
19.	पंजाब	5.50
20.	राजस्थान	3.39
21.	सिक्किम	1.61
22.	तमिल नाडु	8.46
23.	त्रिपुरा	1.59
24.	उत्तर प्रदेश	16.01
25.	पश्चिमब बंगाल	10.48
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंड० व निको० द्वी०	0.38
2.	चण्डीगढ़	0.26
3.	दादर नगर हवेली	0.08
4.	दमन व दीव	0.02
5.	दिल्ली	1.77
6.	लक्षद्वीप	0.63
7.	पांडिचेरी	0.76

'इमारती लकड़ी, हाथी दांत आदि की तस्करी'

478. श्री के०पी० सिंह देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में इमारती लकड़ी, हाथी दांत तथा अन्य बहुमूल्य वन सम्पदा की बढ़ती तस्करी की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) क्या ऐसी घटनाएं विशेषकर इमारती लकड़ी की तस्करी उड़ीसा में बड़े पैमाने पर हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने तथा उड़ीसा और अन्य राज्यों के बहुमूल्यवन संसाधनों का संरक्षण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी संगठनों के अध्ययन के लिए पैनल

479. श्री नंदी येल्लैया :
डॉ० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को प्रतिवर्ष 95 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को इसके दुरुपयोग और साथ ही निधियां न प्राप्त होने के संबंध में काफी संख्या में शिकायतें मिली है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए गैर-सरकारी अधिकारियों की एक पन्द्रह सदस्यीय समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) धन का समुचित उपयोग न करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) आंकडों में वर्ष दर वर्ष भिन्नता है। वर्ष 1995-96 के दौरान 68.31 करोड़ रुपए की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

(ख) निधियों के दुरुपयोग तथा प्राप्त न होने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) इस मंत्रालय में इस पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जब कभी निधियों का दुरुपयोग इस मंत्रालय के ध्यान में आता है तो सहायता अनुदान रोक दिया जाता है और समुचित रूप से उपयोग न की गई धनराशि की वसूली की जाती है।

[हिन्दी]

'सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी'

480. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री चिन्तामन वानगा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार तथा अन्य राज्यों की कितनी बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं मंत्रालय के पास वानिकी संबंधी स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की राज्य-वार अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन केन्द्रीय सरकार के साथ लंबित सिंचाई परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 नियम और दिशानिर्देश के अनुसरण में प्रस्तावों के सभी संदर्भों से पूर्ण पाए जाने की स्थिति में केन्द्र सरकार तीन माह के अन्दर प्रस्तावों को निपटा देगी।

विवरण

31.1.1997 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन केन्द्र सरकार के पास लंबित सिंचाई परियोजनाएं

प्रस्ताव का नाम	स्थिति
1	2
क. गुजरात	
1. डाभोई चामोड रोड, नर्मदा परियोजना मियागम शाखा नहर का निर्माण 1.1.97 को प्राप्त	कार्रवाई चल रही है।
ख. महाराष्ट्र	
1. भोरमल पी०टी०, नासिक का निर्माण 1.1.97 को प्राप्त	कार्रवाई चल रही है।
2. गलवात पी०टी०, नासिक का निर्माण 1.1.97 को प्राप्त	
3. ताडला, चन्द्रपुर में लघु सिंचाई टंकी के साथ फीडर चैनल 1.1.97 को प्राप्त	कार्रवाई चल रही है।
4. केलविहार, पी०टी०, नासिक का निर्माण 14.1.97 को प्राप्त	कार्रवाई चल रही है।
5. पंगरलारी पी०टी०, नासिक का निर्माण 18.12.96 को प्राप्त	कार्रवाई चल रही है।

1	2
6. धुरपाद पी०टी०, नासिक का निर्माण 18.12.96 को प्राप्त	कार्रवाई चल रही है।
7. खडाकोहल पी०टी०, नासिक का निर्माण 18.12.96 को प्राप्त	कार्रवाई चल रही है।
8. वरना सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र के लिए वन भूमि का विपणन	कार्रवाई चल रही है।
9. लोनारा एम०आई० टैंक, महाराष्ट्र	कार्रवाई चल रही है।
10. धमनगांव एम०आई० टैंक, महाराष्ट्र	कार्रवाई चल रही है।
11. हेतवाने एम०आई० परियोजना, महाराष्ट्र का निर्माण	कार्रवाई चल रही है।
ग. राजस्थान	
1. बयाना, भरतपुर में पानी की टंकी का निर्माण	कार्रवाई चल रही है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का आयात

481. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि भारतीय कृषि व्यवस्था बड़ें पैमाने पर उर्वरकों के आयात पर निर्भर नहीं रह सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1995-96 के दौरान देश में 15 मिलियन टन यूरिया का उत्पादन किया गया था तथा इसकी मांग और पूर्ति के अन्तर को भरने हेतु 3.8 मिलियन टन यूरिया का आयात किया गया था।

(ग) क्या देश में उर्वरकों के उत्पादन में सुधार लाने हेतु कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) उर्वरक क्षेत्र की नीति का उद्देश्य उर्वरक कच्चे माल और फीडस्टाक की उपलब्धता संबंधी कठिनाईयों के बीच अधिकतम स्वदेशी उतपादन करना है।

1995-96 में 15.819 मिलियन टन यूरिया का घरेलू उत्पादन हुआ तथा 3.782 मिलियन टन का आयात किया गया।

उर्वरक उद्योग के लिए प्रस्तावित वर्ष 1997-98 के लिए उत्पादन योजना का लक्ष्य 1996-97 में अनुमानित उत्पादन की तुलना में नाइट्रोजन न्यूट्रिएन्ट्स में 12% की तथा फास्फेट न्यूट्रिएन्ट्स में 12.4% की वृद्धि करना है।

बर्मी शरणार्थी

482. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 12 बर्मी शरणार्थी विद्यार्थियों को अगस्त, 1996 में बर्मी सैनिक अधिकारियों को सौंप दिया था;

(ख) क्या इन विद्यार्थियों को दिल्ली स्थित यू०एन०एच०सी०आर० द्वारा शरणार्थी का दर्जा दे दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो किन कारणों की वजह से इन विद्यार्थियों को बर्मी अधिकारियों को सौंपना पड़ा था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

'जल तथा वायु प्रदूषण के मामले'

483. श्री पवन दीवान :
श्री काशीराम राणा :

क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान जल तथा वायु प्रदूषण के 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में निर्णय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विरुद्ध गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सांख्यिकीय सूचना के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा दायर 6565 मामलों में से 1313 मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विरुद्ध निर्णय हुआ है। और इस प्रकार केवल बीस प्रतिशत मामलों में बोर्डों के विरुद्ध निर्णय हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गेहूं की खुली बिक्री

484. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कुछ निजी कम्पनियों की खुली बिक्री/निर्यात हेतु रियायती दर पर गेहूं की बिक्री की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में किस दर पर गेहूं की बिक्री की गयी है और किन-किन कम्पनियों ने इसकी खरीद की है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम थोक व्यापारियों. खुदरा व्यापारियों, रोलर फ्लोर मिलों, चक्की मालिकों, सहकारी समितियों, सुपर बाजार, राज्य नागारिक आपूर्ति निगमों, निजी खरीदारों आदि सहित सभी को खुले बाजार मे बिक्री योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों पर गेहूं बेचता है।

[अनुवाद]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980

485. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बिना किसी परिवर्तन अथवा अपवाद के नागालैंड राज्य पर लागू होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसकी प्रत्युक्ति में कितना अंतर है और इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की कमी

486. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश के लिए उर्वरकों की कमी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य को दूसरी फसल के लिए और अधिक मात्रा में यूरिया जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य के कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स को 10,000 टन यूरिया जारी करने के लिए नागार्जुन फर्टिलाइजर्स को अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह कहा है कि राज्य को उर्वरकों की बहुत अधिक कमी का सामना करना पड़ रहा था और उसे जनवरी, 1997 के दौरान दूसरी फसल के लिए 50,000 टन उर्वरकों की आवश्यकता है;

(ङ) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की कुल कितनी कमी पाई गई, और

(च) सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में अधिक यूरिया जारी करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को किस स्तर तक अनुदेश दिए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (च) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो मूल्य संचलन तथा वितरण नियंत्रणों के अन्तर्गत आता है। रबी 1996-97 के दौरान अभी तक राज्य द्वारा यूरिया की कमी के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। ई०सी०ए० आबंटन और बिक्री (31.3.1997 तक) की तुलना में यूरिया की उपलब्धता निम्नानुसार रही है :–

(आंकड़े लाख टन में)

ई०सी०ए० आबंटन	रबी 1996-97 उपलब्धता	(31.1.97 तक) बिक्री
11.20	8.90	6.91

बिक्री के लिए पर्याप्त मात्रा उपलब्ध थी।

मैसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि० को 10,000 मी०टन० यूरिया जारी करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि मै० नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० से स्टाक जारी करने के लिए प्रस्ताव मै० कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

जन-प्रतिनिधियों को अंगरक्षक

487. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जिन-प्रतिनिधियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को आज तक कितने अंगरक्षक प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ को एक से अधिक अंगरक्षक प्रदान किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार दिए गए एक से अधिक अंगरक्षकों को हटा लेने के बारे में विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) भारत के संविधान के अधीन "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं इसलिए उनके क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जिम्मेदारी है। क्योंकि यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित है, अतः गृह मंत्रालय के पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है/नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

समुद्री मछुआरों के लिए केन्द्रीय अंशदान

488. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री मछुआरों के लिए बचत एवम् राहत योजना हेतु केन्द्रीय सरकार के अंशदान को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी तथा योजना के लिए अंशदान भूतलक्षी प्रभाव से पुनः शुरू करेंगी;

(घ) क्या सरकार योजना के लाभ अंतर्देशीय मछुआरों तथा मछुआरिनों को भी देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना, जिसे वर्ष 1991-92 में आरम्भ किया गया था, का बचत एवं राहत घटक अब केवल समुद्री मछुआरों के लिए लागू है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव तैयार करते समय ही इसमें संशोधन करने पर विचार किया जा सकता है।

स्वतन्त्रता सेनानियों सम्बन्धी समिति

489. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अक्तूबर, 1996 में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के समक्ष आ रही कठिनाईयों की जांच हेतु एक समिति गठित करने की घोषणा की थी;

(ख) क्या इस समिति का गठन कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके निदेश पद क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन ए०आई०एफ०एफ०ओ०), नई दिल्ली द्वारा 6 अक्तूबर, 1996 को आयोजित एक कार्यक्रम के दोरान प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं की जांचपड़ताल के लिए एक समिति गठित करने संबंधी मांग पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, इस मांग पर विचार किया गया है और सरकार ने एक स्पेशल ऑडिट टीम (एम०ए०टी०) का गठन किया है जिसमें अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन से दो सदस्य लिए गए हैं और इस समिति की अध्यक्षता, गृह मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे। इस टीम को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के, पहले से ही निरस्त किए जा चुके उन मामलों की जांच का काम सौंपा गया है जिनकी पुनरीक्षा के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

दलहनों का आयात निर्यात

490. श्री निहाल चन्द्र चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996 के दौरान दलहनों का कोई आयात-निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और कितनी मात्रा में किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार 1997 के दौरान दलहनों का आयात-निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) मात्रा हजार मी०टन में

वर्ष	आयात	निर्यात
1995-96	449.5	61.2
1996-97 (11/96 तक)	304.0	29.4

स्रोत : सी०जी०सी०आई० एण्ड एस०

(ग) दालों का आयात खुले साधारण लाईसेंस के अन्तर्गत निर्बाध रूप से अनुमत है जबकि निर्यात वाणिज्य मंत्रालय (विदेश व्यापार महा-निदेशालय) द्वारा कृषि मंत्रालय; खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए निर्धारित अधिकतम मात्रा की शर्त पर अनुमत है।

(घ) तिलहन और दलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन ने वर्ष 1996-97 के लिये दालों के निर्यात के लिए 10,000 मी० टन की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह अन्य मंत्रालयों की राय की शर्त पर भी है।

तिलहनों का उत्पादन

491. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 से 1996 के दौरान देश में तिलहनवार और वर्षवार तिलहनों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या देश में तिलहनों का उत्पादन घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तिलहनों का उत्पादन बढाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान देश में तिलहनों के कुल उत्पादन का फसलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की 1986 में शुरूआत से तिलहनों का उत्पादन 1986-87 के दौरान 11.27 मिलियन मी०टन से बढ़कर 1995-96 में 22-43 मिलियन मी०टन हो गया है जो कि तिलहनों के उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख सफलता है। नागरिक आपूर्ति विभाग के परिकलन के अनुसार वर्ष 1995-96 में स्वदेशी स्रोतों से खाद्य तेलों की उपलब्धता 66.70 लाख मी० टन थी जबकि मांग 72.70 लाख मी० टन की थी। इस प्रकार खाद्य तेलों की मांग की उपलब्धता में लगभग 6 लाख मी० टन का अंतर है। आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि और लोगों के जीवनस्तर में परिमार्जन के कारण खाद्य तेलों की बढ़ती हुई मांग की वजह से यह अन्तर अभी भी बना हुआ है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। फिर भी नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को जारी रखे जाने की सम्भावना है।

विवरण

तिलहन उत्पादन का अखिल भारतीय प्राक्कलन

(लाख मी० टन)

फसल	1993-94	1994-95	1995-96
मूंगफली	78.3	80.6	78.1
एरण्ड बीज	6.3	8.5	7.8
तिल	5.6	5.9	5.5
रामतिल	2.0	1.9	1.9
तोरिया-सरसों	53.3	57.6	60.7
अलस्नी	3.3	3.2	3.1
कुसुम	5.2	4.2	4.0
सूरजमुखी	13.5	12.2	13.2
सोयाबीन	47.5	39.3	49.9
कुल नौं तिलहनी फसलें	215.0	213.4	224.2

मौलाना आजाद एजुकेशन फांउडेशन

492. श्री इलियास आज़मी :
श्री मुख्तार अनीस :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मौलाना आजाद एजूकेशनल फांउडेशन को धनराशि किस तिथि से उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) सरकार द्वारा इस फांउडेशन के लिए अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या इसकी लेखा परीक्षा की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संगठन द्वारा अब तक कितने संस्थानों को धनराशि उपलब्ध कराई गई है और उनको कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) सरकार ने मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को वित्त वर्ष 1992-93 से धनराशि प्रदान करना शुरू किया जब इसने इस प्रतिष्ठान को 5 करोड़ रुपए सहायता अनुदान मंजूर और निर्मुक्त किया।

(ख) 30.01 करोड़ रुपए।

(ग) जी, हां।

(घ) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के वित्त वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लेखा खातों की लेखा परीक्षा नई दिल्ली के चार्टर्ड लेखाकारों, मैसर्स फारूकी एंड कम्पनी द्वारा की गई है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रतिष्ठान के उक्त सभी चार वर्षों के लेखा खातों में इस संस्था के तुलन पत्र तथा स्थिति की सही और साफ तस्वीर प्रस्तुत की गई हैं।

(ङ) अपनी स्थापना से लेकर इस संस्थान ने पूरे देश के 69 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के माध्यम से धनराशि प्रदान की है। जनवरी, 1997 तक मंजूर तथा निर्मुक्त की गई राशि क्रमशः 8,62,94,000 रुपए और 3,01,97,500 रुपए है।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

493. श्री थामस हंसदा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई गई कल्याण योजनाओं और उन योगनाओं के अंतर्गत आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस धनराशि का उपयुक्त रूप से उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों को केवल पिछले वर्षों में निर्मुक्त निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर निर्मुक्त किया जाता है।

विवरण

आदिवासी विकास प्रभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार को आबंटित

क्र०सं०	योजना का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	3211.19	3175.25	3497.99	1748.70	274.22

1	2	3	4	5	6	7
2.	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान	215.85	427.20	800.00	725.25	725.25
3.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	68.82	–	–	–	–
4.	अनूसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	–	–	–		
5.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल	–	–	–	–	–
6.	तिलहन एवं तेल विकास	–	17.99	(1992-93 के बाद रोक दिया गया)		
7.	आदिवासी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना	(केवल 1992-93 में शुरू हुई)		–	44.34	–
8.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	उपलघ नहीं	9.82	12.71	16.63	14.73
9.	स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान	10.80	23.30	31.34	3499	35.30
10.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान	–	50.00	–	–	50.00
11.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर	–	योजना केवल 1993 में शुरू हुई	–	4.85	1.82
12.	कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	–	–	–	14.93	15.09
13.	20-सूची कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अंतर्गत बिहार में लाभान्वित अनुसूचित जाति परिवार	130911	133267	151309	104193	105420

मवेशियों की तस्करी

494. श्री मोहम्मद इदरीस अली : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में लालबाग में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी मवेशियों के अवैध रूप से घुसने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल निहित उद्देश्यों से सीमा पर भारतीय नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा इस क्षेत्र में पकड़े गए जानवरों के वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	संख्या
1995	7183
1996	6430
1997 (20.2.97 तक)	637

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का उच्च स्तर बनाए रखे, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी ड्यूटी/भूमिका के साथ समझौता किए बिना सीमावर्ती लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये।

दुग्ध उत्पादन

495. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दूध की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पाटने के लिए दूध का उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी विश्व बैंक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में (पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री) (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) ऑपरेशन फ्लड-3, जिसे विश्व बैंक तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन है। गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत राज्य में 1242.89 लाख रुपये के कुल अनुमोदित परिव्यय के साथ तीन परियोजनाएं भी क्रियान्वयनाधीन है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ऑपरेशन फ्लड-3 योजना बहुत से अन्य राज्यों में भी क्रियान्वयनाधीन है।

राष्ट्रीय वन नीति

496. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन नीति, 1988 को कर्नाटक सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य उक्त नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त नीति को कार्यान्वित करने हेतु एक नया वन विधेयक लाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 वनीकरण और संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वनों की सुरक्षा और विकास के लिए सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। अवक्रमित वनों के विकास में जनभागीदारी का नीति उद्देश्य 17 राज्यों नामतः आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयन के लिए लिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अनुसार समुदायों के संरक्षण पहलुओं और भागीदारी को अधिक महत्व देने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 क संशोधन का प्रस्ताव है।

बेल्लारी में खनन कार्य

497. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के कारण बेल्लारी जिले में खनन कार्य रूक गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जिले में कितने एकड़ वन क्षेत्र पर खनन कार्य चल रहा है;

(ग) खनन कार्यों में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं; और

(घ) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने और वन क्षेत्रों में खनन की छूट देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) खनन एक वनेतर गतिविधि है और वन क्षेत्रों में खनन कार्य करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पूर्व मंजूरी लेनी अपेक्षित है।

वन्य जीवों के स्वास्थ्य की देखरेख

498. श्री नारायण अठावले : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय उद्यानों में 'वाइरस' प्रभावित बाघ देखने को मिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रभावी रूप से समस्या से निपटने और विशेषकर राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों में वन्य जीवों के स्वास्थ्य की भली भांति देखरेख करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ग) इस समय कार्यान्वयन के अधीन केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान योजनावार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) नवम्बर और दिसम्बर, 1996 के दौरान वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल (मध्य प्रदेश) से केवल बाघों में वाइरस बीमारी की घटनाओं की सूचना मिली है, जिसके परिणामस्वरूप दो बाघिनों की मृत्यु हुई। भारतीय वन्यजीव संस्था और जबलपुर पशु-चिकित्सा कालेज ने बीमारी को फिलाइन-पेनलियकोपेनिया के रूप में पता लगाया है जो कि वाइल्ड फीलिड्स की एक वाइरस बीमारी है। भारतीय वन्यजीव संस्था ने इस बीमारी के लिए टीके का प्रबंध किया है और राष्ट्रीय उद्यान में शेरों और तेंदुओं के साथ-साथ शेष सभी बाघों को टीका लगाया गया है। सभी पशु अब स्वस्थ हैं।

राज्यों को बाघ रिजर्व में पशु - चिकित्सक अधिकारियों को नियुक्त करने की सलाह दी गई है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में पशु-चिकित्सा सुविधाओं के विकास और मवेशियों के प्रतिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के आसपास 5 किलोमीटर के क्षेत्र में वन्यजीवों में बीमारी फैलने से रोकने के लिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध पशुधन को प्रतिरक्षण भी प्रदान करता है।

(ग) ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1996-97 (20 फरवरी, 1997 तक) के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत रिलीज़ की गई धनराशि का ब्यौरा।

राज्य	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए सहायता	बाघ परियोजना	सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास परि-विकास	हाथी परियोजना (रुपए लाखों में)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	44.332	16.87	21.715	11.20
अरुणाचल प्रदेश	30.027	26.00	4.493	26.497
असम	—	37.435	—	—
बिहार	—	76.78	—	—
गोवा	10.143	—	—	—

1	2	3	4	5
गुजरात	51.168	—	—	—
हरियाणा	11.04	—	5.00	—
हिमाचल प्रदेश	12.10	—	5.05	—
जम्मू व कश्मीर	13.02	—	5.00	—
कर्नाटक	225.845	45.30	9.88	119.82
केरल	29.07	22.50	23.32	71.96
मध्य प्रदेश	—	101.88	13.45	—
महाराष्ट	9.34	30.25	7.08	—
मणिपुर	23.01	—	5.00	—
मेघालय	—	—	—	2.39
मिजोरम	4.60	8.36	—	—
नागालैण्ड	4.31	—	10.00	6.08
उड़ीसा	6.12	28.37	8.50	—
पंजाब	—	—	2.50	—
राजस्थान	42.075	120.395	21.61	—
सिक्किम	15.29	—	18.16	—
तमिलनाडु	23.90	24.26	3.40	25.75
त्रिपुरा	—	—	11.57	—
उत्तर प्रदेश	85.995	102.705	22.34	81.80
पश्चिम बंगाल	39.31	52.81	38.585	62.76
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.68	—	—	—
योग	652.375	693.915	236.693	395.37

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में चीनी की मिलें

499. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के पंडरिया खंड में चीनी मिल स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त क्षेत्र में एक चीनी मिल स्थापित करने के संबंध में संसद और विधान सभा के सदस्यों की ओर से पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) मुनगेली/पंडरिया जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में एक नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए मैसर्स अरिहन्त सेल्स तथा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के श्री रेख चन्द्र जैन से उद्योग मंत्रालय के माध्यम से एक औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) खाद्य मंत्रालय में अभी तक उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी संसद सदस्य तथा विधान सभा सदस्य से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उच्च स्तरीय आयोग

500. श्री जगमोहन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत सुविधाओं तथा मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं में हुई कमी का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग गठित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुच्छेद 310 समाप्त करना

501. डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने संविधान के अनुच्छेद 310 को समाप्त करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठतते।

[हिन्दी]

दियारों और तालों का विकास

502. श्री शुत्रघ्न प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबौर कृषि विश्वविद्यालय बिहार के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को राज्य के ताल तथा दियारा क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई परियोजना रिपोर्ट भेजी है;

(ख) क्या बछवाड़ा, तेगरा मतिहानी, बलिया प्रखंडों तथा पटना जिलें के कुछ दियारों तथा तालों के विकास हेतु इसी प्रकार की एक परियोजना रिपोर्ट सरकार के पास लंबित है; और

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

कृषि (मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक अनुसंधान प्रायोजना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) जी हां। नवम्बर 1996 में कृषि मंत्रालय ने बिहार राज्य के दियारा तथा ताल भूमियों के दौरे के लिए एक विशेषज्ञ दल को प्रतिनियुक्त किया था। इस दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कृषि तथा सहकारिता विभाग के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर (वाटरशेड) विकास

503. श्री शरत पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार वर्ष सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर (वाटरशेड) विकास परियोजना के अंतर्गत क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इसके कार्यान्वयन की नीति का पुनः निर्धारण करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौस क्या है;

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) (क) नौवीं योजना के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत लगभग 3.5 मिलियन हे० क्षेत्र शामिल किए जाने की आशा है। उचित समय पर राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) से (ग) इस परियोजना में फसल गहनता और उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्न लागत वाले फिर से इस्तेमाल किए जाने वाले तथा किसानों के अनुकूल उपायों पर निर्भर रहते हुए स्वस्थाने नमी संरक्षण को बढावा देना जारी रखा जाएगा। परियोजना में फसल प्रणाली दृष्टिकोण को प्रचारित करने का कार्य भी जारी रखा जाएगा। इस योजना के अधीन दिए गए कृषि जलवायु क्षेत्र में परिस्थैतिकीय प्रणाली के अनुसार स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी को अपनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवंटित चावल तथा गेहूं का एकाएक कहीं और भेजा जाना

504. श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया गया टनों गेहूं और चावल जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बेचा जाना था, कहीं और भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार पता लगाए गए मामलों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त मामले में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) इन घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को चावल और गेहूं का आवंटन माह-दर-माह आधार पर किया जाता है और भारतीय खाद्य निगम आवंटित मात्रा राज्य सरकार अथवा उसके नामितियों को रिलीज करता है। राज्य सरकार अथवा उसके नामितियों द्वारा स्टाक का उठान कर लिये जाने के बाद इसकी ढुलाई, सुरक्षा और राज्य के अन्दर वितरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लकड़ी पर आधारित उद्योग

505. श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन क्षेत्र में लकड़ी पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राप्त किए गए, विचार किए गए, स्वीकार किए गए तथा अस्वीकार किए गए आवेदन-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के आवेदन-पत्रों के मूल्यांकन के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ग) क्या निजी वन क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए भी पहले से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है तथा सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

वनरोपण के लिए भूमि का आवंटन

506. श्री रामसागर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री वन भूमि के आवंटन के बारे में 26 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 711 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेरामांडी (महरोली ब्लाक) गांव में ग्राम सभा की 71 बीघा जमीन दिल्ली में वन रोपण के लिए मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को आवंटित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भूमि दक्षिणी रिज क्षेत्र की सीमा रेखा के अंतर्गत पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो क्या समझौता ज्ञापन को रद्द करने और इस भूमि को वन रोपण के लिए वन विभाग को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली पुलिस द्वारा कदाचार

507. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 दिसम्बर, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "काप्स मेक हे व्हाइल किर्लस स्टाक रोड्स, ऐजेंट्स कलेक्ट ब्राइब्स, सीनियर्स अवेयर, गिव इन टू ग्राफ्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के ऐसे कदाचारों को रोकने हेतु क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) ऐसे दृष्टान्त हैं जहां व्यक्तिगत रूप से यातायात पुलिस कार्मिकों को कदाचार में संलिप्त पाया गया लेकिन ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि कोई संगठित मिलीभगत है। अकेले 1996 के दौरान, दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 6 लाख से अधिक ट्रकों का चालन किया गया जो वर्ष 1995 के दौरान किए गए चालानों की संख्या से लगभग दुगुनी है। इसके अतिरिक्त दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने कार्मिकों के बीच एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप 161 यातायात पुलिस कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और अन्य 202 अधिकारियों का स्थानान्तरण गैर सर्वदेनशील यूनिटों में किया गया।

फोर्थ (IU) फ्लूयड परचेज

508. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 1997 को "हिंदुस्तान टाइम्स" में "फोर्थ (IU) फ्लूयड परचेज फॉरमर एडिशनल डी-जी चार्ज सीटिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार ने सफदरजंग अस्पताल को सामान्य दर से दुगनी दर पर IU फ्लूयड बेचे थे;

(ग) यदि हां, तो सुपर बाजार ने किस दर पर सफदरजंग अस्पताल को IU फ्लूयड बेचे थे तथा बाजार में क्या भाव चल रहा है;

(घ) ऐसी उच्च दरों को वसूलने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मामले की जांच करने तथा जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षतिग्रस्त माल

509. श्री आई० डी० स्वामी : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त माल का अम्बार लगा पड़ा है जिसे उसके आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं से बदला जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्षतिग्रस्त माल के निपटान हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है ?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) सुपर बाजार, दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1996 को क्षतिग्रस्त माल का मूल्य 1,27,454.15 रु० था।

(ख) और (ग) क्षतिग्रस्त माल सुपर बाजार के किराना और प्रसाधन विभागों में अधिक है। ये वस्तुएं अधिक मात्रा में जमा न हो जाएं इसके लिए सुपर बाजार क्षतिग्रस्त माल को सप्लायरों से बदलवाने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई करता है।

गैंडे का मारा जाना

510. श्री प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 सितंबर, 1996 के "पायनियर" में "रीनो किल्ड इन असम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या असम में अनधिकृत शिकार में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनधिकृत शिकार को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। असम के वन्यजीव वार्डन से सूचना दी है कि 1996 के दौरान असम में पपीतोरा अभयारण्य में अवैध शिकारियों द्वारा कुल चार गैंडों को मारा गया है। तथापि, गैंडों के अवैध शिकार को नियंत्रित करने के लिए वन्यजीव स्टॉक सशस्त्र होमगार्ड और असम वन सुरक्षा वल की बटालियन द्वारा दिन रात लगातार चौकसी की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। 1993 में असम में जहां अवैध शिकारियों द्वारा 70 गैंडे मारे गए। वहां 1996 में इसकी संख्या केवल 40 थीं।

(ङ) गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में गैंडों को रखा गया है। इस प्रकार उन्हें शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरूद्ध उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है।

2. भारत वन्य जीव और वन्य प्राणजात और वनस्पति जात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी अभिसमय (साइट्स) का पक्षकार है और जन्तुओं और सामानों की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तराष्ट्रीय व्यापार संबंधी विनियमों का पालन करना है। अभिसमय के उपबंधों के अधीन साइट्स की अनुसूची-I में गैंडों को रखा गया है। यह अनुसूची प्रजाति उत्पाद और उपजातों के अन्तराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाती है।

3. अवैध शिकारियों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने के लिए जब कभी भी पुलिस, बी०एस०एफ० डी आर आई, सीमा शुल्क, सेना और अन्य प्रावर्तन एजेंसियों की आवश्यकता पड़ती है, उन का सहयोग लिया जाता है।

4. गैंडों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने और उन्हें अपने पूर्ववर्ती आवास में पुर्नवासित करने को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कटारनी घाट वन्य जीवन अभयारण्य में गैडों का पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

5. प्रजातियों और उसके आवास के संरक्षण के लिए पांच वन्यजीव अभयारण्यों और चार राष्ट्रीय उद्यानों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. वन्यंजीव उत्पादों की तस्करी के संबंध में मुखवरों, जो अन्य बातों के अतिरिक्त सतर्कता विभाग की मदद करता है, को पुरस्कार का भुगतान करने की भी एक योजना है।

पशुधन विकास

511. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम, दार्जिलिंग और अरूणाचल प्रदेश सहित पर्वतीय क्षेत्रों में पशुधन को लोगों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन के रूप में विकसित करने हेतु सरकार को कोई विशेष अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में यूरिया की कमी

512. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में यूरिया की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या राज्य सरकार यूरिया की मांग को पूरा करने के लिए 1995 से केन्द्र सरकार से यूरिया के अतिरिक्त कोटे की आपूर्ति का अनुरोध करती रही है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) 1996 के दौरान कुल किसी आपूर्ति की गई और 1997 में कितनी आपूर्ति किए जाने की संभावना है; और

(च) यूरिया की कम आपूर्ति के क्या कारण है;

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) खरीफ 1996 और रबी 1996-97 (31..1.1997 तक) के दौरान आंध्र प्रदेश में यूरिया की आपूर्ति निम्न प्रकार है :–

(हजार मीटरी टन)

	अनुमानित आवश्यकता	आपूर्ति	खपत
खरीफ 1996	953.50	1026.18	991.38
रबी 1996-97	1020.00	890.32	690.78
(31.1.97 तक)		(31.1.97 तक बिक्री)	

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

513. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 26 नवम्वर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 658 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने हेतु रूपात्मकताएं तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण निकासी प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने के लिए रूपात्मकताओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

केरल को चावल का कोटा

514. श्री टी० गोविन्दन : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "विष्णु" त्योहार तथा आगामी मानसून जिसमें केरल के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अत्यधिक रूप से प्रवाहित होते हैं, को ध्यान में रखते हुए केरल के लिए चावल का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) "विशु" त्योहार और आगामी मानसून के संबंध में चावल का कोटा बढ़ाने के लिए केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

टिन-प्लेटस

515. श्री सुशील चन्द्र : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में आयात की जानी वाली टिन-प्लेटों में पेंटिड टिन प्लेटें भी शामिल हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन पेंटिड टिन-प्लेटों का खाद्य तेल के कनस्तर बनाने में उपयोग किया जा रहा है और इन कनस्तरों को खाद्य तेल की पैंकिंग के लिए थोक और खुदरा व्यापारियों को बेचा जा रहा है;

(ग) क्या टिन पर पोता गया पेंट खाद्य में मिल जाता है जिससे तेल की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है;

(घ) क्या सरकार को इस बारे में संसद सदस्यों और अन्य लोगों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (च) सरकार को श्री सुशील चन्द्र वर्मा, संसद सदस्य, दि इंडियन टिन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और जम्मू व कश्मीर एक्स सर्विस मैन को-ऑपरेटिव सोसायटीज, जम्मू से शिकायें प्राप्त हुई हैं जिनमें खाद्य तेल और वनस्पति की पैंकिग हेतु टिन के डिब्बों के निर्माण ने आयोजित रंगीन टिन प्लेटों के प्रयोग किए जाने का आरोप लगाया है तथा ऐसे टिन प्लेटों के उपयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया है।

टिन की उपयुक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. इस मंत्रालय के दिनांक 1 नवम्बर, 1995 के आदेश द्वारा वनस्पति की पैंकिंग में केवल नए टिन के डिब्बों का उपयोग निर्धारित किया गया है। इन आदेशों को अनुपालना और प्रवर्तन हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी एजेंसियों, वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय के क्षेत्रीय अधिकारियों तथा तेल उद्योग के प्रतिनिधियों को सूचित कर दिया गया है। इस मंत्रालय ने तेल उद्योग और व्यापार का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशनों को जून, 1996 में पुनः इन आदेशों को कड़ाई से लागू करने और दोषी/आदेशों का पालन नहीं करने वाले यूनिटों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिनांक 4.8.1995 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किए गए हैं ताकि खाद्य तेलों और वसा की पैंकिग में केवल नए टिन के डिब्बों के उपयोग की अनुमति दी जाए।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय को भी, ग्रेडिंग स्टेशनों में उचित सावधानी वरतने की सलाह दी गई है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य तेलों की पैकिंग में घटिया किस्म के टिन का उपयोग नहीं किया जाए।

4. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति के प्रभारी सचिवों से भी आदेशों को कड़ाई से लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि टिन वनाने की सामग्री की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

खाद्यान्नों का उत्पादन

516. श्री मुखतार अनीस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान रबी और खरीफ फसल के विभिन्न खाद्यान्नों का राज्यवार और फसलवार अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) वर्ष 1995-96 में हुए वास्तविक उत्पादन की तुलना में प्रतिशतता में कितना परिवर्तन हुआ है;

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) राज्यों से वर्ष 1996-97 के लिये खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान मिलने का अभी समय नहीं हुआ है। फिर भी, वर्तमान आकलन के अनुसार 1996-97 के दौरान कुल मिलाकर देश के लिए कुल खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 191.18 मिलियन मी. टन होने की आशा है जो कि 1995-96 के आंकड़े से 3.3 प्रतिशत अधिक है। 1995-96 के तुलना में 1996-97 में खाद्यान्नों के उत्पादन का फसलवार, मौसमवार अखिल भारतीय अनुमान का विवरण संलग्न है।

विवरण

खाद्यान्नों के उत्पादन का फसल-वार, मौसम-वार अखिल भारतीय अनुमान

(मिलियन मी. टन)

फसल	मौसम	1995-96 अन्तिम	1996-97 सम्भावित	परिवर्तन
चावल	खरीफ	70.10	70.63	0.2
	रबी/ग्रीष्म	9.52	9.00	-5.5
	कुल	79.62	79.63	0.0
गेहूं		62.62	64.50	3.0
ज्वार	खरीफ	5.86	6.90	19.1
	रबी	3.69	4.00	8.4
	कुल	9.55	10.98	15.0
वाजरा	3.39	5.39	7.47	38.6
मक्का	खरीफ	8.43	8.65	2.6
	रबी	1.01	1.00	-1.0
	कुल	9.44	9.65	2.2
रागी		2.76	2.62	-5.1
छोटे कदन्न		0.02	0.82	0.0
जौ		1.65	1.50	-9.1
मोटे अनाज	खरीफ	23.26	26.55	14.1
	रबी	6.35	6.50	2.4
	कुल	29.61	33.05	11.6
अनाज	खरीफ	93.36	97.18	4.1
	रबी	78.49	80.00	1.9
	कुल	171.85	177.18	3.1
तुर		2.36	2.97	25.8
अन्य खरीफ दालें		2.47	3.03	22.7
चना		5.02	5.50	9.6
अन्य रबी दालें		3.34	3.00	-10.2
कुल दालें	खरीफ	4.83	6.00	24.2
	रबी	8.36	8.00	-4.3
	कुल	13.19	14.00	6.1
कुल खाद्यान्न	खरीफ	98.19	103.18	5.1
	रबी	86.85	88.00	1.3
	कुल	185.04	191.18	3.3

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

517. श्री जयसिंह चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यरि हां, तो तत्संवंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 के लिए फसलवार और मदवार कृषि उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(घ) वर्ष 1996-97 के उत्पादन में कितने प्रतिशत कृषि उत्पादन का अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) कृषि उत्पादन संबंधी लक्ष्यों को अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से देश में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के अंतर्गत क्वालिटी बीजों के उपयोग उन्नत कृषि उपस्करों, छिड़काव यंत्रों आदि के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी के कारगर अंतरण के लिए तथा कृषक प्रशिक्षण/खेतों पर प्रर्दशन आयोजित किए जा रहे हैं। जैव कीटनाशियों तथा समेकित कीट प्रबंध पर भी जोर दिया जाता है।

[अनुवाद]

फायर अकादमी

518. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने हेतु बड़ौदा में हाल ही में "फायर अकादमी" स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में इस प्रकार के कार्यकलापों का वित्तपोषण करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न हो रही पर्यावरणीय समस्याओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपांय किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास विभाग, गुजरात सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय स्व-सरकार के बड़ौदा केन्द्र ने 1979 में क्षेत्रीय अग्नि सेवा स्कूल शुरू किया। इस स्कूल की दुर्घटना रोकने के संबंध में अग्नि कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए मान्यता प्रदान किया गया। गुजरात सरकार ने इस स्कूल के लिए एक वारगी 10.00 लाख रुपए उपलब्ध कराए।

(ग) और (घ) सिविल रक्षा महानिदेशक, गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इस मंत्रालय ने एक अग्नि सेवा कालेज अर्थात् नागपुर में अग्नि सेवा कालेज स्थापित किया।

(ङ) सरकार का प्रस्ताव है कि शीघ्रगति नगरीकरण और औद्योगीकरण से होने वाली निम्नलिखित पर्यावरण संबंधी समस्याओं को रोका जाए :–

1. ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय योजना से संबंधित परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन करना, वांछनीय मानकों और स्थल मानकों से संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय/पारि-विकास योजनाएं बनाना।

2. मानव व्यवस्थापन की अंधाधुंध वृद्धि को रोकने के लिए निवारक उपाय और पहाड़ी क्षेत्रों तथा तटीय भू-भागों जैसे अति संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को रोकना।

3. विशिष्ट अवसंरचनात्मक सेवाओं के गौण शहरों एवं नगरों की स्थापना के माध्यम से नगरीकरण का विकेन्द्रीकरण और राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर मानव व्यवस्थापन संदर्श योजना का विकास करके नियोजन संबंधी अवसर।

4. विनियमन के माध्यम से पैतृक निवास स्थानों और भवनों का संरक्षण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे क्षतिग्रस्त तथा अधिक्रमित नहीं हुए हैं तथा वे अंधाधुंध निर्माण एवं प्रदूषण से भी प्रभावित नहीं हुए हैं।

5. पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, अपशिष्टों का पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन।

6. उद्योगों के लिए बहिस्राव कर, संसाधन उपकर लगाकर "प्रदूषणकर्ता ही भुगतान करें सिद्धांत" को अमल में लाना तथा संसाधनों की खपत तथा उत्पादन क्षमता के आधार पर मानकों का कार्यान्वयन।

7. प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्टों में कमी करने के लिए लघु उद्योगों को वित्तीय सहयोग।

8. स्थलों को निर्धारित करते समय संगत उद्योगों को प्राथमिकता देना ताकि यह संभव हो सके कि अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जाए और इस प्रकार निबल प्रदूषण भार कम हो जाएगा।

9. उद्योग लगाने के लिए पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के लिए उद्योगों की अवस्थिति।

10. औद्योगिक एस्टेट और उद्योग समूह के क्षेत्रों में सामान्य बहिस्राव उपचार सुविधाएं स्थापित करने तथा चालू करने के लिए सामूहिक प्रयास।

11. पर्यावरणीय सुरक्षा पहलुओं में जन-जागरूकता हेतु सूचना का प्रचार प्रसार और संकटमय पदार्थो और परिक्रियाओं के संबंध में कामगारों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय।

12. जोखिम अधिष्ठापनों के लिए कार्यस्थल पर आपातकालीन योजनाएं और ऐसे मिलों, जहां जोखिमी अधिष्ठापन स्थित हैं, के लिए कार्यस्थल से दूर आपातकालीन योजनाएं तैयार करना।

13. जान अथवा माल की हानि अथवा क्षति के संबंध में सार्वजनिक देयता बीमा।

14. कुल परियोजना लागत की अभिन्न संघटक के रूप में पर्यावरणीय निरापद अभिरक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण।

15. उद्योग की अवस्थिति के लिए निर्माण स्थलों की उपयोजना और चयन संबंधी पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन।

16. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ऐसी सभी परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान करना जो उपर्युक्त कतिपय आकार और कतिपय कमजोर क्षेत्रों में स्थित है।

घटिया किस्म के गेहूँ का आयात

519. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री महेश कुमार एम० कनोडिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कनाडा और आस्ट्रेलिया से गेहूँ का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयातित गेहूँ घटिया किस्म का है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने गेहूं की घरेलू उपलब्धता बढाने के लिए 2 मिलियन टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसरण में भारतीय राज्य व्यापार निगम ने अब तक लगभग 296 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल अनुमानित लागत और भाड़े की कीमत पर आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना से 16. 75 लाख टन गेहूं आयात करने का ठेका किया है। 19.2.1997 तक 3. 83 लाख टन गेहूं भारतीय पत्तनों पर पहुंच चुका है।

यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं

कि आयातित गेहूं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित किए गए पैरामीटरों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सफाई और संगरोध संबंधी मानदण्डों के अनुरूप हो। ठेकों की शर्तों के अनुसार, कनाडा और आस्ट्रेलिया में जहाज में लादे जाने वाले गेहूं का लदान से पूर्व सरकारी एजेंसियों द्वारा और अर्जेन्टीना के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय साख वाले गुणवत्ता सर्वेक्षकों द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाएगी। हाल ही में यह भी निर्णय किया गया है कि लदान से पूर्व गुणवत्ता संबंधी जांच करने के लिए भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और खाद्य मंत्रालय के गुणवत्ता विशेषज्ञों के संयुक्त दल आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना भेजे जाएं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अदरक और इलायची का समर्थन मूल्य

520 श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अदरक और इलायची के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में किसी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) सरकार सभी मुख्य कृषि जिंसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। अन्य जिंसे, जो अधिकतर बागवानी की होती हैं, तथा जिनमें अदरक और छोटी इलायची सम्मिलित है, मंडी हस्तक्षेप करने की योजना के अंतर्गत आती हैं। मंडी हस्तक्षेप योजना राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जाती है, जहां एक विनिर्दिष्ट मात्रा परस्पर सहमत मूल्य पर खरीदी जाती है तथा हानि, यदि कोई हो, केन्द्र और राज्य द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है।

(ख) मंडी हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत अदरक और छोटी इलायची के लिये किसी राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्र राज्य संबंध

521. श्री सुधीर गिरी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, जहां तक वित्तीय मामलों का प्रबंध है, केन्द्र राज्य संबंधों में उचित परिवर्तन लाने का है;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस समस्या के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर हाल ही में विचार किया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की स्थाई समिति द्वारा 15.1.1997 को आयोजित अपनी बैठक में जिन मुद्दों पर विचार किया गया था, उनमें से एक मुद्दा था—केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की सिफारिशों, खासतौर से वित्तीय शक्तियों का केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को हस्तान्तरण किए जाने संबंधी सिफारिश की समीक्षा करना और उसे अद्यतन बनाना। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारें और स्थाई समिति के सदस्य, केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के हस्तान्तरण की वैकल्पिक योजना सहित इस विषय पर अपने विचार भेजेंगे।

2. नौवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में यह प्रस्ताव किया गया है कि अपनी आयोजनाएं तैयार करने के बारे में राज्यों को वृहत्तर स्वायत्ता एवं स्वतंत्रता दी जाए। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अधिकांश केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सी एस एस) संसाधन सहित राज्यों को अन्तरित कर दी जाएं। 16.1.1997 को आयोजित की गई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को आमतौर पर अनुमोदित किया गया और अनेक मुख्यमंत्रियों ने मांग की कि अधिकांश केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, तदनुरूपी संसाधनों सहित राज्यों को हस्तांतरित कर दी जाएं। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को चरणबद्ध रूप से हस्तांतरित किए जाने के बारे में ब्यौरा तैयार करने पर योजना आयोग में काम चल रहा है।

बंगलादेश से लोगों द्वारा घुसपैठ

522. श्री माधव राव सिंधिया :
श्री चुन चुन प्रसाद यादव :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 दिसम्बर, 1996 के "संडे टाइम्स" में बार्डरगेट्स वलर्ड एण्ड बंगलादेशी स्वैम्य असम शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश के साथ जुड़ी 260 किलोमीटर लम्बी आसानी से पार की जाने वाली सीमा जिसमें घुब्री जिला शामिल है और जो बंगलादेश से असम, त्रिपुरा आने का रास्ता है, की स्थिति के बारे में क्या अनुमान लगाया है; और

(ग) बंगलादेश से भारत में घुसपैठ करने वाले लोगों की कारगर ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सीमा सुरक्षा बल द्वारा असम सैक्टर में रोके गए बंगलादेशी राष्ट्रिकों के नीचे दिए गए आंकड़ो से इस सैक्टर में अवैध आप्रवास के गिरते हुए रूझान का पता चलता है :—

वर्ष	संख्या
1992	2689
1993	1201
1994	1059
1995	1246
1996	791

(ग) भारत में बंगलादेशी राष्ट्रिकों को घुसपैठ की समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा अनेकों उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियन बनाना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, भूमि और तटीय दोनों सीमाओं पर गश्त गहन करना, सीमा सड़कों ओर बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा निगरानी बुर्जो की संख्या बढ़ाना, तथा निगरानी रखने के उपकरणों को उपलब्ध कराना, इत्यादि। इस मामले को बंगलादेश सरकार के साथ विभिन्न अवसरों पर भी उठाया गया हैं। उन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है।

संयुक्त अरब अमीरात से आए भारतीय नागरिकों का पुनर्वास

523. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात से हाल ही में वापस लौटे भारतीय नागरिकों के लिए कोई पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात से लौटे व्यक्तियों की तुरंत रोजगार हेतु संयुक्त अरब अमीरात या किसी अन्य देश में वापस जाने में मदद के लिए कतिपय कार्रवाइयां की गई हैं। इनमें शामिल है—केरल, आन्ध्र प्रदेश आदि में समस्त पासपोर्ट कार्यालयों में विशेष काउंटर खोलना जिससे कि ये वापस लौटे व्यक्ति पासपोर्टा हेतु अपने आवेदन पत्र दाखिल कर सकें, जिनके पास पासपोर्ट तो थे परन्तु कुछ कारणों से ये पासपोर्ट उनके पास नहीं रहे और आपातकालीन प्रमाणपत्रों के आधार पर वे वापस लौटे, उन लोगों को, उनके पहले के पासपोर्टो के ब्यौरे के सत्यापन के पश्चात् डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना और उन लोगों के मामले में जोकि किसी यात्रा दस्तावेज के बिना ही संयुक्त अरब अमीरात गए थे और आपातकालीन प्रमाणपत्रों पर भारत लौटे, पुलिस सत्यापन के बाद नए पासपोर्ट जारी करना। पासपोर्ट कार्यालयों को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वापस लौटे व्यक्तियों के पासपोर्ट संबंध ऐसे अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाना

524. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजाद छत्तीसगढ़ फौज ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के समर्थन में रायपुर, मध्यप्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस मामले में क्या दृष्टिकोण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की उनकी मांग के समर्थन में सरकार को आजाद छत्तीसगढ़ फौज से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार विकेन्द्रीयकरण और राज्यों को अधिक से अधिक शक्तियां हस्तांतरित करने के प्रति वचनबद्ध है जिसके फलस्वरूप विकास के लाभ देश के अभी तक अविकसित क्षेत्रों तक अधिक तेजी से पहुंचने की आशा है, जहां से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांगे उठ रही है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953

525. श्री अमरपाल सिंह :
श्री राजकेशर सिंह :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्यों का एकरूप कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना द्वारा गन्ने का लाभकारी मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गन्ने की खरीद

526. श्री रामकृपाल यादव :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी चीनी मिलें न्यूनतम दर पर गन्ना खरीदती है तथा कौन-कौन सी मिलें तुलनात्मक रूप से उच्च उच्च दर पर खरीदती है;

(ख) इस असंतुलन के क्या कारण है;

(ग) इस अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(घ) राज्यवार वित्तीय रूप से असक्षम चीनी मिलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा बिहार राज्यों में किसानों को भुगतान किए जाने वाले गन्ना मूल्य, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक न्यूतम गन्ना मूल्य से अधिक है। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा एकरूप खेत बाह्य अग्रिम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं तथा किसानों को उन्हीं का भुगतान किया जाता है। गुजरात के मामले में, इस तरह निर्धारित अग्रिम मूल्य प्रत्येक फैक्ट्री में भिन्न-भिन्न होते है। तथापि मौसम के अंत में वास्तविक कार्य परिणाम तथा अन्य तत्वों के आधार पर अंतिम गन्ना मूल्य निकाला जाता है तथा किसानों को इन दो राज्यों की फैक्ट्री द्वारा भुगतान किया जाता है। कर्नाटक राज्य में सरकार द्वारा फैक्ट्री प्रबन्धकों तथा गन्ना किसान संगठनों से बातचीत करके 8.5 प्रतिशत की वसूली से जुड़ा गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाता है। तथापि फैक्ट्री द्वारा अन्तिम गन्ना मूल्य किसानों से बात-चीत करके फैक्ट्री के लाभ को ध्यान में रखते हुए शर्करा निदेशालय कर्नाटक सरकार के निर्देशानुसार तय किये जाते हैं। घोषित गन्ना मूल्य, देय मूल्य की तुलना में गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड 5 'क' के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किए जाते हैं यानि अतिरिक्त प्राप्ति, फैक्ट्रियों तथा गन्ना किसानों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है।

(घ) 31.1.1997 तक बी०आई०एफ०आर० के पास 16 बीमार चीनी मिलों के मामले पंजीकृत थे। चीनी फैक्ट्रियों के राज्य-वार नाम निम्न प्रकार है :–

1. बिहार
   1. चम्पारण शुगर कम्पनी लि०
   2. एच०एम०पी० शुगर लि०
2. केरल
   3. ट्रावनकोर शुगर्ज एंड कैमीकल्स लि०
3. कर्नाटक
   4. सालारजंग शुगर वर्क्स
   5. गंगावती शुगर्ज लि०
4. मध्य प्रदेश
   6. जीवाजी राव शुगर कम्पनी लि०
5. पंजाब
   7. भगवानपुरा शुगर मिल्स लि०
6. राजस्थान
   8. मेवाड़ शुगर मिल्स लि०
7. तमिलनाडु
   9. कावेरी शुगर एंड कैमीकल्स लि०
8. उत्तर प्रदेश
   10. लक्ष्मी शुगर मिल्स
   11. शेरवानी शुगर सिंडीकेट लि०
   12. स्वदेशी माइनिंग एंड मैनयुफैक्चरिंग कम्पनी लि०
   13. घाटमपुर शुगर कम्पनी लि०
   14. उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०
   15. नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लि०
   16. कानपुर शुगर वर्क्स लि०

(ङ) चीनी मिलों को स्वयं ही पुर्नस्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं बनानी होती हैं तथा उन्हें वित्तीय संस्थाओं से मंजूर कराना होता है। इस तरह की पुर्नस्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है बशर्ते वे उनकी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हों।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह

527. श्री ए० पी० जोस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इनसरजेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, इस्लामिक मिलिटेंसी में एलिप्स ऑल मूवमेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। समाचार, अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ पड़ौसी देशों और पाकिस्तान की आई०एस०आई०; द्वारा पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों को दी जा रही मदद से संबंधित है। क्षेत्र में सामान्य स्थिति की बहाली की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं पड़ौसी देशों के साथ सुरक्षा संबंधित मामलों को उठाना, विद्रोह से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों के बीच विद्रोह- विरोधी अभियानों का प्रबोधन, समीक्षा करना तथा उन्हें सुचारू बनाना आपसी संबंधों के सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एक भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। इसी प्रकार, म्यांमार और थाईलेण्ड के साथ विचार-विमर्श को भी व्यवस्थ है। भूटान के साथ भी सूचना का आदान प्रदान किया जाना जारी है।

आर०डी०एक्स० और विस्फोटक पदार्थों का जब्त किया जाना

528. डा० मुरली मनोहर जोशी :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जनवरी, 1997 में विस्फोटक, डेटोनेटर्स और आर०डी०एक्स० पकड़ा गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके भेजने के मूल स्थान के पते सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में वर्ष 1996 के दौरान आर०डी०एक्स० की कितनी मात्रा जब्त की गई;

(घ) क्या विदेशी विध्वंसकारी एजेंसियों ने अपने अड्डे दिल्ली में बना लिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस द्वारा 13 जनवरी, 1997 को दक्षिण दिल्ली के एक प्राईवेट परिसर से 10 कि.ग्रा. आर०डी०एक्स० 4 टाईमर पेंसिल, 10 डिटोनेटर, 4 स्विच फ्यूज और एक प्राईमर एक्सप्लोसिव जब्त किए गए; चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। अभियुक्त व्यक्तियों की गणतंत्र दिवस, 1997 के अवसर पर दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर विस्फोट करने की कथित योजना थी। सभी प्रयासों के बावजूद अभी तक इसके भेजने के मूल स्थान का पता नहीं लग सका है। एक अन्य घटना में, करोल बाग थाने के क्षेत्राधीन आने वाले एक स्थान से 21 जनवरी, 1997 को 4.485 कि०ग्रा० आर०डी०एक्स०, 2 टाईमर पैंसिल और 2 डिटोनेटर जब्त किए गए, तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ग) वर्ष 1996 के दौरान दिल्ली में 12.045 कि०ग्रा० आर० डी०एक्स० जब्त किया गया था।

(घ) नियोजित रूप से दिल्ली से चलाया जा रहा ऐसा कोई "केन्द्र दिल्ली पुलिस की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना

529. श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1997 के "राष्ट्रीय सहारा" में "खतरे में अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा व्यवस्था" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार को दिनांक 2.2.1997 के राष्ट्रीय सहारा (नई दिल्ली संस्करण) में ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात सीमा की सुरक्षा

530. श्री पी० एस० गढ़वी :
श्री छोतुभाई गाभीत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की सुरक्षा का दायित्व सीमा सुरक्षा बल को सौंपा गया है;

(ख) क्या गुजरात में सीमा की चौकसी के लिए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा ऊंट का प्रयोग एक अनिवार्यता है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात के सीमा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के अधीन ऊंटों की संख्या क्या है; और

(घ) सीमा सुरक्षा बल में ऊंटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यद्यपि गुजरात में सीमा की निगरानी हेतु सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा ऊंटों का उपयोग एक अनिवार्यता है, गुजरात में सीमा पर गश्त हेतु ट्रैक्टरों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(ग) गत् तीन वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा बल के पास ऊंटों की संख्या इस प्रकार थी :–

वर्ष	स्वीकृत	वास्तविक संख्या
1994	210	186
1995	210	176
1996	105*	96

*105 ऊंटों के बदले सीमा सुरक्षा बल को ट्रालियों समेत 16 ट्रैक्टर प्रदान किए गए।

(घ) 1996 में हुई ऊंटों की कमी, और अधिक ऊंटों की खरीद करके पूरी की जा रही है तथा इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त निधियां आबंटित की गई हैं।

अन्तर्देशीय मत्स्य बाजार विपणन ढांचा

531. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य अंतर्देशीय मत्स्य विपणन ढांचे को सुदृढ़ रखवाने के संबंध में स्वीकृति हेतु कतिपय परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से नवम्बर, 1996 में मत्स्य विपणन योजना के तहत 3.88 करोड़ रुपये की कुल लगात से 5 एककों की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। 1992-94 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 178 लाख रुपये की कुल लागत पर मंजूर किये गये दो मत्स्य विपणन एककों के अलावा 74 लाख रुपये की लागत पर एकक को मंजूरी दी गई है। अन्य राज्यों से प्राप्ति प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश सरकार को वर्तमान में अतिरिक्त एककों को मंजूरी दिये जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

बाघ परियोजना

532. श्री तारीक अनवर :
श्री मोहन रावले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक पैनल के समक्ष यह बात स्वीकार की है कि बाघ तेजी से मर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने "बाघ परियोजना" संबंधी के पुनर्गठन हेतु और बाघ क्षेत्र संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बाघ की हड्डियों और इसके शरीर के अन्य अंगों के अवैध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए बाघों के अवैध शिकार की हाल ही में कुछ रिपोर्टें मिली हैं। सरकार को स्थिति की जानकारी है और चुनौती का सामना करने के लिए समुचित कदम उठाए हैं और बाघ और इसके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार है :

1. मंत्रालय में एक "बाघ संकट सैल" की स्थापना की गई है;
2. राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है कि निगरानी मजबूत करे और गश्त बढ़ाए।
3. बाघ परियोजना क्षेत्रों में "विशेष प्रहार बल" को प्रारंभ करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
4. बाघ की हड्डियों और उसके शरीर के अन्य अंगों के अवैध व्यापार और तस्करी का सामना करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न करने के लिए और बाघ के अवैध रूप से शिकार की गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए द्विपक्षीय प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने के लिए चीन की जन गणराज्य सरकार के साथ एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
5. बाघ के अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए और रेंज देशों में बाघ और इसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए समन्वित प्रयत्न करने के लिए "विश्व बाघ फोरम" की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।

डेयरी विकास

533. श्रीमती बसुन्धरा राजे : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास की योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या उक्त योजनावधि के दौरान राजस्थान में कोई ऐसी योजना शुरू की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान योजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार डेयरी क्रियाकलापों को सहकारिता आधार पर प्रोत्साहन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं योजना में उस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं तथा नौंवी पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में पुशपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) भारत सरकार ने गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए आठवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकीकृत डेयरी विकास परियोजना शरू की। निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त परियोजनाएं अनुमोदित की गई तथा वे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं : (1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (2) आंध्र प्रदेश (3) अरूणाचल प्रदेश (4) असम (5) बिहार (6) गुजरात (7) हरियाणा (8) जम्मू तथा कश्मीर (9) मध्य प्रदेश (10) महाराष्ट्र (11) मणिपुर (12) मेघालय (13) मिजोरम (14) नागालैण्ड (15) उड़ीसा (16) सिक्किम (17) तमिलनाडु (18) त्रिपुरा (19) उत्तर प्रदेश (20) पश्चिम बंगाल।

(ख) राजस्थान के सभी जिले ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में शामिल हैं।

(ग) राजस्थान में दिसम्बर, 1996 तक ऑपरेशन फ्लड-3 के प्रमुख घटकों की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) डेयरी विकास का ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम पूर्णतया

सहकारिता आधार पर है। सरकार का नौवीं योजना अवधि में सहकारिताओं के नेटवर्क को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विवरण

दिसम्बर, 1996 तक राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड-3 के प्रमुख घटकों की प्रगति

जिला सहकारी समितियों की (संख्या)	5170 *
कृषक सदस्य (संख्या)	3371401 *
दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता (हजार लीटर प्रतिदिन)	1050
औसत दुग्ध अधिप्राप्ति (हजार किलोग्राम प्रतिदिन)	492
औसत दुग्ध विपणन (हजार लीटर प्रतिदिन)	278

*सितम्बर, 1996 के आंकड़े

कृषि क्षेत्र के लिए आबंटन

534. श्री बी० एल० शंकर :
श्री पी० सी० थामस :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने के लिए विचाराधीन/प्रस्तावित नई योजनाओं, प्रस्तावों और स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए कृषि क्षेत्र के लिए स्वीकृत परिव्यय की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) नौंवी पंचवर्षीय योजनावधि में कृषि क्षेत्र के लिए प्रत्येक राज्य को कुल कितना आबंटन किया गया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) नौंवी योजना में कृषि विकास के लिए परिव्यय और कार्यक्रमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक मूल्य वसूल किया जाना

535 श्री के० एस० रायुडू :
श्री सिद्दय्या कोटा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने यह आरोप लगाया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपभोक्ताओं को घटिया किस्म के अनाज की आपूर्ति कर अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आयोग के परामर्श के अनुसार जन कल्याण हेतु अलग धनराशि रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय खाद्य निगम को यह नोटिस जारी किया है कि उसने विशेष रूप से केरल राज्य में उपभोक्ताओं से घटिया श्रेणी का चावल उच्च श्रेणी में जारी कर अधिक धनराशि ली है।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने उल्लेख किया है कि निम्न श्रेणी का स्टाक उच्च श्रेणी में जारी किया गया था जिसके लिए उच्च श्रेणी की दरें ली गई थीं। यह आरोप लगाया गया था कि भारतीय खाद्य निगम ने 418.71 लाख रुपए की राशि अर्जित की है और ग्राहकों से उस सीमा तक अधिक धनराशि ली गई थी।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को विस्तृत उत्तर भेजा है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल जारी करने में अपनाई जा रही कार्यविधि दी गई है।

निम्न श्रेणी का चावल उच्च श्रेणी के रूप में अथवा उच्च श्रेणी का चावल निम्न श्रेणी के रूप में जारी करने के कारण भारतीय खाद्य निगम को अधिक राशि प्राप्त नहीं हुई है चूंकि इसे सरकार द्वारा निगम को दी जा रही सब्सिडि की राशि में समायोजित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम ने निर्णय किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल का स्टाक जारी करने के प्रयोजनार्थ नामित अधिकारियों की समिति की स्थल जांच के आधार पर स्टाक जारी करने की बजाए परेषितियों से प्रेषण कागजात प्राप्त हो जाने के बाद ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल का स्टाक जारी किया जाए। इससे इन स्थानों के उपभोक्ताओं को थोड़ी सी असुविधा होगी जहा थोड़ी क्षमता के गोदाम स्थित हैं।

अंडों की खपत

536. डा० एम० जगन्नाथ : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडे के अधिक उत्पादन के कारण नये बाजार का पता लगाने के उद्देश्य से विशेषकर उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में अंडे से होने वाले लाभ को लोगप्रिय बनाने हेतु प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति जैसे कुछ संगठनों ने विभिन्न जन सम्पर्क माध्यमों के जरिए देश में अंडा खपत के लाभों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए है।

[हिन्दी]

गेहूं का आबंटन

537. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री डी० पी० यादव :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने चालू मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं का आबंटन बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के आबंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किए हैं।

(ख) नवम्बर, 1996 से मार्च, 1997 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित) के लिए कुछेक राज्य सरकारों द्वारा मांगे गए गेहूं के मासिक कोटे और उनको किए गए गेहूं के मासिक आबंटन को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित) के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, उनकी संगत आवश्यकताओं, उठान प्रवृत्ति, केन्द्रीय पूल में स्टाक स्थिति, मौसमी उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय पूल से किए गए इस प्रकार के आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के अनुपूरक होते हैं न कि किसी राज्य की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए।

विवरण

गेहूं के आबंटन के बारे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नवम्बर, 1996 से मार्च, 1997 तक के दौरान मांग और आबंटन बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति माह मांग	कोटा		आबंटित	
		नवम्बर, 96	दिसम्बर, 96	जनवरी, 97	फरवरी, 97	मार्च, 97
1.	दिल्ली	72.00	60.00	60.00	65.00	65.00
2.	हरियाणा	35.00	16.56	18.56	18.56	20.00
3.	हिमाचल प्रदेश	18.00	10.00	10.00	12.00	12.00
4.	कर्नाटक	50.00	28.00	28.00	30.00	30.00
5.	मध्य प्रदेश	100.00	44.00	50.00	50.00	60.00
6.	महाराष्ट्र	120.00	80.00	80.00	90.00	100.00
7.	मणिपुर	7.00	2.70	2.70	2.70	2.70
8.	मिजोरम	2.50	1.90	1.90	1.90	1.90
9.	पंजाब	17.00	8.00	10.00	12.00	15.00
10.	राजस्थान	185.00	118.00	117.00	122.00	127.00
11.	सिक्किम	1.10	0.60	0.60	0.60	0.60
12.	उत्तर प्रदेश	109.20	80.00	90.00	98.30	113.80
13.	पश्चिम बंगाल	120.00	90.00	90.00	105.00	110.00

वन भूमि का विनियमन

538. श्री डी० पी० यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियमन के लिए अवैध कब्जे वाली वन भूमि के बारे में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) वन भूमि पर अवैध कब्जों के नियमितिकरण के लिए अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण

539. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन गणनाओं के गणना आंकड़ों के अनुसार संकटापन्न प्रजातियों में से प्रत्येक की संख्या के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अवैध शिकारियों की वन रक्षकों और पुलिस कार्मिकों के साथ मिली-भगत से देश में संकटापन्न प्रजातियों के उत्तरजीविता को खतरा पैदा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वनों की सुरक्षा के लिए ऐसी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए कोई कठोर कार्यवाही/कानून बनाने का है और इसके अनुपालन के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) मुख्य संकटापन्न प्रजातियों के पिछली तीन गणनाओं के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :–

क्र०	प्रजाति	वर्ष		
सं०	का नाम	1984	1989	1993
1.	वाघ	4005	4334	3759
2.	तेंदुआ	4744	6763	6828
3.	हाथी	18960 (1985)	17635 कम से कम 24090 अधिकतम	22796 कम से कम 28346 अधिकतम
4.	गैंडा	लागू नहीं	1591	1566 (1995)
5.	शेर	239 (1985)	284 (1990)	304 (1995)

(ख) अधिकारियों और अवैध शिकारियों का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

(ग) और (घ) संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं इनमें शामिल हैं : शिकार के विरूद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत वाणिज्यिक शोषण:, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना :, बाघ, हाथी और गैंडा आदि संकटापन्न प्रजातियों के लिए विशेष परियोजनाएं क्रियान्वित करना, अन्तर-विभागीय समन्वय के माध्यम से वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अवैध शिकार रोधी अवसंरचना प्रदान करना। इसके अलावा, इन अधिनियमों के दण्डनीय प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया गया है।

बाघ परियोजना के लिए प्रहार बल

540. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के बाघ अभयारण्य में संकटापन्न बाघों की सुरक्षा के लिए वायरलेस सेट, बंदूक, मोटर साइकिल और जीव जैसे साधनों से सम्पन्न सचल कृतक बल का गठन करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन बाघ आरक्षित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के कल्याणार्थ क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी, हां। नौवीं योजना के दौरान प्रत्येक बाघ रिजर्व में एक "विशेष प्रहार बल" की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि बाघों के चोरी-छिपें शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों की समस्या का मुकाबला करने के लिए जरूरी जन-शक्ति तथा उपकरण प्रदान किए जा सकें।

(ग) अनेक राज्यों में कर्मचारी स्कीमें हैं जिनमें बाघ रिजर्वों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को "परियोजना भत्ता" प्रदान करने की स्कीम भी शामिल है। भारत सरकार ने अन्य राज्यों को भी सलाह दी है कि वे प्राथमिकता के आधार पर ऐसी कल्याणकारी स्कीमें शुरू करें और कार्यान्वित करें।

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

541. श्री संतोष मोहन देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान की है ताकि बढ़िया पर्यावरणीय रिकार्ड वाले विदेश निवेशक निवेश में सहभागी हो सके तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकियां प्रदान कर सकें।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वायु प्रदूषण के नियोजन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की भी मांग की है;

(ग) क्या नई औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृति अवधि कम कर दी गई है तथा 500 मिलियन तक कि परियोजना को केन्द्र की स्वीकृति की जरूरत नहीं है; और

(घ) अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति वाले मामलों के शीघ्र निपटान हेतु मंत्रालय ने किस हद तक नियमों में संशोधन किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) यद्यपि हरित क्षेत्र सीमा के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है फिर भी भारत सरकार इस बात पर जोर देती रही है कि उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। साथ-साथ निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं जिससे निवेशक स्वच्छतर प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रेरित होंगे :

– वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए मानदंण्ड निर्धारित करना।

– खतरनाक अपशेषों के प्रबंधन के लिए नियम बनाना।

– इको मार्क स्कीम।

– सामूहिक बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्कीम।

– अपशेष न्यूनतमीकरण चक्र बनाने के लिए स्कीमें।

– पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से औद्योगिक परियोजनाओं में स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों का आंतरीकरण।

(ग) और (घ) दिनांक 27.1.1994 की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना में व्यवस्था है कि परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेज एवं आंकड़े प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा तथा उसके बाद 30 दिनों के भीतर निर्णय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। मंत्रालय पर्यावरण निकासी के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने की प्रगति की नियमित निगरानी कर रहा है।

[हिन्दी]

पुलिस हिरासत में मौतें

542. श्री ललित उरांव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तत्कालीन अध्यक्ष ने यह महसूस किया था कि मानव अधिकारों का सबसे ज्यादा उल्लंघन पुलिस द्वारा किया जाता है और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पुलिस ज्यादतियों के कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) क्या मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता दर्शायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष ने मई 1996 में लायंस क्लब इंटरनेशनल के स्वर्ण जयंती समारोह में बोलते हुए यह कहा था कि मानवाधिकार का उल्लंघन करने में सबसे अधिक दोषी पुलिस है।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रिकार्ड के अनुसार गत् तीन वर्षों के दौरान पुलिस ज्यादतियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :–

1993-94	62
1994-95	635
1995-96	1291

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस मानवीय ढंग से व्यवहार करे तथा हिरासत में हुई कथित मौतें व पुलिस ज्यादतियों की वारदातें, जब भी हों, उनकी जांच-पड़ताल की जाए तथा सखती से निपटा जाए। पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण पाठयक्रम में सभी स्तरों पर मानवाधिकार के विषयों पर विशेष बल दिया जा रहा है। "प्रवेशकालीन" और "सेवाकालीन" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जांच-पड़ताल के लिए वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग के बारे में पुलिस को सुग्राही बनाने के लिए विशेष सामग्री शामिल की गई हैं।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बारे में मतभेद

543. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लक्षित संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी०आर०पी०डी०एस०) योजना का लाभ पाने के पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के निर्धारण के बारे में गहरे मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को लक्षित संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी०आर०पी०डी०एस०) योजना का लाभ पहुंचाने हेतु इन मतभेदों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एस०पी०जी० सुरक्षा

544. श्री बृजभूषण तिवारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस०पी०जी० सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट महिलाओं को उनके विवाह के पश्चात् भी उक्त सुरक्षा मिलती रहेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस प्रकार की अनावश्यक सुरक्षा पर होने वाले परिहार्य व्यय को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) एस०पी०जी० के यथा-संशोधित प्रावधानों के अनुसार, एस०पी०जी०, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री परिवार के सदस्यों तथा पूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को, उनके पद त्यागने की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों तक के लिए उन्हें समीपस्थ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। परिवार के सदस्यों में पत्नी, पति, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं। अतः, एस०पी०जी० सुरक्षा प्राप्त अति विशिष्ट महिलाओं को विवाह के उपरान्त भी ऐसी सुरक्षा मिलनी जारी रहेगी। एस०पी०जी० अधिनियम में इस समय किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उर्वरक मूल्य नीति

545. डा० कृपासिंधु भोई :
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्तमान अवधारण मूल्य योजना में वैकल्पिक तंत्र का पता लगाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य नीति समीक्षा समिति गठित की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) समिति की शर्तें क्या हैं,

(घ) क्या संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई उर्वरक मूल्य संबंधी सिफारिशों की भी उक्त समिति द्वारा समीक्षा की जानी है,

(ङ) यदि नहीं, तो इसक क्या कारण हैं, और

(च) समिति द्वारा कब तक अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां। यूरिया की वर्तमान राजसहायता पद्धति की पुनरीक्षा करने तथा एक यौक्तिक, विस्तृत आधार वाली, वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति का सुझाव देने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुररीक्षण समिति का गठन 28.1.97 को किया गया है।

(ख) और (ग) इस समिति का गठन तथा विचारार्थ विषय इस प्रकार है :–

समिति का गठन

1.	प्रो० सी०एच० हनुमन्या राव, पूर्व सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	प्रो० जी०एस० भल्ला	
3.	श्री पी०बी० कृष्णास्वामी पूर्व सचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य
4.	अध्यक्ष, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी०आई०सी०पी०) (पदेन)	सदस्य
5.	श्री ओ०एन०कपूर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी०डी०आई०एल०)	सदस्य
6.	श्रीमती कान्ता आहूजा अर्थशास्त्री, जयपुर	सदस्य
7.	कार्यकारी निदेशक उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ०आई०सी०सी०) (पदेन सचिव)	सदस्य

समिति के विचारार्थ विषय :

(i) उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य स्कीम (आर पी एस) के कार्यकरण की पुनरीक्षा करना तथा आर्थिक सुधार के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पद्धति के दोषों को दूर करने हेतु सुझाव देना।

(ii) पर्याप्तता अथवा अन्यथा इस उद्योग को प्रोत्साहनों की पुनरीक्षा करना शुद्ध पूंजी पर लाभ का औचित्य, क्षमता उपयोगिता मानको, मूल्यह्रास आदि से सम्बद्ध मुद्दे।

(iii) नई उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में उपयुक्त पूंजी मानकों तथा ऋण साम्य अनुपात के सुझाव देना।

(iv) इनपुट मूल्य निर्धारण नीति तथा आर पी एस पर इसके प्रभावों की पुनरीक्षा करना।

(v) समीकृत भाड़ा प्रणाली की पुनरीक्षा करना तथा गमन दूरी कमी करने हेतु क्षेत्रवार संचलन को अल्पतम करने सहित इसे यौक्तिक बनाने के उपाय की सिफारिश करना।

(vi) उर्वरक उद्योग के नियंत्रित तथा नियंत्रणमुक्त खण्डों के संबंध में नीतियों विशेषकर उर्वरकों की उपलब्धता पर अतिक्रमक नीतियों और नियंत्रित तथा नियंत्रणामुक्त उर्वरकों को सापेक्ष मूल्य-निर्धारण कीरसशक्तिशीलता में सुधार करने के उपायों का सुझाव देना ताकि उर्वरक राजसहायता को एक तर्कसंगत स्तर पर रखते हुए कृषि की दृष्टि से वांछनीय एन०पी० के खपत अनुपात प्राप्त किया जा सके।

(vii) उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य मद।

(घ) तथा (ङ) इसके विचारार्थ विषयों में वर्णित मुद्दों का गहन अध्ययन करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

(च) समिति से 6 माह की अवधि के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने की अपेक्षा है।

खनन कार्य से प्रदूषण

546. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री सुख लाल कुशवाहा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां खनन कार्य, जिसमें हीरे का खनन भी शामिल है, के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।

(ख) उक्त स्थानों पर हो रहे प्रदूषण का अलग-अलग स्तर क्या है, और

(ग) प्रदूषण को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इसके लिए कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) खनन कार्य सामान्यतया कोयला, जस्ता, सीसा, तांबा, लोहा,

बाक्साइट, ग्रेनाइट तथा स्लेट से संबंधित होता है। देश में 115 कोयला खानें हैं जो अधिकतर बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार राज्यों में हैं। तांबें की खानें राजस्थान तथा बिहार राज्यों में हैं। लौह-अयस्क की खानें कर्नाटक, गोवा, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में है। बाक्साइट की खानें आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में हैं। ग्रेनाइट की खानें आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों में हैं। स्लेट की खाने मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हीरे की खान मध्य प्रदेश में पन्ना में स्थित है।

(ख) खनन कार्यों में जल और वायु प्रदूषण पैदा होता है। जल प्रदूषण मुख्यतः निम्न कारणों से होता है :–

- निलम्बित कोयला और शैल-चूण युक्त खनन जल का निकलना, और
- खान से अपवाहित अम्ल जल।

खनन कार्यों से वायु प्रदूषण होता है क्योंकि खनन और उससे जुड़े विभिन्न कार्यों के दौरान धूल उड़ती है। भूमिगत खनन की तुलना में खुल खनन कार्यों से पर्यावरण अधिक प्रदूषित होता है।

(ग) प्रदूषण के उपशमन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- जिन स्थानों पर धूल उड़ती है वहां साइक्लोन और गीले स्क्रबर लगाना,
- आने-जाने वाले मार्गों/सड़कों पर जल छिड़काव करना,
- जहां आवश्यक हो वहां अम्ल निष्कासन का शोधन करना।
- भारतीय उद्योग भी खनन कार्यों से उत्पन्न पर्यावरणीय पहलुओं के समाधान के वास्ते सुरक्षात्मक उपाय करता रहा है। अब तक 8 खानों को आई०एम०ओ०-14001 के लिए प्रमाणित किया जा चुका है। इनमें दो बाक्साइट की खानें तथा शेष 6 लौह-अयस्क की खाने हैं।

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत जारी जनवरी, 1994 की प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना के अनुसार खनन परियोजनाओं (5 हैक्टेयर से अधिक पट्टे वाले प्रमुख खनिज) को मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होती है और इस प्रकार की स्वीकृति देते समय उनकी पर्यावरण संबंधी प्रबंध योजनाओं में शामिल किए जाने के वास्ते पर्यावरणीय शर्तें रखी जाती हैं ताकि वे परियोजना लागत में प्रदूषण उपशमन और पर्यावरण सुरक्षा पर आने वाली लागत को भी शामिल कर सके।

जस्ते की कमी

547. श्री संदीपान थोरात : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1997 के "द इकानॉमिक टाइम्स" में "जिंक पॉसिटी में हिट व्हीट क्रॉप" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को माइक्रोप्यूट्रिएंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ङ) जी हां, जिंक भस्म/स्किमिंग जिंक सल्फेट के निर्माण के लिए कच्चा माल हैं, जिसका आंशिक रूप में आयात किया जाता है। हाल ही में इस सामग्री की कमी महसूस की जाने लगी है, क्योंकि इसे प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस मंत्रालय ने इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया है ताकि कच्चे माल का पर्याप्त आयात करने को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लाया जा सके।

कृषि विज्ञान केन्द्र

548. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :
श्री दिनशा पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कृषि विज्ञान केन्द्रों के क्या नाम हैं जो पूरी तरह से कार्यरत हैं :

(ख) क्या स्थापना के कई वर्षों के पश्चात भी अधिकांश कृषि विज्ञान केन्द्र पूरी तरह से कार्यरत नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और

(घ) उन्हें सक्रिय बनाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। इसमें से 183 आठवीं योजना के पहले स्थापित किए गए थे। आठवीं योजना के दौरान 78 कृ०वि० केन्द्र स्वीकृत किए गए जो स्थापित होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

183 में से कुल 121 कृ०वि० केन्द्र (66%) पूर्णतः कार्य कर रहे हैं। इनमें वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारी, प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षुओं का छात्रावास, प्रदर्शन एकक अनुदेश फार्म तथा आवश्यक उपकरण का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। शेष 52 को सुसज्जित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) अधिक मात्रा में धन का लगर्ना, सिविल निर्माण की लागत में वृद्धि तथा निधियों की बाधाएं मुख्य कारण हैं।

(घ) मौजूदा कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए संरचना आधार संबंध सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के बढ़ाने हेतु योजना आयोग को एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

पूर्ण रूप से कार्य कर रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

क्रम सं०	कृषि विज्ञान केन्द्र का स्थान
आन्ध्र प्रदेश	
1.	कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, अमडालवल्सा, जिला–श्री काकुलम–532523 (आ०प्र०)
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र, नान्डयाल, एम०सी०फार्म, पी०ओ० जिला–कुरूनूल–518503 (आ०प्र०)
3.	कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० बारंगनापल्ली, यंगतिपल्ली–513524, जिला–कुरूनूल (आ०प्र०)
4.	कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ०बा० सं० 214, जहीराबाद, जिला–मेडक–502220 (आ०प्र०)
5.	कृषि विज्ञान केन्द्र, आर०ए०एस०एस० वनस्थली, करकनबांदी गांव, जिला–चिट्टूर-517501 (आ०प्र०)
6.	कृषि विज्ञान केन्द्र, गड्डीपल्ली-508201 जिला–नलगैंडा (आ०प्र०)
7.	एन०जी० रंगा कृषि विज्ञान केन्द्र, विनयाश्रम, कवूर, गुंटूर–जिला (आ०प्र०)
8.	कृषि विज्ञान केन्द्र, सी०आर०आई०डी०ए०, हैदराबाद, जिला–रंगरेड्डी (आ०प्र०)
9.	कृषि विज्ञान केन्द्र, कल्वाचेरल, राजामुन्द्री–533105 जिला-पूर्वी गोदावरी (आ०प्र०)
10.	कृषि विज्ञान केन्द्र, जम्मी कुन्टा जिला–करीमनगर (आ०प्र०)
आसाम	
11.	कृषि विज्ञान केन्द्र, नापाम, मैसर्स पी०बी० सं०-51 तेजपुर प्रधान डाक घर, सोनितपुर (असम)
12.	कृषि विज्ञान केन्द्र, असम कृषि विश्वविद्यालय, तरलीपाड़ा, गोसाईगांव–783360, जिला–कोकड़ाझार (असम)
बिहार	
13.	कृषि विज्ञान केन्द्र, वी०पी०ओ० बसइथ, चांदपुरा, मधुबनी-847102 (बिहार)
14.	कृषि विज्ञान केन्द्र, अगवानपुर, जिला–सहरसा-859901 (बिहार)
15.	कृषि विज्ञान केन्द्र, मुंगेर, पी०ओ० संकासपुर, जिला–मुंगेर–811201 (बिहार)
16.	कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० विजयनगर, बांका-813101 (बिहार)
17.	कृषि विज्ञान केन्द्र, रामकृष्ण मिशन आश्रम, पी०ओ० मोरावादी, रांची-834008 (बिहार)
18.	कृषि विज्ञान केन्द्र, सुजानी, पी०ओ० घोरलास, जिला–देवघर-814152 (बिहार)
19.	कृषि विज्ञान केन्द्र, होलीक्रास वी०टी०आई०, हजारीबाग-825301 (बिहार)
20.	कृषि विज्ञान केन्द्र, पी०ओ० सोखोदेवरा, जिला–नावादा-805106 (बिहार)
21.	कृषि विज्ञान केन्द्र, बनवासी सेवा केन्द्र, पी०ओ० अघौरा, कमूर पलेटू, भभुआ-821116 (बिहार)

गुजरात

22. कृपि विज्ञान केन्द्र,
देसा,
जिला—बनासकंठा-385535 (गुजरात)

23. कृपि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय मोटे अनाज पर्वतीय अनुसंधान केन्द्र
वघसी, डंगस (गुजरात)

24. कृषि विज्ञान केन्द्र,
देवताज (सौजित्रा),
जिला—खेड़ा-387240

25. कृपि विज्ञान केन्द्र,
रंगधजा गांव,
गांधीनगर-383630 (गुजरात)

26. कृपि विज्ञान केन्द्र,
पी०ओ० अमेती आश्रम,
वाया वापी, जिला—वलसाद-396191
(गुजरात)

27. कृपि विज्ञान केन्द्र,
समाडा, गनवाडा,
तालुका-सिद्धपुर महेसाना-384130
(गुजरात)

28. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मुन्द्रा,
जिला-कच्छ-370421 (गुजरात)

हरियाणा

29. कृपि विज्ञान केन्द्र,
श्री बी०बी० आश्रम रामपुरा,
रेवाड़ी-123401 (हरियाणा)

30. कृपि विज्ञान केन्द्र,
राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान,
करनाल-132001 (हरियाणा)

हिमाचल प्रदेश

31. कृषि विज्ञान केन्द्र,
एच०पी०के०वी०, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
धौला कुआं, जिला—श्रीमूर-173001 (हि०प्र०)

32. कृपि विज्ञान केन्द्र,
एच०पी०के०वी० कृषि अनुसंधान केन्द्र,
बजौरा, कुल्लू—175125 (हि०प्र०)

33. कृषि विज्ञान केन्द्र,
वरा,
जिला-हमीरपुर-177044 (हि०प्र०)

जम्मू और कश्मीर

34. कृपि विज्ञान केन्द्र,
मालंगपुरा,
जिला-अनन्तनाग

कर्नाटक

35. कृपि विज्ञान केन्द्र,
हनुमानमती-581135,
जिला-धारवाड़

36. कृपि विज्ञान केन्द्र,
कृपि अनुसंधान केन्द्र,
जनवाड़ा, बिदर

37. कृपि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
मुदीगेरे-577132
चिकमंगलूर

38. कृपि विज्ञान केन्द्र,
के०एच० पाटिल कृपि विज्ञान फांउडेंशन,
हुलकोटी-582205,
गडाग तालुक,
जिला-धारवाड़

केरल

39. कृपि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
पत्ताम्बी-679306,
जिला-पालघाट (केरल)

40. कृपि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
अम्बालावायाल-673593,
जिला-वासनगार (केरल)

41. कृपि विज्ञान केन्द्र,
मित्रानिकेतन,
वेलनाड-696543,
त्रिरूअनन्तपुरम (केरल)

42. कृषि विज्ञान केन्द्र,
के०रो०फ०अनु० संस्थान,
कासरगोड़-671124 (केरल)

43. कृषि विज्ञान केन्द्र,
नराक्कल,
एरनाकुलम (केरल)

मध्य प्रदेश

44. कृषि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र,
चन्दनगांव, छिंदवाड़ा-480001
(म०प्र०)

45. कृषि विज्ञान केन्द्र,
ज०ला०ने०कृ०वि०वि०, फार्म
झखुआ-457661 (म०प्र०)

46. कृषि विज्ञान केन्द्र, के०कृ०अ० संस्थान,
नबीबाग, वैरसिया रोड,
भोपाल-462018 (म०प्र०)

47. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मैसर्स कस्तुरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल न्यास
कस्तुरबाग्राम, इंदोर-420020 (म०प्र०)

महाराष्ट्र

48. कृषि विज्ञान केन्द्र, कर्दा,
रिसोड,
अकोला-444106 (महा०)

49. कृषि विज्ञान केन्द्र,
सेलसुरा,
जिला-वर्धा (महा०)

50. कृषि विज्ञान केन्द्र,
पैठान रोड,
औरंगाबाद-431005 (महा०)

51. कृषि विज्ञान केन्द्र,
शिरगांव, रतनागिरि (महा०)

52. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कृषि अनुसंधान केन्द्र,
धुले-424004 (महा०)

53. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मैसर्स गोखले शिक्षा सोसायटी,
कोबाड हिल-401703,
जिला-थाणे (महा०)

54. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मैसर्स सतपुड़ा विकास मंडल, पाल,
रवेर, जलगांव-425508 (महा०)

55. कृषि विज्ञान केन्द्र,
अम्बाजोगई गांव,
जिला-बीड-431517 (महा०)

56. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कलावडी, कर्ड,
जिला-सतारा-415110 (महा०)

57. कृषि विज्ञान केन्द्र,
सारदा नगर. बारामती-413115
जिला-पुणे (महा०)

58. कृषि विज्ञान केन्द्र,
बभ्लेश्वर, श्रीरामपुर ताल,
जिला-अहमदनगर-413736 (महा०)

59. कृषि विज्ञान केन्द्र,
पी०बी० सं० 45, एस०पी० रोड,
जिला-जलना-431203 (महा०)

मणिपुर

60. कृषि विज्ञान केन्द्र,
उ०पू०प०क्षे० के लिए भा०कृ०अ०प० परिसर
लम्फेल्पेट, इम्फाल-795004
मणिपुर

मेघालय

61. कृषि विज्ञान केन्द्र,
उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा० कृ०अ०प० का परिसर,
संसान गिरी, बोबासीपारा,
तूरा-794005,
पश्चिमी गारो हिल्स, मेघालय

मिजोरम

62. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मैसर्स कृषि विभाग, मिजोरम, सरकार,
कोलासिब-796081,
मिजोरम

नागालैंड

63. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मैसर्स उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प० का परिसर,
झरनापानी, मेडजीफेमा-797106
कोहिमा, नागालैंड

उड़ीसा

64. कृषि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
जुडिया फार्म, पी०ओ०,
कयुोझार-758002 (उड़ीसा)

65. कृषि विज्ञान केन्द्र,
पी०ओ० देवांग वाया सिंगिला,
बलियापाल, बालसोरे-756026 (उड़ीसा)

66. कृषि विज्ञान केन्द्र,
भांजानगर, ऐट : बेनकुंडा,
पी०ओ० विहापाघाल,
जिला-गंजम-761126 (उड़ीसा)

67. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मैसर्स सोफा, कौशल्यागंज,
धौली, भुवनेश्वर-751002 (उड़ीसा)

68. कृषि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
सेग्लिीगुडा, जिला-कोरपुट, (उड़ीसा)

पॉडिचेरी

69. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कुसुम्बापेट,
पॉडिचेरी-605009

पंजाब

70. कृषि विज्ञान केन्द्र,
हरदोचानी रोड,
पुराना गुरू नानक कॉलेज बिल्डिंग,
जिला-गुरूदासपुर-143521 (पंजाब)

71. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मालवाल फार्म, जी०टी० रोड,
जिला-फिरोजपुर-152001 (पंजाब)

72. कृषि विज्ञान केन्द्र,
नजदीक खेती भवन, डबावली रोड,
भटिंडा-151001 (पंजाब)

73. कृषि विज्ञान केन्द्र,
बहोवाल, होशियारपुर-146105 (पंजाव)

74. कृषि विज्ञान केन्द्र,
पो०वा०सं० 22, गांव रौनी,
जिला-पटियाला-147001 (पंजाब)

75. कृषि विज्ञान केन्द्र,
सुल्तानपुर रोड,
नजदीक न्यू, ग्रेन मार्किट,
कपूरथला-144601 (पंजाब)

राजस्थान

76. कृषि विज्ञान केन्द्र,
टीचर्स कालोनी,
गुप्तेश्वर रोड,
दौसा-303303

77. कृषि विज्ञान केन्द्र,
बी-33, मान नगर,
जिला-झुनझुनु (राजस्थान)

78. कृषि विज्ञान केन्द्र,
बोरवट कृपि अनुंसधान केन्द्र,
जिला-बांसवाड़ा-327001

79. कृपि विज्ञान केन्द्र,
फतेहपुर शेखावटी,
जिला-सीकर-332301

80. कृपि विज्ञान केन्द्र,
चारा फार्म,
गांव-बीचवाल,
जिला-बीकानेर-334002

81. कृषि विज्ञान केन्द्र,
चित्रापुरा रोड,
जिला-बूंदी

82. कृपि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
ताबीजी फार्म, एन०एच० 08,
जिला-अजमेर-305001

83. कृपि विज्ञान केन्द्र,
संजय कालोनी,
जिला-नागौर

84. कृषि विज्ञान केन्द्र,
चोमू,
जिला-जयपुर

85. कृषि विज्ञान केन्द्र,
के०शु०क्षे०अनु०संस्थान,
जिला-जोधपुर-342003

86. कृषि विज्ञान केन्द्र,
विद्या भवन, बदगांव,
उदयपुर-313001

87. कृषि विज्ञान केन्द्र,
बोरखेड़ा फार्म,
जिला-कोटा-324001

88. कृषि विज्ञान केन्द्र,
सरदार शहर,
चुरू-311401

89. कृषि विज्ञान केन्द्र,
9-ए, गोदाम की तलाई,
पो०बाक्स न० 16,
जिला-अलवर-326001।

90. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कोलार फार्म, अम्बास्वेजी गेट,
पो०आ० पालरी,
जिला-सिरोही-307001

तमिलनाडु

91. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कट्चीपुरम वाया, थेनी,
मदुरै-626520

92. कृषि विज्ञान केन्द्र, अल्लीकुलम,
मुंद्रादईपू, पी०ओ० करियापट्टी,
कामराजार-626102

93. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कुमार परूमल फार्म,
साइंस सुरूगामा,
त्रिची-639115

94. कृषि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
वृद्धांचलम-606001
जिला-दक्षिण आरकोट

95. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कट्टूपक्कम-603203
चंगई-जिला-एम०जी०आर०

96. कृषि विज्ञान केन्द्र,
श्री अविवाशिलिंगम ग्रामीण केन्द्र,
विवेकानंदपुरम, करामंडई ब्लॉक,
कोयम्बटूर-641113-जिला

97. कृषि विज्ञान केन्द्र,
यू०पी०ए०एस०आई०, ग्लेनव्यू,
कुनूर-643101, जिला नीलगिरी

98. कृषि विज्ञान केन्द्र,
गांधी-ग्राम ग्रामीण संस्थान,
गांधीग्राम, जिला-डिंडीगुल अन्ना

99. कृषि विज्ञान केन्द्र,
मायराडा का तालमताई केन्द्र,
तलवाडी ब्लॉक, सत्यामंगलम तालुक,
पेरियार-638461-जिला

100. कृषि विज्ञान केन्द्र,
किलनेल्ली गांव, वेमबाक्कम ब्लॉक,
चेंरियार तालुक, थिरूवान्नामलाई,
जिला-समबुवारायार

त्रिपुरा

101. कृषि विज्ञान केन्द्र,
दिवयोद्या, उ०पू०प० क्षेत्र के लिए भा०कृ०अ०प०
का परिसर, दिबानन्दापाली,
चेबरी-799207, खोवाई, उप-प्रभाग,
पश्चिमी त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

102. कृषि विज्ञान केन्द्र,
फसल अनुसंधान केन्द्र,
बेहराईच

103. कृषि विज्ञान केन्द्र,
बलिया, पी०ओ० सोहोन,
बलिया-277504

104. कृषि विज्ञान केन्द्र, माऊ,
पी०ओ० हल्धपुर,
जिला-मऊ-221705

105. कृषि विज्ञान केन्द्र, बस्ती,
बंजरिया फार्म, पी०ओ० कट्या,
जिला-बस्ती-272302

106. कृषि विज्ञान केन्द्र,
क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र,
भरारी, पी०ओ० भोजला,
झांसी-284003

107. कृषि विज्ञान केन्द्र,
डेयरी फार्म, पशु-चिकित्सा कालोज,
मथुरा-281001

108. कृषि विज्ञान केन्द्र,
दरियापुर फार्म, पी०ओ० मुंशीगंज,
जिला-रायबरेली-229 405

109. कृषि विज्ञान केन्द्र,
थारिओन फार्म, फतेहपुर,
जिला-फतेहपुर

110. कृषि विज्ञान केन्द्र,
रानीचौरी,
जिला-टेहरी गढ़वाल-249199

111. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कमला नेहरू मेमोरियल न्यास,
सुल्तानपुर-228 118

112. कृषि विज्ञान केन्द्र,
जय-प्रभा ग्राम/गोपालग्राम,
दीन दयाल अनुसंधान संस्थान,
पी०ओ० खरगू चांदपुर, गांधी पार्क,
गौंडा-271001

113. कृषि विज्ञान केन्द्र,
अवगढ़, जिला-ईटा, (उत्तर प्रदेश)

114. कृषि विज्ञान केन्द्र,
गनीवान,
जिला-बांदा (उ०प्र०)

115. कृषि विज्ञान केंन्द्र,
सोहना,
जिला-सिद्धार्थनगर (उ०प्र०)

पश्चिम बंगाल

116. कृषि विज्ञान केन्द्र,
खारा जल-जीव प्रयोगात्मक मछली फार्म,
पी०ओ० काकाद्वीप-743347,
जिला-दक्षिण 24 परगनास

117. कृषि विज्ञान केन्द्र,
श्री रामकृष्ण आश्रम,
पी०ओ० नीमपीठ आश्रम,
दक्षिण 24 परगनास-743338

118. कृषि विज्ञान केन्द्र,
कपगरी,
जिला-मिदनापुर-721505

119. कृषि विज्ञान केन्द्र,
पी०ओ० सोनामुखी,
जिला-बंकुरा-722207

120. कृषि विज्ञान केन्द्र,
विवेकानंद नगर,
जिला-पुरूलिया-723147

121. कृषि विज्ञान केन्द्र,
बर्दवान, एच०एफ०सी०,
जिला-दुर्गापुर-713212
(पश्चिम बंगाल)

प्लास्टिक अपशिष्ट

549. डा० असीम बाला :
श्री भक्त चरण दास :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्लास्टिक अपशिष्ट के जमा होने की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात को नियंत्रित करने वाले मानदण्डों को कड़ा बनाने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्लास्टिक और अन्य ऐसी सामग्री पर रोक लगाने और पटसन जैसी पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) (क) और (ख) सामान्यतयः नगरों से एकत्रित किए गए प्लास्टिक अपशिष्टों का उस समय तक ढेर लगा दिया जाता है जब तक कि सामग्री के पुनःप्रयोग के लिए अंतिम रूप से उनका व्यापार नहीं किया जाता। इस प्रकार के प्लास्टिक के अपशिष्टों के ढेर का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता।

(ग) और (घ) वाणिज्यि मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशक ने प्लास्टिक के अपशिष्ट के आयात के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुसार लाइसेंस मिलने के बाद ही प्लास्टिक के अपशिष्टों/स्क्रैप (पी०ई०पी० बोतल अपशिष्ट/स्क्रैप के अतिरिक्त) के आयात की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट स्क्रैप का विवरण परिभाषा इस प्रकार है :-

1. प्लास्टिक के स्क्रैप/अपशिष्ट प्लास्टिक के विविध प्रसंस्करण प्रचालनों में उत्पन्न प्लास्टिक के अंश होते हैं या संयंत्र में प्लास्टिक की उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न ऐसे अंश होते हैं जिनका किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया होता और इसलिए उन्हें अनुप्रयुक्त या नया माल कहा जाता है और इनकी सफाई, जिससे बहिःस्राव उत्पन्न होता है, की किसी प्रक्रिया को अंतविष्ट किए बिना प्लास्टिक के प्रसंस्करण की मानक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए लाभप्रद वाणिज्यिक उत्पादों में पुनः प्रयोग किया जा सकता है।

2. ऐसे अनुप्रयुक्त/नए प्लास्टिक स्क्रैप/अपशिष्ट का निम्न रूपों में अर्थात् कटी हुई अवस्था में सम्पीडित फिल्म, कट टेप साफ्ट अपशिष्ट फ्लेक, पाउडर और अनियमिति आकार के टुकड़े आयात करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. ऊपर पैराग्राफ (1) और (2) में दिए गए विवरण/परिभाषा के अलावा प्लास्टिक स्क्रैप/अपशिष्ट की किसी अन्य श्रेणी में आने वाले सामान को सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है।

4. ऊपर पैराग्राफ (1) और (2) में दर्शाए गए विवरण के समनुरूप प्लास्टिक स्क्रैप/अपशिष्ट के वास्तविक प्रयोक्ताओं को केवल तभी अनुमति दी जा सकेगी जब उनके पास ऐसे स्क्रैप/अपशिष्ट के पुनः प्रयोग की आवश्यक सुविधा होगी और जो सक्षम राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरण में पुर्णतः पंजीकृत हो और जिनके पास क्षमता मूल्यांकन प्रमाण पत्र के साथ-साथ अपने एकक स्थल के संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण स्वीकृति प्रमाण-पत्र भी हो।

5. प्लास्टिक अपशिष्ट/स्क्रैप की मंजूरी से पहले ऐसे प्लास्टिक स्क्रैप/अपशिष्ट के सभी आयातित माल के नमूनों की जांच पड़ताल की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क के अधिकारी नमूने तैयार करेंगे और उन्हें केंन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान के समीपस्थ प्रयोगशाला/ कार्यालय में भेजेंगे ताकि उनका विशलेषण किया जा सके और यह सत्यापन किया जा सके कि इस प्रकार का आयातित माल प्रयुक्त पैराग्राफ 1 और 2 में दिए गए विवरण/परिभाषा के समानुरूप है।

6. इस सार्वजनिक सूचना के अनुकरण में जारी किए गए आयात लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ता और ऐसी किसी अन्य दशा जो विशेष लाइसेंसिंग समिति द्वारा लागू की जाए, के अध्याधीन होंगे।

(ङ) जी, नहीं। तथापि, पारिस्थितिकी अनुकूल सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशों में उर्वरक संयंत्र

550. श्री राम टहल चौधरी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक विदेशों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने पर कुल कितना व्यय किया गया है,

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन संयंत्रों पर कार्य शुरू हो गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कुछ सार्वजनिक और सहकारी उपक्रमों ने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु विभिन्न परियोजना चरण पर विचार किया है। इनमें से राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० और कृषक भारती कोआपरेटिव लि० द्वारा ओमान आयल कम्पनी के सहयोग से ओमान में प्रवर्तित संयुक्त उद्यम नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक परियोजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन दो उपक्रमों ने विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने तथा विभिन्न परियोजना करारों को अंतिम रूप देने के संबंध में 31.12.1996 तक 9.21 करोड़ रुपए व्यय किया है। इस खाते में प्रतिबद्ध व्यय 12.6 करोड़ रुपए है।

(ग) इनमें से कोई भी परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति तक नहीं पहुंची है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी

551. श्री मोहन रावले : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जिला पुलिस प्राधिकारी, रोहतक (हरियाणा) द्वारा की गई जांच के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/109/199/200/120-ख, 7/10/55/आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 की धारा 3(1)(ख) के अधीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा और अन्य के विरूद्ध दिनांक 6 जनवरी, 1997 को पुलिस थाना, सिविल लाइन्स, रोहतक, हरियाणा, में एक मामला एफ०आई०आर० 10 दर्ज किया गया था। प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट में प्रमुख आरोप यह था कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा ने रिश्वत लेकर खुली बिक्री के गेहूं को व्यापारियों और मुनाफाखोरों को आबंटित किया था। प्राथमिक इत्तिला रिपोर्ट में निजी पार्टियों के अलावा तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा और भारतीय खाद्य निगम के दो अन्य कर्मचारियों के नाम हैं। इसके अंतर्गत गेहूं की सही मात्रा और सही राशि जांच समाप्त होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगी।

(ग) दो भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों और तीन अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को भी निलम्बित किया गया है। तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा की सेवाओं को मूल कैडर में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले की जांच राज्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है। तथापि, जांच के लिए इस मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

552. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अब भी प्रचलन में है, और

(ख) देश में इस प्रथा का पूरी तरह अंत करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ध्वज का दुरूपयोग

553. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राष्ट्रीय ध्वज को वाणिज्यिक प्रयोजन और अन्य गतिविधियों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन वाणिज्यिक संस्थाओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है जो राष्ट्रीय ध्वज का एक "चिन्ह" के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ताप विद्युत स्टेशन

554. श्री बी० एल० शर्मा 'प्रेम' : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दि०वि०प्र०सं० तथा रा०ता०वि०वि० के अंतर्गत दिल्ली में चल रहे ताप विद्युत स्टेशनों में धुले हुए कोयले का उपयोग किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो देश में कौन-कौन से अन्य ताप विद्युत स्टेशन हैं जिन्हें "फ्लाई ऐश" संबंधी प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने धुले हुए कोयले का उपयोग करने संबंधी निर्देश जारी किये हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बद्ध एजेंसियों को ताप विद्युत स्टेशनों में केवल धुले हुए कोयले की आपूर्ति करने संबंधी निर्देश जारी करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दिल्ली में "डेसू" तथा एन०टी०पी०सी० के अधीन तीन विद्युत संयंत्रों को निर्देश दिए हैं कि वे लाभकारी कोयले कर इस्तेमाल करें और ईंटों तथा अन्य भवन सामग्री के निर्माण के लिए राख का प्रयोग करें।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित ताप बिजली संयंत्रों को भी निर्देश दिये हैं कि वे लाभकारी मिश्रित, कोयले, जिसमें राखा की मात्रा कम हो, के इस्तेमाल के लिए योजना तैयार करें और लाभप्रद प्रयोजनों के वास्ते राख के उपयोग के साथ-साथ उसके प्रबंध की योजना भी तैयार करें।

- दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड, दुर्गापुर I, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल।
- तलचर ताप बिजली घर, एन०टी०पी०सी०, तलचर जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।
- ओवरा ताप बिजली घर, उत्तर प्रदेश, राज्य बिजली बोर्ड, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश।
- बन्देल ताप बिजली घर, त्रिवेणी, दुगली, पश्चिम बंगाल।
- बोकारो ताप बिजली घर (संयंत्र-ए) डी०वी०एस०, बोकारो, जिला धनबाद, बिहार।
- पत्रातु ताप बिजली घर, बिहार राज्य बिजली बोर्ड, पत्रातु, बिहार।
- कोरबा ताप बिजली घर, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (पूर्व), कोरबा, मध्य प्रदेश।
- हरदूवागंज ताप बिजली घर, कासिमपुर, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।
- पनकी ताप बिजली घर, उत्तर प्रदेश, राज्य बिजली बोर्ड पनकी, कानपुर उत्तर प्रदेश।

(ग) फिलहाल मंत्रालय में संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता न्यायालय और मंच

555. श्री एन० एस० वी० चितयन :
श्री पंकज चौधरी :
कुमारी उमा भारती :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राज्यवार, कार्यरत उपभोक्ता न्यायालयों और मंचों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों के सभी जिलों में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच और न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(घ) क्या उपभोक्ता मंच और न्यायालय के कम संख्या में होने के कारण विवादों के निपटान में होने वाले असाधारण विलम्ब को मद्देनजर रखते हुए सरकार का विचार और अधिक न्यायालय और मंच खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित न्यायालयों और मंचों की संख्या कितनी है और उन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 के तहत गठित 31 राज्य आयोग तथा 506 जिला मंच (जम्मू व कश्मीर को छोड़कर) कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, जम्मू व कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 के तहत गठित एक राज्य

आयोग और दो प्रभागीय मंच जम्मू व कश्मीर में कार्यरत हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कार्यभार के आधार पर अतिरिक्त जिला मंच गठित करने की व्यवस्था है। तथापि, उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला मंचों की संख्या
आंध्र प्रदेश	23
अरुणाचल प्रदेश	12
असम	23
बिहार	55
गोवा	2
गुजरात	20
हरियाणा	16
हिमाचल प्रदेश	12
जम्मू और कश्मीर	2
कर्नाटक	20
केरल	14
मध्य प्रदेश	45
महाराष्ट्र	31
मणिपुर	6
मेघालय	7
मिजोरम	3
नागालैंड	7
उड़ीसा	31
पंजाब	13
राजस्थान	32
सिक्किम	4
तमिलनाडु	24
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	72
पश्चिम बंगाल	19
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
चंडीगढ़	1
दादरा व नगर हवेली	1
दमण व दीव	2
दिल्ली	2
लक्षद्वीप	1
पाण्डिचेरी	1
योग :	508

कृषि उत्पादों का निर्यात

556 श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के 11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बागवानी होने और 83.35 लाख टन का उत्पादन होने तथा देश में फलों, सब्जियों और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य का कुल निर्यात वर्ष 1992-93 में 1,724 करोड़ रुपये से वर्ष 1994-95 में 3,477 करोड़ तथा इस वर्ष 5,172 करोड़ रुपए तक ही पहुंच पाया है जो 1,06,353 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय निर्यात आंकड़े का केवल 5 प्रतिशत ही बैठता है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) आन्ध्र प्रदेश के पास बागवानी विकास की क्षमता है जिसका अब राज्य और केन्द्रीय सरकारों के जरिये धीरे-धीरे इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) और (ग) बागवानी फसलों के राज्यवार निर्यात आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। लेकिन इन फसलों का निर्यात देश के लिए प्रति वर्ष 25% से भी अधिक औसत वृद्धि प्रदर्शित कर रहा है, आशा है कि इसमें और भी सुधार होगा।

(घ) सरकार राज्य में कई योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। इनका उद्देश्य बागवानी फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि निर्यात के लिए अधिशेष सृजित किया जा सके। कटाई पश्चात् संभाल तथा इन फसलों के निर्यात हेतु अवसंरचना के विकास हेतु सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा आयाता शुल्क, भाड़ें पर सब्सिडी, ब्रांड प्रवर्धन आदि पर राहत के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये जा रहे हैं।

सीमा पर बाड़ लगाना

557. श्री चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने संबंधी योजना को अंतिम रूप कब दिया गया;

(ख) इस योजना को लागू करने में कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस योजना को लागू करने में हो रही देरी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य को पूरा करने हेतु समय-सारणी क्या है तथा इस पर होने वाले खर्च का अद्यतन अनुमान क्या है; और

(घ) अन्य राज्यों में सीमा पर बाड़ लगाए जाने सम्बन्धी राज्य-वार अद्यतन स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जम्मू सैक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने की स्कीम 28 मार्च, 1995 को स्वीकृत की गई थी।

(ख) इस पर 17.72 करोड़ रु० व्यय किया गया लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी किए जाने के कारण इस कार्य को जुलाई, 1995 में बंद करना पड़ा।

(ग) जम्मू सैक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पुनः शुरू करने के मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

(घ) भारत-पाक सीमा पर, बाड़ लगने/तेज रोशन की व्यवस्था करने का कार्य पंजाब और राजस्थान में शुरू किया गया है और स्थिति निम्नप्रकार है :–

पंजाब : पंजाब में, 451 कि०मी०/465 कि०मी० बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य मई, 1988 में शुरू किया गया था और इसे नवम्बर 1993 में पूरा कर लिया गया। पूरी सीमा पर कुछेक जगहों को छोड़कर जहां पर नदी तटीय/निचला क्षेत्र होने के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका, बाड़ लगाने/तेज रोशनी को व्यवस्था कर ली गई है।

राजस्थान : 1035 कि०मी० लम्बी कुल सीमा में से 720 कि०मी०/799 कि०मी० में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था का कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे और 312.60 कि०मी० में बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने के कार्य को भी स्वीकृति दे दी गयी है। इसे, तीन चरणों, में, 31 दिसम्बर 1999 तक पूरा कर लिया जाएगा। शेष सीमा पर भी जहां रेत के टीले स्थान बदलते रहते हैं, विशेष प्रकार के तारों से बाड़ लगाया जा रही है।

झींगा पालन

558. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती क्षेत्रों में झींगा पालन पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.1996 को दिए गए निर्णय में तटवर्ती क्षेत्रों में श्रिम्प पालन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। उस निर्णय में अन्य बातों के अलावा कहा गया है कि :

1. केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के तहत एक प्राधिकरण का गठन करेगी और उस प्राधिकरण को पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील तटीय क्षेत्रों, समुद्र तटों, तटीय जलक्षेत्रों एवं अन्य तटवर्ती क्षेत्रों के संरक्षण तथा खास तौर से, समुद्रतटवर्ती राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों में श्रिम्प पालन उद्योग द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करेंगी। केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार गठित प्राधिकरण "द प्रिकॉशनरी प्रिन्सिपल" तथा "द पॉल्यूटर पेज प्रिन्सिपल" का कार्यान्वयन करेगा।

2. समुद्र तटवर्ती निचले क्षेत्रों में पारम्परिक तथा उन्नत, पारम्परिक प्रकार की प्रौद्योगिकियों वाले फार्मों को छोड़कर तटवर्ती विनियमन क्षेत्र में किसी श्रिम्प पालन तालाब का निर्माण अथवा स्थापना नहीं की जा सकती। यह सभी समुद्रों खाड़ियों, भुटानों संकरी खाड़ियों नदियों तथा तटीय जलक्षेत्र पर भी लागू होगा।

3. तटवर्ती विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अन्तर्गत यथापरिभाषित तटवर्ती विनियमन क्षेत्र में चलाए जाने वाले/स्थापित किए गए सभी मत्स्यपालन उद्योग/श्रिम्प पालन उद्योग/श्रिम्प पालन तालाब तोड़ दिए जाएंगे और उक्त क्षेत्र से 31 मार्च, 1997 से पूर्व हटा दिए जाएंगे।

4. चिल्का झील तथा पुलीकाट झील (पक्षी बिहारों नामतः यदुरापट्टू एवं नैलापट्टू सहित) से 1000 मीटर के क्षेत्र में किसी भी मत्स्यपालन उद्योग/श्रिम्प पालन उद्योग/श्रिम्प पालन तालाब का निर्माण/स्थापना नहीं की जायेगी।

5. कृषि भूमि, साल्ट पैन लैण्ड, तटीय उपवनों 'वेट लैण्ड', वन भूमि, गांव में आम प्रयोग को भूमि तथा सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी भूमि का उपयोग/परिवर्तन श्रिम्प पालन तालाब के निर्माण में नहीं किया जाएगा।

6. पारम्परिक तथा उन्नत पारम्परिक को छोड़कर अन्य मत्स्यपालन उद्योग/श्रिम्प पालन उद्योग/श्रिम्प पालन तालाब "प्राधिकरण" की पूर्व अनुमति से तटवर्ती विनियमन क्षेत्र के बाहर स्थापित/निर्मित किए जाए।

7. तटवर्ती राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में पारिस्थिति को तथा पर्यावरण को प्रदूषण से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह से योजना/योजनाएं बनाएगा।

गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य ग्रहण

559. श्री सनत मेहता :
श्री बी० के० गढ़वी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के तट पर संभावित मत्स्य ग्रहण स्थल का पता लगाने के बारे में तकनीकी व्यावहार्यता अध्ययन को अद्यतन करने के संबंध में कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन कब किया गया था;

(ग) गुजरात में अब तक पता लगाए गए संभावित मत्स्य ग्रहण स्थलों के नाम क्या है; और

(घ) ऐसे प्रत्येक स्थल की मार्किट संभाव्यता कितनी हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान बंगलौर ने गुजरात के समुद्र तट सहित भारतीय समुद्र तटों पर मात्स्यिकी बंटरगाहों तथा मत्स्य अवतरण केन्द्रों के विकास के लिए मास्टर योजना बनाने के लिए उपयुक्त स्थलों को अभिज्ञात करने के लिए 1979-81 में अध्ययन कराना प्रारम्भ किया था। अगस्त, 1996 में केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से संभावित मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा अवतरण केन्द्रों के संबंध में निवेश-पूर्व अध्ययन पुनः कराया गया और इनमें से नीचे दिए गए क्षेत्रों को जहां आवश्यक हो, माडल अध्ययन सहित विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन हेतु चुना गया। निवेश-पूर्व अध्ययनों के अनुसार प्रस्तावित मत्स्य बंदरगाहों तथा मत्स्य अवतरण केन्द्रों की आर्थिक क्षमता संबंधी आंकड़े, संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र	जिले	चलाए जाने वाले पोतों की संख्या	वार्षिक अवतरण (1994-95) टन	अवतरण का मूल्य (लाख रुपये)	मछुआरों की जनसंख्या	सक्रिय मछुआरे	कवर किए गए मछुआरा गांव
I. मत्स्य बंदरगाह							
1. रूपेन	जामनगर	1031	15700	1848.63	10000	7000	लागू नहीं
2. नंगरौल बाड़ा	जूनागढ़	234	1631	192.07	1631	495	"
3. धौलाई	बलसाड़	1500	5996	706.09	11996	4265	—
4. उम्बरगांव	बलसाड़	1000	10980	1293.00	16683	7441	9
II. मत्स्य अवरण केन्द्र							
1. माधवपुर	जूनागढ़	450	1909	224.80	1792	595	1
2. सुतरापाड़ा	जूनागढ़	287	1553	182.88	2994	497	1
3. घमलेज	जूनागढ़	450	1627	191.60	2080	643	1

सीमा से संबंधित समस्या का पता लगाना

560. श्री चित्त बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में सीमा पर बाड़ लगाने तथा सीमा सड़कों के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए वर्ष 1997 के दौरान हाल ही में केन्द्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों का कलकत्ता में सम्मेलन हुआ था :

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी समस्याओं का पता लगाया गया; और

(ग) सम्मलेन में जिन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अधिनियम-I के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण के संबंध में समस्याओं और अधिनियम-II के अन्तर्गत अधिगृहित भूमि अंतिम मुआवजे के भुगतान की समस्याओं का पता लगाया गया हैं और उन पर विचार-विमर्श किया गया।

(ग) विशिष्ट समयावधि के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के लिए कार्य-योजना तैयार की गयी है और संबंधित प्राधिकारियों को इसका अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

समुद्री कछुए

561. श्री अययून्ना पटरूघु :
श्री टी० गोपाल कृष्ण :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन परियोजनाओं के कारण उड़ीसा में समुद्री तट पर विभिन्न तरह के समुद्री कछुआ स्थलों पर बाधा पहुंच रही है;

(ख) यह हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) उड़ीसा के भद्रक जिले में चांदीपुर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक अन्तरिम परीक्षण रेंज की स्थापना की है। समुद्री कछुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों/सुरक्षा उपायों पर निर्भर करते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना को स्वीकृति दी गई है :–

1. स्थानीय डी०एफ०ओ० की पूर्व अनुमति से संरक्षण एवं सीमांकन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए वन भूमि के अन्तरण के प्रस्तावित क्षेत्र में पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।

2. ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी जिससे समुद्री कछुओं के प्रवास और व्यापक नेस्टिंग में बाधा पहुंचने की संभावना हो, उदाहरणतयः प्रत्येक वर्ष जनवरी से मार्च के बीच।

3. प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार से कच्छ वनस्पति परि-प्रणाली और वन्यजीव आवास को बाधा नहीं पहुंचाएगी।

4. ऐसे महाद्वीप जहां से भूमि के अन्तरण का प्रस्ताव है, सुरक्षा एवं वन कर्मचारियों को छोड़कर बाहर वालों के लिए बन्द रहेंगे।

5. जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान आउटर ह्वीलर महाद्वीपों पर रोशनी की ऐसे व्यवस्था की जाएगी कि वह गहिरमाथा की तरफ से दिखाई न दे ताकि शिशु कछुओं को कोई बाधा न पहुंचे।

यदि इन सुरक्षा उपायों का उचित रूप से अनुकरण किया जाता है तो समुद्री कछुओं पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

चीनी की राजसहायता

562. श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को चीनी के वितरणार्थ माहवार कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से राजसहायता की भारी राशि का भुगतान किया जाना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बकाया राशि का भुगतान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम को दावों के अनुसार सब्सिडि अदा की जाती है जो मासिक आधार पर नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम को अदा की गई सब्सिडि

दिनांक	निर्युक्त की गई राशि (करोड़ रु० में)
19.12.1995	100.00
20.03.1996	80.73
21.06.1996	155.62
21.06.1996	258.67
02.01.1997	81.46
18.2.1997	148.00
	824.48

उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण

563. श्री गुलाम रसूल कार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सैन्य बलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके पुनर्वास की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यक्रम

564. श्री के० एम० मुनियप्पा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की समस्याओं को कम करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख)

अनुसूचित जाति विकास

अनुसूचित जाति विकास के संबंध में नौवीं योजना में किसी नए कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखा जा रहा है तथा उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। जहां आवश्यक होगा, इन योजनाओं की उपयुक्त रूप से पुनः स्वरूप दिया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति विकास

देश में आदिम जनजाति समूहों, जिन्में 7 जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नौवीं योजना के दौरान एक विशेष योजना का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना का मुख्य ध्यान मूलभूत अवसंरचना विकास तथा शैक्षिक और आर्थिक विकास दोनों पर होगा। चिकित्सा उपचार भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्ष 1997-98 के दौरान 2.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। चल रही योजनाओं के अतिरिक्त इस नई योजना को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

अल्पसंख्यक विकास

आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना की चल रही योजना को छोड़कर नौवीं पंचवर्षीय योजना

अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों में से कमजोर वर्गों के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई गई है। जबकि नौवीं योजना के लिए 18.20 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है, इस योजना के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 2.50 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास तथा वित्त निगम, जो एक शीर्ष निगम है, को अल्पसंख्यकों में से पिछड़े वर्गों के आर्थिक और विकास संबंधी कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए 1994 में स्थापित किया गया है। नौवीं योजना के लिए 175.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, वर्ष 1997-98 के लिए 40.00 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

निःशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

565. श्री वी० प्रदीप देव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में भारत में व्याप्त बहुत सारी विकलांगतायें नहीं आतीं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे गैर-सरकारी संगठन जो विकलांगों के लिए काम करते है, ने इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए कोई ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों की शिकायतें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) से (ङ) विकलांगता के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया है।

सुझाव में और अधिक कल्याणकारी उपायों के साथ-साथ अतिरिक्त विकलांगताओं को शामिल किया गया है। चूंकि इस अधिनियम को हाल ही में संविधि पुस्तिका में लाया गया है। इसलिए इसके वर्तमान प्रावधानों में इस समय किसी संशोधनों पर विचार करना समय पूर्व है।

[हिन्दी]

यूरिया की कीमतें

566. श्री दत्ता मेघे :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरिया की कीमतों में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। एन०पी०के० पोषक तत्वों के प्रयोग में असंतुलन को कम करना आवश्यक हो गया है।

[अनुवाद]

गेहूं की खुले बाजार में बिक्री

567. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन व्यापारियों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में बिक्री हेतु अप्रैल से दिसम्बर, 1996 के दौरान गेहूं और आटा आबंटित किया और उन्हें यह गेहूं कितनी मात्रा में और किस दर पर आबंटित किया गया;

(ख) खुली बिक्री के लिए गेहूं के आबंटन और आटे की बिक्री में ध्यान में आयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनियमितताओं में शामिल पाए गए व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन क्षेत्रों में गैर-वनीय गतिविधियां

568. श्री वी० वी० राघवन :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उस अंतरिम आदेश के परिणामों की और आकर्षित किया गया है जिसमें सभी राज्य सरकारों को वन क्षेत्रों में खान सहित सभी गैर-वनीय गतिविधियों को रोक देने के निर्देश दिये गये हैं जिससे वन क्षेत्रों में खनन सहित कई लघु उद्योग इकाइयां बंद हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो सैफुद्दीन सोज़) (क) और (ख) यह मामला न्यायाधीन है क्योंकि इस पर अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है।

आयकर दाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर रखना

569. श्री हरिन पाठक :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर दाताओं सहित गरीबी रेखा से ऊपर रह रहे लोगों को पूरी तरह से नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिधि से बाहर रखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी राज्य ने इस योजना का विरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों पर केन्द्रित करते हुए सुप्रवाही बनाने का निर्णय किया है। स्कीम के ब्यौरे निम्नवत् हैं :–

1. गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को केन्द्रीय निर्गम मूल्यों के लगभग आधे मूल्य पर प्रति परिवार प्रति महा 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न दिया जाएगा।

2. गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का पता लगाने का कार्य स्वर्गीय प्रोफेसर लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बताए गए तरीके को अपनाकर 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लगाए गए अस्थायी अनुपातों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

3. राज्यों द्वारा गत 10 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के किए गए औसात उठान को गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लाभार्थ सीमित रखने का प्रस्ताव है जो इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। खाद्यान्नों की इस औसत उठान की मात्रा में से जो मात्रा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को आवश्यकता से अधिक है, उसे केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर राज्यों को अस्थाई आबंटन के रूप में आबंटित करने का प्रस्ताव है।

4. राज्य सरकारों को गरीबों का सही-सही पता लगाने, पारदर्शी और सही तरीके से गरीबों में वितरित करने के वास्ते उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की सुपुर्दकी करने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे।

5. सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर रोजगार योजना के तहत सभी लाभार्थियों को भी एक किलोग्राम प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राज-सहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी किये जायेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

570. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने आधुनिक उपकरण जैसे कि कम्प्यूटर, टेलीप्रिन्टर आदि जो रोमन लिपि में हैं और जिन्हें द्विभाषिक रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, स्थापित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इन द्विभाषिक उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा;

(ग) इन उपकरणों से हिन्दी के प्रयोग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाएगा,

(घ) क्या मंत्रालय ने "क" क्षेत्र स्थिति अपने कार्यालयों में जिनमें हिंदी में शतप्रतिशत कार्य किया जाना है, हिंदी में काम करने से छूट प्रदान की है, और

(ङ) यदि हां, तो यह छूट देने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न कम्प्यूटरों, इलैक्ट्रानिक टाइपराइटरों आदि की मदर बोर्ड द्विभाषी कुंजी पटल के होते हैं। कई साफ्टवेयर पैकेज द्विभाषी और हिंदी में भी उपलब्ध हैं, जिससे हिंदी में किए जा रहे कार्य में वृद्धि हो रही है।

(घ) और (ङ) : जी नहीं।

[अनुवाद]

हथियारों, विस्फोटकों और नशीलें पदार्थों की तस्करी

571. श्री नामदेव दिवाये : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान की सीमा और पश्चिमी तट प्रदेश में हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इस समस्या से निपटने और पश्चिमी तट पर सतर्कता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस समस्या के संबंध में पडौसी देशों के साथ चर्चा की गई; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकल ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) भारत-पाक सीमा के आर-पार हथियारों एवं स्वापकों की तस्करी में कमी आई है, जबकि 1996 में विस्फोटकों की तस्करी में वृद्धि हुई है, 1995 में 30 कि०ग्रा० की तुलना में, 111 कि०ग्रा० आर०डी०एक्स० जब्त किया था। यद्यपि पश्चिमी तट पर भी कुछ हथियारों के साथ एक नाव जब्त की गई थी लेकिन इसके बढ़ते रूझान के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ग) भारत-पाक सीमा तथा पश्चिमी तट को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

1. सीमा प्रेक्षण चौकियों के बीच की दूरी कम करने के लिए विस्तरण योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई हैं।

2. गश्त/नाका में वृद्धि/गहन की गई है।

3. जीप एवं मोटर साइकिल प्रदान करके सीमा गश्त को गहन किया गया है।

4. घोड़ों, ऊंटों तथा ट्रैक्टरों पर सवार होकर गश्त लगाई जा रही है।

5. निगरानी बुर्ज बनाए गए हैं।

6. सीमा पर अधिक सर्तकता हेतु दूरबीनें, चश्में, ट्वीन टेलिस्कोप, पीएनवी दूरबीनें तथा हाथ से पकड़ने वाली सर्चलाइटें प्रदान की गई हैं।

7. सीमा पर बाड़ तथा तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है/की जा रही है।

8. नदी-तटीय/संकरी खाड़ी क्षेत्रों में गश्त लगाने के लिए नावें/मोटर बोट प्रदान की गई हैं।

9. वाहनों द्वारा गश्त लगाने हेतु सीमा सड़कों/मार्गों का निर्माण विकास किया जा रहा है।

10. रक्षा मंत्रालय द्वारा तटीय सुरक्षा सुदृढ़ की गई है की जा रही है।

(घ) हथियारों, विस्फोटकों तथा स्वापकों की तस्करी से संबंधित मुद्दे विदेश मंत्रालय द्वारा राजनायिक स्तर पर उठाये जा रहे हैं तथा वित्त मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो वे सीमा सुरक्षा बल द्वारा बुलाई गई विभिन्न द्विपक्षीय बैठकों में इस पर विचार-विमर्श किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रेस मड और स्पेन्ट वाश

572. श्री सोहन वीर : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी मिलों के "प्रेस मड और स्पेन्ट वाश" का उपयोग मामूली से तकनीकी परिवर्तन के साथ गैस उत्पादित करने के लिए किया सकता है जिसे आगे चलकर बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तकनीक का उपयोग किसी चीनी मिल द्वारा किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी हां, और पारम्परिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आसवक संघ (एइडा) से उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रेस मड तथा स्पेन्ट वाश का इस्तेमाल बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।, जो भाप/विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकता है। एम०एम०ई०एस० के अनुसार उन्होंने प्रेस मड से बायोगैस उत्पादन करने के लिए मैसर्स उगार शुगर वर्क्स लि०, उगार खुर्द, ज़िला–बेलगाम (कर्नाटक तथा मैसर्स वसन्त दादा सेतखारी सहकारी साखर कारखाना लि०, जिला-सांगली (महाराष्ट्र) में पायलेट प्लांट स्थापित करने के लिए आर० एंड डी परियोजना प्रायोजित की थी।

जहां तक स्पेन्ट वाश के उपयोग का संबंध हैं (एइडा) के अनुसार बहुत सारे आसवक, आसवन अवशिष्ट के एनारोबिक डाइजेशन द्वारा बायोगैस के उत्पादन में लगे हैं। फिर बायोगैस का इस्तेमाल घरेलू उद्देश्यों के लिए तथा ईंधन के रूप में बॉयलर में भाप/विद्युत उत्पादन के लिए होता है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल का प्रशासन तंत्र

573. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पर विभिन्न किस्म के भारतीय सामान को बड़े पैमाने पर तस्करी को रोकने के लिए, वर्तमान प्रशासन को चुस्त-दुरूस्त बनाने तथा पश्चिम बंगाल में भारत-बंगालादेश सीमा पर सीमा शुल्क बल को तैनाती करने का सरकार का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सीमा सुरक्षा बल को पश्चिम बंगाल सहित भारत-बंगलादेश सीमा प्रबंधन के कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बल के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षाा की जाती है और इसके कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक उपाए किए जाते हैं। इन उपायों में मानव शक्ति बढ़ाना, सीमा चौकियों की स्थापना करना, गहन गश्त, रात में निगरानी तथा नाका इत्यादि शामिल हैं।

केरल राज्य अनुसूचित जनजाति भूमि संशोधन विधेयक, 1996

574. श्री पी०सी० चाक्को : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1997 के "दहिन्दू" में "वी०एच०पी० अपील्स टू प्रेसीडेंट टू रिटर्न केरला बिल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकार्शित समाचार की ओर गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल राज्य अनुसूचित जनजाति भूमि संशोधन विधेयक, 1996 की वर्तमान स्थिति क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) केरल के राज्यपाल ने केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अन्तरण पर प्रतिबंध और अन्यसंक्रमित भूमि की बहाली) संशोधन विधेयक, 1996 को राष्ट्रपति के विचारार्थ और अनुमति के लिए आरक्षिंत रखा हुआ है। संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करकें इस विधेयक की जांच की गई है जिन्होंने केरल सरकार से विधेयक पर स्पष्टीकरण मांगे हैं। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह ही अपने स्पष्टीकरण भेजे हैं। इस समय, केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अन्तरण पर प्रतिबंध और अन्यसंक्रामित भूमि की बहाली) संशोधन विधेयक, 1996, की केरल सरकार द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

उग्रवादी घटनायें

575. श्री के०डी० सुल्तानपुरी :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, आन्ध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में गत एक वर्ष के दौरान उग्रवाद तथा जातीय हिंसा की कितनी घटनायें हुई हैं;

(ख) इन राज्यों से कितने व्यक्ति पलयान हेतु विवश हुए है;

(ग) उग्रवादियों द्वारा राज्य-वार कितने पुलिस स्टेशनों को उड़ा दिया गया है;

(घ) इन घटनाओं में राज्य-वार कितने नागरिक सुरक्षा/कर्मी मारे गये हैं;

(ङ) उक्त घटनाओं में मारे गए अधिकारियों के आश्रितों को दिए गए मुआवजे/सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण पाने हेतु क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च) सूचनचा एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम का कार्यकरण

576. श्री के० प्रधानी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी और कुशल बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित भारतीय खाद्य निगम की कार्य प्रणाली को और अधिक कारगर तथा कुशल बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में 8 और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए है। वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

बाघ परियोजना के लिए कार्यबल

577. श्री के०पी० सिंह देव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाघ परियोजना हेतु किसी विशेष कार्यबल के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यबल के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ऐसे कार्यबल के व्यय को किसी सीमा तक वहन करेगी; और

(घ) इस संबंधी में बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने नौंवी योजना के दौरान बाघ रिजर्व क्षेत्रों में एक "विशेष प्रहार बल" की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बाघों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध गतिविधियों की समस्या का मुकाबला करने के लिए जरूरी जन-शक्ति और उपकरण मुहैया किए जा सकें।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार का पहले पांच वर्षों के लिए इस बल के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों पर होने वाले व्यय का शत प्रतिशत वहन करने का प्रस्ताव है; तत्पश्चात व्यय को केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जायेगा। उपकरणों पर होने वाले व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वहन किया जायेगा।

आंध्र प्रदेश में बाढ़/तूफान

578. श्री येल्लैया नंदी :
डी० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में अक्तूबर-नवम्बर, 1996 के दौरान आई बाढ़/तूफान के कारण हुई क्षति के बारे में पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुई क्षति और इस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है और इसमें राज्य के प्रभावित व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई हैं;

(घ) क्या स्वीकृत की गई पूरी राशि जारी कर दी गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) राज्य सरकार को पूरी सहायता राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां।

(ख) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अक्तूबर से नवम्बर 1996 के दौरान इस राज्य में चक्रवातों, भारी वर्षा तथा बाढ़ से 1.71 करोड़ जन संख्या प्रभावित हुई। 1412 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 7.46 लाख मकानों और 15.49 लाख है क्षेत्र में फसलों को क्षति पहुंची। राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपायों के लिये राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2693-00 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिये दो ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। केन्द्रीय दलों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तथा इनकी रिपोर्टों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 142.00 करोड़ रुपये की सहायता का अनुमोदन किया जो पहली जनवरी, 1997 को राज्य सरकार को निर्मुक्त कर दी गई थी। यह सहायता 1996-97 के दौरान आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश के रूप में दिए गए 93.14 करोड़ रुपये और नारियल तथा काजू क्षेत्र में पुनर्वास हेतु स्वीकृत 63.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

579. श्री भक्त चरण दास : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण तथा इसकी प्रभाविता में देश के दक्षिणी भाग को छोड़कर अधिकतर राज्यों में काफी गिरावट आई है;

(ख) क्या उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के केवल 5.2 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं जबकि तमिलनाडु तथा केरल के क्रमश 82 तथा 78 प्रतिशत परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों के उच्च उत्पादन स्तर तथा भारतीय खाद्य निगम के पास विशाल भण्डार होने के बावजूद गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेवारी के तहत किया जाता है। केन्द्रीय सरकार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कुछ आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराती है जबकि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को वितरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। विभिन्न राज्यों के मध्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में व्यापक अन्तर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वसुलभ स्वरूप की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रचालनों को सुदृढ़ और सुप्रवाही बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। क्षेत्रीय बैठकों, सम्मेलनों आदि जैसे विभिन्न मंचों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने संबंधी मामलों पर बल दिया जाता है और उस पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ विचार विमर्श किया जाता है। केन्द्रीय सरकार चुनिंदा वस्तुओं के संबंध में आवधिक रिपोर्टें मंगाकर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रगति की मानीटरिंग भी करती है।

भारत सरकार ने अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों पर केन्द्रित करते हुए सुप्रवाही बनाने का निर्णय किया है जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को प्रति माह प्रति परिवार 10 किलो ग्राम खाद्यान्न केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में लगभग आधे मूल्यों पर मुहैया कराए जाएंगे। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गरीबों की ठीक-ठीक पहचान करने, पारदर्शी और सही तरीके से वितरण के लिए उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की सुपुर्दगी हेतु आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित दर दुकान, जिला और राज्य स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करने के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली को क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में दूसरी जातियों को शामिल करना

580. श्री एन०जे० राठवा :
श्री महेश कुमार एस० कनोडिया :
श्री काशी राम राणा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने समाज कल्याण विभाग ने पिदले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में अन्य पिछड़े वर्ग की आम सूची को बढ़ाने के बारे में केन्द्र को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त तारीख के दौरान अब तक वर्ष-वार इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वर्ष-वार स्वीकृत, रद्द और लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा जातियों/उप जातियों/समूदायों को पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने संबंधी एक प्रस्ताव 1995-96 में भेजा गया था। इस प्रस्ताव मे 63 जातियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) भारत सरकार ने गजरात राज्य के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए पखली जाति को दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 9 (1) के अंतर्गत अपेक्षित है, व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों से अनुरोध प्राप्त होने पर अन्य मामलो पर भी विचार किया जाएगा।

(घ) व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों से गुजरात राज्य से संबंधित पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव जैसे ही प्राप्त होंगे, लम्बित प्रस्तावों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

विवरण

पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित जातियों/उप-जातियों/समुदायों की सूची को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	जाति/वर्ग/समूह
1	2
1.	अरब
2.	मांदु
3.	बुरद
4.	चक्रवाद्य दासर
5.	चौधरी (जहां वे अनुसूचित जनजाति नहीं हैं)
6.	चमथा
7.	डाकालेरू
8.	दिपालु
9.	घंटिया
10.	घंचा
11.	गलकाड्र
12.	गावली
13.	हाटी
14.	टाचक
15.	कलहोडिया
16.	कोतवाल
17.	कुम्भर (बियार, कादरा पटेल, लाथिया, पोटग्रोकर, प्रजापति, वैरैया, वैटिया)
18.	खारक
19.	खवास
20.	कारडिया-नाडोडा, भाथी राजपूत
21.	खातिया

1	2
22.	मिस्त्री गुजर, मिस्त्री राथौड़, मिस्त्री सुथर
23.	मुंडा
24.	माघाविया
25.	माली
26.	माइया
27.	पालवाडिया
28.	पधारिया
29.	पाखाली
30.	संगहेडा
31.	सिंगदाव या सिंगदया
32.	तोची
33.	सुमरा
34.	सागर
35.	सथवारा
36.	ठाकुर (गैर-राजपूत)
37.	तिमाली
380	तारक
39.	वजीर
40.	यादव
41.	कबाड़ी, बरिया पोतभाई, चोस्ला, जनपद (जहां ये अनुसूचित जनजाति नहीं हैं)
42.	लुहारिया
43.	छांची
44.	तेली, मोघ छांची
45.	हिंगेरा (हिन्दू)
46.	जिलाया
47.	तारिया-ताई
48.	कोली-मल्हार, कोली महादेव या डोंगार कोली (जहां ये अनुसूचित जनजाति नहीं है
49.	मिना, मियाना (हिन्दू)
50.	मानसारी (मुस्लिम)
51.	चारालिया, चारमटा, लुनी, कुमार, टंक, मछल, कादिया कुम्भार (जहां ये अनुसूचित जनजाति नहीं हैं)
52.	पादात, रावर, रावालिया
53.	सन्धी (हिन्दू)
54.	पलानवाडिया
55.	जोगी वाडी
56.	वाले (हिन्दू)
57.	बंजारा, चरन बंजारा, मथुरा बंजारा, मारू बंजारा, भांगोरे बंजारा, कंगासिया बंजारा, बमानिया बंजारा, लदिनिया/बंजारा, गवारिया या ग्वालिया रोहिदास बंजारा
58.	वाघरी-गमीचो, वेदवा चुरलिया, जाखुदिया (जहां ये अनुसूचित जनजाति नहीं हैं)
59.	वदवा वाघरी
60.	गाघाई
61.	गरूदी
62.	भाट
63.	जाचक

दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों को बंद करना

581. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता में नवम्बर, 1996 में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने उन कदमों का सुझाव देने, जो उन्होंने उन औद्योगिक इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों के हितो की रक्षा करने के लिए उठाये हैं जिनकी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में बंद किये जाने की संभावना हैं, एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस बीच यह समिति गठित हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के सभापति तथा सदस्यों सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस समिति द्वारा अब तक की गई सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप विशिष्ट उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा के लिए

22.11.96 को केन्द्रीय गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों का एक अनौपचारिक कोर ग्रुप गठित किया जाए जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि कामगारों का हित सुरक्षित रहे, एक उपयुक्त कार्रवाई योजना की सिफारिश करे।

2. तत्पश्चात 26.11.96 को हुई बैठक में कोर ग्रुप की सिफारिशों की समीक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप संसद के दोनों सदनों में श्रम मंत्रालय की ओर से, अन्तर्भुत मुद्दों के बारे में एक वक्तव्य 28.11.96 को दिया गया और भारत के उच्चतम न्यायालय में गृह मंत्रालय की तरफ से एक आवेदन 29.11.96 को दाखिल किया गया। उच्चतम न्यायालय ने 4.12.96 को एक आदेशपारित किया जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :–

(क) वे औद्योगिक इकाइयां जो स्थानांतरित होने में सफल न हो और अपना काम बंद करें, पहले दिए गए आदेशों के अनुसार एक वर्ष के वेतन की जगह अपने कामगारों को 6 साल का वेतन दें। यह क्षतिपूर्ति, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन देय क्षतिपूर्ति से इतर होगी।

(ख) वे औद्योगिक इकाइयां जो स्थानांतरित हो पाने में सफल न हों और अपना काम बंद करें, स्थानांतरित होने वाले उद्योगों के संबंध में आदिष्ट मात्रा में ही, मौजूदा परिसरों की भूमि के प्रयोग के हकदार होंगे (अर्थात दोनों ही मामलों में मालिक, अपने प्रयोग के लिए अधिक से अधिक 32% भूमि अपने पास रख सकता है)। पहले के निर्णय के अनुसार, बंद होनेवाले उद्योगों की शत प्रतिशत भूमि को प्रयोग में लेने का हक था।

(ग) बन्द किए जाने की स्थिति में कामगारों को औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी रिहायशी सुविधा का उपयोग डेढ़ वर्ष एतक या उस समय तब जब तक कि मालिक उस कामगार को 20,000/-रु० की क्षतिपूर्ति का भुगतान न कर दे, करते रहने का अधिकार होगा।

(घ) स्थानांतरित होने वाले उद्योग, अपने कामगारों को तब तक उस मौजूदा रिहायशी आवास पर काबिज रहने देगें जब तक उन्हें, स्थानांतरित कार्यस्थल पर कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध न करा दिया जाए।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना

582. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना में कोई संशोधन करने का है जैसाकि केरल सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना के उपबंधों को लागू करने के बारे में केरल सरकार के अभ्यावेदन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मंत्रालय में निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि आदानों की बिक्री

583. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को घटिया कृषि आदानों की बिक्री रोकने के लिए केन्द्रीय प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्क कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए विभिन्न उर्वरकों हेतु मानक विनिर्देश अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी उर्वरक नियंत्रण आदेश, 85 में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। केवल उन्हीं उर्वरकों को बेचने की अनुमति दी जाती है, जो निर्धारित मानकों के अनुरूप है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 85 के प्रवर्तन का कार्य राज्य सरकारों को सौंप गया है। उर्वरकों के नमूने लेने तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षक नियुक्त किए गए है। उर्वरक नियंत्रण आदेश, 85 अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 55 के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

जहां तक बीजों का प्रश्न है, किसानों को अवमानक बीजों की सप्लाई पर काबू पाने के लिए बीच अधिनियम, 1966 और बीच (नियंत्रण) आदेश, 1983 में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। बीच अधिनियम और बीच (नियंत्रण) आदेश, 1983 के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों का है, जिसके लिए राज्य सरकारों द्वारा बीच निरीक्षक अधिसूचित किए जाते हैं।

कृमिनाशियों की क्वालिटी का मानिटरन करने के लिए केन्द्र सरकार कीटनाशक अधिनियम, 1968 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रेशन प्रदान करते समय विभिन्न पैरामीटर निर्धारित करती है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए चार मुख्य अधिकारी, अर्थात् लाइसेंसिंग अधिकारी, अपील प्राधिकारी, कीटनाशक दवा विश्लेपक और कीट नाशक दवा निरीक्षक अधिसूचित किए हैं। अधिसूचित कीटनाशक दवा निरीक्षक निर्माण एककों और वितरण/बिक्री केन्द्रों से नमूने लेते हैं तथा कृमिनाशक दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कीटनाशक विश्लेषकों द्वारा इनका विश्लेषण कराते हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम

584. **श्री इलियास आजमी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम (एन०एम०एफ०सी०) को अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इस निगम द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) संबंधित राज्यों के अल्पसंख्यक निगम द्वारा इसमें से राज्यवार कितनी धनराशि वितरित की गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाभार्थियों के चयन संबंधी निगम की ऋण प्रक्रिया ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

कल्याण मंत्री (श्री बसवंत सिंह रामूवालिया) : (क) इस निगम की 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी में से 25% तथा 75% क्रमश केन्द्र तथा राज्यों द्वारा शेयर पूंजी अंशदन है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित राशि का अंशदान किया गया है :–

		(रुपए करोड़ में)
1.	भारत सरकार	107.00
2.	उत्तर प्रदेश सरकार	7.00
3.	बिहार सरकार	5.00
4.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	1.00
5.	कर्नाटक सरकार	1.00
6.	केरल सरकार	1.00
7.	हिमाचल प्रदेश सरकार	0.06
		15.06

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 125.00 करोड़ रुपए में से केन्द्र सरकार का हिस्सा 18.00 करोड़ रुपए शीघ्र निर्युक्त किया जा रहा है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) अपनी-अपनी राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा किया जिला प्रशासन के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाता है। लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता से संबंधित मामलों की जांच राज्य माध्यम एजेंसी द्वारा की जाती है। अभी तक इस तथ्य को दर्शाते हुए कि प्रक्रिया संबंधी अपर्याप्तता के कारण अनियमितताएं हुई हैं, के बारे में कोई विशिष्ट सूचना सरकार के ध्यान में नहीं गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निगम द्वारा राज्यों को दी गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे तथा राज्यों के अल्पसंख्यक निगम/राज्य माध्यम एजेंसियों द्वारा संवितरित राशि की राज्यवार ब्यौरे

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथावित्त निगम द्वारा किया गया आबंटन	राज्य अल्पसंख्यक निगमों/माध्यम एजेंसियों द्वारा संवितरित धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	151.14	135.14
2.	असम	75.29	–
3.	बिहार	1017.45	–
4.	चंडीगढ़	20.40	–
5.	गुजरात	604.40	–
6.	हिमाचल प्रदेश	26.91	–
7.	हरियाणा	190.03	93.45
8.	जम्मू और कश्मीर	508.08	112.84
9.	केरल	962.05	449.69
10.	कर्नाटक	724.09	277.09
11.	मेघालय	5.82	–
12.	महाराष्ट्र	950.83	582.95
13.	मणिपुर	65.04	–
14.	मध्य प्रदेश	695.87	136.90
15.	मिजोरम	47.00	7.86
16.	पंजाब	796.62	313.88
17.	तमिलनाडु	620.75	464.00
18.	त्रिपुरा	10.90	2563.43
19.	उत्तर प्रदेश	5127.62	–
20.	पश्चिम बंगाल	931.77	–
	कुल	13532.41	5136.44

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के आयात पर प्रतिबंध

585. **श्री सन्त कुमार पंडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विश्व व्यापार वार्ता के दौरान खाद्यान्नों के आयात पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के लिए सरकार द्वारा देश में किए गए संकल्प का विरोध करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत आयातों पर लगे मात्रात्मक प्रतिबंधों को शुल्क में परिवर्तित करने के लिए बाध्य हैं;

(ग) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन के दबाव का विरोध किस प्रकार किए जाने का विचार है;

(घ) क्या पेप्सी के अनुभव के प्रभाव का कृषि और रोजगार के संबंध में भी अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, नहीं।

(ख) गैट बहु-पक्षीय समझौते के रूप में जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये सहमत शर्तों की विनिर्दिष्ट किया गया है, जनवरी, 1948 में अनन्तिम आधार पर लागू हुआ। भारत गैट का संस्थापक सदस्य था जिसे 1948 से ही औपचारिक सदस्यता प्राप्त है। दिसम्बर, 1993 में बहु-पक्षीय व्यापार संबंधी विचार-विमर्श उरूग्वे में सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात विश्व व्यापार संगठन । जनवरी, 1995 से अस्तित्व में आया और भारत विश्व व्यापार संगठन का एक प्रारम्भिक सदस्य है।

गैट 1947 में शामिल किया गया तथा गैट 1994 में भी लाया गया एक मूल विषय मात्रात्मक प्रतिबन्ध से सम्बन्धित है। गैट का अनुच्छेद -XI मात्रात्मक प्रतिबंध के उपयोग को निषिद्ध करता है क्योंकि गैट का मूलभूत दर्शन केवल तटकर के माध्यम से ही आयात पर नियंत्रण करने का प्रतिपादन करता है। बहरहाल अनुच्छेद-XI में प्रदत्त मात्रात्मक प्रतिबंधों के निर्धारण संबंध में भी अनेक अपवाद हैं। अनुच्छेद-XVIII बी में विकासशील देशों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद-XVIII बी उस सदस्यों के हितों पर विचार करने के लिए बनाया गया है जिनकी अर्थव्यवस्था केवल निचले स्तर के रहन-सहन के लिए उपयुक्त है और विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में है। अनुच्छेद XVIII बी को मानने वाले सदस्य को भुगतान सन्तुलन प्रतिबंध संबंधी समिति समय-समय पर विचार विमर्श करना अपेक्षित है।

भारत ने हाल ही के वर्षों में भुगतान सन्तुलन संबंधी समिति से 1994 में (सरल विचार विमर्श) 1995 (पूर्ण विचार विमर्श) विचार विमर्श किया है। 1995 के विचार विमर्श के दौरान भारत से प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए निश्चित समय सारणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि सामान्य तौर पर यह महसूस किया गया था कि विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार की वजह से भारत अब भुगतान को कवर नहीं कर सकता।

भारत ने अपने पहले के दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने द्वारा लगाये गए सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों की हाल में ही विश्व व्यापार संगठन को अधिसूचित किया है। आठवीं योजना दस्तावेजों में भी मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने की चर्चा की गई है तथा यह स्वदेशी उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हमारे उदारीकरण के लक्ष्यों के अनुरूप है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

(ग) चूंकि भारत भुगतान संतुलन के प्रयोजनों हेतु मात्रात्मक प्रतिबंधों को बनाये हुए है, अतः शीघ्र ही इस संबंध में विश्व व्यापार संघ के साथ परामर्श किये जाने की सम्भावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

होलीडे रिजार्ट हेतु मंजूरी

586. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक के नागरहोल नेशनल पार्क में मोरकल में एक होलीडे रिजार्ट का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार से इसके निर्माण की मंजूरी ले ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) (क) से (घ) पर्यावरण निकासी के लिए इस मंत्रालय में अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

लड़कियों को अवैध रूप से जेद्दाह भेजना

587. श्री जगमोहन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुर्शिदाबाद जिले में जेद्दाह भेजे जाने हेतु पत्नीयों की दलालों के माध्यम से या अन्यथा बिक्री सम्बन्धी रिर्पोटों की जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। राज्य सरकार के साथ मामले को उठाया गया है।

[हिन्दी]

गन्ने की खरीद

588. श्री राजकेशर सिंह : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, विशेषकर जौनपुर तथा भदोही जिलों में मिलों द्वारा गन्ने के खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) जनवरी, 1997 तक इस निर्धारित लक्ष्य की तुलना में विभिन्न बिक्री केन्द्रों द्वारा गन्ने की कितनी मात्रा की खरीद की गई;

(ग) निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में गन्ने की कम खरीद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गन्ने की खरीद के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा किसानों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबंध

589. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एन्डोसुल पेन" जैसा विषैला प्रतिबंधित कीटनाशक भारत में आसानी से उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या कीटनाशक भारत में लगभग 48 नामों से बेचा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) भारत में एण्डोसल्फान के इस्तेमाल पर रोक नहीं है, इसलिए यह खुले आम उपलब्ध है।

(ग) और (घ) चूंकि एण्डोसल्फान के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है, इसलिए भारत में यह विभिन्न बॉड नामों से खुले आम बेची जाती है।

(ङ) कृषि नाशियों के इस्तेमाल की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने एण्डोसल्फान सहित 14 कृमिनाशियों की समीक्षा के लिये 1989 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समीक्षा के बाद इसके इस्तेमाल को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

असम सीमा को बंद किया जाना

590. डा० प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का असम से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बंद किए जाने का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) बंगलादेश के साथ लगी असम सीमा पर कंटीले तार लगाने के कार्य में अब तक कितनी ग्रगति हुई है; और

(ङ) कांटेदार तार लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ को रोकने और सीमा पार से होने वाले अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से भारत बंगलादेश सीमा पर संवेदनशील हिस्सों में सीमावर्ती सड़कों और बाड़ लगाने के कार्य की एक परियोजना शुरू की गयी है। इसमें, असम के साथ लगी भारत-बंगलादेश सीमा पर 192 कि०मी० सड़के और 158 कि०मी० बाड़ लगाने का कार्य भी सम्मिलित है।

2. 31.12.96 तक 116.59 कि०मी० सड़के और 125.54 कि०मी० बाड़ लगायी जा चुकी है। इस कार्य के 1998 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

मेडारिन संतरों के उत्पादन में निरंतर गिरावट

591. श्री भीम प्रसाद दडादाहाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात को जानकारी है कि सिक्किम और दार्जिलिंग को पहाड़ियों में मेडारिन संतरों के उत्पादन में बीमारी के कारण निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) क्या सिक्किम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस बीमारी के संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ग) क्या सरकार को सिक्किम के संतरा बागनों को हरा-भरा बनाकर पुनः फलात्पादक बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने खराब हो चुके मैडारिन फलोद्यानों के पुनरूद्धार हेतु पद्धतियों के एक पैकेज का सुझाव दिया है ताकि इसके खराब होने की घटनाएं कम हो सकें।

(ग) और (ङ) जी नहीं, लेकिन भारत सरकार शीतोष्ण, उष्ण कटि-बंधीय तथा शुष्क क्षेत्रीय फलों के समेकित विकास की योजना के अंतर्गत पुराने फलोद्यानों जिनमें नींबू जातीय फलों के उद्यान शामिल हैं, के पुनरूद्धार के लिए सहायता दे रही है। अब तक इस योजना के अधीन सिक्किम को आठवीं योजना के दौरान 44.17 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।

आन्ध्र प्रदेश में पुष्प कृषि केन्द्र ओवेसी :

592. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद में एक आदर्श पुष्प कृषि केन्द्र मंजूर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए है;

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान पुष्प कृषि हेतु विदेशी सहयोग के कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है; और

(घ) हैदराबाद में आदर्श पुष्प कृषि केन्द्र कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) भारत सरकार ने मार्च, 1996 में आन्ध्र प्रदेश के लिये एक आदर्श पुष्प संवर्धन केन्द्र को मंजूरी दी है तथा इस केन्द्र के लिए कुल 52.50 लाख रुपये की लागत में से 40 लाख रु० की निर्मुकित भी कर दी है। राज्य में इस केन्द्र की अवस्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

(ग) 1 अप्रैल, 1996 से 15 फरवरी, 1997 की अवधि के दौरान पुष्पकृषि के लिए विदेशी सहयोग के लिये अट्ठारह (18) मंजूरियां जारी की गई हैं।

विदेशो से प्राप्त अवैध धन

593. श्रीमती मीरा कुमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कुछ संगठनों, द्वारा विदेशों से अवैध धन प्राप्त किये जाने के विशिष्ट मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए अन्य क्या निवारक उपाए किए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) ऐसे भी दृष्टांत हैं जहां ऐसे संगठनों, जिन्हें विदेशी अभिदाय (विनिमयन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय स्वीकार करने से पहले, रजिस्ट्रेशन/पूर्वानुमति लेने की जरूरत होती है, ने बिना रजिस्ट्रेशन/पूर्वानुमति लिए बिना अभिदाय प्राप्त किए हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि जब तक कोई संलग्न विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन/पूर्वानुमति प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक किसी भी संगठन के खाते में विदेशी अभिदाय की राशि न डाली जाए।

कृत्रिम मोती

594. श्री सुशील चन्द्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन स्थानों पर कृत्रिम मोतियों का उत्पादन होता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में कृत्रिम मोतियों का उत्पादन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कृत्रिम मोतियों का आयात किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा कृत्रिम मोतियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) भारत में कृत्रिम मोतियों के परीक्षात्मक उत्पादन के लिए निम्न स्थान हैं:

गुजरात	–	सिक्का तथा ओखा
केरल	–	कालीकट, कोच्चि तथा विझीनजाम
तमिलनाडु	–	टूटीकोरिन, मण्डपम कैम्प तथा चेन्नई
आन्ध्र प्रदेश	–	काकीनाडा, विशाखापत्तनम, लक्षद्वीप के द्वीप समूह अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
उड़ीसा	–	कौशल्यागंज

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षात्मक स्तर पर सफलतापूर्वक उत्पन्न किए गए कृत्रिम मोतियों की मात्रा लगभग 5 कि०ग्रा० है।

(ग) मणि तथा आभूषण निर्यात प्रोत्साहन परिषद्, मुंबई द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93 से 1994-95 की अवधि के दौरान 6925.39 लाख रुपये के कृत्रिम मोतियों का आयात किया गया।

(घ) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान तथा केन्द्रीय ताजा जल-जीव पालन संस्थान ने विभिन्न राज्यों के मात्स्यकी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी उद्यमकर्ताओं को प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों के जरिए मोती पालन की प्रौद्योगिकी तथा जानकारी दी है।

मछली पालन का विस्तार

595. डा० प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में मछली पालन के विस्तार के लिए उन्नत किस्म के बीच, खाद्य भण्डारण, परिवहन, विपणन और ऋण आदि के लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे के रूप में अन्य आदानों की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरनन मिश्र): मत्स्य पालन विकास अभिकरणों और खारा जल मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत सरकार ताजा जल तथा खारा जल मत्स्य संवर्धन की शुरूआत करने के लिये लाभ-भोगियों को पहले वर्ष में बीज, आहार, उर्वरक, खाद आदि जैसे आदानों की सुविधा प्रदान करती हैं। ये ऐजेंसियाँ मत्स्य/झींगा पालन के लिए किसानों की तकनीकी, वित्तीय तथा विस्तार सहायता प्रदान करती हैं। केन्द्र सरकार भी राज्य सरकारों को मत्स्य विपणन के लिये शीतगार, बर्फ संयन्त्र, परिवहन आदि जैसे अवंसरचनात्मक सुविधाओं को स्थापना के लिये सहायता प्रदान करती हैं।

बांग्लादेश के शरणार्थी

596. श्री माधवराव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में वर्षों से रह रहे बांग्लादेश के शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) बंगग्लादेश के प्रधानमंत्री/विदेशी मंत्री हाल ही में नई दिल्ली के दौरे के समय चकमा तथा अन्य शरणार्थियों को बांग्लादेश वापस भेजने के संबंध में बांग्लादेश के साथ क्या समझौता हुआ; और

(ग) इस समझौतें को लागू करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) बंगलादेश के करीब पचास हजार शरणार्थियों 1986 से त्रिपुरा में रखा जा रहा है।

(ख) और (ग) बंगालदेश के एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डल द्वारा शीघ्र ही त्रिपुरा का दौरा करने की आशा है ताकि इन शरणार्थियों को स्वदेश लौटने के लिए मनाया जा सकें।

गेहूं भण्डार

597. डा० मुरली मनोहर जोशी :
श्री थावर चन्द्र गेहलोत :
श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री के० प्रधानी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 से 1996 में प्रति वर्ष जुलाई और अक्तूबर के अन्त में तथा दिसम्बर, 1996 के अंत में गेहूं भण्डार की क्या स्थिति रही है;

(ख) उपर्युक्त वर्षों में गेहूं का प्रति क्विंटल निर्गम मूल्य क्या रहा; और

(ग) वर्ष 1995 तथा 1996 में जुलाई से दिसम्बर तक प्रतिमाह गेहूं का बाजार मूल्य क्या रहा है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) 1994 से 1996 के दौरान गेहूं के स्टाक की स्थिति निम्नानुसार है :–

(लाख टन में)

1994		1995		1996		
1.8.94 को स्थिति के अनुसार	1.11.94 को स्थिति के अनुसार	1.8.95 को स्थिति के अनुसार	1.11.95 को स्थिति के अनुसार	1.8.96 को स्थिति के अनुसार	1.11.96 को स्थिति के अनुसार	1.1.97 को स्थिति के अनुसार
169.7	149.8	185.6	159.3	129.5	95.4	69.0

आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1.2.94 से गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 402 रुपए प्रति क्विंटल प्रभावी हैं जो अभी भी लागू हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

विव-

1995 और 1996 के दौरान

		गेहूं						गेहूं						गेहूं		
		03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	18/09	25/09	02/10
दिल्ली	1996	495	512	505	525	535	535	535	562	562	562	570	570	570	600	600
	1995	400	410	412	405	413	415	430	430	420	418	425	420	420	425	428
हिसार	1996	400	402	402	460	460	450	460	480	525	525	550	550	550	550	520
	1995		361	361	361	361	380	380	400	380	380	375	380	380	385	380
करनाल	1996	450	440	440	585	480	480	480	500	540	540	500	500	500	500	580
	1995		360	370	370	370	370	380	380	400	380	400	400	400	400	400
अमृतसर	1996	440	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475
	1995	370	370	360	360	360	360	360	350	360	360	360	360	360	375	392
लुधियाना	1996	435	436	436	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
	1995	362	362	360	366	366	360	360	350	360	360	360	360	360	360	390
कानपुर	1996		525	510	510	520	520	525	535	535	535	535	540	540	540	540
	1995	385	385								420	420	420	420		
लखनऊ	1996		460	480	480	500	500	500	500	500	500	500	550	550	550	550
	1995	375	375								420	420	420	420		
अहमदाबाद	1996	720	650	650	650	650	650	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	1995	540	540	560	630	575	545	550	550	565	570	570	575	575	570	575
भोपाल	1996	550	525	525	550	550	550	550	550	550	600	600	600	600	550	550
	1995	400	400	420	420	380	430	420	430	430		430	390	390	420	415
बम्बई	1996		625	625	625	625	625	615	711	711	711	615	615	615	615	615
	1995		611	611	611	611	611	611	611	611	611	611				
नागपुर	1996		580	580	580	580	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
	1995		480	370	480		480	500	500	500	500	500				
जयपुर	1996	510		510	520	520	520	520	520	520	550	550	550	550	550	550
	1995	360	360	360	370	385	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
पटना	1996	625					600	600	600	600	700	700	700	700	700	700
	1995				450	440		440								
भुवनेश्वर	1996															
	1995															
अगरतला	1996		705	705	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	811	800
	1995							660								
कलकत्ता	1996															
	1995															
हैदराबाद	1996	680	690	690	690	690	670	710	650	650	650	650	650	650	650	650
	1995															
बंगलौर	1996				940	850	850	850	850	960	960	970	970	970	970	970
	1995	650	620	640	620	640	620	640	640	640		640	660	660	660	
त्रिवेन्द्रम	1996															
	1995															
मद्रास	1996		803	803	823	823	833	843	843	854	854	854	874	874	874	874
	1995	641		652	652	641		652	652	652	641	641	641	641	641	641

रण

गेहूं के थोक बिक्री मूल्य

(रु० प्रति क्विंटल)

गेहूं			गेहूं						गेहूं						गेहूं			
09/10	16/19	23/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	25/12	01/01	08/01	15/01	22/01	29/01	05/02
590	615	625	625	625	620	620	670	710	730	660	645	670	665	600	635	615	655	625
425	420	415	415	415	415	430	430	435	440	442	430	425	420	430	450	443	443	425
520	520	590	590	520	520	520	540	500	650	650		610	610	610	600	600	580	580
380	380	380	380	380	375	375	377	377	377	377	377	380	425	387	387	388	388	388
600	590	520	520	610	600	615	630	630	695	705	625	650	650	650	615	615	615	615
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	387	425	425	430	430	430
	475				600		625		610		690			700	650	690	690	690
390	400	400	400	400	400	408	404	419	420	420	420	420	420	420	406	414	414	417
	439				575		580		610		640			640	625	600	600	600
390	400	400	400	400	400	415	415	413	415	415	415	415	415	415	411	405	405	405
570	650	600	600	600	610	670	610	650		675	825	680	680	675	675	720	720	710
					420		425		432	432	432	440	432	440	445			445
550	600	570	570	570	580	655	640	610		625	670	625	625	625	635	645	645	660
					410		400		430	430	430	425	430	450	415			410
	840						840				900			700	900	750	750	
560	580	580	580	580	580	590	600	600	590	590	625	600	630	650	650	660	660	660
550		550	550	600	600	625	700	800	800	775	700		750	750	770	775	650	715
390	410	410	410	410	420	430	435	410	410		465	450	450	450	450	485	485	440
711	615			711	711	711	711	711	711	711		711	711	711	741	105a1	1051	1051
611	611	611	611	611	611	611	611	625	625	625	625	625						
685				725	725	725	725	815	815	815		825	825	875	875	838	838	838
575	575	575	575	540	520	530	530	500	500	530				585	560			530
	530	550	550	550	550	600	570	690	670		690	700		675	675			680
400	400	400	400	425	425	425	425	425	425	425	415	415	415		415	425	425	450
700	700	725	725	725	785	750	750	750	750	750	750							800
										575								550
				800	800		800	800	880		865	1000		872	872	872	872	890
							680											
	800			800	980	780	780	780	850	850	850	735	775	1000	795	795	980	980
	650	650	650	650	650	640	670	670	670	670	670	680	680	700	675	670	670	
990	820					1000	900	1000	1000	1140	920	1050	990	890	990	1120	1140	
	820	660	660	660		720	720	700		700	720	720	720	700	700			750
950																		
	934	924	924	995	995				1005	1000		924	1066	1006			1207	
641	652	702	702	702	702	702			732	742	742		742	742	753	783	783	763

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन पर उर्वरकों का प्रभाव

598. श्री शिवराज सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि उत्पादन पर रासयनिक उर्वरकों के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय सुझाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मृदा, भूगत जल तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु किसी परामर्शदात्री निकाय का गठन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) पौधों के पोषक तत्वों के अनुकूलतम और संतुलित उपयोग के लिए एक मुश्त कृषि क्रियाओं के विकास हेतु भा०कृ०अ०प० स्थान विशिष्ट उर्वरक परीक्षण कर रही है। इन कृषि क्रियाओं को अपनाने से फसल के उत्पादन और मृदा के (स्वायल हैल्थ) पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) इस संबंध में राज्य कृषि विश्वविद्यायों द्वारा राज्य कृषि विभागों को सलाह दी जा रही है।

[अनुवाद]

स्वर्ण मसूरी धान

599. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में धान से 67/68 प्रतिशत चावल वसूली निर्धारित करने का आधार क्या है;

(ख) वे कौन-कौन से राज्य हैं जहां से स्वर्ण मसूरी धान, उत्तम गुणवत्ता धान समर्थन मूल्य पर प्राप्त किया जा रहा है;

(ग) क्या यह धान मध्य प्रदेश में भी उत्तम गुणवत्ता के अंतर्गत प्राप्त किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) खरीफ विपणन मौसम 1995-96 से एकरूप से सरकार ने मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में प्राप्ति (आउट टन) अनुपात धान की कच्चे चावल में मिलिंग के लिए 67% और धान के सभी समूहों के लिए लागू सैला चावल के लिए 68 प्रतिशत निर्धारित किया है यह विभिन्न राज्यों में किए गए परख (ट्रायल) मिलिंग के अनुभवों और इस प्रयोजनार्थ नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

(ख) से (घ) विपणन मौसम 1979-80 से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन धान/चावल की वसूली बालासुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों के अनुसार लम्बाई/मोटाई पर आधारित धान/चावल के समूह/वर्गीकरण के अनुरूप की जाती है। तद्नुसार, धान/चावल की किस्मों को उत्तम, बढ़िया और साधारण में वर्गीकृत किया जाता है।

भारत सरकार ने "स्वर्ण मसूरी" किस्म को लम्बाई, मोटाई के अनुपात के आधार पर मध्य प्रदेश के लिए "साधारण", और उड़ीसा के लिए "बढिया" के रूप में वर्गीकृत किया है और तदनुसार भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार धान के साधारण समूह के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक 15/- रुपए प्रति क्विंटल बोनस के रूप में अदा कर रही है। भारतीय खाद्य निगम सहित वसूली एजेंसियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे खरीफ विपणन मौसम 1996-97 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन केन्द्रीय पूल के लिए धान/चावल की एकल ग्रेड विनिर्दिष्टियों, जो भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं, के अनुरूप धान/चावल की ही वसूली करे।

हथियारों की तस्करी

600. श्री तारीक अनवर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नशीली दवाओं के अवंध व्यापारियों और आतंकवादियों के ठहरने को सुरक्षित और पसंदीदा जगह है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के विभिन्न जिलों में अपना जाल फैलाने वाले माफिया गिरोह का सीमा पार पाकिस्तान के आतंकवादियों और नशीली दवाओं के तस्करों से घनिष्ट संबंध है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में कोई संगठित माफिया ध्यान में नहीं आया है। तथापि, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय व्यक्तिगत अवैध व्यापारियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए निम्नलिखत उपाय किए गए हैं :–

(I) सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा गश्त/नाके बढ़ा दिए गए हैं।

(II) सीमा सुरक्षा बल ने प्रेक्षण चौकी टॉवर खड़े किए हैं।

(III) दूरबीनें, चश्में, ट्विन टेलिस्कोप, पी०एन०वी० दूरबीनें तथा हाथ में पकड़ी जाने वाली सर्च लाइटें, सीमा पर सतर्कता में वृद्धि हेतु गश्ती दालों को उपलब्ध कराए गए हैं।

(IV) सीमा पर गश्त में वृद्धि के लिए जीपें, ट्रेक्टर और ऊंट उपलब्ध कराए गए हैं।

(V) सीमा पर बाड़ और तेज रोशनी करने का काम बहुत तीव्र गति से किया जा रहा है।

(VI) वाहनों से गश्त लगाए जाने हेतु सीमा सड़क/मार्ग बनाए/विकसित किए जा रहें हैं।

(VII) सीमावर्ती क्षेत्रों में अति चौकसी रखने के लिए सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(VIII) कारगरता में सुधार लाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं।

(IX) मुखबिरों तथा प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजनाओं को चालू किया जा रहा है।

(X) तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं जिनमें, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने से संबंधित समस्त प्रवर्तन एजेंसियां हिस्सा लेती हैं। पाकिस्तान के साथ हुए एक द्विपक्षीय समझौतें के तहत सचिव एवं महानिदेशक स्तर पर आवधिक बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा, सीधे आपरेशन सम्प्रेषण हेतु दोनों देशों द्वारा सम्पर्क सूत्र नामित किए गए हैं।

अमेरिका के साथ अनुसंधान अनुबंध

601. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने अमरीका के कृषि विभाग के साथ एक अनुसंधान अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कब किए गए और इस अनुबंध का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का क्या औचिय है और इससे भारत की क्या-क्या लाभ होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अनुबंध से अमूल्य भारतीय जैव-विविधता के प्रभावित होने और इसके अमेरिका में पेटेंट होने और उपयोग होने के संबंध में जांच करा ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज): (क) से (ग) जी हां। भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के निदेशक ने 24 नवम्बर, 1995 को संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में सामान्य उपबंधों के 17 खंड सम्मिलित हैं जो विदेशी कृषि अनुसंधान अनुदानों पर लागू होते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करना "जैव विविधता और वन उत्पादकता के लिए भारत में वनों का प्रबंधन पारि-प्रणाली पर परिप्रेक्ष्य" नामक अनुसंधान परियोजना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान को दिए जाने वाले 96,90000 रु० की अनुदान की मंजूरी को दर्शाने के लिए आवश्यकता, परियोजना का मुख्य उद्देश्य वानिकी क्रियाकलापों के प्रभावों, लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हवन उत्पादों के प्रयोग, फसल की कटाई की पद्धतियों, और वन-विविधता के संग्रहण और संरक्षण समस्याओं के अभिलेखन का मूल्यांकन करना है।

(घ) और (ङ) संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग ने बताया है कि इस परियोजना से जिन उत्पादों की आधा की जा रही है, उनके लिए मार्गदर्शन और योजना दस्तावेजों के संबंध में लाइसेंसों या पेंटेटों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इसलिए इस समझौते पर पेटेंट और लाइसेंस अधिकार खण्ड लागू नहीं होता।

शासकीस गुप्त बात अधिनियम, 1923

602. डा० ए० जगन्नाथ :
श्री राम सागर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने इस आशय की सिफारिश की है कि नागरिकों को सूचना पाने का अधिकार होना चाहिए और सरकार के कार्य और शासकीय गुप्त बात अधिनियम पर रहस्य का पर्दा नहीं होना चाहिए;

(ख) क्या इस अधिनियम के निर्माता ब्रिटिश शासकों ने सरकार को और खुला बनाने के लिए पहले ही 1989 में इस शासकीय गुप्त बात अधिनियम को संशोधित दिया हैं;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करने का भी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 5 की चुनौती देते हुए भारत सरकार के विरुद्ध दर्ज रिट याचिका में कोई मत व्यक्त किया था; और

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) पांचवें वेतन आयोग ने राष्ट्रीय हितों की प्रधानाता के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक को अन्तरंगता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अन्तनिहित सरक्षोपायों सहित "सूचना का अधिकार अधिनियम" पारित करने की संस्तुति की है।

(ख) यूनाईटिड किंगडम के सरकारी गुप्त बात अधिनियम की व्यप्ति प्रतिबंधित करते हुए वर्ष 1989 में इसमें संशोधन किया गया।

(ग) और (घ) केन्द्र और राज्य सरकार के स्तरों पर सूचना के अधिकार के बारे में एक विधायन प्रस्तुत किए जाने की संभावना की जांच करने और तसरकारी गुप्त बात अधिनियम सहित विभिन्न संगत विधायनों को संशोधित किए जाने पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यकारी ग्रुप बनाया गया है।

(ङ) और (च) डा० जार्ज मैथ्यू द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी गुप्त बात अधिनियम की धारा 5 को चुनौती दी गई है। रिट याचिका, उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

अवैध खनन

603. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसूरी दादगिरि क्षेत्रों में चूना पत्थर के अवैध खनन पर उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सोन नदी के किनारे मसूरी के दादगिरि क्षेत्रों में चूना पत्थर का अवैध खनन अभी भी अबाध रूप से जारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोटा

604. श्री डी०पी० यादव : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं, चाव, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति मांग के अनुसार नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों की मांग पूरी न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से इन मदों का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन समग्र रूप से किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों/जिलों के बीच इनका वितरण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है और केन्द्रीय सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने चावल और खाद्य तेल (आयातित पामोलीन) के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मासिक कोटे में कोई वृद्धि करने की मांग नहीं की है। मार्च, 1997 के लिए किए गए 1,02,800 टन गेहूं के आवंटन के प्रति 1,09,205 टन का मासिक कोटा निर्धारित करने की मांग प्राप्त हुई है। खाद्यान्नों के आवंटन माह दर माह आधार पर किए जाते हैं और इसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग, उनकी संगत आवश्यकता, उठान प्रवृत्ति, केन्द्रीय पूल में स्टाक स्थिति, मौसमी उपलब्धता आदि को हिसाब में लिया जाता है।

1994-95 और 1995-96 के दौरान उत्पादन स्तर में वृद्धि होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने संबंधी प्राप्त हुए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि देश में लेवी चीनी की उपलब्धता को अभी भी स्थिरता हासिल करनी है।

उत्तर प्रदेश राज्य से मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था। तथापि, इस उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और अंतर्ग्रस्त भारी सब्सिडि संबंधी बाधाओं के कारण सम्पूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। फिर भी देश में समग्र रूप से 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के वर्षों के आवंटन में पिछले वर्षों की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 1997-98 के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50,015 टन की वृद्धि की गई है जो 1996-97 की तुलना में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

[अनुवाद]

अवैध मद्य व्यापार

605. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वीडनिंग एण्ड डाईनिंग अण्डार वाचफुल आईज ऑफ पुलिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फलते-फूलते अवैध मद्य व्यापार में पुलिस कर्मियों के हाथ होने पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सरकार ने 26 दिसम्बर, 1996 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" के अंक के छपे, संदर्भाधीन समाचार को देखा है। रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के कुछ स्थानों (मजनूं का टीला और यमुना पुश्ता) पर पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से शराब का अवैध व्यापार चलाया जा रहा है।

(ग) जब भी शराब के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है, तो दिल्ली पुलिस द्वारा छापे मारे जाते हैं। वर्ष 1996 और 1997 (31 जनवरी, 1997 तक) 43 मामले दर्ज किए गए और मजनूं का टीला से 44 व्यक्तियों का गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से इसी अवधि के दौरान यमुना पुश्ता से 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 58 मामले दर्ज किए गए। यदिर किसी भी पुलिस कर्मी को ऐसे अवैध व्यापार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1996 के दौरान ऐसे अवैध व्यापार में कथित रूप से संलिप्त तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।

संप्रेक्षण गृह

606. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्री चुनचुन प्रसाद यादव :
श्री तारीक अनवर :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संप्रेक्षण गृहों में रहने वाले दो संवासी हाल ही में भाग गये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1995 तथा 1996 में संप्रेक्षण गृहों से भागने वाले संवासियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा संप्रेक्षण गृहों से संवासियों के भागने की परिस्थितियों की जांच की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) (1) दिनांक 6.1.97 को वाल प्रेपण गृह-1, दिल्ली गेट से 19 संवासी भाग निकले इसमें से 11 इस गृह में वापस लाए गए।

(2) दिनांक 36.1.97 को वाल प्रेपण गृह-2, मैग्जिन रोड से 88 संवासी भाग निकले इनमें से 54 संवासी वापस इस गृह में लाए गए थे।

(ग)

	1995	1996
वाल प्रेपण गृह-1	4	25
वाल प्रेपण गृह-2	100	5

(घ) दिल्ली सरकार द्वारा प्रथम मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच तथा दूसरे मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए गए।

(ङ) इस जांच से वर्ष 1997 के दोनों मामले में प्रथम दृष्टया सुरक्षा स्टाफ की लापरवाही का पता चलता है। इस रिपोर्ट में इन गृहों में सुरक्षा के स्तर में सुधार के विभिन्न सुझाव दिए गए हैं।

(च) बाल प्रेक्षण गृह-1, दिल्ली गेट से एक कर्मचारी तथा बल प्रेपण गृह-2, मैग्जीन रोड से 5 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया। इन संस्थाओं में सुरक्षा के स्तर में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं।

शहरों में प्रदूषण

607. **श्री सत्यजीत सिंह दिलीप सिंह गायकवाड़ :**
श्री संदीपन थोरात :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के महानगरों में विभिन्न वायु प्रदूषकों तथा कार्बन मोनोक्साइड, व्याप्त वस्तुओं के काण, सीसे के कण, सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है;

(ख) ये प्रदूषक अधिकतम अनुमत सीमा से कितने अधिक है;

(ग) उपरोक्त नागरों में ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम अनुमत सीमा क्या है तथा यह अधिकतम अनुमत सीमा से कितना अधिक है;

(घ) हृदय संबंधी अनियमितताओं के लिए जलवायु परिवर्तन किस हद तक जिम्मेदार है;

(ङ) रियो सम्मेलन के एजेंडा-21 में की गई सिफारिशों को किस हद तक देश में क्रियान्वित किया गया है;

(च) मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों तथा ध्वनि प्रदूषण का सीमा से अधिक विसर्जन का क्या बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(छ) इस समस्या से निबटने के लिए विदेशी/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से मांगे गए/प्राप्त किए गए सहयोग का क्या ब्यौरा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) विभिन्न वायु प्रदूषकों जैसे कार्बन मोनोआक्साइड, निलम्बित कणिकीय प्रदार्थ, कणिकीय सीसा आदि के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक संलग्न विवरण-I में दिए गये हैं।

(ख) इस महानगरों में वायु गुणवत्ता सतरों की मानीटरन से पता चलता है कि दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई में पाये गये निलम्बित कणिकीय पदार्थ (एस०पी०एम०) निर्धारित सीमा से ज्यादा हैं किन्तु सल्फरडाक्साइड और नाइट्रोजन आक्साइट अनुमेय सीमाओं में हैं।

(ग) शोर के स्तर के संबंध में परिवेशी गुणवत्ता मानक संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। भारत के प्रमुख शहरों/नगरों में किए गए शोर प्रदूषण संबंधी अध्यन यह बताते हैं कि आमतौर पर वाणिज्यिक घरेलू और शोर रहित प्रदेशों में दिन के समय शोर का स्तर मानकों से अधिक रहता है।

(घ) उपलब्ध अध्ययनों से जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के सम्भावित प्रभावों, जिनमें हृदय संबंधी गड़बड़ी भी शामिल हैं, के बीच किसी स्पष्ट कारण और प्रभव के संबंध का पता नहीं चलता।

(ङ) इस संबंध में रियो शिखर के कार्यवृत्त-21 में दिये गये सुझावों को देश में अमल में लाया जा रहा है। कार्यवृत्त-21 की उपलब्धि के रूप में जलवायु प्रदूषण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए जलवायु परिवर्तन कन्वेशन अमल में आया है।

(च) स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों और प्रदूषण के बीच किसी संबंध की निश्चित तौर पर सिद्ध नहीं किया गया है। अध्ययन बताते हैं कि श्वास संबंधी गड़बड़ी, हृदय-वाहिका और तंत्रिका व्यवहार संबंधी प्रभाव, यकृत और गुर्दों के क्षीण होने आदि कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव हैं जो सिग्रेट पीने, वातावरण में प्रदूषकों और एलर्जनक के जमाव में वृद्धि, कमजोर सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां और वंशानुगत जैसे अनेक कारणों से जुड़े हैं।

(छ) प्रदूषण नियंत्रण और निवारण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों/देशों से सहयोग प्राप्त हुआ है जिनमें विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डेनमार्क, जर्मनी, नार्वे और जापान शामिल हैं। देश में उन विभिन्न देशों के साथ जहां प्रदूषण नियंत्रण एक महत्वपूर्ण अंग है, के साथ अनेक करार/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

प्रदूषक	समय-भारित औसत	***परिवेशी वायु में जमाव		
		औद्योगिक क्षेत्र	आवासीय ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्र	संवेदनशील क्षेत्र
सल्फर डाइआक्साइड	वार्षिक औसत*	80	60	15
(SO_2)	24 घंटे**	120	80	30
नाइट्रोजन आक्साइड	वार्षिक औसत*	80	60	15
(NO_2)	24 घंटे**	120	80	30
निलम्बित कणिकीय	वार्षिक औसत*	360	140	70
पददार्थ	24 घंटे**	500	200	100
अन्तः श्वसनीय कणिकीय	वार्षिक औसत*	120	60	50
पदार्थ (10 यूएम से कम आकार का)	24 घंट**	150	100	75
सीसा	वार्षिक औसत*	1.0	0.75	0.50
	24 घंटे**	1.5	1.00	0.75
कार्बन मोनोआक्साइट	8 घंटे**	5.0	2.0	1.0
	1 घंटे	10.0	4.0	2.0

नोट :

* एक वर्ष में न्यूनतम 104 मापक का वार्षिक गणितीय माध्य, एक समान अन्तराल पर एक सप्ताह में दो बार 24 घंटेवार लिया गया है।

** 24 घंटेवार/8 घंटेवार मानक के एक वर्ष में 98% समय पूरा होगा इसमें 20% का समय बढ़ सकता है किन्तु लगातार दो दिनों में नहीं।

*** मोनोआक्साइड को छोड़कर अन्य सभी के मान माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में हैं। कार्बन मोनोआक्साइड का मान मिलिग्राम प्रतिघन मीटर में है।

विवरण-II

शोर के संबंध में परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक

क्षेत्र की श्रेणी	डीबी(ए) लि० में सीमाएं	
	दिन	रात
औद्योगिक क्षेत्र	75	70
वाणिज्यक क्षेत्र	65	55
आवासीय क्षेत्र	55	45
शोर-रहित क्षेत्र	50	40

टिप्पणी :— 1. दिन का समय प्रातः 6 बजे से 9 बजे के बीच माना जाता है।

2. रात्रि का समय सांय 9 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच माना जाता है।

3. अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालय परिसरों के 100 मीटर के भीतर का क्षेत्र शोर रहित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। शोर रहित क्षेत्र सक्षम प्राधिकरण द्वारा घोषित किए जाते हैं।

4. सक्षम प्राधिकरण द्वारा मिश्रित श्रेणी वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के रूप में घोषित किया जायेगा और संगत मानकों को लागू किया जायेगा।

सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार को आवंटित आटा

608. श्री आई०डी० स्वामी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार को जून, 1996 से जनवरी,

1997 के बीच गेहूं की कितनी मात्रा आवंटित की गई तथा माह-वार इनके द्वारा कितनी मात्रा में आटा वेचा गया;

(ख) क्या सुपर बाजार ने 10 कि०ग्रा० की थैली को 64/-रु० मूल्य के आधार पर केन्द्रीय भंडार की तुलना में कम आटा बेचा था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सुपर बाजार दिल्ली और केन्द्रीय भंडार, दिल्ली को जून, 1996 से जनवरी 1997 के दौरान आटे के रूप में बेचे जाने के लिए गेहूं के आवंटन और इन दोनों संगठनों द्वारा बेचे गए आटे की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 7-27 दिसम्बर, 1996 की अवधि के दौरान सुपर बाजार ने 10 कि०ग्रा० आटे की 1,11,510 थैलियों (अर्थात् 115.10 मी० टन) की विक्री की है जबकि केन्द्रीय भंडार ने इसी अवधि के दौरान 1,38,683 थैलियां (अर्थात् 1386.83 मी०टन) बेची हैं। सुपर बाजार से अनुरोध किया गया है कि वे गेहूं से आटा तैयार करने के काम में अधिक मिलों को लगा कर आटे के स्टाक में वृद्धि करें।

विवरण

जून, 96 से जनवरी, 97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा सुपर बाजार, दिल्ली तथा केंद्रीय भंडार को आटे के रूप में बेचे के लिए आवंटित गेहूं की मात्रा तथा सुपर बाजार, दिल्ली और केन्द्रीय भंडार द्वारा बेची गई आटे की मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(मी०टन० में)

महीना	गेहूं की आवंटित मात्रा		आटे की वेची गई मात्रा	
	सुपर बाजार	केंद्रीय भंडार	सुपर बाजार	केंद्रीय भंडार
जून, 96	शून्य	शून्य	शून्य	329.99
जुलाई, 96	200	शून्य	180	311.45
अगस्त, 96	1000	1000	900	421.30
सितम्बर, 96	500	400	450	625.54
अक्तूबर, 96	500	400	450	625.54
अक्तूबर, 96	1000	1200	900	440.90
नवम्बर, 96	1000	2000	900	797.52
	3000	(अतिरिक्त)		
जनवरी, 97	5000	2988	8697.60	

पाद टिप्पणी : जून, 96 के दौरान केंद्रीय भंडार खूले बाजार से गेहूं लेकर आटा वेच रहा था।

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद

609. डा० असीम बाला : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) सरकार को भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद के गठन के लिए संसद सदस्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्री तथा अन्य लोगों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) यह प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य

610. श्री राम टहल चौधरी :
श्री काशी राम राणा :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों में आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान प्रति किलोग्राम थोक तथा खुदरा बिक्री मूल्य के बीच कितना अंतर है;

(ख) क्या आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य के अधिकतम अनुसत्य अंतर के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तेा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, विशेषकर खुदरा मूल्यों पर निगरानी रखने के लिए सरकार कौन-सा तरीका अपनाती है ताकि उपभोक्ताओं को संरक्षण किया जा सके ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में 5.2.1997 की स्थिति के अनुसार चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य दिए गए हैं।

(ख) और (ग) थोक तथा खुदरा मूल्यों के बीच अनुमत अधिकतम अनतर के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार देश में चुनिंदा केन्द्रों पर 12 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों की दैनिक आधार पर मानीटर करती है और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय करती है।

विवरण

महानगरों में 5.2.1997 को चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक तथा खुदरा मूल्य

(रु० प्रति किलो ग्राम)

	दिल्ली		बम्बई		कलकत्ता		मद्रास	
	थोक	खुदरा	थोक	खुदरा	लोक	खुदरा	थोक	खुदरा
चावल	7.50	12.00	8.75	10.00	7.80	8.00	8.64	11.00
गेहूँ	6.25	8.00	10.51	12.50	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	12.07	13.00
चना	12.50	16.50	16.51	20.00	13.80	16.00	14.76	17.00
तुर	17.00	28.00	30.00	34.00	20.00	28.00	25.89	30.00
चीनी	11.60	14.50	12.40	14.00	12.60	14.00	12.53	13.00
मूँगफली का तेल	38.00	50.00	34.00	42.00	44.00	54.00	32.44	39.00
सरसों का तेल	32.00	38.00	42.00	44.00	33.00	36.00	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
वनस्पति	37.66	38.00	36.00	44.00	39.33	45.00	33.73	41.00

मूल्य पहले प्रति क्विंटल सूचित किए गए, जिन्हें रु० प्रति किलो ग्राम में तब्दील कर दिया गया है।

स्रोत :– राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग।

"धरती पुत्र" कल्याण योजना

611. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में "धरती पुत्र" कल्याण योजना शुरू की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग

612. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात को जानकारी है कि सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोयाबीन तेल की टिकियों (आयाल केक) की मांग घट रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) वर्ष 1996-98 के दौरान सोयाबीन का उत्पादन 43.0 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 49.9 लाख टन हुआ जबकि 1996-97 के दौरान 50.0 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले इसका उत्पादन 51.1 लाख टन होने की संभावना है। इस प्रकार विगत दो वर्षों में इसका उत्पादन, तुलना में अधिक हुआ है। तथापि अधिक प्रसंस्करण क्षमता की वजह से प्रसंस्करण उद्योग को सोयाबीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) और (ग) सॉल्वेन्ट एक्सट्रकटर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित जानकारी के आधार पर विगम वर्षों में सोयाबीन आहार का निर्यात इस प्रकार है।

वर्ष	निर्यात लाख टन में
1991-92	13.17
1992-93	21.78
1993-94	21.90
1994-95	15.60
1995-96 (अनन्तिम)	25.60

यह स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सोयाबीन आहार का निर्यात बढ़ा है, सिवाय वर्ष 1994-95 के, जब देश में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सोयाबी की फसल खराबी होने से इसमें कमी आई।

[अनुवाद]

दलितों पर अत्याचार

613 श्री कोडी कुनील सुरेश :
श्री छीतूभाई गामीत :
श्री किशन लाल दिलेर :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस वर्ष के दौरान देश-भर में दलितों पर अत्याचार में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्सयों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के कितने मामले दर्ज हुए है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में अन्य समुदायों के लागों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर किए गए विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के लिए कठोर दंडों का प्रावधान है। वर्ष 1995 मे इस अधिनियम के अंतर्गत आधसूचित नियमों में अत्याचारों से निपटने तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके द्वारा इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शुरू किए गए उपायों में समर्थन देने हेतु निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता राशि को वर्ष 1994-95 से 9.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1995-96 में 15.37 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इन उपायों मे अन्य बातों के साथ-साथ प्रशासनिक तथा प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना और विशेष न्यायालयों की स्थापना करना शामिल है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है, हाल ही में फरवरी, 1996 में सम्पन्न अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित राज्यों के मंत्रियों तथासचिवों के सम्मेलन के दौरान की गई है।

नकली पासपोर्ट तथा वीजा

614. श्री रामसागर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनानी जहाज त्रासदी से नकली पासपोर्ट तथा वीजा तैयार किये जाने के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने विदेशी नागरिक पकड़े गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अस्पतालों से निकलने वाले कचरे का निपटान

615. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के निपटान संबंधी समस्या का कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और इस बारे में क्या उपचारात्मक सुझाव दिए गए;

(ग) सरकार द्वारा अस्पतालों के नष्ट न हो सकने वाले कचरे के निपटान के पुनः उपयोग करने, उनके स्थान पर नया सामान लाने और पुनः विक्री के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या कचरा निपटान की वैज्ञानिक पद्धति शुरू करने के लिए केरल राज्य सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से किसी सहायता की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अस्पताल के कचरा निपटान के सुरक्षित तरीके शुरू करने के लिए प्रत्येक राज्य कि कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रारूप जैव - औषधीय अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1994 अधिसूचित किए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

616. श्री सनत मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास आज तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन सम्बन्धी राज्य-वार कितने आवेदन लम्वित है; और

(ख) सभी लम्वित आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सैनानी पेंशन प्रदान करने के लिए समय से प्राप्त सभी आवेदनपत्रों पर कम से कम एक बार विचार किया जा चुका है और आवेदकों को समुचित निणयों से अवगत करा दिया गया है। दावों को अस्वीकृत किए जाने संबंधी सरकार के निर्णय से खिन्न आवेदक पुनरीक्षा याचिकाएं/अभ्यावेदन भेजते रहते हैं। यदि आवेदक, ऐसे पुनरीक्षा याचिकाओं के साथ कोइ अतिरिक्त स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे मामलों पर पुर्नविचार किया जाता है। तथापि 10.2.1997 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त केवल 52 नए आवेदन पत्र सरकार के पास लंवित है :–

आन्ध्र प्रदेश	12
हरियाणा	1
जम्मू और कश्मीर	8
कर्नाटक	3

महाराष्ट्र	4
मध्य प्रदेश	2
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	21
दिल्ली	1
जोड :–	52

जहां इस बात के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि आवेदकों को उनके दावों के बारे में लिए गए निर्णय से यथासंभव अल्पतम समय में अवगत करा दिया जाए, वहीं पेंशन हेतु दावों की पर्याप्त और उनका निपटान एक सतत प्रक्रिया होने के कारण पेंशन के दावों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विधि आयोग की सिफारिशें

617. श्री वी० प्रदीप देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव भी दिया था कि जांच और मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु स्वतंत्र अभियोजन एजेंजी बनाने तथा पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा देने तथा उकने पुनर्वास हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में नई धारा सम्मिलित की जाए;

(ख) क्या उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जा रही है अथव किए जाने का विचार है और कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) मामले पर सरकार ध्यान दे रही है।

सुपर बाजार को ऋण और राजसहायता

618. श्री जंगवहादुर सिंह पटेल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार को पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण और राजसहायता के रूप में प्रति वर्ष कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) यह राशि किस प्रयोजन हेतु दी गई थी और इस राशि का उपयोग कैसे किया गया;

(ग) सुपर बाजार के अनपेक्षित निष्पादन के क्या कारण है; और

(घ) सुपर बाजार के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सुपर बाजार, दिल्ली को गत तीन वर्षों के दौरान दिए गए ऋण तथा राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सुपर बाजार दिल्ली द्वारा दी गइ सूचना के अनुसार, 1993-94 के दौरान प्राप्त वित्तीय सहायता का उन्होंने पूरी उपयोग कर लिया है। 1994-95 के दौरान दिए गए 12 लाख रुपए में से उन्होंने केवल 8.67 लाख रु० का उपयोग किया है जवकि 1995-96 के दौरान दी गई सहायता का सुपर वाजार दिल्ली ने अभी उपयोग नहीं किया है।

(ग) और (घ) सुपर वाजार, दिल्ली एक स्वायत्त सहकारी समिति है, जिसका अपने क्रिया कलापों का प्रबंध करने के लिए स्वयं का निदेशक मंडल है। सुपर वाजार, दिल्ली की विक्री में गत पांच वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि होती रही है और वह लाभ कमा रहा है।

विवरण

(लाख रुपए)

1993-94	ऋण	राज सहायता	कुल
26 शाखाओं का नवीकरण	2.00	3.20	5.20
दो जेनरेटर सेटों की स्थापना	4.50	0.80	5.30
डिलीवरी वैन की खरीद	1.50	–	1.50
	8.00	4.00	12.00
1994-95			
लेखों/अन्य क्षेत्रों	4.00	2.50	6.50
के कम्प्यूटरीकरण के लिए नवीकरण/परिवर्तन	4.00	1.50	5.50
	8.00	4.00	12.00
1995-96			
10 शाखाएं खोलना	2.50	2.00	4.50
10 शाखाओं का नवीकरण/परिवर्तन	4.00	1.00	5.00
कम्प्यूटरीकरण/ कैश रजिस्ट्रेक्स मशीनों की स्थापना	9.50	5.00	14.50
	16.00	8.00	24.00

आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति

619. श्री हरिन पाठक : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों, गेहूं, चालव और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच किकना अन्तर है; और

(ख) सरकार द्वारा इस अन्तर को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) देश मे चावल और चीनी जैसी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है। वर्ष 1996-97 के दौरान गेहूं के उत्पादन में लगभग 30 लाख मी० टन की कमी आई। वर्ष 1996-97 के लिए खाद्यय तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 9 लाख मी० टन का अन्तर होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) गेहूं के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए 20 लाख मी० टन गेहूं का आयात करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खाद्य तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जिरिए वितरण हेतु राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

उर्वरक उद्योग में पूंजी निवेश

620. श्री सोहन बीर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक उद्योग को लाभप्रद और निवेश की दृष्टि से आकर्षक बनाने के लिए कोई दीर्घावधिक नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की गलत नीति के कारण उद्योगपति उर्वरक उद्योग में पूंजी निवेश करने में रूचि नहीं ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति में परिवर्तन लाने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) यूरिया की वर्तमान राजसहायता पद्धति की पुनरीक्षा करने तथा एक यौक्तिम, विसतृत आधार वाली, वैज्ञानिक और पारदर्शी पद्धति का सुझाव देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति 28.1.97 को गठित की गई है। इस समिति से 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। समिति के विचारार्थ विषयों में पर्याप्तता अथवा अन्य प्रकार से उर्वरक उद्योगब को प्रोत्साहनों तथा शुद्ध पूंजी पर लाभ के औचित्य, क्षमता उपयोगिता मानकों, मूल्यहास आदि से सम्बद्ध मुद्दों की पुनरीक्षा शामिल है।

(ग) उर्वरक कच्चे मालों तथा फीडस्टाकों की उपलब्धता में बाधाओं पर विचार करते हुए उर्वरक क्षेत्र में निवेश की दर असन्तोषप्रद नहीं है। गत वर्षों में क्षमता वृद्धि के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं और कई निवेश प्रोत्साहन विचाराधीन हैं।

(घ) उर्वरक उद्योग के लिए निवेश वातावरण में सुधार का मुद्दा उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य-निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

सीमा क्षेत्र विकास परियोजना

621. श्री अजय मखोपाध्याय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के नाडिया तथा अन्य जिलों में सीमा सड़कों तथा सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। विभिन्न सीमावर्ती प्रखण्डों में शुरू की जाने वाली योजनाओं पर निर्णय, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संवीक्षा समिति द्वारा लिया जाता है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया जाना

622. श्री के०डी० सुल्तानपुरी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश को आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की कोई मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) जी नहीं, मिाचल प्रदेश की आदिवासी क्षेत्र घोषित करने की कोई मांग नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उड़ीसा को धन

623. श्री भक्त चरण दास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखे को भंयकर स्थिति से निपटने के लिए उड़ीसा को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गहन कार्य शुरू करने हेतु 371 करोड़ रुपए देने को राज्य सरकार की मांग के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) राज्य सरकार को यह सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी।

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) वर्ष 1996-97 के लिये आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश की 36.76 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही उड़ीसा सरकार को दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत क्या है जिसमें सूखे की स्थितियों के कारण राहत और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 577.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की गई है जिसमें 371.00 करोड़ रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए है। स्थिति का जायजा लेने के लिये इस राज्य का दौरा कर चुके केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अपदा राहत समिति ने अतिरिक्त सहायता के लिये राज्य सरकार

के अनुरोध पर विचार किया। रष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन की जरूरतों के वारे मे राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे रोजगार सृजन की जरूरतों के वारे में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस वीच, राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा राहत कोप से 13.00 करोड़ रुपये की रकम दी गई है जो रोजगार सृजन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दूसरी किश्त के रूप में जारी 106.34 करोड़ रुपए कें अतिरिक्त है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में चावल की खरीद

624. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी : क्या **खाद्य मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम आन्ध्र प्रदेश से चावल, कच्चे चावल और उवले-चावल की खरीद के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अव तक तीन विभिन्न किसम के चावल की कुल कितनी मात्रा में खरीद की गई;

(ग) क्या यह रिपोर्ट मिली है कि भारतीय खाद्य निगम के एजेंटों के होने के वावजूद किसाने अपने धान को सीधे मिलवालों को वेच रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में अपने अनेक अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोले है तथापि निगम गांवों तक नहीं पहुंच पाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) और (ख) मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों के लिए धान की वसूली स्वैच्छिक रूप से होती है। इसीक प्रकार लेवी योजना के अधीन चावल की वसूली मिल मालिकों द्वारा खरीदी गई धान पर निर्भर करती ह। इसलिए आन्ध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य में चावल की वसूली के लिए इस प्रकार के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

चालू विपणन मौसम (31.1.1997 तक) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए वसूल किए गए किस्म-वार चावल निम्नानुसार है :–

(लाख टन में)

	साधारण	बढ़िया	उत्तम	जोड
कच्चा चावल	0.23	13.54	1.03	14.80
सैला चाव	0.01	2.01	0.64	2.66*
जोड़	0.24	15.55	1.67	17.46

(*इसमें शिथिल की गई विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए 0.80 लाख टन चावल शामल है)

(ग) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश में धान के प्रचलित वाजार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है। इसलिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान वेचने की वजाय किसान को खुले वाजार में धान वेचने से अधिक लाभ मिलता है।

क्रय केन्द्रों की संख्या और उनकी स्थिति राज्य सरकार से परामर्श करते हुए निर्धारित की जाती है। चालू खरीफ मौसम में भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी ओर पश्चिमी गोदावरी जिलों में निम्नलिखित केन्द्र खोले हैं :

जिला	खोले गये केन्द्रों की संख्या		
	मौजूदा केन्द्र	अतिरिक्त केन्द्र	जोड़
पूर्वी गोदावरी	6	25	31
पश्चिमी गोदावरी	7	30	37

"टाडा" के मामलें

625. श्री मुख्तार अनीस : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्वर, 1996 की स्थिति के अनुसार राज्यवार "टाडा" के कितने मामले चल रहे हैं;

(ख) 31 दिसम्वर, 1996 की स्थिति के अनुसार इन मामलों की सुनवाई करने हेतु राज्यवार कितनी "टाडा" अदालतें गठित की गयी हैं;

(ग) 31 दिसम्वर, 1996 की स्थिति के अनुसार राज्यवार इन मामलों में कितने अभियुक्त हैं;

(घ) 31 दिसम्वर, 1996 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्ति जमानत पर रिहा किए गए हैं;

(ङ) 31 दिसम्वर, 1996 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्ति नजरवन्द हैं;

(च) "टाडा" मामलों को राज्यवार पिछली-वार कव समीक्षा की गयी थी; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा इन मामलों की पिछली वार समीक्षा कव की गयी थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) विवरण-I संलग्न है।

(घ) उपलव्ध सूचना के अनुसार 20037 व्यक्ति जमानत पर रिहा किए गए हैं।

(ङ) उपलव्ध सूचना के अनुसार संलग्न विवरण-II के अनुसार 1737 व्यक्ति हिरासत में हैं।

(च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम पुनरीक्षा 27.8.98 को की गई थी।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चालू मामलों की संख्या भाग (क)	बड़ा न्यायालयों की संख्या (भाग ख)	चालू मामला अभियुक्ती का संख्या (भाग ग)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश@	294	61	1845
2.	अरुणाचल प्रदेश+	14	12	57
3.	असम%	2107	1	9886
4.	विहार$	4	35	91
5.	गुजरात	$77	18	912
6.	गोवा	+1	1	3
7.	हरियाणा &	103	12	219
8.	हिमाचल प्रदेश%	1	3	2
9.	जम्मू और कश्मीर*	5154	2	6837
10.	कर्नाटक	£19	20	224
11.	मणिपुर	579$	4	2251
12.	मध्य प्रदेश+	28	10	453
13.	महाराष्ट*	238	8	1146
14.	मेघालय	+8	1	20
15.	पंजाव%	1393	18	2634
16.	राजस्थान%	52	1	193
17.	तमिलनाडु%	20	5	282
18.	उत्तर प्रदेश£	54	15	119
19.	पश्चिम वंगाल%	1	1	8
20.	चंडीगढ़ प्रशासन+	7	2	17
21.	राष्ट्रीय राज– थाना क्षेत्र दिल्ली सरकार	+404	3	518
	जोड़ :	10558	233	27728

*जनवरी, 96@ जून, 96 $अक्तूबर, 96

+सितम्वर, 96 % अक्तूबर, 96 £नवम्वर, 96

&दिसम्वर, 96

विवरण-II

जेल मे बंद टाडा कैदियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	टाडा कैदियों की संख्या (जेल में)
1.	आन्ध्र प्रदेश*	71
2.	अरुणाचल प्रदेश*	1
3.	आसम+	59
4.	विहार*	21
5.	गोवा*	शून्य
6.	गुजरात*	188
7.	हरियाणा+	16
8.	हिमाचल प्रदेश*	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर*	482
10.	कर्नाटक	+54
11.	मध्य प्रदेश+	11
12.	मणिपुर	+11
13.	महाराष्ट्र*	272
14.	मेघालय*	शून्य
15.	पंजाव*	211
16.	राजस्थान*	65
17.	तमिलनाडु	+55
18.	उत्तर प्रदेश*	57
19.	पश्चिम वंगाल*	6
20.	चंडीगढ़ प्रशासन*	3
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	+154
	जोड़ :–	1737

*अप्रेल, 95

+नवम्वर, 96

[हिन्दी]

नारियल विकास बोर्ड

626. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 से 1996 के दौरान नारियल विकास वोर्ड द्वारा शुरू किए गए कार्यों और उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार देश में नारियल के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि

से किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा 1993- से 1996 तक की अवधि में कार्यान्वित प्रमुख कार्यक्रमों तथा इनके तहत हासिल उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित है:–

(1) गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

(I) केरल (40 हैक्टे०) तथा आन्ध्र प्रदेश (40 हैक्टे०) में प्रदर्शन व बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना की गई ।

(II) प्रदर्शन व बीज उत्पादन फार्मों से सम्बद्ध नारियल की नर्सरियों से 7 लाख पौध का उत्पादन हुआ।

(III) 15 लाख टीग्डी संकर पौधों का उत्पादन तथा वितरण किया गया।

(IV) विशेष रूप से गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में अन्य एजेंसियों तथा राज्यों को 28 लाख गुणवत्ता वाले पौधों की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति।

2. क्षेत्र विस्तार

सभी नारियल उत्पादक राज्यों/संघशासित प्रदेशों में लगभग 39500 हैक्टे० क्षेत्र में नये नारियल का रोपण किया है।

3. उत्पादकता में सुधार लाने के लिये नारियल के जोतों में समेकित फार्मिंग

रोग से प्रभावित/पुराने पामों को काटने तथा हटाने, गुणवत्ता वाले पौधे संरक्षण उपाय अपनाने तथा बहु-प्रजातीय फसल प्रणाली के लिये समेकित फार्मिंग के तहत 1.04 लाख हैक्टे० क्षेत्र शामिल किया गया है।

4. पत्ती खाने वाले कैटरपिलर पर समेकित नियंत्रण

खतरनाक कीट जैसे पत्ती खाने वाले कैटरपिलर पर नियन्त्रण करने के लिये उड़ीसा तथा कर्नाटक में जैविक प्रयोगशालाओं के माध्यम से 23 मिलियन परजीवियों का बहुलीकरण तथा निर्मुक्ति की गई ।

5. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

बोर्ड द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों के परिणामस्वरूप नारियल क्रीम, कोकोनट वाटर वाइनीगर, स्किम मिल्क पाउडर, टेंडर कोकोनट वाटर जैसे नारियल उत्पादों के लिये प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है। इन प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण किया जा रहा है। कोपरा यार्ड, गोदामों; भट्टियों आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये 172 कोपरा ड्रायरों की अधिष्ठापना की गई थी तथा 20 सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी गई थी। नारियल पानी की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए केरल में एलानोर पण्डाल की 40 यूनिटों को सहायता प्रदान की गयी।

6. प्रचार तथा विस्तार कार्यकलाप

नारियल का तेल, खाने की दृष्टि से खतरनाक होने की मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए नारियल के तेल के उपयोग को लोकप्रिय बनाने, विभिन्न नारियल उत्पादों तथा उपोत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने, खास तौर गैर-परियोजना क्षेत्रों में नारियल की खेती की वैज्ञानिक विधि अपनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इस अभियान के परिणामस्वरूप पिछले 3-4 वर्षों में खाने के प्रयाजनार्थ नारियल के तेल की खपत में 200% वृद्धि हुई है।

7. बोर्ड के कोच्चि, केरल स्थित मुख्यालय के लिए एक नये कार्यालय भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

नारियल विकास बोर्ड द्वारा 1992-93 से 1995-96 के दौरान उपर्युक्त विकासात्मक कार्यकलापों के लिए 52.73 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा०, किसानों, छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा महिला कृषकों को चालू वर्ष के दौरान ड्रिप सिंचाई प्रणाली की लागत का 90% अथवा 25,000 प्रति हैक्टे० की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। अन्य किसानों के लिए सब्सिडी की दर ड्रिप सिंचाई लागत के 70% अथवा 25,000 रुपये प्रति हैक्टे० की है।

(ग) और (घ) देश में नारियल का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आठवीं योजना के दौरान नारियल विकास बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं :–

(I) नारियल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार।

(II) क्वालिटी रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण।

(iii) उत्पादकता में सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित फार्मिंग।

(Iv) पत्ती खाने वाली (कैटरपिलर) पर समेकित नियंत्रण।

नौंवी योजना के दौरान भी इन कार्यक्रम को जारी रखे जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारत–इजरायल करार

627. श्री एस०डी० एन०आर० वाडियार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि के विकास के लिए इजरायल के साथ संयुक्त सहयोग संबंधी कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच संयुक्त सहयोग संबंधी समझौते का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) भारत और इस्राइल के बीच कृषि क्षेत्र में सहायोग के लिए 24.12.93 को एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। सहयोग के क्षेत्रो में जल और मृदा प्रबंधन शुष्ट और अर्ध शुष्क फसल उत्पादन फल और सब्जी उत्पादन, वनस्पति और पशु विज्ञान, पशुचिकित्सा विज्ञान, कृषि यांत्रिकरण प्रौद्योगिकी और कृषि अनुसंधान आदि सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त, व्यावहारिक प्रौद्योगिकीय पैकेज विकसित करने और छोटे किसानों तथा निजी क्षेत्र के लिये प्रौद्योगिकी अंतरण के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में एक प्रदर्शन फार्म यूनिट स्थापित करने के लिय 30 दिसम्बर, 1996 को भारत और इस्राइल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभापटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली, इत्यादि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1364/97]

(3) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 73 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 जो 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 908 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल०टी० 1365/97]

आर्थिक सर्वेक्षण—1995-96

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं "आर्थिक सर्वेक्षण—1995-96" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल० टी० 1366/97]

स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर न रखने के कारणों को बताने वाला विवरण।

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :

(1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभापटल पर न रखने के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1367/97]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1997 जो 22 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 57(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल०टी० 1368/97]

कर्नाटक मीट एण्ड पौल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे इत्यादि की सरकार द्वारा समीक्षा

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) कर्नाटक मीट एण्ड पौल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक मीट एण्ड पौल्ट्री मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एल०टी० 1369/97]

सीमा सुरक्षा बल उप निरीक्षक (जनरल ड्यूटी) (श्रेणी 'ग' पद) भर्ती नियम, 1994 इत्यादि के संबंध में अधिसूचना

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सीमा सुरक्षा बल उपनिरीक्षक (जरनल ड्यूटी) (श्रेणी "ग" पद) भर्ती नियम, 1994 को 3 फरवरी, 1995 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 25 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल (सामान्य ड्यूटी) (श्रेणी "ग" पद) संशोधन नियम 1996 जो 4 मई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 192 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा वल (प्रिंटिंग प्रेस श्रेणी "ग" पद) भर्ती नियम, 1996 जो 6 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 270 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति) (संशोधन) नियम, 1996 जो 6 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 269 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा सुरक्षा बल (अधिकारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति) (संशोधन) नियम, 1996 जो 24 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 347 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल०टी० 1370/97]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, मैं कार्य-मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : महोदय, इस दसवीं रिपोर्ट में महिलाओं के रिजर्वेशन संबंधी विल रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं इनका समर्थन करता हूँ।

अपराह्न 12.30 बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

तिरेपनवां, चौवनवां और पचपनवां प्रतिवेदन

प्रो० आई० जी० सनदी (धाड़वाड़-दक्षिण) : महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूँ :

(1) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के कार्यकरण के बारे में तिरेपनवां प्रतिवेदन

(2) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर के कार्यकरण के बारे में चौवनवां प्रतिवेदन; और

(3) आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के कार्यकरण के बारे पचपनवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.45 बजे

[अनुवाद]

समितियों के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 1997 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 1997 के आरम्भ और 30 अप्रैल 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

लोक लेखा समिति

डॉ० मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 1997 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से, अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 1997 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1997 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्यसभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1997 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्यसभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्यसभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री जी० वेंकटस्वामी (पेद्दापल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 1997 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 1997 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी० वेंकटस्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1997 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिये राज्यसभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1997 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्यसभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्यसभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.55 बजे

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 1 मई, 1997 से आरम्भ और 30, अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने

में से 20 सदस्यों को 1 मई, 1997 से आरम्भ और 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० प्रधानी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1997 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिये राज्यसभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्यसभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1997 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1998 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्यसभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्यसभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

[अनुवाद]

भारतीय पुनर्वास परिषद

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 3(3) (ज) और 4(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की धारा 3(3) (ज) और 4(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, इससे पहले कि बोफोर्स मुद्दे को लिया जाये, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय वस्त्र निगम एवं आई. डी. पी. एल. के हजारों कर्मचारी देश के हर भाग से दिल्ली आये हैं। वे राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण की मांग कर रहे हैं। दो महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी भेंट हुई थी। वे भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पुनरुद्धार के लिए सहमत हुए और इस आशय का एक समझौता भी हुआ है। भूतपूर्व वस्त्र मंत्री श्री वेंकट स्वामी, भी यहां उपस्थित हैं। उन्होंने इस संबंध में पहल की है और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार, मजदूर संघों एवं प्रबन्धन के बीच समझौता हुआ था। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थीं, परन्तु अभी तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, प्रधानमंत्री जी को पूर्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के संबंध में बनाये गए पैकेज को लागू करना चाहिए। इसके पुनरुद्धार किये जाने के संबंध में एक स्पष्ट निर्णय लिया गया है। वर्तमान सरकार इसके कार्यान्वयन में विलम्ब क्यों कर रही है ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही तीन वस्त्र मिलें हैं। प्रधानमंत्री जी को पूर्व सरकार के पैकेज को लागू करना होगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि आपनें अपनी बात कह दी है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उक्त कर्मचारी दिल्ली में हैं और गत कुछ महीनों से वे अपना वेतन नहीं ले रहे हैं *(व्यवधान)* मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इस संबंध में कोई कार्यवाही करें। *(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, आप राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों के बारे में जानते हैं। आप श्रम मंत्री थे इसलिए, आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। प्रधानमंत्री जी को पूर्व सरकार के पैकेज को लागू करना होगा। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप श्रम मंत्री रह चुके हैं और आप भी इस संबंध में कोई पहल कीजिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : इस सदन में एन. टी. सी. के बारे में घोषणा की गयी थी। *(व्यवधान)* मान्यवर, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)* एन. टी. सी के बारे में सारे देश की यूनियनें यहां प्रदर्शन करने के लिए आई थीं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आपने भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम को बचाने के लिए पहल की थी। प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस मामले में कुछ करें।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : हमारे यहां बिहार

में दस हजार नवयुवक जो कि अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए धरने पर बैठे थे उनको बुरी तरह से मार कर जेल में बंद कर दिया गया। उनको लाठियों और कुंडों से मारा गया। एक तरफ सरकार कहती है *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम एन. टी. सी. के बारे में बोल रहे हैं। आप इस मामले को इसके बाद उठाना।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उन युवकों की मांगों को पूरा करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया। *···(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री जी यहां पर हैं। वे कह सकते हैं कि सरकार और प्रबन्धन के बीच जो पैकेज समझौता हुआ है, क्या सरकार उसे लागू करेगी।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : वहां के कलैक्टर और एस. पी. की तरफ से उन पर लाठियां चलायी गईं। वे नौजवान नवयुवक बीस सालों से अपनी मांगों को उठा रहे हैं। उनकी आवाज को तो कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन उनकी आवाज को बंद करने वाले बहुत से लोग हैं। यह एक गम्भीर मामला है। *···(व्यवधान)* उन नवयुवकों को लाठियों से मारा गया। *···(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप बाद में बोलिए। हम एन. टी. सी. के बारे में बोल रहे हैं। *···(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, एन. टी. सी. मिलों के माडर्नाइजेशन के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकार किए गए थे लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम इस बारे में सरकार की तरफ से बयान चाहते हैं। हमारे राजस्थान में एन. टी. सी. की मिलें हैं। वहां मजदूरों की छंटनी की जा रही है। माडर्नाइजेशन का कोई काम नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : प्रधानमंत्री जी यहां पर हैं। उनको इस मामले में कुछ करना होगा। *···(व्यवधान)*

श्री ए. सी. जोस (इडुक्की) : महोदय, मैं केरल के बारें में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। *···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप उत्तर चाहते हैं अथवा नहीं ?

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान मेहता जी, कृपया बैठ जाइए। हम उसी बात पर आ रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आपने कहा है, मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। श्री वेंकट स्वामी भी यहां मौजूद हैं। जब वे वस्त्र मंत्री थे तब मैं श्रम मंत्री था। मैं सभी मजदूर संघों के नेताओं के आम समझौते के बारे में जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि उस संबंध में क्या प्रगति हुई है। मैं वस्त्र मंत्रालय से इस बारे में पूछताछ करूंगा और सभी सदस्यों को इसकी जानकारी दूंगा।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री वेंकट स्वामी जी से पूछ रहा हूँ, जिनको इस विषय में जानकारी है।

···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी (पेद्दापल्ली) : इस पर कैबिनेट डिसीजन हुए एक महीना हो गया है लेकिन गवर्नमेंट उसे कार्यान्वित नहीं कर रही है। गवर्नमेंट टेक-अप नहीं कर रही है। मैंने पी. एम. साहब से कहा और कन्सर्ड मिनिस्टर फार टैक्सटाईल से बोला और सैक्रेट्री को बुलाकर बात की। उनमें दम नहीं है, कर नहीं सकते। दिमाग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, आप बैठ जायें। आपका हो गया और रिकार्डिंग भी हो गया है। यह गवर्नमेंट आपका है। आप सरकार से ले लीजिये, सरकार मेरी तो है नहीं। डॉ. गिरिजा व्यास।

···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही बोल दिया है। आपकी बात रिकार्ड हो चुकी है। आप एक ही मुद्दे पर दो बार नहीं बोल सकते हैं।

···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रधानमंत्री जी से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वह इन सभी बातों का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष जी, टैक्सटाईल मिनिस्टर यहां नहीं हैं। वे आ जाते हैं। इस संबंध में विधिवत् रूप से स्टेटमेंट दे दिया जायेगा। *···(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बस ! और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी सहमत हो गये हैं। मैं अब डॉ. गिरिजा व्यास को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

···(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने मिनिस्टर साहब से कहा है, आप परस्यू कर लीजिए। मैंने पासवान जी से कह दिया है। अब काफी हो गया। आप बैठ जायें।

···*(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, पी. एम. साहब से कहिये कि वे यहां पर रहें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उसकी चिन्ता मत कीजिए। आप अपना वक्तव्य दीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मैंने प्रधानमंत्री जी को सदन से जाते हुए देखा है। हम नहीं जानते कि कक्ष के अन्दर क्या बात हुई। कल, जब हमने बोफोर्स मुद्दे को उठाना चाहा तो आपने कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में यहां पर उपस्थित होंगे और तब हम अपना मुद्दा उठा सकते हैं। पर अब क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : शुक्रवार को मैंने इस आशय का वादा किया था। परन्तु कल प्रधानमंत्री जी ने मुझसे इसे स्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उन्हें उड़ीसा जाना था। प्रधानमंत्री जी को इस विषय में काफी उत्सुकता है। वे यहां पर आये थे और कुछ देर रहे।

वे तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जा रहे हैं। उनको एक सरकारी कार्य करना है। जैसे ही वे उन कामों से मुक्त हो जाएंगे, वे वापस आ जाएंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : बोफोर्स मुद्दा आज उठाया जाएगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : बोफोर्स पर आज ही चर्चा की जाएगी, हम अभी इस पर चर्चा शुरू करेंगे। मैं कुछ महिला सांसदों की बातें सुनना चाहता था।

[हिन्दी]

डॉ० गिरिजा व्यास : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आपके ही कमिटमेंट की तरफ दिलाना चाहती हूँ। आपने सदन में और सदन के बाहर भी आई. पी. यू. की मीटिंग के समय महिलाओं को आश्वस्त किया था कि भारतीय संसद वह महत्वपूर्ण बिल ला रही है और हम लोग इसलिये आश्वस्त थे कि बी. ए. सी. की दसवीं रिपोर्ट में उसे ले करने का प्रावधान होगा लेकिन दसवीं रिपोर्ट को देखने के बाद हम लोगों को सोचना पड़ रहा है कि सरकार और बी. ए. सी. के सदस्यों की मानसिकता क्या है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल का क्या फेट है ?

आप हम लोगों को इस संबंध में आश्वस्त करें तथा मैं अपील करना चाहती हूं कि कम से कम अगली बी. ए. सी. में इसको पूरी तरह से लिया जाए। आज संसार भर की महिलाएं इस ओर देख रही हैं। महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी इस ओर देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल का जवाब तो सरकार अभी दे सकती है। जैना साहब, आपको इसमें कुछ कहना है ?

···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यह हम सब की ओर से एक अनुरोध है ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया, हमने इस पर काफी चर्चा कर ली है।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जोस : महोदय, केरल में स्थिति बहुत गंभीर है ···*(व्यवधान)* इस पर राज्य के लगभग 80 लाख रबड़ उत्पादकों का भविष्य निर्भर करता है *(व्यवधान)* रबड़ की कीमत जो पहले 60 रुपये थी, अब घटकर 42 रुपये हो गयी है *(व्यवधान)* मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, इडुक्की से पूरे देश को रबड़ की पूर्ति की जाती है और करीब 3,000 टन माल की तस्करी की जा रही है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला इतना गंभीर है तो आप इस मुद्दे को शून्य काल के दौरान क्यों उठा रहे हैं जिसमें आपको सरकार से इसका कोई उत्तर नहीं मिल पाएगा ? आप सरकार से जवाब नहीं मांग सकते हैं। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना क्यों नहीं देते ? इससे आप अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे।

हां, श्री जसवंत सिंह जी।

···*(व्यवधान)*

श्री ए० सी० जोस : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका है।

···*(व्यवधान)*

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, इससे पहले आप सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का निदेश दें ···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इससे ज्यादा अध्यक्षपीठ और आपको क्या सुझाव दे सकता कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दें ? आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लायें मैं उसे स्वीकृत करूंगा। आप और क्या चाहते हैं ?

···*(व्यवधान)*

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस सदन में इस विषय पर पिछले सत्र में भी चर्चा

हुई थी और सदन में कनसेन्सस भी था। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस सदन के लोगों ने एक आम सहमति उनके समर्थन में प्रकट की थी। आज वह पुनः यहां पर आए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना और जो बैंकिंग उद्योग में छठे वेतन का समझौता हुआ है, उसको ग्रामीण बैंकों में भी लागू किया जाए, इस मांग को लेकर वे यहां आए हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न पर सरकार को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश बंग्लादेश में ग्रामीण बैंक बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। यहां भी ग्रामीण बैंक ठीक ढंग से काम कर सकता है अगर सरकार का सहयोग हो। सरकार की तरफ से उसमें सहयोग का रुख होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना विचार रखने दो। आप उनकी बात में क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वह बहुत ही प्रभावी ढंग से अपना और आपका मामला प्रस्तुत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर हर पक्ष के सदस्यों ने एक राय रखी थी। इसके संबंध में स्थायी समिति की भी रिपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सरकार को निर्देश दें क्योंकि आप स्वयं इस मामले को अच्छी तरह से जानते हैं।

अभी बिहार की वित्त रहित शिक्षा नीति के संबंध में एक सवाल माननीय सदस्य राजेश रंजन जी ने उठाया। पिछले सत्र में भी जब मैंने इस सवाल को उठाया था तो आपने चेयर से निर्देश दिया था कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले को टेक-अप किया है। अध्यक्ष महोदय, वहां बहुत बुरी स्थिति है। हजारों की तादाद में या कहा जाए, दो-ढाई लाख शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी कालेजों और स्कूलों में परेशान हैं। दो-दो बार उन पर लाठियां चलाई गई हैं। कल भी उनके साथ बेरहमी का बर्ताव किया गया है। आपका निर्देश था कि केन्द्रीय सरकार इसमें पहल करे। अभी रामविलास जी यहां बैठे हुए हैं। क्या ये अच्छी तरह से नहीं जानते हैं ? दूसरे प्रांत के जितने लोग थे, उन्होंने कौतूहल के साथ पूछा कि क्या ऐसा भी हो सकता है और इस सदन में आपने भी इस पर आश्चर्य प्रकट किया था।

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आपने एक मिनट मांगा था। पांच मिनट हो गए हैं।

श्री नीतीश कुमार : आपके निर्देश का अनुपालन करने के लिए आप सरकार से दोबारा कुछ कहें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं उड़ीसा के लोगों द्वारा एक गंभीर स्थिति का सामना करने से संबंधित एक मुद्दा उठाना चाहता हूं। पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के अभाव में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित नीतीश जी ने जो सवाल उठाया है, उसका हम समर्थन करते हैं। सारी पार्टियों के घोषणापत्र में इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाएगी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की जो उचित मांगें हैं उन्हें मनवाया जाएगा, उनका पुनर्गठन किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने वायदा किया है कि मैं इस मुद्दे पर सरकार से बातचीत करूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं ?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : हम उनके द्वारा उठाई गई बात का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यक्तिगत तौर पर सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाऊंगा। मैंने श्री नीतीश कुमार से यह वायदा किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, कल प्रधानमंत्री उड़ीसा की यात्रा पर गए थे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : वे एक अलग संदर्भ में गए थे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि वह यात्रा एक अलग संदर्भ में थी। लेकिन मुझे आशा है कि वह आज दोपहर एक वक्तव्य देंगे। आप उस समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा को भयंकर सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह एक राष्ट्रीय आपदा है।

अध्यक्ष महोदय : कल इस बात पर सहमति हुई थी कि प्रश्न काल के शीघ्र पश्चात् हम लोग बोफोर्स मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। यह एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा है और इसके लिए अल्पावधि और दीर्घावधि सहायता उपायों हेतु पर्याप्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। यह सही है कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों ने राज्य का दौरा किया है और उड़ीसा के लोगों के साथ उनकी पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन सहानुभूति से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक उस सहानुभूति और आश्वासन को, जिसे उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दिया था, व्यवहार में न लाया जाए। उड़ीसा सरकार ने विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करीब 577.70 करोड़ रुपये की मांग की है। क्या आप जानते हैं कि अब तक इसके लिए कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? अब तक हमें मात्र 4 करोड़ रुपये दिए गए हैं। महोदय, कालाहांडी और बोलनगीर की यात्रा के

दौरान प्रधानमंत्री ने उड़ीसा राज्य को 50 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था लेकिन अभी तक एक पैसा भी जारी नहीं किया है। क्या वे उड़ीसा के लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ा रहे हैं ? यह एक पिछड़ा राज्य है। अब गर्मी का मौसम आने वाला है जिसमें पेयजल की कमी एक गंभीर समस्या बनकर उभरेगी ···*(व्यवधान)* इसके लिए धन उपलब्ध नहीं है। विधान सभा में अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने भी उड़ीसा राज्य के प्रति भारत सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पर चिंता व्यक्त की है। अब, इस मुद्दे पर पूरे उड़ीसा राज्य में असंतोष व्याप्त है। उड़ीसा को पर्याप्त सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही कारण है कि मैं आपसे यह अपील करना चाह रहा था। आप जानते हैं कि उड़ीसा में स्थिति कितनी खराब है। कृपया आप सरकार को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : हम निर्धारित समय से पहले ही आधे घंटे पीछे चल रहे हैं क्योंकि प्रश्न काल के शीघ्र पश्चात् हम बोफोर्स मुद्दे पर चर्चा करने वाले थे। मेरा अनुरोध है ···

···*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल मौका दूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र में ट्रेन डकैती का सवाल उठाना चाहता हूं। आजादी के बाद ऐसी रेल डकैती कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुआ, किसी भी समय में ऐसा नहीं हुआ, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल मौका दूंगा।

[अनुवाद]

मैं नहीं जानता कि आप सभा को कैसे चलाना चाहते हैं। आप जैसा चाहें वैसा चला सकते हैं। मैं इस सभा को नहीं चलाऊंगा। हर चीज की एक सीमा होती है।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या आप सजा देना चाहते हैं ? हम लोगों को समय नहीं मिलता है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है ? कल का क्या सवाल है। लगातार यह कहा जा रहा है कि कल या परसों आपको मौका दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए, आप ही यह हाउस चलाइये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, आपने हमें कब-कब बोलने का मौका दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

···*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.30 बजे

[अनुवाद]

बोफोर्स 155 एम० एम० होवित्जर तोप सौदे के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह जी द्वारा सभापटल पर रखे गए प्रस्ताव के संबंध में मैं आप सभी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल दो ही लोग बोलें। प्रस्तावक के अतिरिक्त, कांग्रेस पार्टी और भाजपा के दो-दो तथा छोटी पार्टियों के एक-एक सदस्य बोलेंगे।

श्री प्रमोद महाजन (मुंबई—उत्तर-पूर्व) : महोदय, इस सभा में छोटी पार्टियों को विशेष लाभ प्राप्त है क्योंकि कोई भी इन छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह लोकतंत्र है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह लम्बी बहस क्यों हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम, माननीय सदस्य क्या यही चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं यह स्पष्ट करूंगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : अध्यक्ष महोदय, यह शून्य काल में आरम्भ हुआ था। हमें यह जानकर हैरानी हो रही है कि हमारे माननीय जसवंत जी के नाम पहले से ही एक प्रस्ताव विद्यमान है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैं वक्ताओं की संख्या सीमित कर रहा हूं, परन्तु प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रस्ताव क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आज, ग्राह्यता के प्रश्न पर चर्चा होगी। यह फैसला किया जाना है कि क्या नियम 184 के अन्तर्गत दी गई सूचना ग्राह्य है अथवा नहीं। मैं केवल दो सदस्यों को ही अनुमति दे रहा हूं।

श्री जसवंत सिंह : मैं प्रस्ताव विशेष की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह केवल ग्राह्यता का प्रश्न है।

श्री जसवंत सिंह : मैं केवल तर्क की बात कर रहा हूं। मैं अपने खराब गले की वजह से क्षमा चाहता हूं। मैं नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को और प्रस्ताव के विषय को आपके विचारार्थ स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करूंगा। अगर आप की अनुमति हो, तो मैं इसे पढ़ सकता हूं। चूंकि यह नियमानुसार नहीं है, इसलिए मैं इसे संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता हूं।

मेरा सुझाव है कि इस सभा के नियम 184 के अन्तर्गत दोनों सदनों की एक समिति गठित की जाए जो स्विस अधिकारियों से अब तक प्राप्त दस्तोवजों के आधार पर बोफोर्स तोप सौदे के सभी पहलुओं की जांच करे तथा इस संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करे। मैं आपको

यथासंभव यह स्पष्ट करूंगा कि यह मेरे अनुरोध के गुण-दोषों पर वाद-विवाद करना नहीं है। यह अनुरोध केवल इस संबंध में है कि इसे नियम 184 के अन्तर्गत क्यों रखा जाए और मुझे समिति के गठन की आवश्यकता क्यों महसूस होती है।

मैं समझता हूं कि इस स्थिति में मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि 16 अप्रैल, 1987 को, जहां तक मुझे याद है, स्वीडिश रेडियो ने पहली बार भारत द्वारा इस शस्त्र प्रणाली की खरीद के संबंध में तथ्यों को उजागर किया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने इस मामले को उठाया था, तब मेरे पास इस संबंध में कोई विचार नहीं था कि उसके दस वर्ष बाद, अर्थात् 1987 से 1997 तक मैं संसद में ही रहूंगा या अधिक स्पष्ट रूप में कहा जाए, तो दस वर्ष बाद तक हम बोफोर्स पर ही चर्चा कर रहे होंगे। मैं समझता हूं कि तथ्य यह है कि यह बड़े दुख की बात है और इसमें हमारे लिए काफी संदेश है।

इस समय, अगर मैं इस बात की सराहना नहीं करूं कि हमें जो कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इसलिए हुई कि पिछली सरकारों ने कुछ किया है, बल्कि इसका श्रेय स्वीट्जरलैंड में काम कर रही एक निर्भीक महिला पत्रकार, कुमारी चित्रा सुब्रह्मणियम को जाता है, तो यह मेरी अकर्मण्यता होगी। इसका श्रेय 'द हिन्दू' और श्री एन० राम की पत्रकारिता तथा उस अवधि में 'इंडियन एक्सप्रेस' तथा श्री अरुण सूरी की उल्लेखनीय पत्रकारिता को जाता है। यह मेरी अकर्मण्यता होगी यदि मैं इस बात का उल्लेख नहीं करूं कि हमारे पास आज जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, वे तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा गठित श्री अरुण जेटली, माधवन और भूरे लाल के जांच दल के कारण ही मिल पाए हैं। उन्हीं के कारण हमें ये दस्तावेज प्राप्त हो सके हैं।

यहां मैं पूरे सदन को एक बात से सावधान करना चाहता हूं। वह यह है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर पूरे बोफोर्स मामले पर अपने विचार व्यक्त करता हूं।

बोफोर्स के मामले को बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही दबाए जाने से वह पुनर्जीवित होकर हमारे सामने आ रहा है। दबाए जाने से हमारा मतलब है पूरी तरह से इसका समाधान करने से पहले ही इसे समाप्त करने की कोशिश करना। यही कारण है कि मैंने नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विचार किया। *(व्यवधान)*

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या हमें बोफोर्स की गुणवत्ता के बारे में आपसे प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है ?

श्री जसवंत सिंह : अवश्य, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

आज प्रश्न शस्त्र प्रणाली की गुणवत्ता के बारे में नहीं है। शस्त्र प्रणाली की गुणवत्ता के बारे में कभी भी प्रश्न नहीं उठा था। परन्तु, यदि आप मुझे इसका जवाब देने की अनुमति देते हैं, तो मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। वस्तुतः यह प्रश्न इस शस्त्र प्रणाली को प्राप्त करने के संबंध में अवैधताओं और अनियमितताओं के बारे में है। यदि हम इस शस्त्र प्रणाली की गुणवत्ता की भूलभुलैया तथा उलझनों में फंस जाएंगे, तो इस जांच के मूल उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यही समय है जब हमें इस संबंध में पूरी तरह, दृढ़निश्चय तथा निर्णायक रूप से चर्चा करनी चाहिए। यदि हम इस अभिशाप से मुक्ति पाना चाहते हैं जिसने हमारी व्यवस्था को प्रभावित किया है क्योंकि बोफोर्स ने हमें असीम हानि पहुंचाई है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों यह हानि असीम है।

व्यक्तिगत रूप से, वास्तविक रूप से सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि भारत की ख्याति उस समय से मलिन हो गयी है और जब तक हम उसका समाधान नहीं करते, हमारे ऊपर यह धब्बा बना रहेगा। मुझे यह कहते हुए सचमुच दुख हो रहा है। बोफोर्स की त्रासदी ने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दो प्रधानमंत्रियों, एक स्वीडन और एक भारत, की जानें ले ली हैं। परिस्थितियों ने भारत के युवा प्रधानमंत्री को देश के प्रति उनके योगदान से वंचित कर दिया। मैं उनका राजनैतिक विरोधी था और रहूंगा। परन्तु उनकी क्षति से निश्चय ही हम उनके द्वारा किए जाने वाले योगदान से वंचित हो गए। वे अपने जीवन की युवावस्था में थे। उनके सामने सारा भविष्य पड़ा था।

अपराह्न 12.58 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

मैं समझता हूं कि वर्ष 1989 के चुनाव का केवल यही एक मुद्दा रह गया था और जिस पार्टी ने पहले 400 से भी अधिक सीटें जीती थीं, इसी एक मुद्दे के कारण हार गई। भारत को यह बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। हम सबने इसकी कीमत दी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बोफोर्स के कारण ही हुआ कि 1987 से निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, विशेष रूप से जटिल शस्त्र प्रणाली प्राप्त करने के बारे में, रक्षा मंत्रालय में बिल्कुल गतिहीन हो गई थीं और रक्षा मंत्रालय को अपना पहला बड़ा आर्डर प्रस्तुत करने में 1987 से दस वर्ष लग गए हैं। 1987 में बोफोर्स 155 मि० मी० हवाइत्जर तोप से हाल ही में की जाने वाली सुखोई विमान की आपूर्ति में दस वर्ष लग गए। इससे हमें लगातार दस वर्षों तक नुकसान हुआ।

बोफोर्स प्रणाली के कारण हमें नुकसान हुआ क्योंकि इसके कारण संस्थाएं, व्यक्ति, संयुक्त संसदीय समिति, स्वयं संसद, रक्षा मंत्रालय, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय सभी बोफोर्स के इस लपेट में आ गईं।

मैं यह भी रिकार्ड में लाना चाहूंगा कि इसी बोफोर्स के मामले के कारण ऐसा व्यक्ति, जिसको हम स्वतन्त्र भारत के सबसे सक्षम रक्षामंत्रियों में से एक मानते हैं, को अपना पद त्यागना पड़ा। यह भी बोफोर्स के कारण ही हुआ कि कांग्रेस पार्टी का एक महान सदस्य, एक सज्जन व्यक्ति तथा बहुत ही विवेक और ज्ञान वाले व्यक्ति को भी विदेश मंत्री के रूप में अपना पद छोड़ना पड़ा।

इसके अलावा, सेना अधिकारी, सैन्य प्रमुख और कुछ अन्य सेवानिवृत्त जनरल भी इस बोफोर्स षड़यंत्र की चपेट में आ गए, यही कीमत हमें चुकानी पड़ रही है तथा आगे भी हम चुकाते रहेंगे। मैं इस सभा और इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अब दस-ग्यारह वर्ष बीत चुके हैं और बहुत हद हो चुकी है। हम इस किस्से को आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। मैं सचमुच यह चाहता हूं कि यह किस्सा समाप्त हो जाए। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बहुत ही धीमी आवाज में यह सुझाव दिया है कि हमें इस अध्याय को बन्द कर देना चाहिए।

यदि यह हो सकता तो हमने इस अध्याय को, बशर्ते कुछ बातें पूरी हो गई होतीं, बन्द कर दिया होता। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें अपनी गल्तियों से कुछ सीखना चाहिए। जब कभी चर्चा होती है तो हमारा प्रयास

[श्री जसवंत सिंह]

यह होना चाहिए कि हम देखें कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें फिर से नहीं करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है और मैंने यह लिखा भी है कि हमारा यह प्रयास हो कि हम यह देखें कि किन कामों से भविष्य में हमें बचना है। मुझे नहीं लगता कि इस वाद-विवाद का उद्देश्य किसी का तिरस्कार करना है। किसी का तिरस्कार करके तो किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। यह कीमत तो पहले ही चुकाई जा चुकी है। परन्तु जो काम किए जा चुके हैं, या नहीं किए गए हैं उनके परिणाम तो रहेंगे ही। उन पर हमें ध्यान देना होगा। यदि हम उन पर ध्यान नहीं देते तो हम बोफोर्स के भूत से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे।

दूसरे, महोदय मैं कहना चाहूंगा कि आज हम जो भी करें, हम भारत अथवा संसद की अवमानना न करें। संसद जांचघर नहीं है परन्तु संसद की सभा एकमात्र ऐसी संस्था है जो कार्यपालिका को नियंत्रित करने और सन्तुलन बनाने का कार्य करती है। महोदय मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इन सब दस्तोवजों को प्राप्त करने के लिए चाहे इस सरकार को या पिछली सरकार को, स्विट्जरलैंड की सरकार को कुछ वचन देने पड़े होंगे। वे वचन अन्तर्राष्ट्रीय वचन हैं। इन वचनों को निभाना भारत की जिम्मेदारी है। इसीलिए महोदय, हमने जो वचन दिये हैं हमें उनका ईमानदारी से पालन करना है और इसके साथ-साथ विधानमंडल की भूमिका, संगतता और उसकी प्रभावकारिता की निरन्तरता को बरकरार रखना है। इस संतुलन को बनाना है और इसके लिए मैंने एक रास्ता सुझाया है। मैं सरकार से और आप सबसे अपील करता हूं कि हम जो भी करें, उसमें विलम्ब की झलक तक नहीं होनी चाहिए। सच्चाई तक पहुंचने में कोई देरी, कोई बचाव और कोई टालमटोल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक चर्चा तथा एक समिति के गठन का सुझाव दिया है। आप यह कह सकते हैं कि संसद को वे दस्तावेज और कागजात उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, जो स्विट्जरलैंड से प्राप्त हुए हैं। बोफोर्स सम्बन्धी दस्तावेजों के सम्पूर्ण पहलुओं का यह मात्र एक पहलू है। अतः सम्पूर्ण कागजों से हमारा क्या तात्पर्य है, यह हमें समझना पड़ेगा। यदि कुछ कागजात ऐसे हैं जिन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सरकार कागजों, दस्तावेजों पर विशेषाधिकार होने का दावा करती है, तो यह शुरूआत ही है। वे सभी दस्तावेज जो सरकार के पास या रक्षा मंत्रालय के पास हैं और जो अब तक संसद में या संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश नहीं किया गया है, अब संसद को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जब स्वीडन के आडिट ब्यूरो ने उस समय की भारत सरकार से वह जानकारी बांटी थी, उन्होंने हमसे कुछ जानकारी छुपा ली थी। यदि वह जानकारी सरकार के पास है, तो वह हम तक अवश्य पहुंचनी चाहिए।

यदि सरकार के पास भी यह जानकारी नहीं है तो उसे स्वीडन से प्राप्त किया जाना चाहिए। समाचार माध्यमों के पास यह जानकारी उपलब्ध है। 'दी हिन्दू' ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि उनके पास एक विशिष्ट वकील 'एक न्यासी वकील' से सम्बद्ध दस्तावेज हैं, वे वह जानकारी देने को तैयार हैं बशर्ते सरकार अथवा जांच एजेंसी उनसे ऐसा करने का अनुरोध करें। हमें ऐसा अवश्य करना चाहिए। हम जो भी कुछ करें, वह सामन्जस्वपूर्ण, प्रभावी और सक्षम कार्यवाही हो।

इस मामले पर जांच एजेंसियों को हर रोज जो प्रचार मिल रहा है मुझे उस पर हैरानी है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। विश्व की कोई भी जांच एजेंसी स्वयं को टेलीविजन पर नहीं दिखाती है और पकड़े गए बक्से नहीं दिखाती है और यह सुझाव नहीं देती है जैसे कि यह कोई उपलब्धि हो। यह किसी जांच एजेंसी के लिए कोई उपलब्धि की बात नहीं है। मुझे इस बात का खेद है। जांच एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि चुपचाप जांच करें और प्रचार तंत्र से दूर रहें। चुपचाप अपना कार्य करें। यह उनकी दक्षता का द्योतक है, किसी राज्य के समाचार माध्यम पर समय लेना नहीं।

महोदय, यह मेरा विनम्र निवेदन है और माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरी यह सलाह है, मेरी वास्तविक इच्छा थी कि वह यहां होते कि वे संसद को आश्वासन न दें। मैं तीन माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा अलग-अलग दिए गए तीन आश्वासनों के बारे में बताना चाहता हूं। एक वह जिसके कार्यकाल में यह सारा विवाद खड़ा हुआ था, उन्होंने सभा में कहा था, "हमें यह मत बताएं कि असली दोषी कौन है, केवल सही दिशा की ओर संकेत भर कर दीजिए। शेष कार्य हम स्वयं कर लेंगे।" इसके बाद घटे सारे घटनाक्रम की मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूं। इसके पश्चात् एक और प्रधानमंत्री आये और उन्होंने पूरे देश से कहा, "मैं चौदह दिन के भीतर सब नाम बता दूंगा।"

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आप भी उस सरकार में थे।

श्री जसवंत सिंह : निस्संदेह हम उस सरकार के समर्थक थे।

श्री राजेश पायलट : आपको यह कहना चाहिए कि आप उस पार्टी के साथ नहीं थे।

श्री जसवंत सिंह : मेरे मित्र श्री राजेश पायलट सहयोगी होने पर दोषी होने का शास्त्रीय उदाहरण दे रहे हैं। यदि वे सहयोगी होने पर दोषी होने के दर्शन शास्त्र के प्रणेता हैं तो उन्हें अपने वर्तमान सहयोगी-वर्ग के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए *(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : श्री जसवंत सिंह जी, यदि आप 1989 के चुनावों के दौरान दिए गए भाषणों को याद करें, चाहे वह यह पक्ष हो या वह, तो राजस्थान में ही नहीं अपितु देश के प्रत्येक भाग में एक ही बात सुनाई पड़ती थी, "उन व्यक्तियों के नाम हमारी जेबों में हैं। हम चौदह दिनों में उनकी घोषणा कर देंगे।" कृपया अपना दोष स्वीकार करें, क्योंकि आप इसमें सहयोगी थे, हम नहीं। हमने ऐसा कहा था, हम उस पर आज भी अडिग हैं कि सच्चाई अवश्य प्रकट होनी चाहिए। हमारे दल की तो यही नीति है कि सच्चाई राष्ट्र को अवश्य बताई जानी चाहिए और मैं इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए यहां तक कहूंगा कि उन लोगों को भी, जो हमारे साथ नहीं हैं, यदि कोई इससे किसी भी प्रकार जुड़ा है, तो राष्ट्र को उसके बारे में अवश्य पता चलना चाहिए। हम तो उसी रास्ते पर अग्रसर हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : संसदीय समिति के मामले के विपरीत जब केवल वे ही उपस्थित थे और पूरे विपक्ष ने इससे बहिर्गमन किया था। सच्चाई तब भी प्रकट हो गई थी। मैं समझता हूं उन्हें स्वयं ही बताना चाहिए *(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यदि वे उस समय संसद में उपस्थित नहीं थे, उन्हें रिकार्ड देखना चाहिए और यह स्पष्ट है कि हमें उससे बहिर्गमन क्यों करना पड़ा ⋯ *(व्यवधान)* हमें इस बात पर तनिक भी खेद नहीं कि हम इस जैसे निष्कर्ष के साथ नहीं जुड़े और उन्हें अभी भी इस विषय में कोई शर्म नहीं है ⋯ *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जसवंत सिंह : वह मेरे बहुत अच्छे और पुराने मित्र हैं। मैं श्री राजेश पायलट के कथन का स्वागत करता हूं। अपना वक्तव्य देते समय मेरा मन्तव्य इस अर्थ में नहीं था और अब दोषारोपण की प्रतिस्पर्धा में उलझना नहीं चाहता कि "मैंने ऐसा किया। आपने ऐसा किया।" मामला इससे काफी आगे बढ़ चुका है। यदि हम अब भी यह नहीं मानते कि इस मामले ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है और यह आरोपों-प्रत्यारोपों की हद से भी आगे बढ़ चुका है। "आपने मुझ पर आरोप लगाया। मैंने आपके विरुद्ध आरोप लगाया।" सभा की एक सामूहिकता है, जिसका अब परीक्षण हो रहा है। ⋯ *(व्यवधान)*

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : देर आयद दुरूस्त आयद ⋯ *(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं शायद इसे बेहतर जानता हूं।

मैंने दो प्रधानमंत्रियों और उनके द्वारा सभा को दिए गए आश्वासनों को उद्घृत किया है। तीसरे प्रधानमंत्री ने एक अप्रिय सन्दर्भ में जो तत्कालीन के कई माननीय सदस्यों के विपरीत रहा था इस सभा में सदस्यों के जोर देकर यह कहने पर "हमें कुछ नहीं पता। हमें जानकारी नहीं दी जाती है। हमें कैसे जानकारी दी जाएगी ?" उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा था, "मैं बोफोर्स की जांच का कार्य स्वयं देखूंगा और दिन-प्रतिदिन उस पर निगरानी रखूंगा और आपको सूचित करता रहूंगा" ⋯ *(व्यवधान)* मैं ऐसा क्यों कहता हूं ? मैं पूरी गम्भीरता से वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं चूंकि मैं उनके काम के भार को समझता हूं कि वह इस मामले से कैसे निपटेंगे इस बारे में कोई व्यक्तिगत आश्वासन संसद को न दें।

महोदय, मैं पुनः इसी कारण से इस मामले में संसद के उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूं।

अब, एक सुझाव है—मैं सरकार के साथ सहमत हूं—कृपया अब कम से कम 22, 23 जुलाई, 1993 के जैसी अन्य घटनाएं और दिखावा, बहाना, छिपाव नहीं होना चाहिए। क्या मुझे उस घटना का उल्लेख करना होगा ? मेरे विचार से 22 जुलाई, 1993 को स्विट्ज़रलैंड में सात नामों की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी। क्या मैं उन नामों को फिर से दोहराऊं ? वे नाम स्वेन्स्का, ए० ई० सर्विसेज, जुबिली फाइनेन्स, तीन हिन्दूजा भाई, श्री विन चड्ढा, क्वाट्रोच्ची नाम का एक इटली वासी व्यापारी या लूटेरा या जो भी हो। इन सबकी जानकारी होने तक—मध्य जुलाई, 1993 तक का समय हो गया—आज तक किसी भी सरकार ने श्री विन चड्ढा को वापस लाने के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किया है; किसी भी सरकार ने तीनों हिन्दूजा भाइयों से औपचारिक रूप से पूछताछ करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया है। साथ ही इस इटली वासी सज्जन को भी देश में ही रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। कुछ सुझाव हैं। मैं नहीं जानता। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। यह भी माना जा रहा है कि क्वाट्रोच्ची को भारत छोड़ने की अनुमति में भी मिली-भगत थी। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। यह कोई उत्तर नहीं है। मैं हैरान हूं। यह इटली वासी सज्जन, क्वाट्रोच्ची, श्री विन चड्ढा, हिन्दुजा—दस्तावेजों के सामने आ जाने के बावजूद, जो स्विस न्यायालयों ने कहा उसके बावजूद, यह कहते रहे, "हमें इससे कुछ लेना-देना नहीं है।" वो सारे निश्चिन्त थे क्योंकि वे भारत की व्यवस्था को जानते थे। संसार का प्रत्येक दूसरा देश उन लोगों के प्रत्यावर्तन में समर्थ है जिनका प्रत्यावर्तन वह चाहता है।

केवल हम ही लगातार असफल होते रहे हैं। हवाला काण्ड में आवश्यक एक व्यक्ति हांग-कांग में रुका रहा और वहां से फरार हो गया, हम दाऊद इब्राहिम के मामले में असफल हो गए। हम उसके प्रत्यावर्तन में कभी सफल नहीं हुए। जब सिंगापुर में बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाला हुआ, वह एक व्यक्ति को जर्मनी से तीन महीनों के भीतर प्रत्यावर्तित करा लिया गया जिसका वह प्रत्यावर्तन कराना चाहता था। हम प्रत्यावर्तन में सफल नहीं हुए। मेरे विचार से इस बात का उत्तर सरकार को देना चाहिए।

सनामप्रोगेती और बोफोर्स के बीच एक सम्बन्ध था और यदि कोई सम्बन्ध नहीं था तो फिर किस बात के लिए भुगतान किया गया था। क्या इटली और स्वीडन के बीच कोई सम्बन्ध था कि स्वीडन चुपचाप इटली को धन का भुगतान कर दें। यह सब क्या है ? या तो क्वाट्रोच्ची को साढ़े सात मिलियन डालरों का भुगतान करने में बोफोर्स को बेवकूफ बनाया गया था ? किस बात के लिए ? कुछ भी नहीं करने के लिए ? या बोफोर्स ऐसे बेवकूफ थे कि उन्होंने पूरी कार्यवाहियों के लगभग अन्तिम चरण में क्वाट्रोच्ची को साढ़े सात मिलियन का भुगतान करके अपनी सभी वर्तमान व्यवस्थाओं को बाधित कर दिया। या, दूसरी ओर, क्वाट्रोच्ची ऐसा धोखेबाज और उस्ताद था कि उसने न केवल हमें अपितु बोफोर्स, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और सभी को बेवकूफ बनाया और साढ़े सात मिलियन डालर लेकर चुपचाप आराम से कुआलालम्पुर को उड़ गया। ⋯ *(व्यवधान)* चाहे जो भी कारण रहा हो, तथ्य छुपे ही रहे। यह एक तथ्य है। उसने पैसा लिया था। उसने भुगतान लिया था।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि इन सबके साथ, कृपया बाकी खातों के ब्यौरों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्रवाई करें। हम सब जानते हैं कि वहां कतिपय खाते हैं जो अभी भी स्विट्ज़रलैंड में अपील के अन्तर्गत हैं और उन सब को भी शीघ्रतापूर्वक प्राप्त करना चाहिए।

मेरा अगला सुझाव है कि चाहे स्वीडन या स्विट्ज़रलैंड या मलेशिया या संयुक्त अरब अमीरात जो भी हो सभी से हमें सूचना, सहायता, सहयोग और प्रत्यावर्तन के लिए सभी प्रकार की कानूनी और कूटनीतिक पहल करनी चाहिए। परन्तु हमें अत्यधिक शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। इसी कारण, मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पेश किया है क्योंकि मैं मानता हूं कि यह सभा का प्रस्ताव है कि एक समिति गठित की जाए।

मैं एक समिति को गठित करने के लिए क्यों कह रह हूं ? मैं और ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए समिति का सुझाव नहीं दे रहा हूं। यह एक जांच नहीं होगी। यह एक समिति होगी जो संसद का लघु रूप होने के कारण यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यपालिका, सरकार स्वयं बोफोर्स काण्ड की निगरानी शीघ्रतापूर्वक, ईमानदारी और एकजुट होकर करे, कि आज इस मुद्दे का औचित्य है जिससे कि हम अन्ततः इसे निपटा सकें। मैं एक समिति

[श्री जसवंत सिंह]

की सिफारिश क्यों करता हूं ? यह इसलिए क्योंकि संसद प्रतिदिन इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकती है।

एक और कारण है, यदि आप ऐसी एक समिति का गठन नहीं करते हैं, मेरे मस्तिष्क में एक आशंका है कि कल कोई जनहित में दावा करेगा और अदालतें कहेंगी "संसद, आप कुछ नहीं कर रहे हैं।" जनहित दावे के माध्यम से, हम, अदालतें अब इस मुद्दे की आगे की प्रगति की निगरानी करेंगे जैसाकि यह इण्डियन बैंक के मामले में हुआ। यह अभी की बात है शीर्षस्थ न्यायालय ने इण्डियन बैंक के मामले में फैसला दिया, जैसाकि चंद्रास्वामी के मामले में हुआ, जैसाकि हवाला मामले में हुआ और कई अन्य मामलों में हुआ।

श्री ए० सी० जोस (ईदुक्की) : आप अदालत को संकेत दे रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं अदालत को कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा हूं। मैं संसद को सीधे सुझाव दे रहा हूं। यह अदालत को एक स्पष्ट संकेत नहीं है। मैं संसद से अपील कर रहा हूं। संसद के पास पर्याप्त योग्यता और शक्तियां हैं। यह समिति एक जांच समिति नहीं होगी। यह संसद के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगी कि सरकार इस मामले में स्पष्ट रहे, सरकार शीघ्रतापूर्वक कार्य करती रहे।

अपराह्न 1.00 बजे

इसलिए मैं अपील करता हूं कि एक समिति गठित की जाए, जो सभी के सहयोग से इस मामले की जांच करके अपनी सिफारिश करे तथा उन सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे।

अब मैं महसूस करता हूं कि जहां तक इस बोफोर्स मामले का सम्बन्ध है सभा में यदि पूरी सर्वसम्मति नहीं तो कम से कम एक निश्चित बुनियादी सर्वसम्मति है। हम सभी अन्ततः सच को जानना चाहते हैं। हम सभी बोफोर्स के श्राप से मुक्त होना चाहते हैं और कोई रास्ता नहीं है कि हम दोनों पक्षों का समझौता करा सकें; सरकार इसके साथ ही साथ दस्तावेजों के बारे में विशेषाधिकार का दावा कर रही है और हम, इस सभा में प्रतिनिधियों के रूप में चाहते हैं कि हम संसद के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के साथ इस संसद में संतुलन एवं नियंत्रण रखने का कार्य सम्पन्न करते रहें। एकमात्र रास्ता ऐसी एक समिति का गठन है और ऐसी एक समिति को गठित करने का एकमात्र रास्ता प्रस्ताव के माध्यम से है जो कि मैंने नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि यदि मैं जो कह रहा हूं उसका सार आपको स्वीकार्य है तो हम प्रस्ताव को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं, हम समिति के उद्देश्य को निर्धारित कर सकते हैं। परन्तु हमें अब एक निर्णय लेना होगा क्योंकि ऐसा निर्णय लिया जाना, अपने आप में, मेरे विचार से, एक उदाहरण होगा। इससे सभी को सही संदेश मिलेगा, न केवल जांच एजेंसियों को, न केवल गणतंत्र के न्यायिक ढांचे को, बल्कि इससे देश की बुनियादी राजनीति को भी कुछ रचनात्मक संदेश जाएंगे।

महोदय, सारी सभा तथ्यों को जानना चाहती है। इसलिए अन्ततः हमें सत्य का पता लगाना चाहिए और न्याय के लिए हमें उस सच्चाई का पता लगाना होगा। इसीलिए मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी अन्य माननीय सदस्य को बुलाने से पहले मैं सभा की सम्मति चाहता हूं। क्या आप चर्चा जारी रखना चाहते हैं अथवा दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करना चाहते हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : दोपहर के भोजन की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम सहमत हैं। दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित नहीं होगी। श्री सन्तोष मोहन देव।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम पूर्वतः चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। यदि आप दोपहर के भोजन के लिए समय नहीं देंगे तो क्या होगा कि किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के समय हम अनुपस्थित होंगे। हम वापस आकर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तो, आप दोपहर के भोजन के लिए सभा स्थगित करना चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम वापस आकर चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री संतोष मोहन देव।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं श्री जसवंत सिंह जी की तरह चर्चा नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप दोपहर के भोजन के बाद चर्चा जारी रख सकते हैं।

अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री नील एलोयसियस ओ'ब्रीयन (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)

अपराह्न 2.08 बजे

[अनुवाद]

बोफोर्स 155 एम० एम० होवित्जर तोप सौदे के बारे में—*जारी*

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव बोलेंगे।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय, आज हम इस मुद्दे की स्वीकार्यता अथवा मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत लम्बा वक्तव्य दिया है। मैं इतना लम्बा भाषण नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री संतोष मोहन देव : हम वर्ष 1980 से आज तक संसद में एक साथ रहे हैं और यह मेरे जीवन में पहली बार हुआ है कि मैंने उन्हें बोलते हुए पानी पीते नहीं देखा। सम्भवतः वह एक कमजोर मामले की वकालत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उनका गला खराब है। लेकिन जब तक वे बोलते रहे उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि वे गा भी सकते थे। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। आपने अनेक मुद्दे उठाए हैं। मैं उनके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन उनमें से एक मुद्दे ने मुझे हैरान कर दिया है।

उन्होंने कहा है कि एक प्रधानमंत्री की इस बोफोर्स मुद्दे के कारण मृत्यु हो गई, इसका अर्थ यह है कि उन्होंने जैन आयोग का निर्णय दे दिया है जिसे वे पिछले कुछ महीनों में कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे ? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। उन्होंने फिर कहा कि उनकी दस्तावेजों तक कोई पहुंच नहीं है, जब संयुक्त संसदीय समिति बोफोर्स मामले की जांच कर रही थी तब कम्पनी द्वारा कुछ दस्तावेज सरकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। वे तेरह दिन सरकार में रहे और सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास उसकी फोटोकॉपी है चूंकि अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने उस दौरान कुछ नहीं किया केवल फोटोकॉपियां निकलवाते रहे। उस अवधि के दौरान, आपके रक्षा मंत्री ने उन दस्तावेजों को प्राप्त किया होगा। आप उन्हें सभापटल पर रख सकते थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : रक्षा मंत्री कौन था ?

श्री संतोष मोहन देव : उस समय श्री प्रमोद महाजन रक्षा मंत्री थे।

बोफोर्स मामले के संबंध में कुछ भी हुआ हो हम सब की आलोचना के पात्र बने हुए हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि इसकी बदौलत हम 1989 के चुनाव हार गए और इससे कांग्रेस की छवि खराब हुई। वहां यह मुद्दा था। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी यहां नहीं हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि जब कभी भी उन्होंने यह देखा कि उनके आरोपों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो उन्होंने उसका बायकॉट किया। इस तरह से वे कार्य करते हैं *(व्यवधान)*। मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप नहीं किया। आपके प्रमुख नेता ही आपकी बात काट रहे हैं। हमारा मुद्दा यह है कि हमने, कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं और सच्चाई इस सभा के सामने आनी चाहिए। यह इस सरकार का कार्य है जिसे हम समर्थन दे रहे हैं कि सच्चाई को सामने लायें। आप जिस तरह से भी उन्हें चर्चा का अवसर देते हैं निर्णय करें अथवा समिति गठित करें, यह आपका उत्तरदायित्व है और इससे सहमत होना अथवा नहीं होना, यह प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है। लेकिन हम आज इस बात की जोरदार मांग करते हैं कि इस बात के लिए हमारी और निन्दा नहीं करिए जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हमें नाम दीजिए और सभा के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए।

मुझे बताया गया है कि दूसरी सभा में यह कहा गया है कि इन्हें अध्यक्ष तथा अन्य लोगों के चैम्बर में दिया जा सकता है। यदि ऐसा है, इन्हें हमें दीजिए। यह नाटक क्यों हो रहा है ? लगैज को हाथ में लिया गया है जैसा कि टेलीविजन में दिखाया गया है।

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यम) : दूसरी सभा में ऐसा नहीं कहा गया है कि दस्तावेजों को अध्यक्ष अथवा सभापति के चैम्बर में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सही नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : बहुत अच्छा। जो टेलीफोन कॉल हमारे पास आती है, दुर्भाग्यवश उन्हें आप नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते कि आपके नेता क्या कह रहे हैं।

फिर भी, हम उस बारे में बात नहीं करना चाहते। हम जानते हैं कि सरकार की ऐसी स्थिति है। हम चाहते हैं कि दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। लेकिन श्री जसवंत सिंह जी ने यह कहने की कोशिश की कि सरकार के बाद सरकार चली गयी। मैं भी कुछ समय के लिए रक्षा मंत्रालय में रहा हूं। वही सज्जन व्यक्ति, प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसी बाहरी देश को वचन दिया कि वे इस सूचना को प्रकट नहीं करेंगे, उन्होंने स्वयं पटना में अपनी डायरी उठाई ओर कहा कि वे 14 दिन के अन्दर नाम दे देंगे। जब श्री जसवंत सिंह, जिन्होंने श्री वी० पी० सिंह को समर्थन दिया, स्वयं स्वीडन सरकार अथवा स्विट्जरलैंड सरकार को लिखित आश्वासन दिया था कि वे किसी भी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं बनायेंगे अर्थात् संसद में प्रस्तुत नहीं करेंगे। एक बार फिर वे यह कहकर कि कांग्रेस ने यह किया अथवा कांग्रेस ने यह नहीं किया है, इन्हें कांग्रेस के विरुद्ध भुना रहे हैं।

अब, आज वे कुछ सिद्धान्तों के साथ सामने आए हैं जिसके बारे में हमने नहीं सुना है। मैं कुछ वरिष्ठ सदस्यों से कह रहा था कि न तो संयुक्त संसदीय समिति और न ही कोई अन्य समिति लेकिन एक उच्च स्तरीय समिति ही इन सब मुद्दों की जांच करेगी। हम सरकार से, कानून मंत्री से यह जानना चाहेंगे कि क्या उनके पास सभी दस्तावेज हैं। क्या यह अंतिम संयुक्त संसदीय समिति है अथवा कुछ समय बाद कुछ और तथ्य सामने आयेंगे और फिर श्री जसवंत सिंह और अन्य लोग कहेंगे कि वे एक अन्य समिति गठित करना चाहते हैं ? दुर्भाग्यवश अथवा विडम्बनावश जब कभी चुनाव करवाने पड़ते हैं तो यह दस्तावेज बाहर से लाए जाते हैं और इस मुद्दे से लोगों को भड़काया जाता है।

यह क्या है ? हो सकता है चुनाव शीघ्र ही होने हों और इसलिए कांग्रेस पार्टी की निन्दा करने की कोशिश की जा रही हो। *(व्यवधान)* कृपया घबराइए नहीं। आपका दल अनुभवी कार्यकर्ताओं का है। आप ऐसा कर सकते हैं।

महोदय, आपने इस मामले को उठाने की अनुमति दी है और हम

[श्री संतोष मोहन देव]

उसके लिए आपके आभारी हैं। श्री जसवंत सिंह ने एक लम्बा भाषण दिया है। मैं उनके प्रत्येक मुद्दे का जवाब नहीं देना चाहता। मेरी आपत्ति यह है कि इस बात को पूर्णतः जाने बिना कि यह लाभ किसने कमाया है और कौन दोषी है और भ्रष्टाचारी व्यक्ति कौन हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारी निन्दा नहीं कीजिए। हमारी, कांग्रेस पार्टी यह जानने के लिए बहुत इच्छुक है। आप जिस तरह से चाहते हैं तथ्य सामने लाइए। लेकिन हमारा अनुभव यह था कि पहले उस समय विपक्षी दल द्वारा संयुक्त संसदीय समिति का बायकॉट किया गया था और कुछ निष्कर्ष नहीं निकले थे।

यदि अन्य एक और संयुक्त संसदीय समिति या एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करते हैं तो उससे क्या होगा ? संसद में काफी समितियां हैं और सभापति के रूप में हमें अपनी बैठकें करने के लिए स्थान नहीं मिलता। स्थान प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए हमारे ऊपर और भार न डालिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने कमरे में बैठकें कर रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : इससे क्या होगा ? हम सरकार तथा माननीय विधि मंत्री से, जो उत्तर देने जा रहे हैं, केवल यह अनुरोध करेंगे कि भगवान के लिए अपने अन्वेषण अभिकरणों को यह बतायें कि वे नाम न बतायें और फिर कहें कि आपको नाम नहीं मिल सकते। नाम न बताइये। कृपया संसद में वे बताएं और पूरे नाम दें। मैं आपको अंग्रेजी में एक कहावत याद दिलाना चाहता हूं जिसमें बताया गया है कि "तथ्य का एक औंस सिद्धान्त के एक पाउण्ड के बराबर है।" कुमारी चित्रा सुब्रामनियम तथा अन्यों ने प्रेस में जो कहा है, उसने इसे प्रोत्साहित किया है और मैं अब उस विस्तृत ब्यौरा में नहीं जाना चाहता। लेकिन चूंकि आप सदन को वास्तविक जानकारी नहीं दे रहे हैं, समाचार पत्र इसके बारे में लिख रहे हैं। वे कांग्रेस पार्टी की अन्दरूनी लड़ाई के बारे में तथा अन्य बातों के बारे में कब तक लिखते रहेंगे ? अतः यह इसका प्रभाव है। वे इसका चुनाव करते हैं और समाचार पत्रों में लिखना प्रारम्भ कर देते हैं। आज, आपका एक मंत्री इस सभा में उत्तर देगा। उस समय, कृपया हमें बताइये कि अमुक लोग दोषी हैं और उसके पश्चात् हम अपनी कार्यवाही करेंगे। यदि आप नाम नहीं देते, तो अन्यों से कहिए कि वे तथ्यों को जाने बिना इन नामों का संसद अथवा अन्य कहीं उल्लेख न करें।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, 10 वर्ष का समय लम्बी अवधि है। श्री जसवंत सिंह ने ठीक कहा था कि इससे सेना की निर्णय करने की क्षमता प्रभावित हुई है। यह सही है। कोई भी निर्णय करना नहीं चाहता क्योंकि वह यहां है। मुझे एक बात याद है। एक अधिकारी जनरल जो समिति के समक्ष उपस्थित हुआ था, उसने मुझे एक दिन, जब मैं रक्षा राज्य मंत्री था, बताया था कि हमें बिचौलियों के बिना कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि रख-रखाव समस्या है। उसने कहा कि यदि हम सीधे खरीदते हैं तो रख-रखाव समस्या होगी। इसलिए मैंने कहा, "आप यह मुझे लिखित में क्यों नहीं देते ?" उसने कहा, "नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।" किसी भी उपकरण के लिए बिक्री के पश्चात् सर्विस आवश्यक है और श्री जसवंत सिंह को इसकी अच्छी तरह जानकारी है। मेरे विचार से वे सेना की इन्फैन्टरी डिविजन में थे।

महोदय, वैसे आपकी स्थिति को देखते हुए, ये हम जो कुछ सुन रहे हैं और "इण्डियन एक्सप्रेस" तथा अन्य समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हम आपसे एक विनम्र अनुरोध करेंगे। हम आज या कल या जब कभी इस विषय पर चर्चा हो, हम निर्णय चाहते हैं और सरकार को विशिष्ट जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

मैं अब अन्य विभिन्न बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता। श्री जसवंत सिंह ने श्री पी० वी० नरसिंह राव द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में उल्लेख किया है कि वे इसका दिन-प्रतिदिन पालन करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने दिन-प्रतिदिन उसका पालन नहीं किया हो, लेकिन जब तक उन्होंने सप्ताह-प्रति सप्ताह इसका पालन नहीं किया होता तो आज यह नहीं हुआ होता। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह वैसे ही हो गया है। हमारी सरकार ने इस पर कार्यवाही की है क्योंकि हमने संसद को आश्वासन दिया था। हम यह देखना चाहते हैं कि समस्त देश भी सच्चाई जाने। अतः उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। यद्यपि शक की सूई हमारी ओर है, हमने जो आपको मिलना चाहिए था उससे अधिक किया है। लेकिन आपको अब निर्णय करना है क्योंकि सभी समाचार पत्र आपके पास उपलब्ध हैं और पूरी जांच चल रही है। अतः हमें यह जानना चाहिए कि सरकार की निधियों का अन्ततः क्या हुआ। हम किसी तरह के निर्णय या किसी तरह की चर्चा के विरुद्ध नहीं हैं। हम स्वतन्त्र हैं। हम माननीय अध्यक्ष के निर्णय को स्वीकार करते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं केवल श्री जसवंत सिंह के बुरे गले के ठीक होने की कामना करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय मेरे विचार से हम इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां मैंने इसे प्रारम्भ में ही बहुत स्पष्ट कर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन महोदय, चर्चा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने कई बातें बताई हैं। मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि क्या हम इस मामले पर तथा अन्य ऐसे प्रस्तावों पर नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं। हमें इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, कि सभी, मेरे विचार से श्री संतोष मोहन देव भी, जिन्होंने ऐसा कहा था—पूरी चर्चा चाहते हैं। इसी कारण से हम सदन में तथा सदन से बाहर भी विरोध प्रकट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सभी विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन से त्यागपत्र दे दिया था। श्री जसवंत सिंह ने यह शिकायत की कि यद्यपि 15 दिन के भीतर सब कुछ बताने का वचन दिया गया था, फिर भी कुछ भी नहीं बताया गया है। उस 13 दिन के चमत्कार ने भी कुछ नहीं किया। क्या हुआ ? यह सही तरीका नहीं है। कतिपय मुद्दों पर हम केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यह एक मुद्दा है जिसके संबंध में हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि इस देश ने भ्रष्टाचार के कई मामलों के कारण हानि उठाई है। आज कांग्रेस की ओर से मेरे माननीय मित्र सहित, कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। पहले, यह कहने का प्रयास था कि कोई बिचौलिया नहीं था, कोई धनराशि शामिल नहीं थी, और कुछ भी नहीं था। लेकिन अन्ततः यह स्वीकार किया गया कि कुछ भुगतान किया गया था। लेकिन धनराशि किसने प्राप्त की थी ? यही प्रश्न था। अतः जांच करनी थी। प्रक्रिया का पालन किया जाना था। यह केवल हमारे अपने देश

पर निर्भर नहीं है। यह अन्य देश के न्यायालय के आदेशों पर निर्भर होना था। अतः इसमें समय लगा है। लेकिन क्या इस पर कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं अथवा क्या इसको धीमा करने का कोई प्रयास था, इसके बारे में विभिन्न मत तथा विभिन्न विचार हैं। जब हमने बल दिया तो देश के प्रधानमंत्री ने यहां खड़े होकर कहा था, "मैं यह आश्वासन देता हूं कि दिन-प्रतिदिन की निगरानी के पश्चात् मैं इस सदन में वापस आऊंगा और मैं स्वयं आपको रिपोर्ट दूंगा।" लेकिन दुर्भाग्य से, कोई रिपोर्ट नहीं आयी। क्या वे पर्दे के पीछे कुछ कर रहे थे, मैं नहीं जानता। हमें इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि हमें बताया नहीं गया। लेकिन आज स्थिति यह है कि स्पष्टतया सभी नाम नहीं दिए गए हैं। कुछ नाम प्रेस में आए हैं। हम जानते हैं कि हम शक कर रहे थे। वे नाम बताए गए हैं। वे सही नाम हैं क्योंकि इसके बारे में इन्कार नहीं किया गया है। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा है कि यह उन व्यक्तियों की सूची है जिन्होंने पैसा प्राप्त किया था। इसलिए, अभी भी जांच करनी है। अब काफी प्रक्रियाओं के पश्चात्, स्विस कोर्ट ने दस्तावेजों की पहली किस्त की अनुमति दी है। हमें यह जानकारी नहीं है कि उनके साथ जैसा कि उसने कहा था, भार था। उनके पास बाक्स था या नहीं। आजकल दूरदर्शन राजनीतिज्ञों से नौकरशाह तक प्रत्येक व्यक्ति को कृतज्ञ कर रहा है। फोटो आ रहे हैं। अतः अब हमें यह बताया गया है—शुद्धि के अध्यधीन—कि दस्तावेजों की दूसरी किस्त अभी आनी है। पुनः शुद्धि के अध्यधीन, हमें यह बताया जा रहा है कि क्योंकि मेरे पास तथ्य नहीं हैं—कि ऐसी मनाही है अथवा इस सरकार द्वारा दिया गया एक आदेश या वचन है कि नाम नहीं बताए जाएंगे। अतः वास्तविक जांच के अतिरिक्त दस्तावेजों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अतः नाम नहीं बताए जाएंगे। अब इन मामलों का पता लगाया जाना है। महोदय मुझे जानकारी प्रदान की गई है कि कल आपके कक्ष या किसी अन्य स्थान पर नेताओं की बैठक हो रही है, मुझे अभी औपचारिक सूचना मिलनी है।

कल, इस पर चर्चा होगी कि स्विस न्यायालय को दी गई उन प्रतिबद्धताओं तथा स्विस कोर्ट के निश्चित आदेश को देखते हुए, उन्हें प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। स्विस सरकार ने अनुरोध किया है कि उन्हें प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इन मामलों पर चर्चा होनी है तथा उन पर निर्णय किया जाना है। मैं किसी बात को न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं। मेरी पार्टी तथा मेरा रुख यह है कि इन नामों को बताया जाना चाहिए, उन्हें प्रकट किया जाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि उन नामों को कैसे प्राप्त करें।

मेरा अनुरोध बहुत साधारण है। हां, हम चित्रा सुब्रामनियम, श्री एन० राम तथा अन्यों का इसको प्रकट करने में निश्चित रूप से उनकी महान भूमिका को मानते हैं। इस मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रयास किया गया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या ड्रामा था या नहीं, लेकिन मेरे विचार से पूर्व संयुक्त संसदीय समिति का बायकॉट करना काफी न्यायोचित था और देश ने भी इस पर अपना निर्णय दिया। वह विरोध न्यायोचित था। मैं अभी भी यह महसूस करता हूं कि इस मामले पर सदन के सभी पक्ष नाम जानना चाहते हैं। अतः हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि नाम कैसे प्राप्त करें। यह इस वाद-विवाद का उद्देश्य है। अब, क्या समिति होनी चाहिए अथवा नहीं, मैं यह महसूस करता हूं कि ये महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए, पहली बात यह है कि मैं किसी समिति के विरुद्ध नहीं हूं। यदि समिति के समक्ष ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि वह कोई कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि स्विस कोर्ट ने ऐसे आदेश दिए हैं तथा इस सरकार ने पूर्व में और हाल ही में ऐसा करने का वचन दिया है तो क्या इनकी उपेक्षा की जा सकती है अथवा इनकी उपेक्षा की जानी चाहिए अथवा नहीं। ये ऐसे मामले हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यह नितान्त आवश्यक है कि नाम बताए जाने चाहिए और हम भी इसके लिए आग्रह करते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि यह कार्य किस प्रकार किया जाए। आखिरकार एक सम्प्रभुता सम्पन्न देश ने एक दूसरे सम्प्रभुता सम्पन्न देश को वचन दिया और हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। परन्तु यह सामग्री ऐसी है जिसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि विधि मंत्रालय इस सामग्री को उपलब्ध करा रहा है अथवा नहीं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : आप न इस पक्ष का समर्थन कर रहे हैं और न उस पक्ष का। आपने कहा था कि जब आप सत्ता में आएंगे तो नाम बताएंगे और आज आप कह रहे हैं कि आप नहीं बता सकते हैं। यह जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए अथवा सरकार की।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं जानता कि श्री पायलट मुझ पर यह जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। पहले तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि नाम बताने में क्या परेशानी है और इस मामले में कब तक जांच चलेगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं चाहता हूं कि नाम बताए जाएं। मैंने अनेक बार कहा है कि नाम बताएं जाएं। परन्तु प्रश्न यह है कि यह कार्य कैसे सम्भव है ? इसके लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

मैंने कहा है कि इस मामले पर इस ढंग से विचार किया जाना चाहिए जिससे कि सभी दल इस बात का प्रयास करें कि सच सामने आए। इसके लिए क्या प्रक्रिया है ? यदि इससे श्री राजेश पायलट को परेशानी होती है तो मैं इसमें मदद नहीं कर सकता हूं। मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूं कि यह कार्य कैसे किया जाए। हमें इस कार्य को जिम्मेदाराना ढंग से करना चाहिए जिससे कि हमारे लिए कोई दूसरी समस्या पैदा न हो। मेरा तो यही कहना है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसमें क्या गलत है। कांग्रेस दल की मदद से अथवा उसके बिना हम अपना वांछनीय कार्य किस प्रकार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब वे सबक सीखने के बाद गम्भीर हो गए हैं।

कुछ मामलों में मैं इस सरकार से सहमत नहीं हूं। मंत्री महोदय स्वतः वक्तव्य क्यों नहीं देते हैं ? मेरा यह कहना है कि जब वे सत्ता में थे तब भी इन मुद्दों को संसद में उठाया जाता था तो सरकार कोई जवाब नहीं देती थी। कृपया इस प्रक्रिया का पालन मत कीजिए। आपको इससे कुछ तो छुटकारा मिल रहा है। आप उनका पूर्णतः अनुसरण मत कीजिए। आपको पता है कि वे परेशानी में हैं, आप अपने आपको परेशानी में मत डालिए। कभी-कभी कुछ मामलों पर आपको स्वतः वक्तव्य दे देना चाहिए क्योंकि अन्यथा लोग नाराज हो रहे हैं।

महोदय, जब हम किसी विषय की स्वीकार्यता के संबंध में यह पता करने के लिए कि यह स्वीकार्य है अथवा नहीं है और इसे किस रूप में स्वीकार किया जाएगा, दो-तीन या चार घण्टे का समय लेते हैं और उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं तो मैं यह नहीं जानता कि उनकी अन्य गोपनीय बातें क्या हैं।

हम इस ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। सरकार एक वक्तव्य दे और हमें बताए कि वे क्या सोच रहे हैं, उनके पास क्या सूचना है, कितनी

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सूचना उजागर कर सकते हैं और यदि वे सूचना उजागर नहीं कर सकते हैं तो उन्हें इसका कारण हमें बताना चाहिए।

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : जब यह सूचना समाचार पत्रों में छप सकती है तो उसे इस सभा को क्यों नहीं बताया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मधुकर सरपोतदार बोलेंगे। कृपया, बहुत संक्षेप में बोलें। मैं समझता हूं कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम इस पर विचार करने के लिए दो घण्टे का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं कि अमुक विषय को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी।

महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है कि यह प्रभुता सम्पन्न देश पिछले दस वर्षों से एक मामले को हल नहीं कर पाया है। इस मामले पर न्यायालय, संयुक्त संसदीय समिति और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विचार किया है। यद्यपि अनेक प्रयास किए गए हैं लेकिन फिर भी आज भी हम इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि इस मामले को नियम 184 के प्रावधान के अन्तर्गत पुनः संसदीय समिति को सौंपा जाए अथवा नहीं। मेरा यह सुझाव है कि सच की विजय होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। देश की जनता को इस बात का पता चलना चाहिए कि 1986 से वास्तव में क्या हुआ।

आज कांग्रेस के लोग इसका आग्रह कर रहे हैं। हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें विवाद में नहीं फंसना चाहिए। उस समय कुछ लोगों के खिलाफ ही प्रयास किए गए थे। परन्तु आज वे लोग कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और सभी दस्तावेज सभा के समक्ष रखे जाने चाहिए। हमें इस मामले के महत्व पर गौर करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि न्याय और सच्चाई के हित में समिति गठित की जानी चाहिए। अतः श्री जसवंत सिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। आपने बड़े बढ़िया ढंग से अपनी बात कही है। अब श्री जार्ज फर्नान्डीस बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि सरकार की तरफ से पहले ही बयान आता, उस बयान के न आने पर हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह समझना कुछ मुश्किल हो गया है, क्योंकि मुझे यह बताया गया है कि शायद कानून मंत्री ने पहले एक बयान दिया है कि हम इस सारे दस्तावेज को सदन के सामने नहीं रख सकते हैं।

श्री शरद पवार (बारामती) : पहले एक बार किया था, आप उसको वैरीफाई कर लीजिए, फिर बाद में बोलिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, मुझे अभी अपनी बात कहने दीजिए। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो यह बयान पहले इस सदन में आना चाहिए था क्योंकि फिर इस सारी बहस को एक अलग दिशा मिल जाती और यहां पर जो वकील लोग हैं वे बता देते कि सच्चाई को बाहर लाने में और सरकार के पास जो जानकारी है उस जानकारी को यहां रखने में कानून क्यों बाधक नहीं बन सकता है। हमें बड़ी खुशी है कि आज कांग्रेस पार्टी सच्चाई की खोज में है। तो हम यह मानकर चलते हैं कि श्री बी० शंकरानंद जी के नेतृत्व में जो एक जे०पी०सी० बनी थी और उसने जो रिपोर्ट दी थी, उस सच्चाई से यह लोग हटे हैं। चूंकि अगर वह सच्चाई थी तो फिर नई सच्चाई की खोज करने की जरूरत आपको नहीं है। आपको रिपोर्ट हाथ में लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि यह सच है, सम्पूर्ण सच है। तो इसलिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि उस सच्चाई से ये लोग हटे हैं। यहां पर कुछ ऐसी भी घटनाएं हो गई हैं कि एक प्रधानमंत्री जेब से डायरी निकालकर कहते हैं कि 15 दिन में लाएंगे, ऐसा कहकर वे प्रधानमंत्री बने। अगर वे प्रधानमंत्री न बने होते तो आज इस बहस के लिए हम लोग यहां पर नहीं खड़े होते, यह सच है। यहां से लोग स्विट्जरलैंड की अदालतों में गए और पहले जो सारा लीपापोती करने का काम हुआ था, उसको खोलकर फिर एक बार उस पर खोज का सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए हम लोग यहां पर बहस कर रहे हैं। इसलिए किसी मजाक वगैरह में नहीं जाना चाहिए, यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं जानता हूं कि बड़े लोग फंसे हैं, लेकिन बचाव का तरीका यह नहीं है कि उस खोज के पीछे लगे हुए व्यक्ति, दल या सरकार आज यहां पर मजाक में कह जाए कि 15 दिन में क्यों नहीं आई। हम बताते हैं कि 15 दिन में क्यों नहीं आई, एक तो लोगों को मालूम नहीं था कि अदालतों का मामला किस तरह से होता है, एक तो इसलिए नहीं आई। स्विट्जरलैंड की अदालतों में नीचे की अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय तक एक-दो नहीं छः बार अपीलें हुई हैं कि वे लोग कौन हैं, क्या उनके चेहरे नहीं हैं, नाम नहीं हैं, शक्ल नहीं हैं, कुछ नहीं हैं, वे कौन लोग हैं ?

आपने 1992 में एक मंत्री की बलि ले ली। वह मंत्री डावोस क्यों गए थे ? वहां जाकर बिना तारीख, बिना नाम, बिना दस्तखत का एक दस्तावेज उन्होंने वहां के विदेश मंत्री को क्यों दिया था जो शायद आज भी वहां के विदेश मंत्री हैं। उस दस्तावेज के साथ आपके विदेश मंत्रालय की एक चिट्ठी भी लिखी थी जिस पर किसी अधिकारी के दस्तखत थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव की ओर से वह दस्तावेज हमारे विदेश मंत्री वहां देने के लिए गए थे।

अध्यक्ष जी, अगर समय लगा तो बचाने के सारे प्रयास चलते रहे। किनकी तरफ से हमारे विदेश मंत्री, श्री माधव सिंह सोलंकी बाहर गए थे ? एक देश का विदेश मंत्री दूसरे देश में जाता है और वहां जाकर एक पोस्टमैन की भांति काम करता है, वह भी अपनी पूरी शक्ल-सूरत दिखाकर करता है और किसी कोने में खड़े होकर, उनको यों बुलाकर दस्तावेज दे देता है—ये सारी चीजें समय बर्बाद करने में लगीं।

इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर स्विट्जरलैंड में कहा गया कि अभी आप लोग इस केस को इतनी जल्दी मत चलाइए क्योंकि दिल्ली की हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच रोक दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को फिर से चालू करा दिया। इस सारे कांड से, मुझे लगता है कि लोग सब कुछ भूल गए हैं। बोफोर्स का मामला ऐसे दब नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा समझता हो कि हम उसी पुरानी रिपोर्ट को हाथ में लेकर ऐसे-ऐसे करके कहेंगे कि यही सच है, वह सच नहीं है क्योंकि सच्चाई अभी बाहर आनी है। मंत्री जी, हम इतना जरूर चाहते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है, उसे आप यहां बताएं। सच्चाई इस माने में बताएं जितनी जानकारी आपके पास है। उनमें से कौन-कौन

से दस्तावेज आप सदन के सामने रख सकते हैं, मुझे नहीं मालूम क्योंकि इस बारे में किसी से मेरी कोई बात नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि मंत्री जी आप यहां बताएं कि कौन से दस्तावेज हमारे देश में आए हैं और उनमें से कितने दस्तावेज हम यहां रख सकते हैं। वे इस तरह से न बताएं, जैसे भूतपूर्व सरकार ने, प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की सरकार ने बिना दस्तखत वाला दस्तावेज सत्य को छिपाने के लिए भेजा और जो हथकंडे अपनाए, उस रास्ते को कानून मंत्री जी न पकड़े क्योंकि मुझे डर है कि जब यह सरकार बनी थी, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नरसिंह राव जी से कहा था कि आपका काम मैं पूरा करूंगा, आपकी ही दिशा मैं चलाऊंगा, इसलिए बोफोर्स मामले में सच्चाई को छिपाना आपका काम था। इसे हम नहीं भूल सकते क्योंकि इन्होंने वचन दिया था। अगर उसी वचन से वचनबद्ध होकर आप यहां पर हैं तो सदन को फिर से गुमराह करने की बात न हो, फिर से कोई कमेटी वगैरह बनाकर, हम लोगों को परेशान करने वाली स्थिति न बने।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के बदले हुए रुख का स्वागत करता हूं क्योंकि आज कांग्रेस सच्चाई जानने की पोजीशन में आ गई है, सच्चाई जानना चाहती है हालांकि यह वही पार्टी है जो गला फाड़-फाड़ कर कहती थी कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, सभी आरोप निराधार हैं। जब इस देश की जनता ने जान लिया कि चोर कौन है और इन लोगों का दिल भी गवाही देने लगा कि कौन चोर है तो इन्होंने यह कहने के लिए कि अगर हम चोर हैं तो तुम भी चोर हो, सेंट किट्स की जालसाजी की ताकि दुनिया यह जान ले कि वे भी चोर हैं, जो चोर-चोर चिल्ला रहे हैं। आज इनके बदले हुए रुख का मैं स्वागत करता हूं।

इस देश को लूटने और लूट का माल बाहर ले जाने का सिलसिला बहुत पुराना है। महमूद गजनवी और नादिर शाह भी इस देश की धन-दौलत को लूटकर बाहर ले गए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी इस देश को लूटा लेकिन अंग्रेजों के वापस जाने के बाद, फिर से इस देश को लूटने और यहां की धन-दौलत को बाहर ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। मैं पूरे भरोसे और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजों के वापस जाने के बाद, ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी इस देश को लूटकर इतना माल बाहर नहीं भेजा होगा जितना यहां के कुछ लोगों ने भेजा है, चाहे वे नेता रहे हों, ब्यूरोक्रेट रहे हों या उनकी मदद से कुछ बड़े व्यापारी रहे हों।

आज कहा जाता है कि हमारे देश पर बहुत कर्जा हो गया, हम बड़े कर्जदार हैं लेकिन जितना धन इस देश से लूटकर कुछ लोगों ने बाहर भेजा है, अगर उसे फिर से देश में वापस लाया जाए तो हम सारे कर्जे से मुक्त हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार पर भी आरोप लगाता हूं कि जिस तरह से सिर्फ 11 महीने में बोफोर्स के दलालों को पकड़ने की कोशिश हुई, आपकी सरकार ने और हमेशा हर सरकार ने पूरी ताकत लगाई कि इस पर परदा डाला जाए, उसी प्रकार आपकी सरकार भी इस पर परदा डालने की कोशिश कर रही है। आपके ऊपर यह मेरा आरोप है। यह इसलिए है कि उन्हीं लोगों के समर्थन पर आपकी सरकार चल रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है और मैं चाहता हूं कि मेरी इस मांग का समर्थन पूरा हाउस भी करेगा कि जितना भी धन इस देश से लूटकर बाहर भेजा गया है, पूरी ताकत लगाकर उस धन को बाहर से देश के अंदर वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल नाम जानने से कुछ नहीं होगा। यह ठीक है कि जो नाम सामने आएंगे उनके द्वारा इस देश का लूटा हुआ जो धन बाहर भेजा गया है वह भी वापस आना चाहिए। मैं यह मांग भी करना चाहता हूं कि जो इतालवी नागरिक हैं, जिसका इस केस के संबंध में बार-बार नाम लिया जाता है, उसका राज घराने से क्या रिश्ता है। यह बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहेगा और यह जानना बहुत जरूरी है। हम यह भी जानना चाहेंगे कि विन चड्ढा का नाम शुरू से उछल रहा था, वह इसी दिल्ली में था और सत्ता के गलियारों में दनदनाता फिर रहा था। वे कौन लोग हैं जिनके बल पर वह ऐसा कर रहा था और फिर किन लोगों के कारण उसके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। वह कैसे इस देश से बाहर चला गया। यह पूरी बात हम जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा कोई आला ईजाद हो जाए, जो दिल की बात बता दे, तो मैं चाहूंगा कि उससे इनके दिल की बात का पता लगाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इनका दिल भी गवाही देता है कि इस बोफोर्स प्रकरण में कुछ हेराफेरी की गई है। मैं चाहता हूं कि धर्म तेजा के घोटाले से लेकर और चीन के जंगलों में हमारे हथियारों की जो नाकामयाबी रही, हरिदास मूंदड़ा से लेकर अब तक के घोटालों द्वारा इस देश के धन को लूटकर बाहर ले जाने वाले तमाम चेहरों से नकाब उतरनी चाहिए। आज इस मुल्क की यह सबसे बड़ी जरूरत है। जिन लोगों ने इस मुल्क का माल चुराकर और लूटकर बाहर भेजा है, वह वापस मुल्क में लाना चाहिए और इसको एक मुद्दा बनाया जाना चाहिए। मैं उस दिन इस बात का स्वागत करूंगा जब आने वाले चुनावों में इस बात को चुनाव का मुद्दा बनाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद आजमी जी। इस समय ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एडमीशन के बारे में है।

श्री इलियास आजमी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी भी आपके दिए हुए समय से ज्यादा समय नहीं बोला। आज भी नहीं लेना चाहता हूं और आपके निर्देश के अनुसार बैठ रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस चर्चा का प्रयोजन जानता हूं। इसके अन्तर्गत एक विशेष प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार-विमर्श होना है। इसलिए चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है।

मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि सामान्यतः यह धारणा पैदा हो गई है कि यह सरकार राजनैतिक लाभ के कारण बोफोर्स के मामले में सच्चाई का पता लगाने में गम्भीर नहीं है। मेरे विचार से सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इस धारणा को समाप्त करे। यदि सरकार इस मामले में गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही करती है तो यह धारणा खत्म हो सकती है। प्रश्न यह है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए।

मैं श्री संतोष मोहन देव का वास्तव में आभारी हूं कि उन्होंने सच्चाई का पता लगाने हेतु इस प्रस्ताव का स्वागत किया। उन्होंने अथवा उनके दल के अन्य सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। श्री शंकरानंद की रिपोर्ट के बारे में उनका क्या विचार है ? मेरे विचार

[श्री चित्त बसु]

से उन्हें मजाक में **बोफोरानंद** कहा जाता था और हमें उस अध्याय को भी भूलना नहीं चाहिए।

इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस धारणा को समाप्त करने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयास करे कि वर्तमान सरकार राजनैतिक लाभ के लिए सच्चाई सामने नहीं लाना चाहती है।

महोदय, मैं दूसरा मुद्दा सरकार के कुछ स्पष्टीकरणों के संबंध में उठाना चाहता हूं। कुछ स्रोतों से यह कहा जा रहा है कि कुछ शर्तें लगाई गई हैं और सरकार ने ये शर्तें मान ली हैं तथा ये शर्तें ही बोफोर्स के कागजातों को सार्वजनिक करने में आड़े आ रही हैं।

यदि ऐसा है तो मैं समझता हूं कि यदि कोई शर्तें हैं तो इनका खुलासा किया जाए। क्योंकि ये देश की सार्वभौमिकता से जुड़ा है। सरकार यह निर्णय कैसे ले सकती है कि इन दस्तावेजों को जनता के समक्ष नहीं रखा जाएगा ? ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार या पूर्व की सरकार इन शर्तों से सहमत थी। इस पूरी समस्या में यह एक नया पहलू है। न तो इस सरकार और न ही पूर्व की सरकार को इन अस्वीकृत शर्तों को स्वीकार करने का अधिकार था—अभी तक भी इनको सदन में स्वीकार नहीं किया गया है। यह समस्या का एक नया पहलू है। अतः मंत्री महोदय को इसमें यदि कोई शर्तें हैं तो उनकी उचित व्याख्या करनी चाहिए।

इस मामले में मैं स्विस अधिकारियों के कथन की दो लाइनें कहना चाहूंगा। मैं स्विस न्याय मंत्रालय के अधिकारी श्री माइकल एन्ड्रे फैल्स के मत को व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने स्विस फैडरल पुलिस के लिए इस मामले को संभाला था। उन्होंने कहा था "कागजात का स्विस मूल्यांकन के अनुसार हमने इसे निपटाया, इसमें पर्याप्त सबूत हैं कि रिश्वत होवित्जर सौदे के अनुरूप दी गई थी।" भारत में रिश्वत एक अपराध है। अतः उन्होंने कहा कि इसमें अपराध हुआ है। यह एक अपराधिक मामला है और स्विस अधिकारी इससे सहमत हैं। इसीलिए उन्होंने यह दस्तावेज भारत सरकार को सौंपे। अब यह भारत सरकार का कर्तव्य है कि उन पर आपराधिक मामले के अन्तर्गत मुकदमा चलाए। मैं चाहता हूं कि मामले को पुनः न्यायपालिका को सौंपा जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस पर एक समिति गठित करने को कहा जाए। यह हंसी में टालने का मामला नहीं है। विवियन बोस आयोग ने चन्द्रा घोटाले की गहराई से जांच की और अनेक व्यक्ति इसमें फंसे। हम इस मामले में न्यायपालिका पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे ? मैं समझता हूं कि घोटालों के मामले में न्यायपालिका उस सीमा तक नहीं गया है कि संसद इसमें विश्वास न करे।

अन्त में जनरल सुन्दरजी ने बी० बी० सी० हिन्दी सेवा में कुछ टिप्पणी की थी। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा कि भारतीय सेना के पूर्व जनरल के कथन की उपेक्षा की जाए। स्विस समाचार पत्रों में भी किसी का नाम आया है। मैं समझता हूं कि हमें इस नाम की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ नाम आए हैं और इनके आधार पर सरकार को बोफोर्स दस्तावेजों का खुलासा करना चाहिए, ताकि वे लोगों की सम्पत्ति बन सके, वे उनको पढ़ सकें और दस्तावेजों के आधार पर अपना मत बना सकें। मैं चाहता हूं कि एक जांच आयोग, जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत गठित किया जाए।

श्री जय प्रकाश (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, श्री जसवंत सिंह जी का जो प्रस्ताव आया है, उसको मान लेना चाहिए क्योंकि बोफोर्स के मामले को लेकर 1989 में सरकार बदली थी। श्री संतोष मोहन देव जी ठीक बात कह रहे थे कि जो लोग सरकार से हटे, वे आज यह कहते हैं कि सच्चाई सामने आए। उस वक्त मैं भी उसी दल में था। हमें सरकार इसी वजह से मिली थी। हम लोग बोफोर्स के मुद्दे को लेकर चुनाव जीतकर आए थे। वे इस मामले को अभी जनता के सामने लाने में हिचकिचाहट क्यों महसूस करते हैं ? यदि सारे मामले न्यायपालिका के सुपुर्द कर दिए जाएंगे तो हम लोग यहां क्यों आये हैं ? सारा देश यह जानना चाहता है कि किसने रिश्वत दी, किसने रिश्वत ली, कौन लोग इसमें दलाली का काम करते थे। यदि इसी तरीके से दलालों को, रिश्वत लेने वालों को बचाया जाएगा और सारे मामले न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में दे दिए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र प्रणाली का स्वरूप अधूरा रह जाएगा। इस पर धारा 184 के अन्तर्गत बहस करनी चाहिए और बाकायदा इसमें वोटिंग होनी चाहिए। कौन लोग इसकी मदद में हैं, कौन लोग इसके खिलाफ हैं क्योंकि मुझे सरकार की नीयत पर शक है। सरकार जनता के सामने उन नामों को छुपाने की कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी है और कहीं यह सरकार न चली जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि धारा 184 के तहत इस पर बहस होनी चाहिए ताकि देश की जनता को पता लगे कि किसने दलाली खाई, कौन लोग इसका विरोध करते हैं कौन इसके पक्ष में हैं, किसने बोफोर्स के नाम से सरकार ली। यदि आज सरकार इस मामले को छुपाने की कोशिश करेगी तो सबसे ज्यादा दोषी नेशनल फ्रंट के लोग होंगे क्योंकि इन लोगों ने बहुत लम्बे अर्से तक संघर्ष करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम किया था। मैं चाहता हूं कि श्री जसवंत सिंह जी का प्रस्ताव एडमिट किया जाए और इस पर बहस करवानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है।

श्री पी० आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, आपने निर्णय लिया था। यह उचित नहीं है। आपने यह सुझाव दिया था।

श्री शरद पवार : आपने निर्णय लिया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि यह मेरा निर्णय था। मैं आपके सम्मुख किसी भी बहस के लिए तैयार हूं। मैं आपको बता दूं कि 1987 से 1992 तक हमने सदन में बोफोर्स मुद्दे पर बहस के लिए 48 घण्टे सात मिनट खर्च किए।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : आज तो मुश्किल से दो घण्टे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त संसदीय समिति ने इस मुद्दे पर बहस के लिए 140.25 घण्टे लिए। वह किसी मुद्दे पर बहस की एक सीमा होती है। यहां मात्र स्वीकार्यता पर चर्चा हो रही है। वाद-विवाद आरम्भ नहीं हुआ है।

श्री शरद पवार : यह आरम्भ हो गया है।

श्री पी० आर० दासमुंशी : वाद-विवाद वास्तव में आरम्भ हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस पर बहस कर सकते हैं।

श्री वी० वी० राघवन (त्रिचूर) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि श्री जसवंत सिंह ने नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया होता। मैं समझता हूं कि यह नियम 184 के अन्तर्गत बहस और निर्णय लेने का विषय नहीं है। वह हमारा मत है, और जहां तक मेरी पार्टी का संबंध है, हमारा मत यह है कि सरकार को सदन तथा लोगों के समक्ष सम्पूर्ण सच्चाई रखनी चाहिए।

मैं हमारी जांच एजेंसियों के सम्बन्ध में एक शब्द कहना चाहूंगा। 1993 के दौरान, हमारी जांच एजेंसी, सी० बी० आई० के पास बैंकों में खातों और उनका संचालन करने वालों के सम्बन्ध में पर्याप्त रिकार्ड थे। यह स्पष्ट है कि रिश्वत के रूप में 7.3 मिलियन अमरीकी डालर दिए गए थे। उस समय श्री क्वात्रोची, स्विस न्यायालय में नामों का खुलासा नहीं करने के लिए गए। वह देश छोड़ गए। ऐसे कैसे हुआ ?

यदि आप बोफोर्स मामले के इतिहास में जाएं तो मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सी० बी० आई०, जो कि बिना किसी नाम और पक्षपात तथा किसी से भी भयभीत हुए बिना कार्य करने को बाध्य है, ने देश जैसी आशा लगाए था वैसा काम नहीं किया। अब भी उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि घोटालों की जांच समुचित तरीके से हो सके तथा अपराधियों को दंडित किया जाए।

हमारे देश में हम अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में संकोच करते हैं। संसार की ओर देखिए। एक छोटा सा देश, कोरिया अपने प्रधानमंत्री को छोटे से भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेज देता है। कोरियन प्रधानमंत्री पर आरोप लगता है। इटली के प्रधानमंत्री को छोटे से भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया जाता है। भारत में हमारे अति विशिष्ट व्यक्ति को जब न्यायालय में खड़ा होने को कहा जाता है तो लगता है कि आकाश टूट पड़ेगा। जब तक हम उन अपराधियों को जो लोगों को लूटते हैं, राजकोष को लूटते हैं, सार्वजनिक धन को लूटते हैं पर मुकदमा नहीं चलाते, हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। अतः जांच एजेंसियों को, जैसा कि वे बाध्य हैं, बिना किसी भय अथवा पक्षपात के तथा किसी के प्रभाव में न आकर काम करना होगा।

श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) ; महोदय आज हम नियम 184 के अन्तर्गत बहस की अधिग्राह्यता के बारे में बहस कर रहे हैं। इस अवसर पर, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के मत से सहमत हूं। अब फैसला सरकार के हाथ में है। सरकार को दृढ़ वक्तव्य के साथ आना होगा। विदेश से दस्तावेजों की प्रथम खेप प्राप्त करने के पश्चात्, सरकार आगे क्या कार्रवाई करने जा रही है ? सरकार को इस बारे में सुनिश्चित वक्तव्य देना होगा। तब ही हम प्रभावी पहल कर सकते हैं। मामला गत एक दशक से लम्बित पड़ा है। सदन में भी इस मुद्दे पर अनेकों हंगामे हो चुके हैं। हमें याद है कि वामपंथी पार्टियों के अनेक सदस्यों ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था तथा उनमें से कुछ ने तो अपनी पैंशन तक खो दी। हमारे सामने अनेकों उदाहरण हैं। अतः यह एक अत्यन्त गम्भीर मुद्दा है।

लगभग सारा सदन इस पर एकमत है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। वास्तविक अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए। उस प्रयोजन से एक प्रभावी कदम उठाना चाहिए। यह मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय जन संचार माध्यमों में भी आया है। सारा विश्व हमारे देश की ओर देख रहा है कि दस्तावेजों के प्रथम सैट को प्राप्त करने के पश्चात् हमारी आगामी कार्रवाई क्या होगी। हम भी दस्तावेजों के द्वितीय सैट का इन्तजार कर रहे हैं। इस समय दस्तावेजों तथा सी० बी० आई० के प्रेस सम्मेलन से यह स्पष्ट है कि श्री ऑटिवो क्वात्रोची इस मामले के प्रमुख बिन्दु हैं। उनका नाम स्पष्ट रूप से लिया गया है। इस मामले में उनकी क्या भूमिका है ? जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है वे प्रकाश में कैसे आए ? मैं यह महसूस करता हूं कि यदि उनकी भूमिका स्पष्ट कर दी जाती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अतः एक स्पष्ट तस्वीर सामने रखने के लिए वास्तविक अपराधी को गिरफ्तार करना चाहिए और इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार के पास जो भी जानकारी है उसे सदन तथा लोगों के समक्ष रखा जाए।

जैसा कि अभी कहा गया है कि देश में अति विशिष्ट व्यक्ति घोटालों में फंसे हैं। इसमें निश्चितता होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोप पक्के होने चाहिए। अनेकों जांच एजेंसियों, संयुक्त संसदीय समिति तथा जांच आयोग स्थापित किए जा रहे हैं। इन जांचों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं और भ्रष्टाचार के सारे आरोप गिरते जा रहे हैं। मेरी जानकारी में, एक या दो आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया है। भ्रष्टाचार का प्रत्येक आरोप निश्चित होना चाहिए। इस निश्चितता के लिए, मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि कोई ठोस कार्रवाई करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री पी० आर० दासमुंशी : महोदय, बहस के लिए विषयवस्तु की अधिग्राह्यता के मुद्दे के अतिरिक्त हमने बहुत कुछ बातों पर बहस की है। किन्तु मैं इन सब बातों का उल्लेख नहीं करूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सारे उपहास, कटाक्ष, आरोप तथा 1989 से लगाए जा रहे सारे आरोपों को किसी कानूनी आधार तथा जांच एजेंसियों की जांच की प्रमाणिकता के बिना सहे हैं। फिर भी हमने इन सभी का सामना किया। जब हम संसद में आते हैं तो गम्भीरता से, किसी अन्य मुद्दे पर बात करते हैं। हम तकनीकी गुणों, संविधानिक गुणों तथा न्यायपरख गुणों के बारे में बात करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम इन जानकारियों का प्रयोग अपने लक्ष्य के लिए राजनीतिक सुविधानुसार करते हैं। जहां तक बोफोर्स मुद्दे का सम्बन्ध है, आरम्भ से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री, यहां बैठे दक्षिण और वामपंथी दलों के मुख्य निशाने रहे हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

हम ये सब चीजें किया करते थे और हमने यह सब करना तब बन्द कर दिया, जब हमने पाया कि हमारा नेता अब जिन्दा नहीं है और वह केवल जिन्दा ही नहीं रहे, अपितु उनका पार्थिव शरीर कई टुकड़ों में नष्ट हो गया। फिर भी, हम इस अपमान को सहते रहे क्योंकि हम देश के प्रति और संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। समझ के बारे में स्थिति क्या थी ? मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहता। इससे आज हमें कोई मदद नहीं मिलेगी।

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा इस प्रस्ताव का वस्तुगत विश्लेषण करने का आभारी हूं। मैं कई सदस्यों का भी आभारी हूं। लेकिन मैं दुख के साथ श्री जसवंत सिंह और श्री जार्ज फर्नान्डीज से कहना चाहता हूं कि जब वे संसद में बात करें, तो किसी को निशाना बनाना बंद करें। हम संघ

[श्री पी० आर० दासमुंशी]

माध्यमों की पूरी सराहना करते हैं। मैं जनसंचार माध्यमों द्वारा इस देश में कई घोटालों और कई दलों की काली करतूतों को उजागर करने की भूमिका के लिए सराहना करता हूं। मैं श्रीमती चित्रा सुब्रामनियन, जो यहां बैठी हुई हैं, की भूमिका सहित जनसंचार माध्यमों का आभारी हूं। यह जनसंचार माध्यमों पर आरोप लगाने का प्रश्न नहीं है। जनसंचार माध्यम आधुनिक लोकतंत्र का एक मुख्य घटक है जो न केवल संसद अपितु देश के भाग्य के मार्गदर्शन करने में हमारी सहायता करते हैं। हमें जनसंचार माध्यमों को विवाद में नहीं घसीटना चाहिए। वे अपना काम कर रहे हैं और हम उनके प्रति आभारी हैं।

श्री जसवंत सिंह ने यह कहना शुरू कर दिया है कि बोफोर्स की इस विशेष घटना ने भारत की विदेश में छवि को काफी खराब कर दिया है। यह सत्य है। जब भारत की छवि भ्रष्टाचार के कारनामे के कारण उजागर होती है, तो हम और दुखी होते हैं। लेकिन यह इतिहास तय करेगा कि क्या बोफोर्स सौदे ने भारत की छवि खराब की है या 6 दिसम्बर, 1992 की घटना ने भारत की छवि खराब की है या 1962 में भारत के साथ जो बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, जब भारत ने रक्षा करने का प्रयास किया था तथा जब कई लोग बोले और कई चुप बने रहे या उस समझौते से भारत की छवि खराब हुई जो 1977-78 में इस्राइल के रक्षा मंत्री, श्री मोशे दयान के साथ गुप्त रूप से हुआ था। कैम्प डेविड समझौते के समर्थन के बाद श्री मोशे दयान के दिल्ली के गुप्त दौरे से भारत की छवि खराब हुई। इतिहास इन सबका निर्णय करेगा। मैं इन घटनाओं पर टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं हूं। लेकिन हमें एक मुद्दे और एक बात के लिए किसी एक राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाना चाहिए।

महोदय, हमारी समझ बहुत स्पष्ट है और यह संबंधित मामला संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया था। मैं 3 अगस्त, 1987 को इस सभा में संयुक्त संसदीय समिति में हुई चर्चा की याद दिलाना चाहता हूं। श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया और श्री दिनेश गोस्वामी ने एक अलग प्रस्ताव पेश किया जिसमें उन्होंने एक अलग व्यक्ति की अध्यक्षता के बारे में कहा था, श्री सोमनाथ चटर्जी ने श्री दंडवते को अध्यक्ष के रूप में चाहा लेकिन दूसरे पक्ष ने किसी और को अध्यक्ष के रूप में चाहा। श्री दिनेश गोस्वामी सात सदस्य विपक्ष से और आठ सदस्य कांग्रेस से चाहते थे और कई अन्य प्रकार के गठन वहां प्रस्तुत किए गए। अन्त में, जब सभा का अन्तिम फैसला स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्होंने इसका बहिष्कार किया। दोषारोपण का कोई प्रश्न नहीं है। उदाहरण के लिए, आज यदि अयोध्या की घटना—बाबरी मस्जिद के गिराने के मुद्दे पर—संयुक्त संसदीय समिति की मांग की जाए और यदि यह मांग अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं कि उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य शामिल किए जाएं। क्या सरकार इस बात को मानेगी ? नहीं, इसके गुण के बारे में मालूम है। संसद उस तरह कार्य नहीं कर सकती है। जब सरकार सभा का नेतृत्व करती है और सभा का नेता सभा का नेतृत्व करता है, यह व्यवस्था नहीं है। इसलिए, मैं इस विवाद के बारे में कहना चाहता हूं कि जब उस संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार किया गया था और कोई दूसरी संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी, तो दूसरों की क्या भूमिका होगी इत्यादि।

महोदय, मैं तीन बातों पर संक्षेप में बोलूंगा। हमें देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। हमें सभा को गलत उद्धृत या अन्यथा उद्धृत करके गुमराह नहीं करना चाहिए। सरकार का क्या रूख था। 28 अप्रैल को श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह कहा था और यह आज भी वही है।

> "मुझे मालूम नहीं कि स्वीडन की सरकार इस जांच में किस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरेगी। यह कुछ ही दिनों का मामला है क्योंकि हमने उन्हें जांच के लिए कहा है। हमें उन्हें उत्तर देने और उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए एक अवसर देना चाहिए। मैंने सभा में कहा है कि जिस क्षण भी हमें कोई सूचना मिलेगी, हम कठोरतम सम्भव कार्यवाही करेंगे और आप उस कार्यवाही को देखेंगे। यह छुपी नहीं होगी, इसे छिपाया नहीं जाएगा। इसे आप लोगों और देश के द्वारा देखा जाएगा।"

वस्तुतः, आज हमारा देश देख रहा है, लेकिन वह नहीं देख सकते क्योंकि वह जिन्दा नहीं हैं। बाद में 8 अगस्त की उसी सभा में श्री के० सी० पंत ने निम्नलिखित उत्तर दिया था।

> "स्वीडन की लेखापरीक्षा ब्यूरो की रिपोर्ट की प्राप्ति पर तुरन्त इस पर विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने इस सभा के माननीय अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति से संयुक्त संसदीय समिति के गठन का अनुरोध किया था। 17 जून, 1987 को स्वीडन की सरकार को स्वीडन के दूतावास के जरिए कहा गया था। हमने राष्ट्रीय लेखापरीक्षा ब्यूरो रिपोर्ट की स्थिति के बारे में पुष्टि की है जिस पर पुनः चर्चा होगी।"

यह संयुक्त संसदीय समिति के विवाद के बारे में था। इसलिए उस दिन हम इस बात पर कायम थे और नरसिंह राव सरकार ने भी कोई तथ्य छिपाए या दबाए नहीं। इस बीच वी० पी० सिंह की सरकार सभा में आई। श्री वी० पी० सिंह के समय लोकसभा में लम्बा वाद-विवाद क्या था ? मैं आज उस अन्तिम भाग को उद्धृत करूंगा जो सरकार ध्यान में रखेगी। 29 दिसम्बर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी० पी० सिंह ने इलाहाबाद उपचुनाव में ऐतिहासिक वक्तव्य दिया था, मैंने उस बहुत रोचक नारे को सुना था।

युवा होने के नाते, मैं इस नारे से मोहित हुआ था।

[हिन्दी]

वी० सी० सिंह का एक सवाल—कमीशन खाया कौन दलाल ?

[अनुवाद]

और उस सवाल से युवा मतदाता उद्बोधित हुए। श्री वी० पी० सिंह को जनादेश मिला। वही नारा कि दलाल को चौदह दिन के अन्दर पकड़ा जाएगा, वे सत्ता में आए थे। श्री वी० पी० सिंह ने 29 दिसम्बर को प्रधानमंत्री की कुर्सी से जो कहा, मैं उसे उद्धृत करता हूं,

> "मैं इस सरकार के संकल्प को पुनः दोहराना चाहता हूं कि हम कानून को लागू करेंगे, धनराशि वसूल करेंगे और धनराशि प्राप्त करने वालों की पहचान करेंगे। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यदि इस तरह की संविदा-शर्त के चूक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती

है, तो भविष्य में ऐसी शर्तों का उल्लंघन करने के लिए पक्षकारों को भावी संविदाओं के लिए रोका नहीं जाएगा। हमने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे कानून के अनुसार जांच और जांच-पड़ताल करें। सरकार के स्तर पर, पूरे मामले की समीक्षा की जा रही है और शीघ्र ही राजनयिक चैनलों के माध्यम से मामला विदेशी सरकारों और स्विट्जरलैंड के अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा जो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच उस समय की स्विट्जरलैंड की सरकार और श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार होगा।"

समझौता ज्ञापन स्विस न्यायालय से दस्तावेजों को प्राप्त करने और जांच के लिए रखने हेतु मुख्य मूल बिन्दु होगा। अन्त में उन्होंने कहा :

"मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि इस मामले की तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाने तक जांच की जाएगी और इस बारे में हुई प्रगति के बारे में संसद और जनता को सूचित किया जाएगा।"

मेरे विचार से, समझौता ज्ञापन पर आधारित, विश्वनाथ प्रताप सिंह और स्विस सरकार के बीच प्रतिवद्धता में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या श्री चन्द्रशेखर या कोई अन्य पार्टी शामिल नहीं है, जहां तक समझौता ज्ञापन का सम्बन्ध है। यह पर्याप्त नहीं है। तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने देश और संसद के प्रति यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि समझौता ज्ञापन के आधार पर जो भी तर्कसंगत परिणाम निकलेगा, उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

अब, मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन बातों के बारे में वह शर्म न करे या गलत महसूस न करे। श्री एल० के० आडवाणी ने कांग्रेस पार्टी के बारे में बाहर जो उद्धृत किया, वह तरीका गलत है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार को मुद्दों पर आधारित समर्थन देने का निर्णय बोफोर्स मुद्दे पर सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं लिया। हम इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे। बोफोर्स मुद्दे का हमारा सरकार से सम्बन्धों का कोई सम्बन्ध नहीं है। धर्मनिरपेक्षता और कतिपय अन्य बाध्यताओं के कारण हमने उनके विरुद्ध आपको समर्थन दिया। यह प्रतिबद्धता जारी रहेगी। लेकिन इस मामले में सरकार को इसका तर्कसंगत परिणाम निकालना चाहिए। यदि आप महसूस करते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ऐसा कर सकता है तो उसे ही यह करने दीजिए। यदि आप इसे न्यायपालिका को सुपुर्द करना चाहते हैं तो ऐसा ही कीजिए। लेकिन जब तक यह कार्य नहीं किया जाता, तब तक किसी परिवार, व्यक्ति या पार्टी को बदनाम करने के लिए टुकड़ों में सूचना बाहर न निकलने दें। यह सहन नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीति न करें। इसे विश्वसनीय बनाएं।

यदि आप कोई दस्तावेज लोकसभा के समक्ष रखना चाहते हैं तो यह पूरी तरह से प्रमाणित होना चाहिए न कि उद्देश्य विशेष के लिए। आप अपनी जांच एजेंसी को परामर्श दें कि यदि वे चुन-चुन कर कुछ सूचनाएं लेंगे और उजागर करेंगे तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। यह शर्म की बात है कि राष्ट्र की सीमा की रक्षा करने वाला सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति सी० बी० आई० से पूछताछ करने से पहले बी० बी० सी० में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष कही गई अपनी बातों का खंडन करने के लिए जाता है। यदि उसका वक्तव्य इतना महत्वपूर्ण है तो सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस को समर्थन या समीकरण की बोफोर्स के मुद्दे पर न तोड़ें। हम सत्य को जानने को उत्सुक हैं। कांग्रेस अपने पथ पर आगे बढ रही है। कांग्रेस अपने घर को संभालना जानती है। आप हमें शिक्षा न दें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि कुछ है तो अपनी जांच एजेंसी के जरिए सच्चाई को सारे देश के सामने लाइए।

एक बात और, सच्चाई को उजागर होने में देरी नहीं करें। आपकी समितियों के चक्कर में साल दर साल बीतते रहे और खास लक्ष्य को इंगित करते हुए चुनिन्दा सूचना को उजागर करते रहे तथा छापे इत्यादि मारते रहे इसको बक्शा नहीं जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को तथ्यपरक दस्तावेज और स्थिति से अवगत कराना चाहिए। यदि सरकार महसूस करती है कि अभी कुछ और आना शेष है तो आप स्वयं या अपने अधिकारी को अन्य चीजों को लाने के लिए भेजें हमें इसका भय नहीं है। हम यहां किसी की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हम राष्ट्र हित में सत्य की रक्षा करना चाहते हैं और कुछ नहीं।

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी० खलप) : महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे इस प्रश्न को सुलझाने के लिए बुलाया गया है कि यह प्रस्ताव स्वीकार्य है या नहीं। मैं सभा से लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 184 का सन्दर्भ लेने का अनुरोध करूंगा।

मैं नियम 186 उपनियम (आठ) को उद्धृत करता हूं। यह कहता है और मैं उद्धृत करता हूं :

"कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् कि :

(आठ) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णय के अन्तर्गत हो;

महोदय, मेरी नजर में मुद्दा इस मामले के इन पहलुओं पर आधारित है। इस प्रयोजनार्थ, मैं यहां उल्लेख करता हूं कि एक नियमित केस संख्या आ०सी०/1(ए)/90 ए०सी०यू० 22 जनवरी 1990 को दर्ज किया गया जो कि धारा 120(ख) धारा 5(दो) के साथ पठित;

भ्रष्टाचार निरसन अधिनियम, 1947 की धारा 5(क) उपधारा (ख) और (ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420 तथा 417 के साथ पठित, के तहत था।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : मंत्री महोदय, कृपया आप एक मिनट के लिए रुकेंगे।

महोदय, न्यायनिर्णयाधीन के प्रश्न पर यह पूरी तरह से भ्रामक है कि मंत्री महोदय बल देकर कह रहे हैं कृपया माफ करें। यह आपराधिक मामलों के बारे में है। यह तब होता है जब सिविल मामलों में आरोप लगाए जाते हैं, यह तब भी होता है जब मुद्दे तय किए जाते हैं। बोफोर्स के मामले में, वे जो भी औचित्यपूर्ण मामले का उल्लेख करें कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं कोई मुद्दे तय नहीं किए गए हैं। अतः सरकार न्याय निर्णयाधीन के नाम पर अपने आपको बचा सकती है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, पहले इसे माननीय सदस्य को सुनना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री रमाकान्त डी० खलप : कृपया मेरी बात सुने।

यह मामला न्यायालय में लम्बित है। एक विशेष न्यायाधीश इस मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन यह मामला यहीं समाप्त नहीं होता है।

ये दस्तावेज हमारे द्वारा स्विस अधिकारियों को अनुरोध पत्र भेजने के प्रत्युत्तर में भेजे गए थे। जब यह अनुरोध पत्र भेजा गया था तो स्विस अधिकारियों को कुछ वचन दिए गए थे। इससे पूर्व दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दो राष्ट्रों के बीच।

श्री रमाकान्त डी० खलप : जब मैं राज्य कहता हूं तो इसका अर्थ है कि दो सार्वभौमिक राष्ट्रों के बीच। इन वचनों के बारे में सरकार ने प्रख्यात वकील श्री अरुण जेटली की सहायता की थी। जब स्विस अधिकारी अन्ततः कुछ दस्तावेज देने को तैयार हो गए तो ये दस्तावेज इस शर्त के साथ आए हैं कि इन दस्तावेजों को उजागर नहीं किया जाएगा और इन दस्तावेजों को न्यायालय में चल रहे मामले में जांच के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि अब हम कोई समिति गठित करने के बारे में सहमत होते हैं तो इस समिति की पहुंच उन दस्तावेजों तक होगी अथवा इनको सभा के पटल पर रखते हैं तो यथा परिणाम होंगे।

इसका पहला परिणाम यह हुआ कि दस्तावेज भारत के न्यायालय में आ गए हैं और न्यायालय ने इन दस्तावेजों को आगे की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। इसका अर्थ है कि हमें इसकी सूचना कोर्ट को देनी होगी। दूसरे, हमने स्विस अधिकारियों को वचन दिया है। इसका तीसरा पहलू है कि स्विस अधिकारियों द्वारा इस जांच के संबंध में हमें और दस्तावेज देने हैं। एक और पहलू है कि यह अकेला मामला नहीं जिसे हम देख रहे हैं। अनेक मामलों में जांच चल रही है और दोनों देश वचनबद्ध हैं। यदि आज हम स्विस अधिकारियों को दिए गए वचन को भंग करते हैं तो हम किस मुंह से उनसे और दस्तावेज मांगेंगे।

सभी जानते हैं कि इन दस्तावेजों को हासिल करने में सात साल का लम्बा समय लगा है। हमें और कितने वर्ष लगेंगे। प्रत्येक सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है कि इस मामले को लम्बा खींचा जा रहा है। नाम लिए जा रहे हैं। कुछेक सच्चे लोगों को कलंकित किया जा रहा है। यदि प्रत्येक सदस्य की यही चिन्ता है तो क्या सदस्य नहीं मानेंगे कि हमें वचन को निभाना चाहिए और इस मामले की जांच को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। दस्तावेजों को आरोप पत्रों के साथ-साथ कोर्ट में रखा जाएगा। तब वहां कोई भी आकर देख सकता है उनमें किसका नाम है और किसका नहीं।

हम किसी की छवि बिगाड़ना नहीं चाहते हैं और न ही हम कुछ छिपाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन दस्तावेजों का हरेक पहलू देश के सामने उजागर हो लेकिन ऐसा उचित समय पर होना चाहिए।

कृपया हमें जांच को पूरा करने दें। कृपया एक बाहरी देश के प्राधिकारी को दिए गए वचन का अनुपालन करने दें तब हम सभा के समक्ष आएंगे। अतः यह स्पष्ट है कि यदि हम मात्र कानूनी पहलू को देखें तो श्री जसवन्त सिंह द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव के नियमों के अनुसार स्वीकार्य किया जा सकता है। इसके अनुसार इन दस्तावेजों को उजागर भी नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आपके कक्ष या सभापति के कक्ष में एकत्र होने के लिए बुलाएंगे जहां शर्तों को स्पष्ट किया जाएगा न कि आपको दस्तावेज दिखाए जाएंगे। किसी ने नहीं कहा है कि दस्तावेजों को दिखाया जाएगा हम आपको इन दस्तावेजों को नहीं दिखा सकते हैं सरकार जिन सीमाओं के अन्दर कार्य कर रही है उनको आपको बताया जा सकता है ताकि आप हमारी परेशानियों को समझ सकें तदुपरान्त हम उचित निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं।

इस परिस्थितियों के अंतर्गत, मैं सरकार द्वारा इस अनुरोध से सहमत होने की विवशता को व्यक्त करता हूं और श्री जसवन्त सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : यदि शर्तों को ही व्यक्त किया जाना है तो उन्हें सभा में ही व्यक्त किया जा सकता है। उनमें क्या है ?

श्री ए० सी० जोस : विधि मंत्री ने अपनी स्थिति समाप्त कर दी है लेकिन मुद्दा यह है कि नाम समाचार पत्रों को लीक कर दिए जाते हैं। समाचार पत्रों में नाम प्रकाशित हो रहे हैं। समाचार पत्रों को नाम कैसे लीक हो जाते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस कृपया बैठ जाएं कृपया कोई तर्क न दें। काफी तर्क-वितर्क हो चुका हैं। अब इस मामले को अध्यक्ष पर छोड़ दें। आप बोलते मत रहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैंने यह विषय कल भी उठाया था। मैं कोई भाषण देने नहीं जा रहा हूं। मेरा मुद्दा यह है कि यदि नेताओं के समक्ष शर्तें बतायी जानी हैं तो इनके बारे में पूरी सभा को जानने दें। कोई गोपनीयता भंग नहीं होगी। किसी अन्य देश के साथ हुई सहमति का उल्लंघन भी नहीं होगा पूरी सभा को शर्तों के बारे में जानना चाहिए। हम इस प्रकार उनकी स्थिति की रक्षा करेंगे। सरकार से मेरा यही अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आपने श्री सोमनाथ चटर्जी ध्यान से सुना है अथवा नहीं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हां, मैंने सुना है लेकिन इसके बावजूद मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने कल की बैठक का भी उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं इसके बारे में ही कहने जा रहा था।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैंने उनको और मंत्री महोदय दोनों को सुना है। सरकार की स्थिति यह है कि मात्र शर्तों के बारे में ही बताया जाएगा। यदि ऐसा है तो समूची सभा इनको जान सकती है। हम कह सकते हैं कि इस कारण संसद ने निर्णय लिया कि हमें दस्तावेज नहीं चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं। मैं यह अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। मैं इसमें थोड़ा

सुधार करना चाहता हूं।

श्री शरद पवार : कृपया विधि मंत्री को जवाब देने दें।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : इस स्थिति में, केंद्रीय जांच ब्यूरो को नाम क्यों उजागर करने चाहिए ? क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो पर कोई रोक नहीं है ? इस विषय पर यहां चर्चा नहीं हो सकती है लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो नाम उजागर कर सकती है। क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो संसद से ऊपर है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नाम बता दिए हैं ? मैं यह आधिकारिक रूप से जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री ए० सी० जोस : हमें सदैव हार माननी पड़ती है *(व्यवधान)*

श्री रमाकान्त डी० खलप : काफी अनुमान लगाए जा रहे थे। समाचार पत्रों में अनेक बातें प्रकाशित हो रही थीं *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनें। मैंने सीधे-सीधे एक बात कही है और वे इसका पूरी जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं।

श्री रमाकान्त डी०० खलप : अतएव, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने देश को यह बताना उचित समझा कि उनको अब तक मिले नाम ये हैं।

श्री शरद पवार : वे कौन हैं ?

श्री रमाकान्त डी० खलप : वे सबके सामने हैं।

श्री शरद पवार : आप यहां उनकी पुष्टि क्यों नहीं करते हैं और शर्तों का खुलासा भी।

श्री रमाकान्त डी० खलप : माननीय सदस्य शर्तों को जानना चाहते हैं। मैं इसे पढ़ूंगा :

"दिए गए दस्तावेज और उनमें निहित जानकारी की जांच उद्देश्यों के लिए उपयोग हो सकता है अथवा एक साधारण आपराधिक कृत्य संबंधी अभियोजना के बचाव के मात्र साक्ष्य के रूप में। इस दस्तावेज और उसमें निहित जानकारी का कोई अन्य इस्तेमाल पुलिस मामलों के संघीय कार्यालय द्वारा स्पष्टतया अधिकृत करने पर होगा"

अतएव, यह अनुमान लगाते हुए कि ऐसा प्रश्न यहां उठाया जाएगा, हमने स्विस अधिकारियों से अनुरोध किया था कि क्या वे हमें इन दस्तावेजों को खुलासा करने की इजाजत देंगे। हमें पिछली रात उनका एक फैक्स सन्देश मिला है कि वे इन दस्तावेजों को सभा के पटल पर रखने के लिए सहमत नहीं हो सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या कहा जाए ?

श्री राजेश पायलट : इससे पारदर्शिता का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो गया है।

श्री शरद पवार : जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ये नाम प्रैस को बता दिए, तो सरकार सारे नामों के बारे में सभा को जानकारी क्यों नहीं देती है। हम सभी नाम जानना चाहते हैं।

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : इस वक्तव्य को सभापटल पर रख दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। कुछ देर पूर्व मैंने घोषणा की थी कि हमने 1987 से 1992 के दौरान इस सभा में इस मामले पर 48 घंटे चर्चा की थी लेकिन जांच करने पर पता चला कि 48 घंटे नहीं बल्कि 60 घंटे चर्चा हुई थी।

मैं इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं।

अपराह्न 3.21 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान सीमावर्ती जिलों—बाड़मेर और जैसलमेर में पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कर्नल सोनाराम चोधरी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ शरणार्थी बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती जिलों में आए थे।

अपराह्न 3.22 बजे

[श्री पी० एम० सईद *पीठासीन हुए]*

उनको शरणार्थी शिविरों में रखा गया था और राज्य सरकार द्वारा उन्हें पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता अनुदान और ऋण इत्यादि दिए गए थे।

उन्हें खेतीबाड़ी के लिए जमीन भी दी गई थी। तथापि, नागरिकता के अधिकार नहीं मिलने के कारण कुछ शरणार्थी को आंबटित पट्टे रद्द कर दिए गए थे।

1966 के दौरान, ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए थे। तथापि, बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी जिलों में भंयकर अकाल पड़ने के कारण इनमें से कुछ शरणार्थी रोजी रोटी की खोज में आसपास के जिलों में चले गए थे जिसके परिणास्वरूप इनको नागरिकता के अधिकार नहीं मिले। ये गरीब लोग नागरिकता संबंधी नियमों से अनभिज्ञ थे, अतएव वे नागरिकता प्राप्त भी कर सके।

ये लोग नागरिकता प्राप्त करने के लिए गत 16 वर्षों से दरादर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली है।

विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इनमें से कुछ शरणार्थियों को नागरिकता अधिनियम, 1956 के अनुसार अपने मामले को रखने का अवसर दिए बिना निकाला जा रहा है।

अतएव, मैं आपसे उस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं ताकि इन लोगों को नागरिकता अधिनियम 1956 के अनुसार अपने मामले को रखने का अवसर मिल सके।

(दो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को, विशेष रूप से गुजरात राज्य में, कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एन० जे० राठवा (छोटा उदयपुर) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा आदिवासी व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार न हो, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए "आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम" बनाया गया है, जो आदिवासी लोगों को ऊपर अत्याचार/अपराध करते हैं। किन्तु यह देखने में आया है कि प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों के द्वारा इस अधिनियम का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण यह अधिनियम मृतप्राय सा हो गया है।

गुजरात राज्य में "आदिवासी अत्याचार अधिनियम" का समुचित अनुपालन नहीं किया जाता है, जिस कारण राज्य में आदिवासी महिलाओं/व्यक्तियों के ऊपर निरन्तर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह राज्य सरकारों को विशेष रूप से गुजरात सरकार को निर्देश दे कि "आदिवासी अत्याचार अधिनियम" का कड़ाई से पालन किया जाए और जो भी व्यक्ति आदिवासी लोगों के ऊपर अत्याचार/अपराध किए जाने में प्रथम दृष्टव्य दोषी पाये जायें, उनके विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

मेरी यह भी मांग है कि जो भी प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने में शिथिलता बरतते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित/बर्खास्त किए जाने की व्यवस्था की जाए। सभी संबंधित अधिकारी "आदिवासी अत्याचार अधिनियम" का कड़ाई से पालने करने में सक्षम हो सकेंगे और केन्द्र सरकार के इस अधिनियम का पालन हो सकेगा।

(तीन) संयुक्त उद्यम सार्वजनिक उपक्रमों में भारतीय परामर्शदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : पता चला है कि संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष पदों के लिए भारतीयों को तलाशने के लिए भारत के विषय में कम अनुभव रखने वाले विदेशी परामर्शदाताओं को लगाया जा रहा है जबकि बेहतर अनुभव, साख और सुविधाओं वाले भारतीय परामर्शदाता उपलब्ध हैं। यह सब संयुक्त क्षेत्र के उन उद्यमों में भी हो रहा है जिनमें अधिक्य साम्य पूंजी सहभागिगता भारतीय कंपनियों की है।

हेक्साकम इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है जिसमें दो तिहाई साम्य पूंजी टी० सी० आई एल की, जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है और एक निजी क्षेत्र की कंपनी श्याम टेलीकाम लिमिटेड भी है और शेष एक तिहाई पूंजी कनाडा की टेलीकाम बहुराष्ट्रीय कंपनी की है। कंपनी को राजस्थान में मोबाइल सेल्यूलर सेवा के लिए लाइसेंस दिया गया है। उन्होंने पदास्थापन सेवा के लिए शीर्ष स्तर के भारतीय परामर्शदाताओं का कहा है लेकिन समझा जाता है कि वे शीर्ष स्तर के लोग तलाशने के काम की भारतीय कंपनी द्वारा दी गई दरों से प्रति पर स्थापन आठ-दस गुना अधिक शुल्क पर किसी विदेशी कंपनी को देने जा रहे हैं। उनका तर्क है कि संयुक्त क्षेत्र के विदेशी भागीदार लोग तलाशने की विदेशी कंपनी के साथ लम्बे समय तक काम करते रहे हैं। यह मामला लोग तलाशने वाली विदेशी कंपनी को भारतीय कंपनी के ऊपर वारीयता देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे परियोजना की लागत में भी बढ़ोतरी होगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुग्रह करता हूं कि उसे संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों और संयुक्त क्षेत्र की कंपनी में भारतीय परामर्शदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।

(चार) आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लम्बे तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री के० परसुरामन (चेंगलपट्टू) : कलकत्ता से मद्रास (चेन्नाई) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्पादित वस्तुओं, खाद्यान्नों और कच्चे माल के परिवहन के कारण भारी यातायात है। चक्रवात और भारी वर्षा के कारण इस राजमार्ग की स्थिति और बिगड़ जाती है। इससे राजमार्ग पर वस्तुओं की ढुलाई में कठिनाई आती है। अतः इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद तथा अन्य प्रमुख शहरों यथा कुरनूल, कुड्डापाह, तिरुपति, आराक्कोनन कांचीपुरम, वेंडावासी डिंडीवनम और विल्लुपुरम को जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। यह मार्ग कलकत्ता तथा महाराष्ट्र सहित निकटवर्ती राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए एक दूसरा सम्पर्क मार्ग हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग आन्ध्रप्रदेश और तमिलनाडु के लम्बे तटवर्ती क्षेत्रों में है, अतः लगभग प्रतिवर्ष भारी वर्षा और चक्रवात तटीय क्षेत्र में आते रहते हैं जिससे न केवल सड़के और राजमार्ग ही नष्ट होते हैं अपितु राजमार्गों की अनेक क्रासिंग पर छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है जिससे कई सप्ताह तक यातायात अवरुद्ध हो जाता है।

महोदय, हैदराबाद तक दूसरी सड़क के निर्माण संबंधी उपरोक्त सुझाव से निश्चित रूप से सड़क द्वारा वस्तुओं की ढुलाई में गति आएगी तथा वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात की कमी आएगी। दूसरे मार्ग की आवश्यकता लगभग दो दशकों से चली आ रही है।

अतः मेरा, माननीय जल भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध है कि वह हैदराबाद और कुरनूल, कुड्डापाह, तिरुपति, आराक्कोनम, कांचीपुरम, वेंडावासी, डिंडीवनम और विल्लुपुरम को जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करे।

(पांच) राजामुंदरी, आन्ध्र प्रदेश में ओ० एन० जी० सी० के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की मांग के संबंध में हड़ताल को समाप्त कराए जाने की आवश्यकता

श्री टी० गोपाल कृष्ण (काकीनाड़ा) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल और गैस की खोज हो रही है। परन्तु उस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उद्योगों को गैस की आपूर्ती पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कर्मचारियों की मांगों में राजमुद्री में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना तथा कार्यालय की इमारत और स्टाफ क्वाटरों के निर्माण की मांग शामिल है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहले ही पांच एकड़ जमीन राजमुद्री में क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण हेतु आबंटित कर दी है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम को स्टाफ क्वाटरों के निर्माण के लिए नरसापुर में जमीन दे दी गई है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। उपर्युक्त दो मांगों को स्वीकार करने में हुए विलम्ब के कारण वहां कार्यरत कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अतः मेरा तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध है कि वह आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कर्मचारियों के साथ तत्काल बातचीत करके उनकी मांगों को स्वीकार करें।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेंगे। इसके लिए निर्धारित समय नौ घंटे हैं। हमारे पास 5 घंटे 29 मिनट शेष समय है। श्रीमती गीता मुखर्जी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने का धन्यवाद। मैं राष्ट्रपति अभिभषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई है। अभिभाषण में संयुक्त मोर्चा सरकार के सात माह के दौरान थी के लिए खड़ी हुई है। अभिभाषण में कुछ आन्तरिक व बाह्य उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

उदाहरण के लिए, आन्तरिक उपलब्धियों में से कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, काश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव, अन्तर राज्य परिषद को गतिशील बनाने के लिए उपाय करना तथा राज्यों को और अधिक शक्तियां तथा संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास करना। दोनों मांगे काफी लम्बे समय से की जा रहीं थी।

विदेश स्तर पर गंगा जल के बंटवारे के संबंध में बंग्लादेश से संधि चीन गणराज्य सहित पड़ौसी देशों से संबंधों में सुधार कुछ सकारात्मक उदाहरण हैं।

हम जानते हैं कि कुछ ऐसे लम्बित पड़े आन्तरिक मामले हैं जिन पर अविलम्ब ध्यान देना अनिवार्य है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि जैसे अति महत्वपूर्ण मामलों की ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार कुछ अन्य मामले जैसे विभिन्न बन्द उद्योगों को पुनः चालू करना, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाईयों का पुर्नवास आदि की ओर तुरन्त ध्यान देना होगा। यह सभी लोगों पर प्रभाव डालते हैं।

बेशक हम वामपंथी पार्टियां यह महसूस करतीं हैं कि कुछ गम्भीर समस्याएं और कुछ आर्थिक विवशताएं हैं जो पूर्व शासन काल से चली आ रही हैं। हम यह भी समझते हैं कि न्यूनतम सांझा कार्यक्रम कुछ महीनों में लागू नहीं किया जा सकता।

किन्तु हम यह महसूस करते हैं कि जिस मतदाता ने गत आम चुनाव में हमारे देश में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है, जिससे संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन हुआ है, उसे निश्चित रूप में इससे कुछ आशाएं हैं तथा वे संयुक्त मोर्चा सरकार की दिशा को सावधानी से देख रहे हैं। जब वामपंथी दल कुछ उपायों अथवा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं तो संयुक्त मोर्चे में हमारे गैर वामपंथी मित्र भी यह समझेंगे कि यह हम आम लोगों के हितों को सामने रख कर करते हैं न कि अपने हितों की अभिव्यक्ति के लिए। महामहिम, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अनेक महत्वपूर्ण विषय थे। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के वक्ता उन विषयों पर विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के दूसरे वक्ता उनमें से कुछ विषयों पर बोलेंगे किन्तु आज मेरे भाषण में, मैं केवल एक मुद्दे तक सीमित रहूंगी और वह है–इक्यासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक, 1996 जिसमें लोकसभा व राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को एक तिहाई सीटों पर आरक्षण देने का प्रावधान है। मैं आशा करती हूं कि मेरे साथी इसको बुरा नहीं मानेंगे।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के भाग दो स्थानों पर इन विधेयक का उल्लेख किया गया है। पहले तो लम्बित पड़े विधेयकों की सूची में और दूसरा सन्दर्भ पैराग्राफ 29 में मिलता है। यहां, मैं उस पैराग्राफ को उद्धृत करना चाहूंगी :

> "हम महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी उत्सुक हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार ने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विषय में एक विधेयक पेश किया है, जिससे नीति बनाने में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।"

किन्तु क्या इस सत्र में ही इन विधेयक को पारित करने का कोई वादा है। इस प्रकार का कोई वादा नहीं है।

परन्तु इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करने के संबंध में कोई वचनबद्धता है ? ऐसी कोई वचन बद्धता नहीं है।

जहां तक विधेयक के विवरण/व्याख्या का प्रश्न है, वहां 'आरक्षण' शब्द से पूर्व 'एक तिहाई' शब्द विलुप्त है। इस कारण, केवल मैं ही नहीं अपितु वे सभी पुरुष और महिला सांसद विधेयक को पारित करवाना चाहते हैं, अपने आपको हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश की महिलाएं जो कि इस ऐतिहासिक विधेयक के पारित होने की प्रतीक्षा कर रही है उन्हें केवल निराशा ही नहीं होगी अपितु वाक्य में व्यक्त पवित्र इच्छा पर संदेह करेगी जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "हम भी स्त्री-पुरुष में समानता लाने और महिलाओं के प्रति भेदभाव को दूर करना चाहते हैं।
>
> मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह इस पर ध्यान दें और उस प्रश्न का उत्तर दें जो अब मैं पूछने जा रही हूं। क्या सरकार अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में लिए गए वायदे से पीछे हट रही हैं ? मैं सरकार को स्मरण कराते हुए एक बार पुनः साझा न्यूनतम कार्यक्रम से यह उद्धृत करती हूं।
>
> "कि संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।"

क्या आप सभी प्रमुख राजनैतिक दलों द्वारा लिए गए वायदे को भूल गए हैं ? मेरे पास सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र मौजूद

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

हैं जिसमें उन्होंने यही वायदा किया है।

मैं उन वायदों को पढ़कर समय व्यर्थ नहीं करना चाहती लेकिन मैं आपका ध्यान इन तथ्य की ओर दिलाना चाहती हूं कि मैंने सभी चुनाव घोषणा पत्रों को पढ़ा है और यह पाया कि उनमें कुछ इसी प्रकार के वायदे किए गए हैं।

अतः, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या वे अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम से पीछे हट रहे हैं ? अभी, सरकार उस साझा न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति वचनबद्धता है। मुझे विश्वास है कि सरकार उन वायदों को नहीं भूलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि उसे क्रियान्वित करने में सरकार क्यों हिचक रही है। इसमें डर की क्या बात है।

कुछ सदस्यों का कहना है कि जब तक महिलाओं हेतु आरक्षण कोटा में अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी नहीं शामिल किया जाता तब तक वे इस विधेयक को पारित नहीं होने देंगे।

महोदय, मुझे आश्चर्य है। अन्य पिछड़े वर्गों की बहनों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है लेकिन क्या मैं उन भद्र सदस्यों से, जो ऐसा कह रहे हैं, यह जान सकती हूं कि, यदि वे इतना ज्यादा चिंतित थे तो वे अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिलाने हेतु एक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक या संकल्प पहले क्यों नहीं लाए ? इसके अतिरिक्त, क्या यह सच नहीं है कि महिलाओं के लिए आरक्षित उन एक तिहाई आरक्षित स्थानों में से कई स्थानों पर अन्य पिछड़े वर्गों की बहुलता होगी। यदि हां, तो उन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों की कुछ महिला प्रत्याशियों को क्यों नहीं खड़ा किया जिससे कि उस अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को लाभ मिल सके ? इसके अतिरिक्त, संयुक्त समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है कि वह जब भी उचित समझे अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के प्रश्न पर विचार कर सकती है। यदि एक ऐसा संविधान संशोधन लाया जाता है और संसद इसे पारित करती है तो अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाएं स्वतः एक तिहाई आरक्षण के दायरे में आ जाएंगी जैसा कि आज अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के साथ है। यदि ऐसा है तो आप लोगों ने इस बहाने से इस विधेयक को क्यों रोक रखा है ?

कुछ संसद सदस्यों का कहना है कि इतनी ज्यादा काबिल महिलाएं कहां से आएंगी जो विधान सभाओं और लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकें ? इस संसद में बड़े विनम्र भाव से मेरा यही कहना है कि महिलाओं का ऐसा मूल्यांकन पितृप्रधान समाज की सोच है या कुछ बड़े लोगों के व्यक्तिगत विचार हैं। मुझे क्षमा करें।

वर्ष 1952 का स्मरण करें—जब पहला आम चुनाव हुआ था। पहली लोकसभा में निर्वाचित होने वाली महिला सदस्यों की प्रतिशतता मात्र 4.4 थी। क्या हम इस बात को मान लें कि हमारे देश के बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के बीच सक्षम महिलाओं की ऐसी कमी थी जिससे कि उन्हें महिलाएं नहीं मिलीं जिन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता और उन्हें संसद में लाया जाता। क्या तब से स्थिति काफी बदल गई है ? तब 1996 में यह 7.2 प्रतिशत था। लोकसभा में इनकी प्रतिशतता सबसे अधिक 1985 में थी जब उनकी संख्या 8.1 प्रतिशत थी। इस बात से कौन इंकार कर सकता है कि स्वतंत्रता के पच्चास वर्ष बाद, विभिन्न कठिनाईयों और समान अवसर न मिलने के बावजूद भी, हमारी महिलाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनायी है ? उनमें से अनेक ने शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारी के रूप में और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनायी हैं। अपने क्षेत्र की मांगों को मनवाने और अपने परिवार, समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने, राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने तथा लोकतंत्र के प्रसार में समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलकर लाखों महिलाओं ने हमारे लोगों के सभी वर्गों के संघर्ष में भाग लिया। सभी स्तरों के निर्णय लेने वाले निकायों के संभावित प्रत्याशियों के लिए इससे बेहतर क्या शिक्षा हो सकती है ?

एक अन्य प्रश्न जो उठाया गया है वह यह है कि यदि महिलाओं को एक-तिहाई स्थान दिया जाता है तो योग्य सांसदों और विधायकों की कमी हो जाएगी और विधायी निकायों के कार्य निष्पादन के स्तर में गिरावट आएगी। मैं आदरपूर्वक यह सुझाव देना चाहती हूं कि माननीय अध्यक्ष उन सभी लोगों से, जो संसद के सत्र का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा देख रहे हैं, एक चुनाव सर्वेक्षण करायें और यह पता करें कि वर्तमान सदन में, जहां पुरुषों और स्त्रियों की प्रतिशतता क्रमशः 92.8 और 7.2 है, उनके कार्यनिष्पादन के स्तर के बारे में मतदाताओं की क्या राय है।

मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए, नई दिल्ली में इसी महीने हुई अंतर-संसदीय विशेषीकृत सम्मेलन में शामिल होने वाले सदस्यों को प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज का प्रारंभिक पैराग्राफ यहां उधृत करती हूं। वास्तव में यह वक्तव्य किसी और का नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। वे लिखते हैं कि :

"समान मानसिक सक्षमताओं से युक्त महिला पुरुष की साथी है। उसे पुरुष की सभी गतिविधियों में भागीदारी का अधिकार है और स्वतंत्रता के वही अधिकार प्राप्त हैं जो पुरुषों को प्राप्त है। कुप्रथा के परिणामस्वरूप जाहिल और बेकार लोग भी महिलाओं के ऊपर अपना वर्चस्व रखते आ रहे हैं जिसके वे योग्य नहीं हैं और वर्चस्व होना भी नहीं चाहिए।"

यदि मैं यहां गांधी जी के शब्दों को उद्धृत करती हूं तो मेरा आशय यहां बैठे किसी पुरुष सदस्य का अपमान करना नहीं अपितु "कुप्रथा" अर्थात उस पितृ प्रधान समाज की मानसिक प्रवृति की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिससे उपर्युक्त उल्लिखित प्रश्न उठते हैं। क्या हम सभी स्त्री और पुरुषों को एक साथ मिलकर इस कुप्रथा को दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ?

मेरे विचार से इस विधेयक के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कुछ सदस्यों के मन में डर की वह भावना है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपना स्थान और अपने नेतृत्व के जाने का खतरा है। यह सच है कि कुछ सदस्यों को कुछ समय के लिए अपना स्थान खोना पड़ेगा क्योंकि महिलाओं की प्रतिशतता 7.2 से बढ़कर 33 प्रतिशत हो जाएगी। लेकिन किसी भी स्थिति में महिलाओं हेतु आरक्षित स्थान बदलता रहेगा और इसके अतिरिक्त संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार इस आरक्षण की 15 वर्ष के बाद समीक्षा भी की जानी है। सक्षम राजनीतिक नेताओं को चुनाव लड़ने और किसी नजदीक के अन्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में हममें से कोई भी इस विचार से राजनीति में नहीं आए हैं कि संसद सदस्य और विधेयक का स्थान उनके लिए जीवन पर्यंत है।

आरक्षण की आवश्यकता इस बात से उत्पन्न हुई कि 50 प्रतिशत भाग महिला मतदाता होने के बावजूद भी निर्णय लेने संबंधी निकायों में

महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य है। क्या उच्च स्तरीय निर्णय लेने में महिलाओं की प्रतिभा का उपभोग न कर पाने से पूरा समाज उससे वंचित नहीं रह गया है ? क्या इससे हमारा लोकतंत्र काफी हद तक प्रभावी नहीं होता ?

मैं एक बार पुनः अपने पुरुष साथी सदस्यों से यह अनुरोध करती हूं कि वे निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्थाओं में पुरुष और महिला के बीच वास्तविक सहभागिता स्थापित कर महिलाओं और पुरुषों के वर्षों पुराने भेदभाव को एकजुट होकर दूर करें और पुरुष और महिलाओं का एक संयुक्त नेतृत्व स्थापित करें जिससे कि हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ हो सके और समाज उन्नति कर सके।

हम, भारत की महिलाओं को उन पुरुष समाज सुधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार और उपहास का केन्द्र बनते हुए भी महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु जोरदार संघर्ष किया। राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वर चन्द्र विद्या सागर, रविन्द्र नाथ टैगोर, सुब्रामण्य भारती, ज्योतिवा फूले और अन्य यशस्वी लोगों को हमारे समाज के महान उपकारी के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा ?

इस सभा के सभी पुरुष सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इसके प्रभाव को समझें।

श्री शरद पवार (बारामती) : आप पूरी सभा को क्यों नहीं सम्बोधित करतीं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है, संपूर्ण सभा के पुरुष और महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि वे इसके प्रभाव पर विचार करें। मैं जानती हूं कि महिलाओं का समर्थन इसे प्राप्त है। यही कारण है कि मैंने उस रूप में सम्बोधित किया।

यदि हम इस विधेयक से पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हैं तो हम इसी सत्र में इस विधेयक को पारित कर सकते हैं । यदि हम ऐसा करते हैं तो भारतीय संसद के इतिहास में यह सबसे अनूठा सत्र होगा और एक पूर्ण और अधिक उन्मुक्त लोकमंत्र और एक उन्नत समाज की ओर देश की प्रगति का यह एक स्मरणीय योगदान होगा।

अतः, मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक का समर्थन करें और उसे एकजुट होकर पारित कर एक कीर्ति बनायें। कृपया याद रखें कि मतदाताओं में जिसमें पचास प्रतिशत महिलाएं हैं, इसका बेसब्री और इस उत्सुकता से इंतजार कर रही हैं कि हम सब इस सत्र में इस विधेयक के बारे में क्या करते हैं और यदि इसे इसी सत्र में पारित किया जाता है तो आप लोगों को हमेशा याद रखेंगी तथा आपकी आभारी रहेंगी।

अतः, हम सभी को एक पूर्ण लोकतंत्र की ओर अग्रसर होना चाहिए जहां पुरुष और महिला एक साथ राष्ट्र का निर्माण कर सकें। अतः, इस विधेयक को इसी सत्र में पारित किया जाए।

अपराह्न 3.51 बजे

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

बारीपाड़ा उड़ीसा में हुआ अग्निकांड

प्रधानमंत्री (श्री एच० डी० देवेगौड़ा) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से उड़ीसा राज्य की अपनी कल की यात्रा के संबंध में निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं।

मैं कांग्रेस (आई) के नेता भी श्री शरद पवार, भा० ज० पा० के श्री कड़िया मुंडा तथा विभिन्न दलों के संसद सदस्यों श्री बीजू पटनायक, श्री अंचल दास, श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, श्री श्रीकान्त जेना, कुमारी मुशीला तिरिया के साथ की गई अपनी यात्रा के संबंध में माननीय सदस्यों को कुछ सूचना देना चाहता हूं। हम बारीपाड़ा में 23 फरवरी 1997 को आग से हुई भीषण दुर्घटना वाली जगह का मुआयना करने के लिए कल दिनांक 24 फरवरी, 1997 को बारीपाड़ा गए थे।

इस घटना के बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं :

मयूरभंज जिले की बारीपाड़ा नगर पालिका के तहत मधुबन क्षेत्र में एक धार्मिक समारोह जो 21 फरवरी, 1997 को आरम्भ हुआ था और 23 फरवरी, 1997 को समाप्त होना था, के दौरान लगभग 10 हजार श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। 23 फरवरी को दोपहर बाद 3.15 बजे अचानक उस स्थान पर भीषण आग भड़क उठी। राज्य सरकार द्वारा बताया गया है कि दमकल तुरन्त बचाव कार्य में जुट गये। महिलाओं के शिविर को तो बचा लिया गया लेकिन पुरुषों के शिविर में आग फैल गई और 149 लोग मौके पर ही मर गए। अन्य 175 लोग जख्मी हो गए। और उन्हें स्थानीय अस्पतालों तथा नर्सिंग गृहों में भर्ती करा दिया गया था। जख्मी लोगों में से भी 28 व्यक्ति मर गए।

इस घटना के तुरन्त बाद स्थानीय प्रशासन ने घायलों की देखभाल के लिए 43 डॉक्टर तैनात कर दिए। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन, व्यापारी वर्ग और राजनैतिक कार्यकर्ता भी बचाव कार्य में जुट गये। कटक के मेडीकल कालेज से चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल तथा पैरा-मेडीकल स्टाफ भी बारीपाड़ा पहुंच गया है

मृतकों की पहचान की जा रही है और उनकी पहचान करने के लिए उनके सगे-संबंधी एवं परिचित लोग वहां आ रहे हैं।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार मृतकों के परिवारों को तथा स्थाई रूप से विकलांग हो गए लोगों को 50 हजार रुपये रिलीज कर रही है। घायल हुए अन्य लोगों को भी केन्द्र सरकार 25 हजार रुपये मुहैया कराएगी।

राज्य सरकार ने भी मृतकों के निकटम रिश्तेदारों को 25 हजार रुपये तथा घायल हुए लोगों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है।

मैंने मुख्यमंत्री जी से भी यह अनुरोध किया है कि मृतकों की ठीक-ठीक पहचान करने का प्रयास कराएं ताकि दी जाने वाली सहायता सही लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसी विकट परिस्थिति से निपटने के लिए स्थानीय अधिकारी तथा राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस अग्निकांड की जांच केंद्रीय राजस्व प्रभाग, कटक के डिवीजनल आयुक्त से कराने के आदेश दिए हैं जो इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाएंगे और यह मालूम करेंगे कि आग पर काबू पाने और घायलों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त कदम उठाए गए या नहीं।

मुझे विश्वास है कि इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करने तथा इसे हादसे में मारे गये लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने में माननीय सदस्य मेरे साथ हैं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी यात्रा से निश्चय ही स्थानीय लोगों के मन में एक प्रकार का विश्वास उत्पन्न हुआ है। उनको काफी राहत मिली। मेरा अनुरोध केवल यही है कि जो कुछ भी वित्तीय सहायता भारत सरकार उन्हें देना चाहती है, वह सहायता शीघ्र अति शीघ्र जारी की जाए।

उस राज्य में सूखे के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले दौरे के दौरान 50 करोड़े रुपये की सहायता देने की घोषणा की गई थी। लेकिन संबंधित मंत्रालय ने उस राज्य को वह राशि जारी नहीं की। इसलिए, इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री एच० डी० देवेगौड़ा : धनराशि एक विशेष सहायता के रूप में जारी नहीं की गई है। जैसा कि मैंने वचन दिया था, 50 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। लेकिन में विशेष सहायता चाहते हैं। *(व्यवधान)*

उन्होंने कितनी धनराशि जारी की है मैं इस बारे में कल जवाब दूंगा। यह धनराशि हमने आज ही जारी कर दी है और मैंने उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव को धनराशि प्रदान करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। *(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, भारत सरकार द्वारा केवल 13 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही जैसा कि आप जानते हैं, वक्तव्य देने के बाद किसी तरह का स्पष्टीकरण देने की परिपाटी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : हमारा, राज्य निर्धन है और उससे भी अधिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारा काफी नुकसान हुआ है। इसलिए, हम माननीय प्रधानमंत्री के आशय पर शंका नहीं करते लेकिन इस कठिन स्थिति में भी वे उनके आश्वासनों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : अब, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने 50 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। वक्तव्य देने के बाद, सभा की परिपाटी है कि कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाता है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री शरत् पटनायक (बोलंगीर) : माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेषकर पेय जल प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक धनराशि देनी चाहिए। मार्च महीने के बाद बोलंगीर, कालाहाडी, कोरापुर, मयूरभंज और राज्य के अन्य भागों में एक बूंद पानी की भी आपूर्ति नहीं होगी। अतः प्रधानमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन यह है कि जहां तक पेय जल की समस्या का संबंध है उन्हें उसके लिए अधिक से अधिक धन प्रदान करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य इस सदन में दिया है तो कम-से-कम उस वक्तव्य की प्रतिलिपि सबको मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय : वक्तव्य की कापी तो सर्कुलेट हुई हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : कब सर्कुलेट हुई है। अभी तक नहीं हुई है। मुझे पता नहीं, कब हुई है।

सभापति महोदय : मेरा ख्याल है कि सर्कुलेट हुई है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यदि सदन में कोई वक्तव्य होता है, उसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए।

सभापति महोदय : वक्तव्य की प्रतिलिपि आपको पहुंचा दी जाएगी लेकिन आप कोई क्लीरिफिकेशन नहीं ले सकते।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : हमारा पहला निवेदन यह है कि मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाए क्योंकि यह बहुत कम है।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : जब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो सभी बातें विस्तार से रखेंगे।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : दूसरे, हम जानना चाहेंगे कि क्राइसेज मैनेजमेंट के बारे में क्या लैप्सेज हुए हैं, उनका कोई वर्णन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवेगौड़ा : मैं पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

[अनुवाद]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री शरद यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : कृपया उस विधेयक को मत भूलिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे पहले कि मैं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखूं, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि मैं कॉमरेड गीता मुखर्जी के प्रस्ताव का दृढ़ता से समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा करने तथा उसे पारित करने के लिए कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। मैंने सुझाव दिया था कि हम इसे बिना चर्चा के पारित कर दें और मैं उस बात पर अभी भी कायम हूं। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र यदि महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है और यदि मैं फिर भी तो मैं सिल्चर से लड़ लूंगा।

अपराह्न 3.59 बजे

[श्री पी० सी० चाक्को *पीठासीन हुए*]

महोदय, पिछले वर्ष का राष्ट्रपति कर अभिभाषण संवैधानिक विसंगति, राजनीतिक तथा नैतिक अधिकारों की कमी का परिणाम था। हम खुश है कि इस वर्ष माननीय राष्ट्रपति जी एक वैध सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ सके हैं। इसलिए, इस अभिभाषण में देश के लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं प्रतिबिम्बित देश तथा देश के लोगों की मूल समस्याओं का उल्लेख किया गया है।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय, संयुक्त मोर्चा राजनीतिक वांछनीयता से उत्पन्न राजनीतिक देलों का सम्मिश्रण ही नहीं है वल्कि इस देश के लोगों के स्पष्ट जनादेश का परिणाम है जिन्होंने निश्चित ढंग से साम्प्रदायिकता तथा दलबंदी के विरुद्ध अपना जनादेश दिया है। मैं मानता हूं कि देश के लोगों ने किसी एक दल को वोट नहीं दिए हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पसन्द को बिना किसी गलती के स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और उन्होंने इस देश के लिए एक धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक प्रशासन का चयन किया और वे ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें पारदर्शकता, ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना हो।

महोदय, इस देश में शासन करने के लिए मिली जुली सरकार आयी है। मेरा मानना है कि इस देश के लोग जान गए है कि देश की समस्याओं को हल करने में एक पार्टी का शासन समर्थ नहीं है जबकि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के 50 वर्षों में अधिक रूप से हमारे यहां एक पार्टी का ही शासन रहा है। परन्तु महोदय, हमनें यह पाया है और अत्यधिक महत्वपूर्ण वात यह है कि 75 प्रतिशत मतदाताओं ने अर्थात देश के चार में से तीन मतदाताओं ने राजनीति के सांप्रदायीकरण के विरोध में अपना मत दिया है। महोदय, उनके द्वारा दिया गया जनादेश स्पष्ट और साफ है। जनता द्वारा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और उदार प्रशासन के चयन को सम्मान दिया जाना चाहिए और इसी कारण इस जनादेश का पालन करने के लिए 13 या 14 राजनीतिक दल एकजुट हुए हैं। यह उपहास का विषय नहीं है। हमें केन्द्र में सरकार बनानी थी। हमें एक ऐसा प्रशासन प्रदान करना है जो जनता की समस्याओं को समझें और उनको हल करने का प्रयास करें। इसलिए, यह संयुक्त मोर्चा, जिसका उदय जनता के चयन और जनादेश से हुआ है, को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है।

सभापति महोदय इस देश का प्रमुख विपक्षी दल हमें यह कहता है कि यह सरकार वैध नहीं है क्योंकि यह सरकार स्वयं एक बहुमत वाली पार्टी की नहीं है। इसे उस कांग्रेस पार्टी द्वारा बाहर से समर्थन दिया जा रहा है जिसे सत्ता से हटा दिया गया है तथा संयुक्त मोर्चा के विभिन्न दल उसे समर्थन दे रहे हैं जो सभी सरकार में शामिल नहीं है। महोदय जैसाकि मैंने कहा है कि देश की जनता का स्पष्ट निर्णय है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोका जाना चाहिए। इस देश के शासन को उन लोगों के हाथों में नहीं दिया जा सकता जो एक बार फिर इस देश को बांटना चाहते हैं, जिन्होंने पूजा स्थल का अपमान किया, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया और जिन्होंने इस देश की राजनीति में विवाद खड़ा कर दिया। महोदय चूंकि अपने देश की राजनीति तथा राजनीतिक जीवन से आर्थिक भ्रष्टाचार को हटाना है और अपने राष्ट्रीय जीवन से साम्प्रदायिकता और अलगावाद को भी दूर भगाना है इसलिए संयुक्त मोर्चा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई जिसके लिए यदि संयुक्त मोर्चा के ये घटक दल मिलकर सरकार न बनाते तो लोगों की अनदेखी होती तथा उनके जनादेश की अवहेलना होती। तथा यह सरकार लोगों से एक ऐसा प्रशासन न दे पाती जो इन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता।

सभी लोग इस बात को महसूस करेंगे कि सरकार के लिए यह आसान कार्य नहीं है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आसान हो किन्तु उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसे स्वीकार किया है और मेरे विचार से जो देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह देश के व्यापक विकास का घोषणा पत्र है, जिसे सभी दलों ने मिलकर बनाया है तथा जो कि चुनाव के बाद एक प्रकार का गठबंधन है।

इस देश के भविष्य को ध्यान में रखकर, जो संसद में बैठे हैं या राजनीतिक जीवन में हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं उनके ग्रंथ को ध्यान में रखकर देश में प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने के लिए, ये दल एकजुट हुए और उनके द्वारा संयुक्त मोर्चा, इसके घोषणा पत्र और इसके कार्यक्रमों में तैयार हो गया। मैं महसूस करता हूं कि संसद में उपस्थित तथा बाहर के भी हम सभी लोगों का यह परम कर्तव्य है कि हम संयुक्त मोर्चा के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में दर्शाए अनुसार, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार को अपना पूरा सहयोग दें।

हमने हमेशा यह कहा है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात पर समय-समय पर जोर दिया है, कि हमारा प्राथमिक उद्देश्य आम जनता की सेवा करना है, गरीब लोगों की सेवा करना है तथा यह देखना है कि देश से गरीबी को कैसे दूर किया जाए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कैसे सफल बनाया जाए तथा यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे या आधे पेट न रहे, उन्हें आराम कैसे दिया जाए उन्हें बीमार या रोगी होने पर आवश्यक चिकित्सा किस प्रकार दी जाए। किसी भी सभ्य समाज के ये बुनियादी न्यूनतम अधिकार हैं और उन्हें पूरा करना हमारा परम कर्त्तव्य है और विशेष रूप से उस समय जबकि काफी समय बीत चुका हो। पांच दशक की कालवधि कोई छोटी नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में हम इस अपमान से अपने आप को नहीं बचा पाए कि अभी भी हमारे देश में लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो जीवन के बेहतर स्तर से वंचित है, ऐसे भी लोग हैं जो विद्यालयों या शिक्षण स्थलों में जाने में असमर्थ है, देश में अभी भी ऐसे लोग है जिन्हें शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है और ऐसे भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी चिकित्सा सुविधा के दम तोड़ देते हैं। इसलिए हम इस सभा में यह सुनिश्चित कराने के लिए बैठे थे कि न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

सम्भवतः कभी-कभी हम लोग इस बात का पता लगाने के लिए ज्यादा चिन्तित होते हैं कि कौन-सी बात दूसरों को विभाजित करती है न कि यह कि कौन-सी बात हम लोगों को जोड़ती है और लोगों के बीच कैसे-कैसे मतभेद हैं। परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं या उद्देश्य ऐसे हैं जिन पर, मेरे विचार से और मेरी पार्टी के विचार से देश में विचार किया जाना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। लोगों के बीच अन्तर और भेदभाव नहीं होना चाहिए।

उन्हें वे सभी न्यूनतम अधिकार मिलने चाहिएं जिनका इस देश के संविधान निर्माताओं ने अपने नागरिकों के लिए उपबन्ध किया है। राज्य

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को महज कागजों के ही उल्लिखित ऐसे अधिकारों और लक्ष्यों का वर्णन मत बनने दीजिए। देश के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को केवल कागजों तक ही सीमित नहीं रहने देना चाहिए। इसलिए, हम उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम इस पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं करेंगे तथा मिल-बैठ कर और आपसी समझ-बूझ से इसका कोई हल नहीं ढूढंगे।

यह एक विकासशील देश है। हमारे पास अपास संसाधन हैं। हमारा सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन है। परन्तु दुर्भाग्यवश, हम इन संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। हम यह पाते हैं कि हमारे नवयुवक और नवयुवतियों और बुद्धिमान लोगों को देश में रोजगार के अवसर नहीं मिलते और वे इस देश को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि यहां वो सम्मानित नहीं हो पाते। उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते। वे अन्य देशों के विकास और प्रगति में योगदान करते हैं और हम उन्हें यहां अपने ही देश में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते।

स्थिति यह है। परन्तु हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने हाथ खड़े नहीं करने चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि इतना कर दिया है और आगे हम नहीं कर सकते। इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। जिन लोगों ने राजनीतिक और सार्वजनिक क्रियाकलाप करने का फैसला किया है वे ऐसा नहीं कह सकते। उन्हें अपने वायदे को पूरा करना चाहिए अन्यथा भविष्य की पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी।

महोदय मैं संयुक्त मोर्चे की सीमाओं को जानता हूं, मैं उन समस्याओं को भी जानता हूं जो उस सरकार के सामने आ सकती हैं जो कई दलों से मिलकर बनी हैं। मैं जानता हूं कि इस देश के समक्ष जटिल समस्याएं हैं, असंतुलित विकास की समस्याएं हैं, विकास न होने की समस्याएं हैं, बुनियादी ढांचे में कमी की समस्याएं हैं और हमारे आर्थिक ढांचे की अन्तर्निहित कमजोरी की समस्याएं भी हैं। हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें अन्य देशों से धन उधार लेना पड़ता है। हम अपने स्वयं के संसाधनों से धन की व्यवस्था नहीं कर सकते। यहां तक कि हम अपने उन किसानों को पानी मुहैया कराने में भी समर्थ नहीं हैं जो हर दिन श्रम करते हैं और हमारी सबसे बड़ी परिसम्पत्ति अर्थात् खाद्यान का उत्पादन करते हैं।

ये समस्याएं हैं और हमें इनसे निपटना है। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में हम इसे कैसे करेंगे। मात्र एक-दूसरे पर दोषारोपण करने और मात्र एक-दूसरे की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, और फिर से मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि कुछ बुनियादी पहलू हैं, कुछ मूल मुद्दे हैं जिनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। हमें उन बातों पर ढील नहीं देनी चाहिए।

महोदय मेरा विश्वास है, अभी कोई भी चुनाव नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के अपने सपने हो सकते हैं। परन्तु गुजरात और राजस्थान में अपने प्रदर्शन और थोड़े-बहुत पड़े नकारात्मक मतों के कारण वह यह सोच सकती है कि वो एक दिन विश्व के शीर्ष पर आने में समर्थ हो जाएंगे। परन्तु हमने दिल्ली में क्या देखा ? पिछले दिनों उनके प्रशासन में मतपेटियों को चौराहों पर देखा गया। महाराष्ट्र राज्य में क्या हो रहा है ? महाराष्ट्र में, डॉ० सामंत दत्ता जैसे लोग चौराहों पर मारे जा रहे हैं। वहां पर किस प्रकार चुनाव कराए जा रहे हैं और वहां मतदान का प्रतिशत क्या है ? मैंने पाया कि वहां 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने मतदान नहीं किया। महाराष्ट्र में वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों से कैसे निपट रहे हैं ? वहां ये मुद्दे हैं। परन्तु इस समय मैं वाद-विवाद नहीं करना चाहता।

महोदय आम आदमी औरगरीब आदमी के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया जाना है और इस संदर्भ में, मैं माननीय प्रधानमंत्री और सरकार को बधाई देता हूं। मैं जानता हूं कि उन्हें 8,000 करोड़ से ज्यादा की राज सहायता उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी। परन्तु आप गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए आग्रह करते रहे हैं बल्कि पुरजोर मांग करते रहे हैं, क्योंकि संयुक्त मोर्चो के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में एक वायदा यह भी किया गया है कि हमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कम से कम चावल तथा गेहूं सस्ती दरों पर, आधी कीमत पर प्रदान करने चाहिए! मुझे सरकार को इस मुद्दे पर बधाई देनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कल की थी और इससे उनको कभी राहत मिलेगी। हमें कम से कम यह सन्तुष्टि होनी चाहिए कि जिनको इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, उनको सीमित रहने का यह अवसर प्रदान किया गया है।

महोदय, मैं सरकार से, विशेषकर प्रधानमंत्री से, जो यहां बैठे हैं, अनुरोध करूंगा कि उन्हें यह देखना है कि इस कार्यक्रम का उचित रूप से कार्यान्वयन किया जाए। सभी खतरों से बचा जाए। यह देखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इसे उचित रूप से कार्यान्वित किया जाए तथा जो इन खाद्यानों की कालाबाजारी करे उनको दण्डित किया जाए जैसा कि जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी। मैं उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। देश के लोग राज सहायता प्रदान करते रहेंगे, लेकिन इस राज सहायता को देश को वहन करना है। इसमें और कुछ नहीं हो सकता है।

अतः मुझे आशा है कि इसका उचित कार्यान्वयन होगा। पश्चित बंगाल सरकार द्वारा एक माह के भीतर इसे व्यापक रूप से प्रारम्भ करने की आशा है। इसने पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसी तरह, मुझे विश्वास है कि अन्य सरकारें भी इसे निष्ठापूर्वक लागू करने का प्रयास करेंगी। जब समस्त देश वैधानिक रूप से बलिदान कर रहा है तो हमें गरीब लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिएं

महोदय, कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जो इस सरकार ने प्रारम्भ किए हैं। इस संबंध में प्रावधान किए गए हैं। मुझे दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन नजर आता है। जब प्रधानमंत्री ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां लोगों ने आग के कारण, प्राकृतिक आपदा तथा प्राकृतिक त्रासदी के कारण हानि उठाई है तो मुझे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। एक जनहित वाली सरकार तथा लोगों की भलाई वाले प्रशासन से यही अपेक्षा की जाती है। इससे सरकार की उन लोगों के प्रति चिन्ता का पता लगता है जो हमारे देश में आपदाओं से प्रभावित हैं। मैं उड़ीसा के अपने मित्र द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता की प्रशंसा करता हूं। हां, जब आप यह कह रहे हैं, तो कृपया यह देखिए कि यह बात आवश्यकता वाले लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सदन में एक वचन दिया है। यह सही लोगों तक पहुंचना चाहिए, शीघ्र पहुंचना चाहिए और व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस सरकार का उसकी दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए अर्थात् भारत-बंगला देश जल समझौता के लिए धन्यवाद तथा बधाई देना

चाहता हूं। इससे इस उपमहाद्वीप का समस्त वातावरण बदल गया है। इससे दोनों देशों के बीच दृष्टिकोण तथा भावनाओं में वास्तविक परिवर्तन आया है। महोदय, बंगला देश के साथ हमारे निकट तथा मित्रवत संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न नहीं होगी। वे प्रसन्न नहीं हैं। वे श्री शरद पवार के कुछ सहयोगियों की सहायता या उसके बिना कुछ कमियों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके कितने ग्रुप हैं। लेकिन, कम से कम कुछ व्यक्ति सन्तुष्ट प्रतीत नहीं होते।

श्री शरद पवार (बारामती) : इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी (कुरूनूल) : आप इससे मुक्त नहीं हैं।

श्री सौमनाथ चटर्जी : महोदय, इससे इन दो देशों के लोगों के बीच, जिन्होंने विभाजन तथा उनके बीच अन्य समस्याओं के कारण परेशानी उठाई है, सम्बन्धों तथा आर्थिक गतिविधियों का एक नया क्षेत्र खुला है। हमारे मुख्यमंत्री ने इस समझौता में भूमिका निभाई है जिसे स्वीकार किया गया है।

नेपाल के साथ समझौता भी प्रशंसा योग्य है। मुझे सरकार को सी० टी० बी० टी० चर्चाओं तथा समझौते के दौरान उसकी दृढ़ भूमिका तथा रवैयों के लिए बधाई देनी चाहिए। ये बहुत सकारात्मक प्रश्न है। हमें भाजपा की सहायता अथवा उसके बिना इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, दूसरा पक्ष जिस का मैं संदर्भ देना चाहता हूं, वह केन्द्र तथा राज्यों के बीच संबंधों में सुधार है। हम यह कहते रहे हैं और वास्तव में हम यह मांग करते रहे हैं कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने का समय आ गया है। यह संघीय ढांच प्रशासन की सुविधा के लिए है। यदि हम यह पाएं कि शक्तियों के कतिपय विभाजन से इस देशके समान विकास, इस देश के सन्तुतिल विकास में सहायता नहीं की है और यदि इससे देश में सरकार के सही अर्थों में संघीय ढांचे की स्थापना में अथवा पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि वे चाहते हैं, सभी क्षेत्रों के लोगों को साधन प्रदान करने में सहायता नहीं की है, तो कुछ मूलतः कुछ गलती थी। इस मनमोहन-मिक्स के आने से काफी पहले पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने उद्योगों के संबंध में लाइसेंसों के समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया का दिल्ली में दुरुपयोग किया जा रहा था। हमें विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस भी नहीं मिल रहे हैं। आज मुझे श्री शरद पवार के महाराष्ट्र से शिकायत नहीं है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन क्या पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के लोग इसके पात्र नहीं हैं ? क्या वे औद्योगिक विकास के लाभों के हकदार नहीं हैं।

उड़ीसा समस्त खनिज संसाधनों के होते हुए भी पानी, विकास अनुदान प्रदान के लिए मांग कर रहा है। कालाहांडी इस देश में सबसे गरीब जिला प्रतीत होता है; लोग भूख से मर रहे हैं। वे थोड़े पीने के पांनी के लिए तथा थोड़ा सिंचाई के पानी के लिए पुकार रहे हैं। ऐसा क्यों है ? इस देश के कुछ भागों में कुछ लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है ? यह कुछ राज्यों में आधी क्यों हैं ? इसी वजह से मतभेद के क्षेत्र उत्पन्न किए गए हैं। हमने लोगों को दूसरों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है क्योंकि वे अपने को मुख्य धारा से अलग महसूस करते हैं। इससे देश के विकास में सहायता नहीं मिली है। अनेक जातीय समूहों, कई दबाव डालने वाले समूहों ने इस मामले में अपनी बात मनवाने का प्रयास किया है। क्यों ? वे अलग राज्य अथवा अलग जिलों अथवा अलग प्रशासन की मांग करते हैं क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि जब तक वे अपनी उपस्थिति महसूस नहीं करवाते और जब तक वे समस्याएं उत्पन्न न हों, कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं देगा। इस पुनर्गठन की मांग एक राज्य अथवा एक समूह के लोगों के लिए नहीं की गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद में क्या हो रहा है ? श्री शरद पवार इसमें भाग लेते रहे हैं। मुझे अन्य लोगों से यह जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रत्येक बैठक में सभी मुख्यमंत्री, कम से कम गोपनीय रूप से अथवा निजी तौर पर, अधिक धन की मांग करते हैं। उन सभी को वित्त मंत्री के सामने कहने का साहस नहीं है। वे आकर वामपंथी मोर्चे के मुख्यमंत्री से यह पूछेंगे : "आप हमारे लिए भी बात क्यों नहीं करते ?" उन पर आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे अपने राज्यों के विकास के धन चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरदार सुरतीत सिंह बरनाला इस बात सहमत होंगे कि प्रत्येक मुख्यमंत्री इस समस्या का सामना कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में इस समस्या का सामना किया होगा। अतः कुछ पुनर्गठन आवश्यक था। संविधान ने अन्तर्राज्य परिषद की स्थापना के बारे में विचार किया था। इसे कार्यरूप नहीं दिया जा सका; किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की। राष्ट्रीय विकास परिषद एक वर्ष में मुश्किल से एक या दो बैठकें करती हैं, और कई बार एक भी नहीं। राज्य सभाएं अधिकाधिक नियोजन प्रक्रिया से दूर जा रही हैं। दृष्टिकोण योजना पर कोई चर्चा नहीं हुई; प्रारूप योजना पर भी कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई। एक दिन में, सभी मुख्यमंत्री आकर अपने भाषण करते हैं और चले जाते हैं। वास्तव में नियोजन पर चर्चा होनी थी।

अतः ये स्वागत योग्य चिन्ह हैं। मुझे विश्वास है कि इससे सभी राज्यों को लाभ होगा, चाहे जो भी दल उस राज्य में सत्ता में हो। लेकिन यहां केन्द्र का नेतृत्व करना है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों के संबंध में कतिपय बातों हमने समर्थन किया है और कतिपय बातों का विराध किया है। लेकिन कतिपय मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर सरकारिया आयोग ने विचार किया है। मुझे इस बात पर प्रसन्नता है कि अब उचित ध्यान दिया जा रहा है औा अन्तर्राज्य परिषदकी एक स्थायी की समिति गठित की गई है जो इन सभी समस्याओं की जांच करेगी और उनका समाधान निकालने का प्रयास करेगी।

जैसा कि हमने कहा है, हमारे लिए बड़ी बात यह है कि इस देश में विभिन्नता में मौलिक एकता है। हमें केवल विभिन्नताओं पर ही बल नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इस देश की आधारभूत एकता को भी नहीं भूलना चाहिए। जब तक इस मूलभूत एकता को हम अपने समक्ष नहीं रखेंगे तो हम अपना मार्ग खो देंगे और हम विभाजन और मतभेद की बातों से अधिक चिन्तित होंगे।

जम्मू तथा कश्मीर तथा पंजाब में जिस ढंग से निर्वाचन कराए हैं उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं। जो भी सरकार बनी, यह स्वागत योग्य है। इसका निर्णय करना उस राज्य के लोगों का कार्य है और हम लोगों के निर्णय का सम्मान करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि उनको

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अनुमति दी गई और वे अपने मत का प्रयोग सके हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। लोगों के लिए स्वयं को स्वीकार्य बनाना विभिन्न राजनैतिक दलों का कार्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि लोगों की इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए; उन्हें पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। जम्मू ओर कश्मीर तथा पंजाब की सरकारों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।

उन्हें फलना-फूलना चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। उनकी समस्याओं का समाधान करना केवल केन्द्र तथा इन राज्यों के बीच ही सहकारी प्रयास नहीं होगा बल्कि समस्त देश का होगा।

जब मैं समस्याओं की बात करता हूं तो वे अभी भी अत्यधिक है। इसके बारे में कोई शक नहीं है। हम मूल्य वृद्धि से चिन्तित हैं। दुर्भाग्य से, यह अभी भी है। लोग इसका दबाव महसूस कर रहे हैं।

इस देश में रुग्ण सरकारी उपक्रमों की समस्या है। कई लोगों को अभी भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आज सुबह भी राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का प्रश्न उठा था। कई राज्यों में ये मिलें हैं। वे बंद पड़ी हैं अथवा वे लगभग बंद होने के कगार पर हैं। कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। अतः इन मामलों पर तुरन्त विचार किया जाना है।

हमारे उद्योग में आत्मनिर्भरता का प्रश्न है। इसकी जांच करनी है। मेरे सहयोगी श्री सैयद मसूदल हुसैन अन्य समस्याओं पर विचार करेंगे। मैं उनका उल्लेख नहीं कर रहा हूं।

जहां तक त्रिपुरा में आतंकवाद तथा जातीय संघर्ष की गम्भीर समस्याओं का संबंध है, ये ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कार्यवाही तुरन्त की जानी है। मुझे जानकारी है कि इस सरकार ने कुछ उपाय किए हैं। गृहमंत्री वहां गए थे। इन मामलों पर, जैसा कि मैंने अभी कहा है, अतिशीघ्र कार्यवाही की जानी है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वाद-विवाद का उत्तर देते समय, उन्हें हमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में और इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि वे लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए परियोजनाओं पर बल कैसे देना चाहते हैं।

अन्य पहलू जिसने इस सदन में आज काफी लम्बा समय लिया वह भ्रष्टाचार के संबंध में है। यह स्पष्ट है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रश्न पर, कोई समझौता नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी इसमें शामिल क्यों न हो। हमने न्यायलयों को भी धन्यवाद दिया है। न्यायपालिका के कारण, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले, हवाला मामले, सैंट किट्स जांच तथा कई अन्य घोटालों की जांच करवा पाए हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य वहां समाप्त नही हो जाता अथवा हमारा दायित्व वहां समाप्त नहीं हो जाता। इस देश में लोगों को यह आश्वासन देना इस सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है कि इन सभी जांच तथा अन्वेषक कार्यों पर प्रबलता से कार्यवाही की जाएगी तथा यह कि जो दोषी है, वे चाहे किसी भी उच्च पद पर क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। किसी भी घोटाले में शमिल अथवा किसी अपराध के दोषी, मुख्यतया आर्थिक अपराध के दोषी को सरकार की अथवा जांच एजेंसियों की किसी कमजोरी अथवा दुलमुल नीति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।

महोदय, मुझे बोफोर्स के विस्तृत ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बोफोर्स का संबंध है, हम इस मामले पर चर्चा कर चुके हैं। यह भी एक ऐसा मामला है जिसमें इस देश के लोगों को, नियमों, विनियमों तथा जो भी उपबन्ध हैं, उनके अन्तर्गत पूरा ब्यौरा दिया गया है।

जैसा कि मैंने कहा है, इस देश के लोग एक सही तथा मानवीय व्यवहार पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे बड़ा दावा नहीं करते। इस देश के साधारण आम व्यक्ति थोड़े से ही सन्तुष्ट हैं। अतः हमारी न्यायोचितता यह है कि इस देश के लोगों की इन न्यूनतम मांगों को पूरा किया जाए।

इस देश में अभी भी अत्यधिक बेरोजगारी है। हमें इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान करना है। जवान लड़के अथवा लड़कियां, शिक्षित, कुशल अथवा अकुशल लोग अच्छा जीवन स्तर चाहते हैं। वे अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करना चाहते हैं तथा अपने परिवारों की देखभाल करना चाहते हैं। यह देखना हमारा कर्तव्य है कि वे अपना कार्य कर सकें और अपनी आजीविका अर्जित कर सकें।

मुझे इसकी जानकारी है कि कतिपय विवादित मुद्दे हैं। मेरे दल ने भी विशेषकर कुछ आर्थिक मुद्दों पर कहा है। अभी भी विवाद और असहमति के क्षेत्र हैं। मैं सरकार तथा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया धीरे-धीरे इसमें तेजी लाएं। कृपया ऐसा कुछ न कीजिए जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जो भारत को अस्थिर करे, हमारे उद्देश्य को समाप्त करे। एक लम्बे विचार-विमार्श के पश्चात्, उद्योग, अर्थव्यवस्था में उन कतिपय क्षेत्रों को उद्धृत किया गया है अथवा उनका पता लगाया गया है, जहां देश में समग्र रूप से हमारा पूरा नियन्त्रण हो। हमें जो करना चाहिए उसका अनुसरण करने के प्रयत्न में हमें अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को छोड़ना नहीं चाहिए। यह मामला बहुत अधिक महत्व का है और मैं यह चाहता हूं कि उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा की संचालन समिति, जिसे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है, को इसकी जांच करनी चाहिए। वे हमारे अधीन नहीं है लेकिन सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। अतः सरकार को यह देखना चाहिए कि सहमति के क्षेत्रों में अधिक स्वीकारिता होनी चाहिए ताकि देश में समस्त समस्याओं के साथ यह सरकार संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में निर्धारित अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयत्न करे।

महोदय, यह कहा गया है, और मैं उद्धृत करता हूं :

"यह एक संक्रमण काल है जिसका मार्गदर्शन प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद तथा सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने की आवश्यकता करेगी। समानता, न्याय तथा भाईचारे के इस नए भारत के निर्माण में हम सभी नागरिकों की पूरी भागीदारी चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार के दृष्टिकोण की विशेषता इसके सभी कार्यों में हमारे लोगों की अधिकाधिक भागीदारी होगी।"

इस सरकार का यह मन्त्र होना चाहिए। जब तक आप देश के लोगों के दिए गए इस वचन से विचलित नहीं होते, मुझे विश्वास है कि उन्हें इस सदन का विश्वास प्राप्त होगा।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और मैं ईमानदारी से यह आशा करता हूं कि सरकार एक समयबद्ध तरीके से उन सभी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को क्रियान्वित करने के लिए सभी उपाय करेगी जो इस देश के लोगों से की गई है, ताकि इस देश के लोगों को वह कुछ मिल सके जिसके वे पात्र हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

विशिष्ट परिस्थितियों में आज पूरा देश जा रहा है। खास तौर से इस अभिभाषण में जिक्र किया गया है, वह यह है कि यह साल आजादी की स्वर्ण जयन्ती का साल है। इन पिछले पचास सालों में इस देश ने कई क्षेत्रों में तरक्की की है और कई संकटों का सामना किया। संकट अन्दर के भी थे ओर देश के बाहर के भी थे। इतना होने पर भी इस देश ने दुनिया के सामने यह साबित किया कि यह प्रजातन्त्र मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। प्रजातन्त्र के माध्यम से ही कई अच्छे रास्ते हम इस देश को दे सके हैं।

पिछले 50 सालों में एक समाजवाद वा विचार इस सदन के सामने रखा गया था ओर वह विचारधारा स्वीकृत करके हम लोग आगे गए। दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन का एक नया विचार आया, जिसको भारत ने भी स्वीकार किया। आज हम लोग आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में पहुंचे हैं। आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र के फायदे पिछले 4-5 सालों में देश के सामने नजर आए। मगर इसके साथ-साथ एक और बात हमारे सामने आई कि आर्थिक उदारीकरण के साथ समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके हित की रक्षा करने के लिए हमें जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, पिछले 50 साल की परिस्थिति का जब हम अभ्यास करते हैं तो यह बात सामने आती है कि कई क्षेत्र में सुधार हुआ। भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हो, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, इरीगेशन के क्षेत्र में हो या देश की एक मजबूत फौज बनाने के बारे में हो। इस पर जब हम लोग गहराई से सोचते हैं तो हम लोगों को यह भी मानना होगा कि पिछले 50 सालों से देशवासियों के सामने जितने सपने थे वे सब पूरे हुए हैं, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते हैं। आज देश में तुलना की दृष्टि से निरक्षरता बहुत कम हुई है, ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। स्वास्थ्य के बारे में कोई बहुत अच्छी सुविधा देश के सभी कोनों में देने में हम कामयाब हुए, ऐसा भी दावा हम नहीं कर सकते। आज भी रोजगार की समस्या नयी पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार के बारे में देश में बहुत चर्चा हो रही है और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमें कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है, इस बारे में देश में मान्यता हुई है। प्रादेशिक असंतुलन का एक सवाल हमारे सामने है, जिसका जिक्र अभी सोमनाथ जी ने अपने विचारों में किया। चाहे उड़ीसा जैसा स्टेट हो, बिहार का कोई हिस्सा हो, राजस्थान का कोई हिस्सा हो, उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा हो या नार्थ-ईस्ट का कोई हिस्सा हो, आज भी हमारे सामने एक प्रादेशिक असंतुलन की परिस्थिति दिखाई देती है। इसलिए एक बहुत बड़ा रास्ता हमारे सामने है जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और बड़ी मेहनत करनी होगी।

महोदय, हम जब आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी देश के सामने महत्व की जो एक बात आती है, बुनियादी बात आती है वह सुरक्षा की है। वह अंदरूनी सुरक्षा हो सकती है और बाहर की सुरक्षा भी हो सकती है। सरहद की सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे मन में जब सरहद की सुरक्षा के बारे में सवाल पैदा होते हैं तो देश में एक तनाव की परिस्थिति पैदा होती है और जो घरेलू मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण भी होते हैं उन मुद्दों से हम लोग दूर जाते हैं और इससे विकास का जो माहौल है, इनवेस्टमेंट का जो क्लाईमेट है उसके ऊपर बुरा असर होता है। यह देश के हित की बात नहीं है। इस अभिभाषण में जो यह जिक्र किया गया कि पड़ौसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए कुछ कदम डठाएं, इसका मैं स्वागत करता हूं। बंगलादेश की परिस्थिति सुधारने के लिए जो जन समस्या की बात थी इसके लिए जो नया कदम उठाया, इसका भी मैं स्वागत करता हूं।

हमारे पड़ौसी पाकिस्तान में दुनिया ने और हमारे देशवासियों ने एक लोकतांत्रिक चुनाव कुछ हफ्ते पहले देखा। इस समय पाकिस्तान की जनता ने एक क्लीयर मैजोरिटी नवाज शरीफ को दे दी है और उन्होंने जो विचार शुरू से व्यक्त किए उससे एक ऐसे विश्वास का वातावरण तैयार हो रहा है कि शायद भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने की उनकी कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और भारत सरकार ने भी इसका स्वागत किया है। कश्मीर जैसे मुद्दे पर शायद समय लगे लेकिन आंतरिक व्यापार, यातायात आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पहल करने से दोनों देशों को अच्छे रिश्ते बनाने में मदद मिलेगी। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने उनकी पहल का स्वागत किया है उसे देखते हुए मुझे उनके सामने एक बात लानी है कि हमें विश्वास पैदा करने के लिए बार-बार कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण सवालों पर कुछ समय लगेगा, लेकिन छोटे-छोटे सवालों पर हमें रास्ता निकालने की कोशिशें करनी होंगी जिससे एक तरह का विश्वास दोनों देशों में हो जाएगा।

मेरे पास एक खत आया है जो किसी एडीटर साहब को आया था। पाकिस्तान की जेल में कुछ भारतीय कई सालों से बंद हैं। गुजरात के 13 फिशरमैन वीजा लेकर दुबई गए थे। वे फिशरी के के सैक्टर में कई सालों से काम करते थे। एक दिन उनकी लॉन्च दुबई की सीमा क्रॉस करके ईरानी क्षेत्र में चली गई। इरानी पुलिस ने उनको पकडक़र 6 महीने की सजा दे दी। सजा खत्म होने पर उन्होंने उनको पाकिस्तान के बार्डर पर फेंक दिया। उनके पास पाकिस्तानी वीजा न होने की वजह से उनको अरैस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ केस किया गया। उनको वहा 6-7 महीने की सजा होगई और पिछले ढाई साल से वे कराची जेल में हैं। उन्होंने लिखा है कि उन 13 फिशरमैन के अलावा 58 भारतीय और भी हैं जो पिछले तीन-चार सालों से पाकिस्तान की जेल में हैं। उनके खिलाफ न कोई केस चालू है न उनको कुछ कहने का मौका देते हैं। उन्होंने बार-बार भारतीय दूतावास को लिखा है लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इस तरह से कुल मिलाकर पाकिस्तान की जेल में 280 से ज्यादा भारतीय पिछले तीन सालों से हैं। इस सवाल को हमारे विदेश मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाना चाहिए और भारत वापस लाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। वे गुजरात के हैं मुझे विश्वास है कि इसका एक अच्छा असर होगा।

पाकिस्तान के साथ-साथ चीन के साथ भी हमारे रिश्ते सुधरे तो यह भी बहुत उत्साहवर्धक बात है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एक-दूसरे से सीखने लायक बहुत सी बातें हैं और सच्चे दिल से हम इस दिशा में कार्य करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आज आर्थिक क्षेत्र में चीन एक महाशक्ति बनने का सपना लेकर आगे जा रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन उसके साथ उन्होंने प्रगति के क्षेत्र में जाने के लिए पड़ोसी

[श्री शरद पवार]

देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना, बॉर्डर पर टैंशन नहीं होने की बात और अपना योगदान देने की जो बात कही है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

दक्षिण एशिया के बाकी देशों के साथ रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की गई है। उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। सभी देशों के जितने सवाल आज हम यहां देखते हैं, उसी तरह के सवालों का सामना हमने पिछले सालों में किया। आर्थिक क्षेत्र में बड़े अच्छे तरीके से परिवर्तन करने का काम हमने पिछले सालों में किया। यह सब लोगों के सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि इन देशों के साथ हमारे रिश्ते जितने ज्यादा अच्छे बनेंगे उतनी व्यापार में मदद मिलेगी।

महोदय, मैं जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुन रहा था तब उन्होंने एक जगह पर कहा था कि

> "हमारी सशस्त्र सेना सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत करना सरकार की सर्वप्रमुख प्राथमिकता है; इस पर किसी के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। सशस्त्र सेना के आधुनिकीकरण के लिए हम अवश्य सचेत हैं और यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सभी साधन उपलब्ध करने के लिए वचनबद्ध हैं।"

आजकल जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके लिए मेरे मन में खुशी भी है लेकिन पुराने अनुभव मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सेना मजबूत करनी होगी। इसलिए इस अभिभाषण में सेना के आधुनिकीकरण के लिए और धनराशि देने की बात कही गई है। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इसका स्वागत करता हूं। आज सेना की जो स्थिति है, वह मुझे मालूम है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। इंडियन आर्मी के कुछ सवाल हैं। इंडियन एयरफोर्स के बड़े सीरियस सवाल हैं, इंडियन नेवी के बड़े सीरियस सवाल हैं। मैं सरकार के सामने नेवी की परिस्थिति लाना चाहता हूं। सशस्त्र सेना के आधुनिकीकरण के लिए अगर सरकार आवश्यक राशि और साधन उपलब्ध करने के लिए वचनबद्ध है तो मैं इस क्षेत्र में ध्यान ज्यादा देने की जरूरत महसूस करता हूं।

भारत में टोटल सी शोर, सागरीय किनारे पट्टी 17 हजार किलोमीटर से ज्यादा है। हमारा सागरीय यातायात जो पोर्ट से होता है और दूसरी जगहों से होता है, इसका सालाना लक्ष्य 80 हजार करोड़ का है। सागरीय महत्व कितना आर्थिक क्षेत्र में है, यह बताने के लिए मैंने ये फीगर्स आपके सामने रखी हैं। हमारे सभी पोर्ट चाहे वे मुम्बई में हों, चेन्नई में हों या कांडला में हों या मुम्बई हाई हो, इन सभी क्षेत्रों में पिछले कई सालों में एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये की राशि लगाई गई। इस पर इतना बड़ा इनवैस्टमैंट हुआ। इसलिए इस पर ध्यान रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी इंडियन नेवी की है। देश के हित और सुरक्षा के लिए यह बड़ी महत्व की बात है लेकिन नेवी की स्थिति दिन-पर-दिन बहुत खराब हो रही है। अगर हम समय पर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसकी कीमत पूरे देश को शायद चुकानी पड़ेगी।

आज अखबार में शायद कई सम्माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि दो महीन पहले मुम्बई में एक समारोह हुआ था जिसमें आईएनएस विक्रान्त जैसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनको छुट्टी दी गई। इसकी जगह एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। इसके लिए तैयारी नहीं है। इसके साथ ही आईएनएस विक्रान्त 40 साल पुराना हैं हमारे पड़ौसी देशों, खासकर चीन जैसे देशों के पास ऐसे कई एअरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जिससे हमारी लांग टर्म सुरक्षा के लिए कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं। हमारे पास टैंकर्स हैं जिनकी परिस्थिति भी खराब है। आईएनएस दीपक टैंकर है जिसको डी-कमीशंड किया गया। आईएनएस शक्ति इस साल डी-कमीशंड होने वाला है और बाकी जो 12 साल पुराने टैंकर्स हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अब बात आती है सबमैरीन्स की। इसमें भी दो काम करने वाली सबमैरीन्स डी-कमीशंड हुई हैं। जो बाकी बची हैं, उनकी आयु भी 10 साल से ज्यादा है। आज की परिस्थिति में हमारी सबमैरीन्स की ऑरिजिनल फोर्स स्ट्रैंग्थ 20 थी जो 17 तक आ गयी है और इस साल तक सिर्फ छः ही रह जाएंगी। जब यह संख्या 20 से 6 तक आ जाने वाली है तो हमारे देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इनवैस्टमेंट करने की जरूरत है। इस मद में सरकार को राशि बढ़ानी चाहिए।

सभापति महोदय, जब पिछले साल इस सदन में बजट पेश किया गया था तो नेवी के लिए काफी राशि का प्रावधान किया गया था और जिसकी मान्यता भी दी गई थी। इसके दो महीने बाद जो प्रस्ताव रखे गए, उनको दूर कर दिया गया और नेवी के पास कोई रकम नहीं है। नेवी के क्षेत्र में इस कमी की कीमत देशवासियों को चुकानी पड़ सकती है। मैंने सदन के सामने नेवी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण रखा है। इससे बुरी परिस्थिति एअरफोर्स और थल सेना की है। हमें पड़ौसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। इसके साथ ही हमारी सेना शक्तिशाली होनी चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, हमने बाहर की परिस्थिति के अलावा अंदर की परिस्थिति के बारे में भी बताया है। अभी श्री चटर्जी ने बताया कि हमारी सरकार सैकूलर सरकार है और जिसे हमने बनाने में इनकी मदद की है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। भारत जैसे देश में कम्युनल फोर्सेज का बढ़ना देश के हित में नहीं है। जब हम आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने की बात करते हैं, विकास में ध्यान देने की बात करते हैं, इनवैस्टमेंट का वातावरण मजबूत करने के लिए सोचते हैं तो देश में और समाज में एकता का माहौल होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। इसके लिए हमारे समाज की एकता के माहौल को खराब करने वाली शक्तियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होगा और इससे जो सरकार बनी है, इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : यह शक्ति यहां बैठी हुई है।

श्री शरद पवार : इस पर तो हमें ध्यान देना चाहिए। हमें दिखाई देता है कि जो नाईक जी ने कहा है, इस शक्ति को एक तरह से ताकत मिल रही है। सोचना होगा कि क्यों मिल रही है ? क्यों उनको मजबूत होना पड़ रहा है जबकि सैकूलर फोर्सेज मजबूत होनी चाहिए। सैक्यूलर फोर्सेज को मजबूत करने के लिए हमने यहां हुकूमत बनाई और बाहर जब आम जनता में जाएंगे और इस तरह से कदम उठाएंगे जिससे सैक्यूलर फोर्सेज मजबूत नहीं होगी तो मुझे लगता है कि यह काम ठीक नहीं हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उड़ीसा राज्य में पंचायत राज के चुनाव हुए। सैक्यूलर फोर्सेज वहां एक हो गई थी और अब सैक्यूलर फोर्सेज ने आपस में चुनाव लड़ा। तो भी मेरी वहां कोई तकरार नहीं थी। हमने देखा कि वहां 15 जिलों में सैक्यूलर पार्टी या कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई और बाकी 15 या 16 जिलों में भारतीय जनता पार्टी या जनता

पार्टी ने मिलकर वहां की जिला परिषद या पंचायत राज अपने हाथ में लिया। मुझे लगता है कि यह बात ठीक नहीं है। जिन शक्तियों के साथ हम मजबूती से लड़ना चाहते हैं, ये शक्तियां इससे दुर्वल नहीं होंगी, मजवूत होंगी और इसकी कीमत आदिवासियों और पिछड़े हुए लोगों को चुकानी पड़ेगी। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

मैं एक छोटी वात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में नागौर में बाय-इलैक्शन हुए। वहां हमारी 1100 वोटों से हार हुई, मगर देखना होगा कि जव 1100 वोटों से वहां हमारी हार होती है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ मे वह सीट जाती है तो हमें सोचना होगा कि इसमें सैक्यूलर फोर्सेज में डिविजन का फायदा किसको मिला। आज हम सैक्यूलर फोर्सेज को मजवूत करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं, हुकूमत में बैठे हैं मगर बाहर हम किस तरह से कदम उठाते हैं और इसका फायदा किसको होता है, यह देखने का समय आ गया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)* यह पार्टी का नहीं, देश का सवाल है। कम्यूनल फोर्सेज को बढ़ावा देना देश के हित की बात नहीं है। जो बात देश के हित की होगी, उसे मुझे यहां कहना होगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो वह पूछ सकता है, लेकिन टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : आप देंखे कि कल भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री ने पी० डी० एस० के बारे में एक बयान दे दिया जिसका हम स्वागत करते हैं। आज पूरे देश में लोगों के सामने जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें महंगाई भी एक सवाल है। इसलिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ठीक तरह से उनका जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं लगती हैं, उनकी सप्लाई करने के लिए एक नई नीति अपनाई और एक बहुत बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने कंधों पर ली। इसका हम स्वागत करते हैं मगर साथ-साथ गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले जा वर्किंग मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज हम देख रहे हैं कि इनफ्लेशन रेट पिछले कई महीनों से ऊपर जा रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स नवंबर 1996 में 8.7 परसेंट बढ़ा और इसकी डीटेल में आप जाएं तो आपको पता लगेगा कि प्राइस इंडैक्स में वैजिटेबल क्षेत्र में 53 परसेंट वृद्धि हुई, ग्रेन यील्डिंग प्रोडक्ट्स में 38 प्रतिशत वृद्धि हुई, फ्रूट्स में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई, कोल-माइनिंग क्षेत्र में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई, मिनिरल ऑयल्स में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई, सीरियल्स में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई, पल्सैज में 13.8 प्रतिशत वृद्धि हुई और इलैक्ट्रिसिटी में 11.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका कलैक्टिव असर महंगाई बढ़ाने पर हो रहा है। आप गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की मदद करते हैं मगर गरीबी रेखा के ऊपर जो मेहनत करने वाली मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा।

अपराह्न 5.00 बजे

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यदि कीमतों में वृद्धि होती है, तो और *लोग गरीवी रेखा के नीचे आ जाएंगे।*

श्री शरद पवार : यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, वह सवाल गेहूं के प्रोक्योरमेंट के बारे में है और आज ही पार्लियामेंट में यह सवाल था। गेहूं का प्रोक्योरमेंट ठीक नहीं हुआ, इसका जवाब खाद्य मंत्री जी ने सदन में दिया था। पिछले साल गेहूं की क्या परिस्थिति थी। हम इस सदन में सुनते थे, वाहर सुनते थे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तरी यू० पी० और कई राज्यों में प्रोक्योरमेंट किया हुआ गेहूं रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए उनकी बिल्डिंगें भी वेकेन्ट करके देने का कार्य सरकार ने किया था। कल भी अखबारों में आंकड़ेवारी प्रस्तुति हुई है, इससे यह बात साफ हो गई कि हमारे पास 16 मिलियन टन से ज्यादा स्टॉक था, इस साल हमारे पास दो मिलियन टन का स्टॉक है और इसलिए हम लोगों को गेहूं इम्पोर्ट करना पड़ा, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पिछले कई सालों से जहां तक अनाज की बात है, भारत के किसानों ने जो देश की जिम्मेदारी है, उसको पूरा करने के लिए मेहनत की और हमने भारत को अनाज इम्पोर्ट करने से मुक्त किया था। आज फिर हम गेहूं इम्पोर्ट करने की बात सोचते हैं और इस पर कदम उठाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हमारे पास गेहूं का स्टॉक होने के बावजूद आज इस परिस्थिति में हम पहुंचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम पर भी हमें ध्यान देना होगा और सरकार इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जरूर वक्त निकालकर अच्छी तरह से ध्यान देगी। जहां तक कृषि नीति की बात है, मुझे इस वारे में एक ही बात कहनी है कि देश का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है उसमें खाद की बहुत बड़ी जरूरत है और पिछले लगभग 15 दिन में यूरिया के बारे में जो कुछ कदम उठाए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इस बारे में फिर सोचने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में खेती के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर छोटे किसानों और उनके हित की बात हम करना चाहते हैं। हम उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जब खाद और पेस्टीसाइड्स जैसी चीजों की कीमत ऊपर जाती है तो यह कृषि के क्षेत्र में वृद्धि के विपरीत है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बारे में कुछ न कुछ सोचेगी। आजकल दुनिया में और खासकर डेवलपिंग देशों में एक बहुत बड़ी बात देखने में आ रही है और वह यह है कि अपने देश में इनवेस्टमेंट के क्लाइमेट में कैसे सुधार होगा, दुनिया की धनराशि इस देश में कैसे आएगी और कोर सैक्टर में इनवेस्टमेंट ज्यादा कैसे होगा, इस बारे में आज एक तरह की स्पर्धा कई देशों में शुरू हुई है। चीन में हुई, 1978 में स्वर्गीय देंग के नेतृत्व में लिब्रेलाईजेशन की बात उन्होंने अपने देश में कही। 1978 से आज तक उन्होंने कुछ कदम उठाए, कुछ फ्री जोन बनाए और फ्री जोन से पिछले कुछ सालों में वहां जो इनवेस्टमेंट हुआ है वह 20 से 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। उस देश का चेहरा वदल रहा है, यह हम देखते हैं। हम लोगों ने एक उद्देश्य रखा है कि हमारे देश में 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हर साल आना चाहिए। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट ऐसी ही नहीं आएगा, इस बारे में हमें बहुत से कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें इन्वेस्टर्स के मन में विश्वास कैसे पैदा हो, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। पॉलिसी में कंसिस्टेन्सी रखनी पड़ेगी और जब तक हम पॉलिसी में कंसिस्टेन्सी नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हम इसके

[श्री शरद पवार]

अमल के बारे में एग्रीमेंट करेंगे और हमें सख्त कदम उठाने होंगे, तब ही एक तरह का विश्वास दुनिया में पैदा हो सकता है और तब ही भारत जैसे देश में लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकते हैं और इसलिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करने के लिए यहां ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। मै समझ सकता हूं कि इस सरकार के सामने कुछ सवाल हैं, कुछ प्रौब्लम्स भी हो सकती हैं, सभी की विचारधारा एक है, ऐसी परिस्थिति में यह सरकार है। मिनिमम कौमन एग्रीड प्रोग्राम के आधार पर यह सरकार चल रही है मगर जब इन्वेस्टमेंट पर हमारी निगाह जाती है तो वहां हमें एक अलग तरह की नीति अपनाने की जरूरत है।

मैं कई बार अखबारों में पढ़ता हूं कि हमारे सोमनाथ जी सिंगापुर जाते हैं और वहां के उद्योगपतियों से बातचीत करे वैस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इसी एप्रोच के आधार पर इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है। इस सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं मगर जो प्रयास सोमनाथ जी सिंगापुर जाकर करते हैं, वैसा प्रयास सभी स्टेट्स में करने की जरूरत है। मुझे आशा है कि सभी पोलिटिकल पार्टीज इस पर ध्यान देंगी ताकि हमारे देश के लोगों को उसका फायदा हो सके।

कृपि क्षेत्र में भी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप देखिए कि देश को आजाद हुए आज 50 साल हो गए फिर भी कई क्षेत्रों में हमारी स्थिति ठीक नहीं है। मैं इस बारे में कुछ फीगर्स कलैक्ट करना चाहता था। साईंस और टैक्नोलौजी के क्षेत्र में जब हम निगाह दौड़ाते हैं और विकसित देशों और भारत की परिस्थिति की तुलना करने की कोशिश करते हैं तो विकसित देशों में पर-थाउजैंड जहां 50 लोग साइंटिस्ट या टैक्नोलौजिस्ट हैं, वहां हमारे देश में उनकी संख्या 3 है। एडल्ट लिटरेसी के क्षेत्र में, विकसित देशों में जहां 92 प्रतिशत साक्षरता है, हमारे देश में 50 प्रतिशत साक्षरता है। उसी तरह एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग के आंकड़े देखिए—जहां विकसित देशों में इसका एवरेज 7 प्रतिशत है, हमारे देश में सिर्फ 2 प्रतिशत है। एक्सेज टू सैनिटेशन के मामले में, जहां विकसित देशों में 76 परसेंट लोगों को यह सुविधा उपलब्ध है, हमारे देश में मात्र 15 प्रतिशत लोगों को है। आई० एम० आर० के सैक्टर में जहां विकसित देशों में 17 प्रतिशत लोग हैं, हमारे देश में 62 परसेंट लोग हैं। दुनिया के जिन-जिन देशों में कृपि क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं, वहां हमेशा गरीबी रहती है। जिन देशों में कृपि क्षेत्र से बाहर जाकर लोगों ने रोजगार प्राप्त करने की कोशिश की है, उन देशों की परिस्थिति बदली है।

अपराह्न 5.07 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

आज इंडस्ट्री के क्षेत्र में जहां विकसित देशों में 29 परसेंट लेवर फोर्स है, हमारे यहां 11 परसेंट है। सर्विस क्षेत्र में, विकसित देशों में जहां 54 परसेंट लोग हैं, हमारे यहां 27 परसेंट लोग हैं। जब हम इन तुलनात्मक आंकड़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

जहां तक एजूकेशन की बात है, आजादी के 50 साल बाद भी, आज साक्षरता के क्षेत्र में देश में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। देश में जो छठा एजूकेशन सर्वे हुआ था, उसके आंकड़े देखने के बाद, जो स्थिति हमारे सामने आती है, उसके अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन चार राज्यों में बहुत कुछ करने की जरूरत है। इन राज्यों की परिस्थिति देश के लिए ठीक नहीं है और खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के मामले में हालत बहुत खराब है।

यदि पूरे देश के पैमाने पर लड़कियों की शिक्षा पर निगाह दौड़ाएं तो हमारी नींद खराब होने वाली परिस्थिति हमें दिखाई पड़ती है। ड्रीप-आउट की स्थिति इतनी खराब है कि रूरल एरियाज में क्लास वन में अगर 100 लड़कियां प्रवेश लेती हैं तो पांचवे स्टैन्डर्ड तक पहुंचते-पहुंचे उनमें से 60 लड़कियां रह जाती हैं, बाकी 40 लड़कियां क्लास छोड़ देती हैं। अगर क्लास-वन में 100 लड़कियां प्रवेश लेती हैं तो आठवें स्टैन्डर्ड तक आते-आते सिर्फ 18 लड़कियां रह जाती हैं, दसवें स्टैन्डर्ड तक सिर्फ 9 लड़कियां रह जाती हैं और बारहवें स्टैन्डर्ड तक जाने वाली लड़कियों की संख्या मात्र एक रह जाती है।

सभापति महोदय, जब प्राइमरी सैक्टर में 100 लड़कियों के जाने के बाद बारहवीं क्लास तक सिर्फ एक लड़की पहुंचती है और जो 99 लड़कियां शिक्षा के बाहर निकलती हैं, ये गरीब घरों की ही लड़कियां हैं। ये अमीर घरों की, डाक्टरों की, वकीलों की या बड़े-बड़े व्यापारियों की नहीं हो सकती। जिस वर्ग की शिक्षा के लिए इतनी बड़ी धनराशि इस देश द्वारा खर्च की जा रही है वही वर्ग शिक्षा से दूर होता जा रहा है, शिक्षा की प्रक्रिया से ड्राप आउट होता जा रहा है, यह ठीक नहीं है। इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें बाकी झगड़ों को छोड़ कर, इस पर लगना चाहिए कि हम इस ड्राप आउट रेट को समाप्त करें।

महात्मा ज्योति बा फुले ने इस बारे में एक बार कहा था, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी नाम था, उन्होंने मराठी में कहा था—

"विद्या विना मति गेली,
मति बिना नीति गेली
नीति बिना गति गेली,
गति बिना वित्त गेले
वित्त बिना शुद्र कसले
इतके अनथ्य एखा अविद्येने गेले"

इसका अर्थ अंग्रेजी में ऐसा है—

प्ररसैप्सन इज लॉस्ट विदाऊट एजुकेशन
विदाऊट प्ररसैप्सन डिसर्नमैंट इज लॉस्ट
विदाऊट डिसर्नमैंट—देयर इज नो प्रोग्रेस
विदाऊट प्रोग्रेस देअर इस पावरटी
पावरटी मेकस डिप्रेसड मोर मिजरेबल
आल दिस मिसफॉरचून इज ऑनली फार
वान्ट आफएजुकेशन।

यह बात उन्होंने 100 साल पहले हम लोगों से कही थी और इसलिए हमें

यह परिस्थिति बदलनी होगी। आज बच्चों की शिक्षा के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश में हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और हमें ज्यादा से ज्यादा मदद करनी होगी। मैंने कई बार देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री उद्योगपतियों से बात करते हैं, लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, मगर जहां हम एक तरफ उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं वहां दूसरी ओर ह्यूमन रिसोर्सेस की तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हम गलती करेंगे। इसका सभी अमीर लोग फायदा उठाना चाहते हैं। लिबरलाइजेशन का फायदा सभी अमीर लोग लेना चाहते हैं। यह जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, जो शिक्षा से दूर है, उसको शिक्षा की प्रक्रिया में लाने के लिए भी हमें कुछ सामाजिक जिम्मेदारी लेने की बात करनी होगी। आज यह बात छोड़नी पड़ेगी कि यह सब काम सरकार को करना चाहिए। हमें इस बारे में देश के सभी अमीर लोगों की जिम्मेदारी लगानी होगी कि वे शिक्षा को केवल सरकार का काम ही न समझें, बल्कि सभी की जिम्मेदारी बनाएं।

सभापति महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं कि आज इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमारी परिस्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली शहर में परिवहन की स्थिति क्या है, यह बात आपसे छुपी नहीं है। आज आप आगरा-बम्बई रोड को देखिए। उसकी कितनी विहीकल एक्सैप्ट करने की कैपेसिटी है और इस पर कितने विहीकल चल रहे हैं। आज देश में सड़कें ठीक नहीं हैं। इसलिए एक्सीडेंट रेट कितना बढ़ रहा है। हम पोर्ट में देखते हैं कि बम्बई जैसे पोर्ट में कभी 10 दिन, कभी 15 और 16 दिन तक शिप को इंतजार करना पड़ता है। इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती है। इसलिए कोर सैक्टर में हमें ध्यान देना होगा और अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करना होगा।

सभापति महोदय, दूरसंचार की क्या हालत है। हालांकि हमने उस क्षेत्र में बहुत से नए कदम उठाए हैं। सन 2000 तक 31 मिलियन टेलीफोन की मांग इस देश में रहेगी, लेकिन अगले पांच वर्षों में हम ज्यादा से ज्यादा 19 मिलियन लाइन जोड़ेंगे। जब तक हम कम्युनिकेशन की बात मजबूती से नहीं करते हैं, तब तक विकास में रुकावट पड़ सकती है। इसके साथ-साथ बिजली का भी एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिजली के क्षेत्र में हमारा पिछला अनुभव ठीक नहीं है। 1992 से 1997 तक बिजली की रिक्वायरमेंट 48 हजार मेगावाट थी और टारगेट 30 हजार मेगावाट था और एक्चुअली हमारा जनरेशन 18 हजार मेगावाट हुआ। यह कैसे चल सकता है ?

आज इतनी बिजली कम हो गयी। इस बारे में एक राकेश मोहन कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने इस बारे में कहा था,

[अनुवाद]

"यदि इतना निवेश नहीं हुआ और उसका अगले वर्ष अधिकतम उपयोग नहीं किया गया तो विद्युत क्षेत्र ठीक उस समय अर्थव्यवस्था को सहायता देने में असफल हो जायेगा जब कि यह तीव्र विकास के लिए तैयार है।"

[हिन्दी]

आज इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें पावर सैक्टर में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आज रिसोर्सिस की बात हमारे सामने बहुत पड़ी है। हमें यह लगता है कि अगले दस साल में भारत की बिजली की जो मांग रहेगी वह एक लाख मेगावाट की रहेगी। एक लाख मेगावाट की मांग पूरी करने के लिए चार लाख करोड़ की जरूरत आज भारत सरकार को पड़ेगी। इसके साथ-साथ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ···*(व्यवधान)* यह सारा जनरेशन के लिए है मगर जनरेशन के साथ-साथ इतना ही एमाउंट सिस्टम इम्प्रूवमैंट के लिए लगेगा। इतना पैसा ट्रांसपोटेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी लगेगा। आज इतनी बड़ी राशि की हम किस तरह से व्यवस्था कर सकते हैं, यह सोचना होगा। हमारे सामने प्राइवेट सैक्टर को लाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। इसके साथ-साथ कोल की भी जरूरत पड़ेगी। आज पावर सैक्टर के लिए 215 मिलियन टन कोल इस्तेमाल कर सकते हैं। नौंवी और दसवीं योजना में बिजली प्राप्त करने का जो लक्ष्य है उसके लिए हमें 500 मिलियन टन ज्यादा कोल लगेगा। मैजिक इन्वेस्टमेंट माइनिंग सैक्टर में करना पड़ेगा। साथ-साथ कोल ट्रांसपोटेशन के लिए रेलवे की आज जो स्थिति है उसमें बहुत बड़ी राशि लगानी पड़ेगी, तो यह बेसिक रॉ मैटिरियल कोल की जिम्मेदारी वहां पूरी हो सकती है। नहीं तो देश के सामने बहुत बड़ा अंधेरे का संकट शायद अगले तीन-चार साल में आ सकता है। इस बारे में हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। बिजली के क्षेत्र में हमें और कुछ ध्यान देने की जरूरत है।

आज पूरे देश में स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड की स्थिति बहुत खराब है। मेरी अध्यक्षता में एक नेशनल डेवलमैंट कौंसिल ने अगले 25 साल की बिजली की स्थिति क्या होगी, इस बारे में एक कमेटी गठित की थी। यह कमेटी बहुत हाई पावर कमेटी थी। इसमें श्री ज्योति बसु थे। असम के चीफ मिनिस्टर थे। उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। श्री मन मोहन सिंह जी थे। पावर मिनिस्टर थे। प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन श्री प्रणव मुखर्जी थे। इन सभी लोगों ने एक साल कई मीटिंग्स करके पूरे देश की बिजली का एक नक्शा बनाया। इसके साथ-साथ आज बिजली की परिस्थिति में जो कमियां हैं, उस बारे में भी हम लोगों ने ध्यान दिया। हमारे सामने यह बात आ गयी कि आज ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रब्यूशन लॉस भारत के इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के लिए बहुत बड़ा संकट है। फाइव ईयर प्लान में कब तय किया गया था ? पांच साल में एक प्रतिशत टी० एंड डी० लॉसेस हम करेंगे। आपको ताज्जुब रहेगा जब हम टी० एंड डी० लॉस कम करने के लिए कामयाब होते हैं तब हम 800 मेगावाट बिजली बचाते हैं। आज अपने देश के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में यह लॉसेस 22 प्रतिशत से ज्यादा है। कई स्टेट्स में वह 36 प्रतिशत तक है। एक राज्य का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां 42 प्रतिशत है। ···*(व्यवधान)* दूसरी एक परिस्थिति है कि एक मेगावाट या 100 मेगावाट बिजली तैयार करते हैं तो 100 मेगावाट बिजली तैयार करने के बाद आखिरी आदमी तक जब बिजली पहुंचती है तो उसमें से कितनी बिजली रास्ते में ही चोरी हो जाती है, इसके आंकड़े भी नींद खराब करने वाले हैं। ···*(व्यवधान)* इस देश में एक बड़ा स्टेट है जहां 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के बाद लोगों तक जब वह पहुंचती है तो उसमें से केवल 16 मेगावाट बिजली ही बचती है। बाकी सब बिजली रास्ते में ही चोरी हो जाती है। टी० एंड डी० लॉस होता है।

यह उस सरकार ने अधिकृत स्टेटमैंट दिया है। ···*(व्यवधान)* मुझे लगता है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के बारे में भी हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। यहां राजनीति दूर रखनी होगी तभी हम देश को बचा सकते हैं।

इसके साथ-साथ पूरे देश के सभी इलेक्ट्रीसिटी बोर्डों की क्या स्थिति

[श्री शरद पवार]

है, इस बारे में मैंने आंकड़े कलैक्ट करने की कोशिश की है। पिछले साल की स्थिति इस प्रकार है। राजस्थान का पिछले साल का इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का घाटा 421 करोड़ का है, गुजरात का 550 करोड़ का है, मध्य प्रदेश का390 करोड़ का है, आंध्र का 828 करोड़ का है, उड़ीसा का 136 करोड़ का है, पंजाब का 427 करोड़ का है, उत्तर प्रदेश का 980 करोड़ का है, केरल का 160 करोड़ का है, हरियाणा का 450 करोड़ का घाटा है, बिहार का 300 करोड़ का है, असम का 270 करोड़ का घाटा है। इस तरह से यदि पूरे देश के सभी इलैक्ट्रीसिटी बोर्डों का पिछले साल का घाटा देखें तो वह 4650 करोड़ रुपये का है। लेकिन इसमें एक अपवाद है और वह महाराष्ट्र का है जिसने घाटा नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : क्या महाराष्ट्र ने घाटा नहीं किया ?

श्री शरद पवार : नहीं। उसने 320 करोड़ रुपये का फायदा किया था। ...*(व्यवधान)* दूसरा वैस्ट बंगाल का है। वैस्ट बंगाल ने 70 करोड़ का घाटा किया।

जहां तक सैंट्रल सैक्टर की बिजली की बात है, उसका पैसा नहीं दिया जाता। जैसा कि श्री राम नाईक ने भी बताया। इस बारे में भी पूरे देश की स्थिति देखने के बाद सभी राज्यों के पास भारत सरकार की जो आउटस्टैंडिंग बनी है, जिन्होंने बिजली ली लेकिन पैसा वापिस नहीं किया, उसमें 31 जुलाई, 1990 की एक साल की फिगर 9263 करोड़ रुपये है। मुझे लगता है कि यदि हम इस बात को राजनैतिक दृष्टि से देखेंगे तो पूरे देश का नुकसान होगा। आज की परिस्थिति में यहां बैठने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों की कहीं न कहीं सरकार है। किसी की राजस्थान में है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में है, मार्कसिस्ट्स की वैस्ट बंगाल में है, जनता दल की बिहार में है, अन्य पार्टियों की दूसरे राज्यों में होगी। हमें देखना होगा कि बिजली या कोर सैक्टर में इनवैस्टमैंट करने के लिए यदि कोई तैयार है और वह राज्य की जरूरत है तो इस ईशू पर हम राजनैतिक सवाल खड़ा नहीं करें। क्या देश में इस बात पर मान्यता हो सकती है ? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को सभी पोलीटिकल पार्टियों के नेताओं और सभी मुख्यमंत्रियों को इस बारे में बुलाने की जरूरत है।

महाराष्ट्र में जब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी थी तो हमने 2000 करोड़ का ऐनरॉन का प्रोजैक्ट क्लीयर किया था। उस पर राजनैतिक मसला उठा और वह चुनाव का मुद्दा बना। नई सरकार आ गई। उन्होंने ऐनरॉन का प्रोजैक्ट कैंसल कर दिया। छः महीने के बाद ऐनरॉन का प्रोजैक्ट फिर क्लीयर कर दिया। मामला हाई कोर्ट में गया। महाराष्ट्र सरकार के वकील श्री राम जेठमलानी जो संसद सदस्य हैं और यहां के पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे कोर्ट ने सवाल किया कि आपने यह प्रोजैक्ट कैंसल क्यों किया। यदि यह प्रोजैक्ट इतना खराब है तो आपने इस तरह का माहौल क्यों बनाया। श्री राम जेठमलानी ने जवाब दिया कि तब यहां चुनाव के दिन थे। हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं था, हमने चुनाव के लिए यह मुद्दा बनाया था। इसमें दूसरी कोई बात नहीं थी। बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ऐफीडैविट देना पड़ा कि प्रोजैक्ट अच्छा था। मुझे खुशी है कि उन्होंने वोल्ड डिसीज़न लेकर उस प्रोजैक्ट को मान्यता दे दी और वहां बिजली तैयार करने के लिए एक तरह से अच्छा कदम उठाया। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यह लगता है कि जब ऐसे बेसिक प्रोजैक्ट के बारे में हम राजनैतिक झगड़ा करेंगे और 2-2, 3-3 साल तक प्रोजैक्ट डिले हो जाएगा तो उसकी कीमत पूरे देश को देनी पड़ती है।

उसकी कीमत बढ़ती है, उस पर राशि ज्यादा लगती है और उससे तैयार होने वाली बिजली भी कम तैयार होती है और इसका असर विकास के ऊपर होता है। मुझे यह लगता है कि आज यह परिस्थिति आ गई है कि 50 साल की स्वर्ण जयन्ती के बारे में जब हम सोचेंगे, तब हम इस पर कुछ तैयारी कर सकते हैं क्या ? इस पर कुछ हम एकता कर सकते हैं कि ऐसे डवलपमेंट के जो प्रोजैक्ट्स हैं, वहां हम किसी भी स्टेज में राजनीति नहीं लाएंगे। बड़े पैमाने पर कोर सैक्टर में इन्वैस्टमेंट आता है तो इन्वैस्टमेंट में रुकावट का काम हम कुछ राजनीतिम पक्षों में काम करने वाले लोग नहीं करेंगे, हम विपक्ष में बैठने वाले लोग नहीं करेंगे, इस पर हम एकता करेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी।

आज का सारा राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देखने के बाद मुझे यह लगता है कि बहुत बड़ा संकट है, इस संकट से बाहर निकलने के लिए कोशिश है, एक नया रास्ता देखने के लिए, अपनाने के लिए यहां कुछ कोशिश है। परिस्थिति गंभीर है, एक मजबूत पार्टी नहीं है, फिर भी सरकार चलानी है। आज तक अलग-अलग विचारधारा रखने वाले लोग यहां एक होकर आज देश चलाने की बात करते हैं। जब तक यहां एक मजबूती की सरकार नहीं आएगी, तब तक इस परिस्थिति को हमें स्वीकार करना होगा और ऐसी सरकार को सहयोग देने की जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। हम कोई अलग रास्ता अपनाएंगे तो इससे देश में इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, अस्थिरता देश में ज्यादा हो जाएगी। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत हो जाएगा और दुनिया में बाहर गलत संदेश जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि ऐसी परिस्थिति में भी हम एक होकर जहां डवलपमेंट का प्रोसेस है, इस डवलपमेंट के प्रोसेस को एक गति देने के लिए मिलकर किस तरह से काम करेंगे, इस पर ही हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और इस काम में हम कामयाब होंगे। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के बारे में हमारे मन में, हमारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है, इसमें हम कामयाव होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करके आपसे इजाजत लेता हूं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति जी, अब मुझे मालूम नहीं, कितना समय बचा है। लेकिन एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि थोड़ा इस तरह का संतुलन रहता तो अच्छा होता। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही व्यक्ति बोला है और बाकी पक्षों से कई लोग बोल चुके। ...*(व्यवधान)*

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : आपके पक्ष में कई बोलने वाले यहां पर नहीं थे।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : नहीं हम थे। अच्छा, चलिये।

मैं इस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसका कारण यह है, क्योंकि यह जो अभिभाषण है, यह सरकार की न तो नीतियों को स्पष्ट करता है और इस अभिभापण में न जाने क्यों इतनी त्रुटियां हैं, जिसकी मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। शायद यह आज तक के इतिहास में पहली घटना होगी कि किसी राष्ट्रपति के अभिभापण में एक वाक्य काटा जाता है, लेकिन मैं उस तरफ भी नहीं जा रहा हूं। वाक्य आपने काट दिया, वह एक बात है। मैं जो वाक्य

काटा गया है, उससे पहले के वाक्य पर अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं। उससे पहले का वाक्य है कि "विश्व में हमारा स्थान इस बात से तय होगा कि क्या हम दृढ़ता और यथार्थता से आगे बढ़ते हैं अथवा अपनी परंपरागत सोच से बंधे रहते हैं।" यह परंपरागत सोच को गाली देना, उसकी आलोचना करना, मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया। यह टिप्पणी किस पर है, क्या यह भारत की परंपरा पर है या पिछली जो सरकारें आई हैं, उनकी परंपरा पर है। मुझे लगता है कि अगर वाक्य काटना था तो यह वाक्य भी साथ ही काटना चाहिए था, यह वाक्य अगले वाक्य से जुड़ा हुआ है और इतनी बड़ी गलती भी अभिभाषण में हो सकती है, मैं तो यह कल्पना नहीं कर सकता। अपनी परंपरा को स्वयं हम गाली दें, उसकी आलोचना करें और मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी सरकार नहीं आई है कि जो अपनी परंपरा से जुड़ी हुई नहीं है। और न कोई ऐसा आविष्कार या चमत्कार कर रही है जिसका पिछली परंपरा से संबंध न हो। मैं इस पर घोर आपत्ति प्रकट करता हूं और मैं चाहूंगा इस वाक्य को यहां से हटा देना चाहिए।

हमारी जो सरकार है, पचास वर्षों के इतिहास में यह सबसे कम संख्या वाले केंद्रीय दल की सरकार है। इतना अल्पमत वाला केंद्रीय दल पहले कभी सत्ता में नहीं आया। आपको अनेक दल बाहर से समर्थन कर रहे हैं या सरकार में शामिल होकर समर्थन कर रहे हैं। यह सरकार बाहर के समर्थन से चल रही है। बाहर का समर्थन खत्म हो जाए तो सरकार नहीं चल सकती। इस सरकार की शायद परंपरा ही यही है कि सरकार चलाने के लिए भी बाहर से समर्थन चाहिए, आर्थिक नीति के लिए कर्ज भी बाहर से चाहिए, पूंजी निवेश भी बाहर से चाहिए और जितने भी काम हैं मैं सोचता हूं कि इन पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी बाहर से दबाव पड़ा है। इतने दबावों के कारण सरकार की स्थिति ऐसी बन गई है कि न कोई निर्णय ले पाती है, न कोई नीति बना पाती है और न कोई कार्यक्रम चला पाती है। पिछले सत्र में तीन विधेयकों के बारे चर्चा होती रही कि सरकार इनको लाकर पास कराएगी, लोकपाल विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक और चुनाव सुधार विधेयक लाने की बात थी, लेकिन ये तीनों नहीं आए और सत्र खत्म हो गया। यह बात नहीं है कि विपक्ष सहमत नहीं था, कारण यह है कि सरकार में बैठे हुए लोगों में आपस में सहमति नहीं थी। ऐसी सरकार जो कि आपसी मतभेदों से भरपूर है, किसी एक विषय पर भी स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाती। यहां सोमनाथ जी नहीं हैं। वे जब बोल रहे थे तो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे। इतना समर्थन तो जो इनके काउंटर पार्ट हैं इंद्रजीत गुप्त जी, जो कि मंत्री भी हैं, वह भी नहीं करते। पता नहीं कौन-सी चीज है, जो वे इतने जोर-शोर से समर्थन कर रहे थे। कांग्रेस वालों ने यह निर्णय किया है कि हम मुद्दों पर आधारित समर्थन करेंगे। इसकी चर्चा मेरे पूर्व वक्ता, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ने नहीं की कि क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, उसका मतलब क्या है। मुद्दों पर आधारित समर्थन करने की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है। इस सरकार के सामने एक ही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न आने पाए। और कोई नीति इनकी नहीं है, पानी मिले या नहीं, बिजली मिले या नहीं, गरीबों को न्याय मिले या नहीं, लोगों को गेहूं मिले या नहीं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आपकी भी एक ही नीति है इस सरकार को गिराने की।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यह लोकतंत्र में विपक्ष का फर्ज है।

श्री कमारुल इस्लाम (गुलबर्गा) : आप कहें कि हम पांच साल विपक्ष में रहने को तैयार हैं तो हम सरकार छोड़ देंगे।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप चुनाव कराएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस ढंग से चल रहे हैं। आंखें बंद करके न चलें। यह सरकार और समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी आंखें बंद करके चल रही है, लेकिन मुझे इस पर भी कुछ नहीं कहना। सरकार बनने के बाद आपने कहा कि हमने कश्मीर में चुनाव कराए, हमने पंजाब में चुनाव कराए, यह अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या, जिसको आप बार-बार सांप्रदायिक ताकतें कहते हैं, कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिलीं, यह वहां के इतिहास में पहली बार हुआ। इसकी जानकारी आपको है या नहीं। इसी तरह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के गठबंधन को इतना बहुमत मिला कि पंजाब के इतिहास में किसी भी पार्टी को इतना नहीं मिला था।

इस बात को आप मानते हैं कि नहीं ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं। थोड़ा इतिहास पर नज़र डालिए। पंजाब में तीन इलेक्शन हुए हैं। एक इलेक्शन होते-होते टल गया। दूसरा इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस हुकूमत में आ गई। उसमें अकाली दल ने चुनाव नहीं लड़ा था। प्रधानमंत्री जी सुनते तो अच्छा रहता। आए तो सुनने के लिए ही थे, जल्दी जा रहे हैं। खैर, उनके पास हमारी बात पहुंच जाएगी। इस समय पंजाब का यह पहला चुनाव है जो तनाव मुक्त चुनाव हुआ है। पहले दोनों चुनाव में इतना तनाव था, इतना खिंचाव था कि इस तरह की घटनाएं हुईं और अगर आज यह चुनाव हुआ है तो जितनी जनता में एकता इस बार थी, पहले कभी नहीं थी। अब आप कह सकते हैं कि वहां कम्युनल फोर्सेज जीत गई और तथाकथित सैक्युलर फोर्सेज का पत्ता ही साफ हो गया और जनता दल का एक भी आदमी चुनाव नहीं जीता और कम्युनिस्ट पार्टी का एक आदमी जीता है और कांग्रेस की सबसे कम सीटें हैं। अब ऐसा वहां हुआ है। ... *(व्यवधान)*

श्री पी० नामग्याल : आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन के बारे में आपका क्या कहना है। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान न कीजिए।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : इसके बाद छिंदवाड़ा के चुनाव हुए। हमने आज तक यह सीट कभी नहीं जीती थी, मगर इस बार जीती है। नागौर की सीट आज तक हमने कभी नहीं जीती थी, इस बार जीती है। दिल्ली कैंट के इलेक्शन हुए, उसमें हमने मैजोरिटी ली है। मुम्बई में कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें 9 कॉरपोरेशंस में से 7 कॉरपोरेशंस कांग्रेस के हाथ में थीं। अब इस बार पासा पलट गया। कांग्रेस ने दो सीटें जीती हैं। दिल्ली का भी परिणाम आपके सामने आ जाएगा कि क्या होने वाला है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत से जीत रही है। अब ये सारी बातें आपको लगता है कि देश के लोगों ने कम्युनल फोर्सेज को रिजेक्ट किया है तो हमको लगता है कि वे कम्युनल फोर्सेज आप हैं। देश की जनता आपको रिजेक्ट कर रही है। ये चुनाव यह बात साबित कर चुके हैं। आप यह बात आंख खोलकर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे एक बात और कहनी है कि 1996-97 के वर्ष में

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

जो अब तक परिस्थितियां बनी हैं, वे ये हैं कि सरकार अस्थिर है, अंदर इतना संकट है, लॉ एंड आर्डर, शांति व्यवस्था, गरीबी, बेकारी, महंगाई, बिजली तथा पानी की समस्याएं हैं। यह बात तो हमारे शरद बाबू भी कह रहे हैं कि इन सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि पचास वर्षों में इतनी कमजोर, असमर्थ तथा अयोग्य सरकार इस देश ने नहीं देखी।

अभी एक बात छोटी सी और मुझे कहनी है और वह यह है कि अभी इस समय राजेश पायलट जी यहां पर नहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में अकालियों से समझौता किया है और आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन का कोई ध्यान नहीं रखा। जितने लोग भी यहां बैठे हैं, उनमें से कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन के खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का गलत वक्तव्य देना अच्छी बात नहीं है। राजीव गांधी जी और लौंगोवाल जी के बीच एक समझौता हुआ था और उस समझौते को मान्यता दी गई थी और उस समझौते में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो क्लॉज 8 (2) में आनंदपुर साहब रिजोल्यूशन के बारे में अकालियों ने जो स्पष्टीकरण दिया है, प्रदेशों को ज्यादा पॉवर्स देने के लिए है। देश की एकता और अखंडता पर इससे कोई आंच नहीं आती है। इस आधार पर राजीव गांधी और लौंगोवाल समझौते के अन्तर्गत इसको सरकारिया कमीशन को रैफर किया गया।

यहां बैठ कर हम इस प्रकार की बातें करें। हम लोग कहते हैं कि प्रदेशों को अधिकार मिलने चाहिए। सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। यही नहीं, वित्तीय अधिकार, राजनैतिक अधिकार प्रदेशों को और देने की जरूरत है। मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं और चुनौतीपूर्वक कहना चाहता हूं, यह विचार संसद में एन्डोर्स हुआ है, एप्रूव हुआ है। इसके बाद भी अगर आप कहते हैं, तो सिवाय इसके कि मैं यह कहूं, आप माहौल को बिगाड़ने की दिशा में फिर से कदम उठाना चाहते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में त्रुटियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पृष्ठ 15, पैराग्राफ 50 में लिखा हुआ है—लोकपाल विधेयक, 1996, दंड विधि संशोधन विधेयक, 1995 और लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित विधेयक विचारार्थ हैं। इसी पैराग्राफ में आगे लिखा है—हमारी सरकार इस सत्र में इन निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधेयकों को लाना चाहती है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो सूची है, वह सरकार की सूची होती है, लेकिन इस सूची में न लोकपाल विधेयक, न चुनाव सुधार से संबंधित बिल और न महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित बिल हैं। इस सूची में ये बिल गायब हैं। आप लोगों को इतना नासमझ मत समझिए। सरकार की नीतियों के बारे में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। लेकिन सरकार इस तरह की बात कर सकती है, यह तो मेरी कल्पना के बाहर की बात है। हम चाहते हैं कि इस सत्र में महिलाओं से संबंधित आरक्षण का बिल आना चाहिए और अगर यह नहीं होता है, तो सरकार अपने वचन से पीछे जाएगी। बाकी पार्टियां भी और कम से कम मेरी पार्टी तो इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करना चाहती है। हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में तय करें। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पांचवें वेतन आयोग के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अभिभाषण में कश्मीर के विस्थापितों और पंजाब के विस्थापितों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। उनकी समस्याओं के बारे में, उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाएगा, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। काश्मीर के विस्थापित आज दिल्ली में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके लिए कोई कहने वाला नहीं है। इसी प्रकार पंजाब के लोग यहां 15-20 सालों से रह रहे हैं। जो 15-20 साल से यहां रह रहे हैं, उनको कहा जाए कि वापिस जाओ, यह उचित नहीं है। उनको बसाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। कहा जाना चाहिए कि उनको इस आधार पर वापिस नहीं भेजा जाएगा। जबरदस्ती भेजने से वहां जो उनके ऊपर संकट आएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। उनकी रक्षा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। जो लोग यहां रहना चाहते हैं, उनको यहां बसाया जाना चाहिए। इसकी चर्चा भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है।

जहां तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इस बारे में प्रधानमंत्री जी से सदन में अलग से वक्तव्य देना पड़ा है, जबकि इस बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विस्तार से आ सकता था। मैं यह नहीं कहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसकी चर्चा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर कुछ सुधार करने की जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं-न-कहीं दबाव पड़ा है और इस दबाव के कारण यह बात हुई है तथा प्रधानमंत्री जी को बजट लाने से पहले सदन में आकर इस बारे में वक्तव्य देना पड़ा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से चिन्तन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि चिन्तन किए बिना हम आगे बढ़ गए हैं और बाद में एक-एक करके चीजें ध्यान में आ रही हैं। इस स्थिति पर मुझे आपत्ति है।

पैराग्राफ 41 के अनुसार कहा गया है कि हम पाकिस्तान से बातें करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसका प्रतिवाद किया है कि मैंने यह नहीं कहा है कि माइनर एडजैस्टमेंट हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी नहीं कहा है कि संसद के दोनों सदनों के अन्दर कश्मीर के बारे में जो प्रस्ताव पारित किए हैं, वे मेरे लिए मार्गदर्शक होंगे। यह बात प्रधानमंत्री जी को कहनी चाहिए थी, नहीं तो संसद का महत्व क्या है। इस प्रकार संसद का अपमान तो आप नहीं कर सकते हैं। संसद में प्रस्ताव पारित हुए हैं कि पूरे का पूरा कश्मीर भारत का अखण्ड हिस्सा है और इसकी एक इंच भी भूमि हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं हैं।

आपने यह संसद में पास किया है। यह कोई मेरी पार्टी का सवाल नहीं है, मेरी पार्टी का तो पहले से ही यह उद्देश्य रहा लेकिन इसको तो पूरी संसद ने पास किया, यह बात हम और सहन नहीं करेंगे, इसकी भी कहीं चर्चा नहीं है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर के बारे में मेरे और मित्र कहेंगे। हम लोग एक छोटी सी बात भूल गए कि वे जो चार विदेशी पर्यटक थे वे कहां गए। हुकूमत बने हुए भी तीन-चार महीने हो गए हैं। उनकी कोई खोज-खबर नहीं, कोई पता नहीं कि वे कहां पर हैं। क्या इसके बाद भी हम यह कहेंगे कि वहां शांति है, वहां सब कुछ ठीक-ठाक है और अच्छा चल रहा है। मैं एक बात चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में अभी सब कुछ ठीक नहीं है और अगर हमने गंभीरता से इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उस तरफ कोई न कोई नयी घटना हो सकती है। इसलिए यह बात सब के सामने और सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि इस पर वे पूरी तरह ध्यान दें।

महोदय, इस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है। इसके बारे में मुझे यह कहना है कि 1996-97 का जो वर्ष है वह हमारी दृष्टि से एक विनाशकारी वर्ष बना है। इसमें हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हुई है। राष्ट्रीय आय में पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी, जब कि विगत वर्ष में पांच प्रतिशत है। पिछले वर्ष इसमें सात प्रतिशत हुई थी, अब इसमें कमी हो गई। औद्योगिक विकास छः प्रतिशत से कम होगा जबकि पिछले वर्ष यह 12 प्रतिशत हुआ था, अब इस बार छः प्रतिशत से भी कम औद्योगिक विकास होने वाला है जबकि पिछले वर्ष यह 12 प्रतिशत था। पिछले वर्ष केवल पांच प्रतिशत से अधिक निर्यात हुआ जबकि पिछले वर्ष 24 प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई थी, इस बार केवल पांच प्रतिशत हुई है। इसका मतलब 24 से घट कर पांच हुई है, यानि इसमें 19 प्रतिशत गिरावट आई है। केवल मूल्यों में वृद्धि हुई है और किसी चीज में वृद्धि नहीं हुई है। मुद्रास्फीति, जो हमारी 4.7 प्रतिशत थी वह अब बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गई है।

महोदय, मैं सरकार के काम-काज के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि अब इन्होंने अपने अभिभाषण में गरीबों के बारे में बड़ी चर्चा की है कि गरीबों को बहुत कुछ देने वाले हैं। मुझे गरीबी हटाओ का 1971 का नारा स्मरण आ रहा है, आज शायद फिर से वह नारा दोबारा सामने आ रहा है। आज कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यह कोई बताने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सत्ता पक्ष के सदस्य स्वयं आपस में बातचीत करें।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मेरे सामने सरकार का एक छोटा सा उदाहरण आ रहा है वह यह था कि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो एक बार एक नदी में जल बढ़ रहा था, उसने वहां से कंट्रोल रूम को फोन किया कि साहब पानी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है वहां से जवाब आया कि खतरे के निशान को थोड़ा और ऊपर कर दो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यह कहती है कि महंगाई खतरे के निशान से ऊपर जा रही है तो हमारी सरकार का यह कहना है कि खतरे के निशान को थोड़ा और ऊपर कर दो और अगर ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं तो जरा गरीबी रेखा को और नीचे कर दो। गरीबी रेखा को नीचे कर दो, खतरे के निशान को ऊपर कर दो, क्या यह समस्याओं को हल करने का तरीका है ? हम कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जा रहे हैं इसकी कोई योजना नहीं, महंगाई को रोकने की कोई योजना नहीं।

महोदय, एक और बड़ा मजेदार इंसीडेंट है इसको हम कैसे कहें। इस समय जो गेहूं है वह लगभग 13 रुपये किलो मिल रहा है। चीनी भी लगभग 13 रुपये किलो मिल रही है, दूध भी 13 रुपये किलो मिल रहा है। यह 13 का शायद आंकड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि यह सरकार भी 13 पार्टियों की है। *...(व्यवधान)*

श्री सैयद मसदूल हुसैन : आपकी सरकार भी 13 दिन की थी। *...(व्यवधान)*

श्री कृष्ण लाल शर्मा : इसलिए मैं यह कहता हूं कि वह 13 दिन वाला भूत आपके पीछे पड़ा हुआ है। यह 13 पार्टियों की सरकार, एक-एक चीज 13 रुपये किलो और पानी की बोतल भी 13 रुपये में है। *(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : 14 पार्टियां हो गयी हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : 14 पार्टियां हो गयी हैं तो यह सब भी 14 रुपये किलो हो जाएगा। लेकिन यह जो परिस्थिति बनी है... *(व्यवधान)* मैं अपनी बात कहूं, नीतीश जी, आप लोग तो बाद में भी अपनी बात कह सकते हैं। इस समय भारत पर कर्जे की क्या स्थिति है ? यह सरकार और कोई कार्य करे या न करे लेकिन कर्जा तो बढ़ाती जाएगी, कर्जे का विकास होता जाएगा। कर्जा इतना बढ़ता जा रहा है कि हमारे देश में आम आदमी और हमारी अर्थ-व्यवस्था इस कर्जे के बोझ को उठा सकेगी या नहीं उठा सकेगी—इसके आंकड़ों का मैं एक तुलनात्मक ब्यौरा दे रहा हूं। 1990-91 में आंतरिक ऋण 1 लाख 54 हजार करोड़ था। 1996-97 में यह 3 लाख 31 हजार करोड़ है। 1990-91 में अन्य आंतरिक ऋण जिसमें अन्य देनदारियां भी हैं 1 लाख 29 हजार करोड़ था। इसमें 2 लाख 81 हजार करोड़ बाहर का ऋण यानि विदेशी ऋण 1990-91 में 1 लाख 63 हजार करोड़ था। अब 3 लाख 60 हजार करोड़ है। आप इससे कल्पना कीजिए कि 1990-91 में कुल ऋण की राशि 4 लाख 46 हजार करोड़ थी। इस समय 9 लाख 72 हजार करोड़ का ऋण हमारे ऊपर आ गया है। इस ऋण का ब्याज देने में ही ये सारी चीजें चली जा रही हैं। इस गरीब देश पर हर वर्ष 80 हजार करोड़ का ऋण आ रहा है। इस समय 5 हजार करोड़ का ऋण बढ़ चुका है। हमारी मांग है कि सरकार को अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, हम कहां से शुरू हुए थे और कहां हम पहुंचे हैं ? रोजगार तो उत्पन्न हो नहीं रहा है और कर्जा बढ़ता जा रहा है। इस समय हमारे ऊपर कर्जा सप्ताह में 15 सौ करोड़ और एक दिन में दो सौ करोड़ रुपये हो रहा है। इस तरह से कर्जा बढ़ाने वाली सरकार जितने दिन और चलेगी उतना ही देश को भारी पड़ेगी।

एक बात और ध्यान में आती है कि इस सरकार को नौ महीने पूरे होने जा रहे हैं। नौ महीने वाला मामला भी काफी महत्व का होता है। नौ महीने में कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा या अबोरशन होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : यह संसदीय भाषा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मैं तो केवल इतना ही कह रहा था कि इस सरकार को समय मिला है लेकिन यह सरकार न अपने गठबंधन के अंदर जो लोग थे उनके साथ तालमेल कर सकी और न जो समर्थन करने वाली गवर्नमेंट है उनसे तालमेल बना पाई। देश की किसी भी परिस्थिति पर इस सरकार का काबू नहीं है। चाहे वह परिस्थिति आंतरिक हो, वाह्य हो, आर्थिक हो, यह सरकार हर मोर्चे पर असफल हो रही है। जो चीजें बढ़ी हैं उनमें महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अभाव बढ़ा है, भूख बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है। इन सारी चीजों के बारे में सरकार क्यों असफल हो रही है आप सोचिये।

कॉमन मीनिमम प्रोग्राम कहां है ? इसके बारे में कोई यह कहने के

[श्री कृष्ण लाल शर्मा]

लिए तैयार नहीं है। एक भी प्रोग्राम टाइम बाउंड नहीं है। कम से कम सरकार कोई तो एक-आध कार्यक्रम टाइम बाउंड बताए। नई स्कीम पी० डी० एस० की बनी है। क्या यह स्कीम 32 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाएगी और लोगों को सब्जिडाइज्ड रेट पर गेहूं मिलेगा ? क्या आपके पास अनाज पर्याप्त मात्रा में है ? आप अनाज बाहर से मंगाएंगे लेकिन आपके पास वह मंगाने के लिए पैसा नहीं है। जिनको सस्ता राशन देना है, उनके कार्ड कैस बनेंगे, उनको आईडैंटिफाई कैसे करेंगे, यह कब तक होगा ? केवल बजट को पास कराने का एक नारा है। मेरा पहला अनुभव यह है कि

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है।

[हिन्दी]

इसका नतीजा यह हुआ कि सैंटर वाले स्टेट्स पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और स्टेट्स वाले सैंटर पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। किसी गरीब आदमी को इससे फायदा पहुंचने वाला नहीं है और न ही पहुंच रहा है। सरकार को अपनी नीतियों के बारे में यहां और बाहर बताना चाहिए। गरीबी दूर करने के बारे में और उनके लिए बनाए जाने वाले ठोस कार्यक्रमों के बारे में बात स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक ये सवाल हल नहीं होते तब तक देश का भला नहीं होगा।

मैं एक और विषय पर जरूर कहना चाहूंगा। आज सुबह धारा 356 के बारे में बातें हो रही थीं। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर बातें हो रही थीं। सरकारिया कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनकी कैसे नियुक्ति होगी। एक बात सरकार के मन में साफ होनी चाहिए कि जो लोग किसी पार्टी के टिकट से चुनाव में पराजित हो जाते हैं उन लोगों को उसी पार्टी के शासन के प्रदेश में गवर्नर बनाकर भेजना यह स्पष्ट संकेत देता है कि वह बदले की भावना से काम करेंगे और दूसरी पार्टी की सरकार को चलने नहीं देंगे। कृष्ण पाल सिंह जी को मध्य प्रदेश से गुजरात भेजा। वह चुनाव में बी० जे० पी० से हार गए थे। रोमेश भंडारी जी दिल्ली से चुनाव लड़े थे। उनको बी० जे० पी० ने हराया था। उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया। आज उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है ? वहां राज्यपाल क्या कर रहे हैं ? क्या उनको किसी की चिन्ता है ? वहां हत्यायें और हिंसा हो रही है और अराजक तत्व शासन कर रहे हैं। राजभवन ऐयाशी का अड्डा बना हुआ है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। राज्यपालों की ऐसे नियुक्तियां करके क्या इस तरह से शासन चलाया जाएगा। ऐसी बातों से देश का भला नहीं होगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लोगों के अन्दर यह बात साफ होनी चाहिए कि किस तरह से राज्यपाल की नियुक्ति होगी। इस पर सरकार को सही फैसला लेना चाहिए।

आज होम मिनिस्ट्री के सामने एक चुनौती यह है कि वह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे संभाले। दूसरी चुनौती यह है कि होम मिनिस्ट्री एक होकर कैसे चले। क्या आप समझते हैं कि आज होम मिनिस्ट्री एक है। होम सैकेट्री कुछ बोलते हैं और होम मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं। यू० पी० के बारे में होम मिनिस्टर यह कहते हैं कि वहां क्वॉस, एनार्की और डिस्ट्रक्शन का वातावरण है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में बढ़ रहा है।

होम सैकेट्री कहते हैं उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर किसी को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। वहां कोई थ्रैट का सवाल नहीं है। यू० पी० में अभी पिछले दिनों ब्रह्मदेव द्विवेदी की हत्या हुई। उनके पास सिक्योरिटी थी लेकिन उसके बावजूद उनकी हत्या हुई। पी० एम० ओ०, होम मिनिस्ट्र और होम सैकेट्री के बीच कोई तालमेल नहीं है। ऐसी अनेक समस्याएं देश के सामने हैं। इस समस्या को हल करने के लिए किसी का आपस में तालमेल नहीं है। आने वाले वर्षों में देश की हालत बिगड़ेगी या इसमें सुधार लाया जाएगा ?

मैं एक और गम्भीर बात कहना चाहता हूं। पिछली बार जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से एक मत व्यक्त किया था। कि हम देश में गो-वध पर प्रतिबंध लगायेंगे। इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ और शोर मचा जैसे बड़ी भारी ऐसी अनहोनी बात कह दी हो। मेरा इस सरकार पर आरोप है कि यह और इनकी समर्थित पार्टियां तुष्टिकरण में इतनी आगे बढ़ रही हैं कि संविधान की अवहेलना कर रही हैं और संविधान की अवहेलना करना सरकार के लिये सर्वथा अनुचित है। मैं आपके सामने इसका उदाहरण दे रहा हूं।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, छः बज गये हैं।

कई माननीय सदस्य : इनको आज ही खत्म कर लेने दें।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मुझे थोड़ा समय और चाहिये, इसलिये मैं कल चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है। बाहरी दिल्ली से माननीय सदस्य बोल रहे हैं। वे 33 मिनट बोल चुके हैं। अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार, 26 फरवरी, 1997/ 7 फाल्गुन, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

CORRIGENDA TO LOK SABHA DEBATES

(English Version)

Tuesday, February 25, 1997/Phalguna 6,1918 (Saka)

....

Col./Line	For	Read
Contents (i)/5	1	1;288
Contents (ii)/10	223-328	323-328
97/3(from below)	SHRI SATYAJITSINGH ßULIP SINGH GAEKWAD	Shri Satyajitsinh Dulipsinh Gaekwad
130/6(from below)	Prog.Saifuddin Soz	Prof.Saifuddin Soz
247/Last line	'soil'....	'son of the soil'
287/20	Delete 13.00 hrs.	